त्रयोदश माला, खंड 14, अंक 5

सोमवार, 26 फरवरी, 2001

7 फाल्गुन, 1922 (शक)

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवी लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY

No ....5/....

Date ....14/10/01....

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)

अंक 5, सोमवार, 26 फरवरी, 2001/7 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 80 5-44

अतारांकित प्रश्न संख्या 623 से 852 45-342

सभा पटल पर रखे गए पत्र 342-343

लोक लेखा समिति

की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण 343-344

रेल बजट, 2001-2002 344-383

बैंककारी कम्पनी (विधि व्यवसायियों के मुवक्किलों कें खाते) निरसन विधेयक 383-384

नियम 377 के अधीन मामले 384-391

(एक) झारखंड राज्य में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 384

(दो) उत्तर प्रदेश में वाराणसी और शक्ति नगर के बीच रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम शकल 384

(तीन) बिहार में सिवान और हाजीपुर के बीच विशेष डी.एम.यू. रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राजीव प्रताप रूडी 385

(चार) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 385

(पांच) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में कृभको द्वारा उर्वरक संयंत्र को शीघ्र चालू करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 385

(छह) कानपुर, उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन के अधीन कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 386

(सात) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कालाकांकेर में गंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 386-387

(आठ) राजस्थान में जैसलमेर में ऐतिहासिक स्मारकों के उचित रख–रखाव के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी 387-388

(नौ) केरल में मछुआरों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही बचत और सहायता योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकत

प्रो. ए. के. प्रेमाजम 388

(दस) आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में वेंकटेस्वरपुरम रेलवे गेट के निकट एक उपरि–पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला 388

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री भालचन्द्र यादव 389

(बारह) बनियापुर, बिहार में एक पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 389

(तेरह) ओडिसी गायन को शास्त्रीय संगीत के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 390

(चौदह) बिहार में वैशाली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 390

(पन्द्रह) जम्मू–कश्मीर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक प्रौद्योगिकी मिशन विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन 391

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(1) गुजरात में आए भीषण भूकम्प से उत्पन्न स्थिति

श्री नीतीश कुमार 392-396

विषय **कॉलम**

(2) सिलीगुड़ी में फैला बुखार

डा. सी. पी. ठाकुर 438-440

कार्य मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन 437

नियम 193 के अधीन चर्चा 397-490

गुजरात में आए भीषण भूकम्प से उत्पन्न स्थिति 397-437, 441-490

श्री हरिन् पाठक 403-413

श्रीमती सोनिया गांधी 413-418

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु 418-424

श्री रामजी लाल सुमन 425-428

श्री किरीट सोमैया 429-437

श्री शंकर सिंह वाघेला 441-452

श्री अनंत गंगाराम गीते 452-458

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल 458-466

श्री पी. एस. गढ़वी 466-475

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 475-482

श्री त्रिलोचन कानूनगो 483-486

श्री जी. एम. बनातवाला 486-490

सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना 490

लोक सभा

सोमवार, 26 फरवरी, 2001/7 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आपने सलाह दी थी कि बाल्को के मुद्दे पर पहली मार्च, 2001 को चर्चा की जाएगी...*(व्यवधान)* मैंने एक सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आपकी सूचना को अस्वीकार कर दिया गया है। मैं आपकी बात प्रश्न काल के बाद सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आपने सलाह दी थी कि बाल्को के मुद्दे पर चर्चा पहली मार्च को की जाएगी, तो फिर क्या माननीय प्रधान मंत्री और सदन के नेता द्वारा सदन के बाहर इस प्रकार का बयान दिया जाना उचित है कि बाल्को मामला खत्म हो चुका है। उन्होंने सदन के बाहर ऐसा बयान दिया। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)* यह 'शून्य काल' का मामला नहीं है...*(व्यवधान)* यह तो संसद के अधिकारों का तिरस्कार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मैं आपकी बात प्रश्न काल के बाद सुनूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। यह प्रश्न काल है। मैं प्रश्न काल के बाद इस मुद्दे को उठाने के लिए आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मैं आपको प्रश्न काल के बाद अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

अब, श्री जी. गंगा रेड्डी अपना प्रश्न पूछें।

श्री जी. गंगा रेड्डी (निजामाबाद) : प्रश्न संख्या 6... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया मेरी बात सुनें। हमने तारीख भी निश्चित की थी। पहली मार्च को सदन में बाल्को के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह बात तय हो जाने के बाद आप प्रश्न काल में व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। यह सब क्या है? सदन में चर्चा करने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री रामजी लाल सुमन आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पिछले सप्ताह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई जिसमें तारीख और समय भी निर्धारित किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

फिर भी आप इस मुद्दे को प्रश्न काल में उठा रहे हैं। क्या सत्र के दौरान सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा करने का यह सही तरीका है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रक्रिया का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आप सदन में प्रचलित रामी प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर लौट जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, आपके दल के सदस्य सदन में उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे बार–बार अध्यक्ष के आसन के पास आ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी–अपनी सीटों पर लौट जाइए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो यह काम आप अपने–अपने स्थानों से कर सकते हैं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने–अपने स्थानों पर वापस चल जाएं। सदन में मुद्दे उठाने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहली मार्च को सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी है। आप फिर प्रश्न काल में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(इस समय श्री भेरूलाल मीणा, श्री राजो सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टी.वी. बंद कर दो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से फिर अपील कर रहा हूं कि वे अपने–अपने स्थानों पर वापस चले जाएं। आप फिर से प्रश्न काल में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। सदन में मुद्दों को हल करने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सदन में कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप उसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं। मैं आपको इसका अवसर दूंगा। सदन में मुद्दे उठाने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या इस संबंध में सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर वापस चले जाएं। यह बात तय हो चुकी है कि सभा में इस मुद्दे पर चर्चा पहली मार्च, 2001 को होगी।

(व्यवधान)

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन में कौन सा नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं?

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबंध

***61. श्री जी. गंगा रेड्डी :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न पत्तनों पर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंध संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान सरकार को इन एजेंसियों की सुरक्षा संबंधी खामियों का कितनी बार पता चला;

(घ) सरकार द्वारा इनके बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा सुरक्षा प्रबंधों को त्रुटिरहित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (ङ) कुछ ऐसे मानक और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं जिनके अधीन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंध करता है और जब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वास्तव में सुरक्षा कार्यकलापों का निर्वाह किया जाता है तब इसके द्वारा उनके पालन पर निगरानी रखी जाती है। जहां कहीं भी आवश्यक होता है, सुरक्षा को और आगे कड़ा करते हुए प्रणाली की आवधिक संवीक्षा की जाती है।

पिछले एक वर्ष के दौरान सुरक्षा चूक की कोई गंभीर घटना प्रकाश में नहीं आई है। यदि चूक के कोई व्यक्तिगत मामले हों, इन्हें कड़ाई से निपटा जाता है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा करने के लिए सरकार ने कई प्रभावी उपाय किए हैं। इन उपायों में चरणबद्ध तरीके से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाना शामिल है। इससे प्रशिक्षण में और दिशानिर्देशों के मानकों को लागू करने में एकरूपता बनी रह सकेगी। यह सब राज्य पुलिस बल को लगाने की पारम्परिक प्रणाली से संभव नहीं है। साथ ही हवाई अड्डों पर लैडर प्वाइंट तलाशी शुरू करना, कभी-कभार अचानक चुने हुए मार्गों पर स्काई मार्शलों को लगाना और सुरक्षा स्टाफ, कॉकपिट तथा केबिन कर्मचारियों को सापेक्ष प्रशिक्षण देने का प्रबंध करना भी इन उपायों में शामिल है।

खेल नीति

***62. श्री अनंत गंगाराम गीते** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिडनी ओलंपिक खेलों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाने के लिए कोई मौलिक खेल नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ खेलों की विशेष दक्षता हेतु पहचान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) सिडनी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में संसदीय स्थाई समिति और परामर्शदात्री समिति की बैठकों सहित अनेक बैठकों में चर्चा हुई थी। नई खेल नीति के संघटकों पर सभी मध्यस्थ व्यक्तियों के साथ चर्चा की गई है और नई नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके संघटकों में भारत में खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सहित शुरूआत तथा उपाय शामिल हैं :

(1) आधार को विस्तृत बनाना-विशेष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के लिए।

(2) उन्नत अवस्थापना-राष्ट्रीय टीमों के लिए।

(3) हमारे प्रशिक्षण समुदाय की जानकारी में सुधार लाना।

(4) हमारे खेल वैज्ञानिकों के व्यावहारिक ज्ञान में सुधार करना ताकि उन्हें खिलाड़ियों के प्रदर्शन में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षकों के साथ-साथ अपना सहयोग देने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

(5) खेल परिसंघों के प्रबंधन में परिष्कृत कार्यकरण तथा व्यवसायीकरण।

(6) खेल अवस्थापना के विकास और खिलाड़ियों के उन्नत प्रशिक्षण में राज्यों की और अधिक सहभागिता।

(7) अलग–अलग/विशेष खेल विधाओं को अपनाने तथा उन्हें प्रायोजित करने के लिए निजी क्षेत्रों को शामिल करना।

(8) खेल संबंधी गतिविधियों में और अधिक सहभागिता के लिए जन–सामान्य के बीच जागरूकता उत्पन्न करना।

(ग) और (घ) विगत वर्षों में हमारी क्षमता तथा प्रदर्शन के आधार पर, सरकार ने पहले से ही विभिन्न खेल विधाओं को तीन श्रेणियों में रखा है। इन श्रेणियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. प्राथमिकता प्राप्त खेल विधाएं

(क) तीरंदाजी (ख) एथलेटिक्स (ग) बैडमिंटन (घ) बिलियर्ड्स और स्नूकर (ङ) मुक्केबाजी (च) शतरंज (छ) फुटबाल (ज) हाकी (पुरुष व महिला) (झ) कबड्डी (ट) रोइंग (ठ) निशानेबाजी (ड) टेनिस (ढ) साइक्लिंग (ण) कुश्ती (त) भारोत्तोलन (थ) तैराकी।

2. सामान्य खेल विधाएं

(क) बास्केटबाल (ख) केनोइंग और क्याकिंग (ग) घुड़सवारी (घ) फेंसिंग (ङ) गोल्फ (च) जिम्नास्टिक्स (छ) हैंडबाल (ज) जूडो (झ) स्क्वैश (ण) टेबल टेनिस (ट) वालीबाल और (ठ) याटिंग।

3. अन्य खेल विधाएं

अन्य मान्यताप्राप्त खेल विधाएं जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

नदियों को आपस में जोड़ना

*63. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने संकोष नदी और गंगा नदी को जोड़ने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के स्थानांतरण के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में तथा हिमालयी नदियों को आपस में परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन तथा व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1982 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) की स्थापना की है। इस योजना में प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत 17 जल हस्तांतरण संपर्कों और हिमालयी नदी विकास घटक के तहत 14 जल हस्तांतरण संपर्कों की योजना है। सभी 31 संपर्कों की पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत 5 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें भी पूरी कर ली गई हैं।

(ग) और (घ) हिमालयी नदी विकास घटक के तहत मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा नामक संपर्क द्वारा संकोश और गंगा के अंतरसंपर्क की योजना है। इस संपर्क के पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए गये हैं तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य शुरू किया गया है।

डाक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*64. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 2000 में देश भर के डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कोई दण्डात्मक अथवा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार ने कौन–कौन सी मांगें स्वीकार कर ली हैं और किन–किन मांगों को व्यवहार्य नहीं पाया गया है; और

(ङ) हड़ताल के परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितनी हानि हुई?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) देश भर में डाक कर्मचारी और अतिरिक्त विभागीय एजेंट (ईडीए) अपनी निम्नलिखित मांगों के समर्थन में दिनांक 5.12.2000 से 18.12.2000 तक हड़ताल पर रहे।

1. अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए न्यायमूर्ति चरणजीत सिंह तलवार समिति (जेटीसी) की सकारात्मक सिफारिशों का कार्यान्वयन, विशेष रूप से उन्हें दर्जा और पेंशन दिए जाने के संबंध में।

2. डाक सहायक/छंटाई सहायक, ग्रुप डी, पोस्टमैन, के सभी स्तरों पर तथा साथ ही डाक लेखा स्टाफ और स्टेनोग्राफर के वेतनमान का उन्नयन।

3. ड्राइंवरों, वर्कशाप स्टाफ और डाकघर के लेखाकारों के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धि।

4. हायर सलेक्शन ग्रेड II (एचएसजी II) के 10 प्रतिशत पदों का एचएसजी–I में उन्नयन।

5. दिहाड़ी के मजदूरों से संबंधित मामले।

6. विभाग में सभी खाली पदों को भरना।

जबकि कनिष्ठ लेखा अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष वेतन के बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं, डाक सहायक/छंटाई सहायक संवर्ग के लिए अतिरिक्त एचएसजी–1 संवर्ग के पदों की मांग, सार्टर से डाक लेखा संवर्ग में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति, और ईडीए की नामावली बदलकर ग्रामीण डाक सेवक करने की मांग मान ली गई है तथा इनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वर्कशाप और डाक लेखा स्टाफ से संबंधित मांगों पर संवर्ग पुनरीक्षा की प्रक्रिया के साथ–साथ विचार किया जा रहा है।

जहां तक जेटीसी की सकारात्मक सिफारिशों, जिनमें ईडीए के लिए दर्जा और पेंशन शामिल है, के कार्यान्वयन की मांग का संबंध है, सरकार ने जेटीसी की सिफारिशों से संबंधित सभी मांगों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में दिसंबर, 1998 में एक पैकेज दिया तथा ईडीए को रोजगारोत्तर लाभ के रूप में एकमुश्त सेवा विच्छेद राशि सहित पर्याप्त लाभ दिए गए। सेवा विच्छेद राशि और अनुग्रह उपदान की मौजूदा व्यवस्था ईडी एजेंटों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति प्रदान करती है तथा पेंशन देने की मांग व्यवहार्य नहीं पाई गई। दिहाड़ी के मजदूरों के मामलों के संबंध में यूनियनों के साथ बातचीत चल रही है और विभाग में खाली पद नोडल मंत्रालय द्वारा निर्धारित सरकार की नीति के अनुसार भरे जा रहे हैं। जहां तक ग्रुप 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाने के बारे में अन्य मांगों का संबंध है, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित होने के कारण ये व्यापक प्रभाव वाली हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार्य नहीं पाया गया। हड़ताल में भाग लेने के लिए विभाग ने कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है।

वर्ष 2000–2001 के लिए प्रोजेक्टिड राजस्व अनुमान पर आधारित वित्तीय दृष्टि से डाक हड़ताल के कारण सरकार को हुआ अनुमानित घाटा लगभग 94.44 करोड़ रुपये है।

सेल्यूलर टेलीफोन सेवा

***65. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की कम मासिक किराए और काल प्रभारों वाली डाल्फिन सेल्यूलर टेलीफोन सेवा आरम्भ की है जिसके परिणामस्वरूप निजी सेल्यूलर टेलीफोन कंपनियों को अपनी काल दरों को घटाने को बाध्य होना पडा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने एक वर्ष पहले सीमित क्षमता वाली सेल्यूलर सेवा आरम्भ की थी जिसका मासिक किराया डाल्फिन सेल्यूलर सेवा से अधिक था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मासिक किराए को डाल्फिन सेवा के समतुल्य बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड की सेल्यूलर सेवा आरम्भ कर दी गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके अंतर्गत लाए गए शहरों और नगरों सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ज) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रभारों का वर्तमान स्वरूप क्या है;

(झ) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड किसी अन्य कंपनी का सहयोग ले रही है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) महानगर टेलीफोन निगम लि. ने जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल) प्रौद्योगिकी पर आधारित अपनी सेल्यूलर टेलीफोन सेवा "डॉल्फिन" दिल्ली में 7 फरवरी, 2001 से शुरू की है तथा मुंबई में यह सेवा 27 फरवरी, 2001 से शुरू करने का प्रस्ताव है। इस सेवा के लिए एमटीएनएल द्वारा घोषित टैरिफ प्राइवेट ऑपरेटरों के तत्कालीन टैरिफ से काफी कम था। एमटीएनएल के टैरिफ का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। एमटीएनएल द्वारा टैरिफ की घोषणा के बाद प्राइवेट ऑपरेटरों ने भी अपने टैरिफ में पर्याप्त कमी कर दी है।

एमटीएनएल ने डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) प्रौद्योगिकी पर आधारित सीमित रेंज की मोबाइल सेवा 2 अक्तूबर, 1999 से शुरू की थी, जिसका मासिक किराया 600/– रु. प्रतिमाह है। तथापि, 3 मिनट की आउट गोइंग कॉल के लिए कॉल प्रभार 1.40 रु. मात्र था। इनकमिंग कॉलों के लिए कोई प्रभार नहीं है।

दोनों सेवाओं की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सेल्यूलर मोबाइल सेवा जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित है और रोमिंग सुविधा तथा अन्य मूल्यवर्द्धित सेवाओं सहित पूर्ण मोबिलिटी उपलब्ध कराती है, जबकि डब्ल्यूएलएल केवल सीमित मोबिलिटी उपलब्ध कराता है और इसमें रोमिंग सुविधा भी नहीं है। यद्यपि, डब्ल्यूएलएल सेवा के लिए किराया इस समय कुछ अधिक है, लेकिन यह टीआरएआई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) द्वारा किराए के निर्धारण पर निर्भर करता हैं। दूसरी ओर, कॉल प्रभार बहुत ही कम है।

(च) से (ञ) बीएसएनएल ने बिहार राज्य में जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित सेल्यूलर सेवा अब तक पटना और हाजीपुर में शुरू की है। बीएसएनएल सेल्यूलर सेवा के लिए वर्तमान टैरिफ का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। इस सेवा हेतु किसी अन्य कंपनी के साथ गठबंधन के लिए बीएसएनएल में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

जीएसएम सेल्यूलर मोबाइल सेवा के लिए मुंबई और दिल्ली में टैरिफ योजना

1. डॉल्फिन

मासिक किराया	400/–रु.
एयरटाइम दर	
इनकमिंग कॉल	1.50 रु. प्रति मिनट
आउटगोइंग कॉल	2.70 रु. प्रति मिनट
पल्स दर*	30 सैकण्ड

*एयरटाइम 30 सैकंड की यूनिट पर वसूल किया जाएगा। उदाहरणार्थ, 30 सैकंड तक खत्म होने वाली कॉल के लिए प्रभार्य एयरटाइम इनकमिंग के लिए 0.75 रु. तथा आउटगोइंग के लिए 1.35 रु. होगा।

*उपर्युक्त एयरटाइम दरें प्रतिदिन 24 घंटे/प्रति सप्ताह 7 दिन/प्रति वर्ष 365 दिन वैध होंगी।

1. डाल्फिन स्टैंडर्ड

किराया	स्टैंडर्ड घंटे (0900 बजे–2000 बजे)	रियायती घंटे (1) (0800 बजे–0900 बजे तथा 2000 बजे–2400 बजे)	रियायती घंटे (2) (रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक)
475/– रु.	4.00 रु. प्रति मिनट	2.00 रु. प्रति मिनट	1.00 रु. प्रति मिनट

स्टैंडर्ड योजना में ये एयरटाइम दरें आउटगोइंग और इनकमिंग, दोनों कॉलों के लिए लागू हैं। बिलिंग पल्स 30 सैकंड की है। रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश (15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्तूबर) को एयरटाइम दरें प्रति मिनट 2.00 रु. (0800 बजे–2400 बजे) तथा 1.00 रु. (रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक) हैं। यह टैरिफ टीआरएआई के अनुसार है।

नोट : टीआरएआई विनियम के अनुसार पीएसटीएन पर किए गए कॉलों के लिए लागू पीएसटीएन प्रभार और एयरटाइम प्रभार, दोनों लगेंगे।

मूल्यवर्द्धित सेवा

1. कॉल फारवर्डिंग	निःशुल्क
2. कॉल होल्ड	निःशुल्क
3. कॉल वेटिंग	निःशुल्क

उपर्युक्त तीनों सेवाएं सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। तथापि, प्रयोग पर एयरटाइम प्रभार लागू होते हैं।

4. कॉल लाइन आइडेंटिफिकेशन	30 रु. प्रतिमाह
5. वॉइस मेल सेवा (वीएमएस)	(क) 10 रु. प्रति माह
	अथवा
	(ख) संदेश प्राप्त करने पर 2 रु. प्रति मिनट

6. शॉर्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) : आउटगोइंग मैसेज के लिए 1 रु. प्रति मैसेज, इनकमिंग निःशुल्क

7. कॉल कान्फरेंसिंग : 30 रु. प्रति माह

8. मदवार बिल (विस्तृत बिल) : 30 रु. प्रति माह

पंजीकरण के समय देय राशि

सुविधा	प्रतिभूति जमा राशि (प्रतिदेय)	एक्टिवेशन प्रभार	जोड़
(क) केवल स्थानीय	2000 रु.	1050 रु.	3050 रु.
(ख) स्थानीय तथा एनएसडी	4000 रु.	1050 रु.	5050 रु.
(ग) स्थानीय, एनएसडी तथा आईएसडी	6000 रु.	1050 रु.	7050 रु.

विविध सेवाओं के लिए टैरिफ

(1) नाम परिवर्तन : कोई प्रभार नहीं

(2) सेफ कस्टडी : सेफ कस्टडी के दौरान केवल किराया वसूल किया जाएगा तथा सेफ कस्टडी से निकालते समय पुनः कनैक्शन/एक्टिवेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(3) पुनः कनैक्शन

(क) डीएनपी (भुगतान न करने के कारण काटने) के बाद : लागू विलंब शुल्क सरचार्ज सहित 100/– रु.

(ख) सरेंडर किए गए कनेक्शन के 3 महीने के अंदर : 200/–रु.

नोट : सरेंडर किया गया नंबर 3 महीने से पहले अन्य किसी को नहीं दिया जाता।

(ग) सरेंडर किए गए कनैक्शन के 3 माह बाद, अनुरोध के समय अगर नंबर स्पेयर हो तो एक्टिवेशन शुल्क लिया जाएगा, जैसा एक नए पोस्ट पेड कनैक्शन के लिए किया जाता है।

(4) एक पैकेज से दूसरे पैकेज में माइग्रेशन : कोई प्रभार नहीं, संबंधित क्रय की अन्य शर्तें लागू होंगी।

विवरण-II

सेल्यूलर सेवा के लिए बीएसएनएल टैरिफ

भुगतान पश्चात् सेवा

(क) मासिक किराया प्रभार : 400/–रु.

(ख) व्यस्ततम अवधि (प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक) के एयरटाइम प्रभार : 3.50/–रु. प्रति मिनट

(ग) सामान्य अवधि (शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे) और रविवार/राष्ट्रीय अवकाश के एयरटाइम प्रभार : 3.00/–रु. प्रति मिनट

(आउटगोइंग और इनकमिंग, दोनों कॉलों में एयरटाइम के लिए पल्स दर उपर्युक्त (ख) और (ग) के लिए 30 सैकेण्ड की होगी)।

(घ) रजिस्ट्रेशन प्रभार 500/– रु. प्रति उपभोक्ता

(ङ) एक्टिवेशन प्रभार : 500/– रु. प्रति उपभोक्ता

(च) बिल साइकिल की अवधि एक माह की है।

(छ) टीआरएआई विनियम के अनुसार पीएसटीएन पर किए गए कॉलों के लिए लागू पीएसटीएन प्रभार और एयरटाइम प्रभार, दोनों लगेंगे।

उपर्युक्त टैरिफ उस सीलिंग के भीतर होंगे जिसके अन्तर्गत बीएसएनएल भी दूरसंचार सर्किलों और मेट्रो जिलों के लिए अलग-अलग टैरिफ योजना अपनाएगा।

पूर्व प्रदत्त सेवा तथा अन्य प्रकार के पैकेजों और सेवाओं के लिए टैरिफ पृथक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

वन भूमि का विनियमितीकरण

***66. श्री के. मुरलीधरन :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेषकर केरल से जनजातियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई वन भूमि के विनियमितीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर: बालू) : (क) से (ड) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 9 विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से अभी तक वन भूमि के अवैध कब्जों को नियमित करने के 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऊपर उल्लिखित प्रस्तावों में इडुकी, एरनाकुलम, कॉलम, थ्रिस्सुर और पथानमथिट्टा जिलों की 28,588.159 हैक्टेयर वन भूमि का एक मामला केरल से संबंधित है। प्रस्ताव को पहले ही 31.1.95 को अनुमोदित किया जा चुका है। सभी 19 प्रस्तावों की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम/केन्द्र शासित प्रदेश	जिला	क्षेत्र (हैक्टेयर)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	अण्डमान	1,367	अनुमोदित
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	अण्डमान	89	सूचना के अभाव में अस्वीकृत
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान	735	अपूर्ण प्रस्ताव/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन से अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है
4.	अरुणाचल प्रदेश	दिवांग	10,545	अपूर्ण प्रस्ताव/राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है
5.	अरुणाचल प्रदेश	दिवांग	13,419,29	सिद्धांत रूप से अनुमोदित
6.	गुजरात	डांग, पंचमहल, सवरकांथा आदि	10,900,47	अनुमोदित
7.	गुजरात	बड़ोदरा, डांग, सूरत आदि	39,750.59	21,082.33 हैक्टेयर के लिए अनुमोदित
8.	कर्नाटक	बीजापुर	46.80	राज्य सरकार से अतिक्रमणकारियों के निष्कासन हेतु और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है
9.	कर्नाटक	चिकमंगलूर, डी कन्नडा, मैसूर और यू कन्नडा	732.24	गुण दोष के आधार पर अस्वीकृत
10.	कर्नाटक	19 विभिन्न जिले	17007.2	14,848.83 हैक्टेयर के लिए वनेत्तर उपयोग के लिए अनुमोदित
11.	केरल	इडुकी, ऐर्नाकुलम, कॉलम, थ्रिरसुर एवं पथानमथिट्टा	28,588,159	अनुमोदित
12.	मध्य प्रदेश	शाहजापुर	22.29	प्रस्ताव अधूरा है राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है

1	2	3	4	5
13.	मध्य प्रदेश	सभी जिले	1.03 लाख	2.73 लाख हैक्टेयर में से 1.03 लाख हैक्टेयर के लिए अनुमोदित
14.	मध्य प्रदेश	सभी जिले	1,82,889.7	कार्य प्रगति पर है
15.	महाराष्ट्र	धूले	10,185.32	अपूर्ण प्रस्ताव, राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है
16.	महाराष्ट्र	गाडचिरोली और अन्य जिले	28,886.410	वापस ले लिया गया
17.	महाराष्ट्र	4 प्रभाग	335.65	अपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है
18.	उड़ीसा	15 जिले	3449.7952+ 446.995	प्रस्ताव अपूर्ण है। राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है
19.	राजस्थान	10 जिले	3171.42	प्रस्ताव बंद कर दिया गया है और राज्य सरकार से समेकित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

खेल परिसर के निर्माण के लिए धनराशि

***67. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में खेल परिसर के निर्माण के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ग) "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, खेल परिसरों के निर्माण के लिए कोई भी राज्य-वार धनराशि नहीं रखी जाती है। केन्द्रीय सहायता की मंजूरी, इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

एसटीडी कालों का स्थानीय कालों में परिवर्तन

***68. श्री अजय सिंह चौटाला :**
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 जनवरी, 2001 को यह घोषणा की थी कि 200 किमी. तक की दूरी की एस.टी.डी. काल के लिए स्थानीय काल की दर के बराबर प्रभार लिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दर के निर्धारण के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) इससे कितना लाभ/हानि होने की संभावना है;

(ङ) इस समय वसूल की जा रही 'पल्स रेट' का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार 100 किमी. से अधिक दूरी की स्थानीय काल की "पल्स रेट" को 30 सेकण्ड से बढ़ाकर 60 सेकण्ड करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक कर दिया जाएगा; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ज) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 200 किमी. तक की एसटीडी कालों में रियायत दी गई है, किन्तु ये दरें स्थानीय काल दरों

से अधिक हैं। रियायती दरें यानी टैरिफ उस पैकेज का एक भाग है जिसके अंतर्गत काल प्रभार कम किए गए हैं किन्तु किराया टीआरएआई के आदेश के अनुसार निर्धारित किया गया है लेकिन ग्रामीण उपभोक्ता इसके अपवाद हैं। 50 किमी. से अधिक और 100 किमी. तक के काल प्रभार 1/8वें भाग तक घटा दिए गए हैं और इनको 100 किमी. से अधिक और 200 किमी. तक के लिए व्यस्ततम दर (पीक रेट) पर घटाकर आधा कर दिया गया है।

रियायती दरें इंट्रा–सर्किल कालों के लिए लागू हैं जबकि सामान्य दरें इंटर–सर्किल कालों के लिए लागू हैं। घोषित की गई रियायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

इंट्रा–सर्किल काल के दूरी स्लैब	व्यस्ततम समय पल्स (सेकेण्ड में) (26.01.2001 से पूर्व)	मानक व्यस्ततम समय पल्स (सेकेण्ड में) टीआरएआई के अनुसार	पल्स (सेकेण्ड में) जो 26.01.2001 से लागू की गई*	टैरिफ में कमी की सीमा
50 किमी. से अधिक और 100 किमी. तक	15	15	120	1/8 तक
100 किमी. से अधिक और 200 किमी. तक	15	15	30	1/2 तक

*ये दरें 24 घंटे लागू हैं।

काल प्रभारों में यह रियायत कम दूरी की कालों को कम खर्चीला और जन साधारण के लिए इस सेवा को अधिक उपयोगी बनाने हेतु प्रदान की गई है।

इस पैकेज से राजस्व में लगभग 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की कमी का अनुमान लगाया गया है, चूंकि टैरिफ केवल 26.01.2001 को ही संशोधित किया गया है, अतः अभी इसकी समीक्षा करना उपयुक्त नहीं होगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए समझौता

***69. डा. बी. बी. रमैया :**
श्री थावरचंद गेहलोत :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन में विकसित करने के लिए कुछ देशों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इन समझौतों के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर आने वाले योजनागत व्यय का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के 110.8 किमी. लंबे टाडा–नैल्लोर खंड के विकास के लिए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–9 के 35 किमी. लंबे इब्राहिम पत्तन–नंदीगाम खंड को 4 लेन का बनाने के लिए मलेशियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड (सी आई बी डी) के नेतृत्व वाले मलेशियाई संघ के साथ दि. 19.12.2000 को एक करार ज्ञापन (एम ओ ए) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार ज्ञापन बुनियादी सुविधाओं के विकास में पारस्परिक सहयोग के लिए भारत और मलेशिया सरकार द्वारा 1995 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अंतर्गत है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 760 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से 167.50 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगा।

खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यकरण की समीक्षा

***70. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खान सुरक्षा महानिदेशालय के विशेषज्ञों को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बागडीही खान में हुई दुर्घटना की संभावना के बारे में पूर्व जानकारी थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार खान सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी संगठनों को सौंपने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी हां, खान सुरक्षा महानिदेशालय की भूमिका और कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए श्री जे.जी. कुमारलिंगम की अध्यक्षता में 1981 में एक समीक्षा गठित की गई थी। इस समिति ने 1982 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और सुझाई गई अन्य बातों में संगठन का सुदृढ़ीकरण भी था। सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात, खान सुरक्षा महानिदेशालय के लिए 28 अतिरिक्त पदों की मंजूरी प्रदान की थी।

श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की एक अन्य उप–समिति का गठन खानों में सुरक्षा स्थिति की जांच करने के लिए श्री गुरूदास दास गुप्ता की अध्यक्षता में 1995 में किया गया था। इस समिति ने 1996 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस उप–समिति की सिफारिशें अन्य बातों के साथ–साथ समुचित और जरूरी श्रम बल मुहैया करके डी.जी.एम.एस. को सुदृढ़ करना शामिल था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सामाजिक वनरोपण परियोजनाएं

***71. प्रो. दुखा भगत :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोई सामाजिक वनरोपण परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और क्या–क्या सफलता प्राप्त हुई;

(घ) क्या विश्व बैंक ने भी इस हेतु विशेषतः झारखंड राज्य के मामले में कोई सहायता उपलब्ध कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य–योजना तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा केवल सामाजिक वानिकी हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान नहीं की जाती। राज्यों को भोगाधिकार हिस्सेदारी सहित लोक सहभागिता से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वनीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वनीकरण योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। राज्यों द्वारा उनकी अपनी प्लान योजनाओं और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के अंतर्गत भी वृक्षारोपण गतिविधियां चलाई जाती हैं। कुल मिलाकर 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण और वृक्ष–रोपण गतिविधियों के लक्ष्य दो भागों में निर्धारित किए जाते हैं। प्रथम, निजी भूमियों पर रोपण कार्यों के लिए पौध वितरण और दूसरा वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियों पर वनीकरण। सामाजिक वानिकी के भाग के रूप में किए जाने वाले रोपण कार्यों को उनमें शामिल किया गया है। 20–सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के राज्य–वार लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) से (छ) झारखंड में विश्व बैंक सहायता प्राप्त कोई भी वानिकी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, विश्व बैंक ने कई अन्य राज्यों में वानिकी परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है। बाहरी समर्थन के माध्यम से आंतरिक संसाधनों को सुदृढ़ बनाने हेतु सतत प्रयास के भाग के रूप में विश्व बैंक सहित बाहरी–सहायता अभिकरणों के सामने कई परियोजनाएं रखी गई हैं। इन प्रस्तावों का परिणाम संबंधित अभिकरणों के मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को दी गई धनराशि

राज्य	वर्ष		
	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	232.02	320.73	378.36
अरुणाचल प्रदेश	74.86	19.94	103.05
असम	166.54	150.95	181.84
बिहार	202.35	125 59	262.04
गोवा	21.78	22.82	26.77
गुजरात	272.05	281.86	421.04
हरियाणा	299.44	409.18	376.42
हिमाचल प्रदेश	207.46	131.85	283.27
जम्मू–कश्मीर	393.49	494.19	567.94
कर्नाटक	438.22	227 46	444.41
केरल	257.77	334.80	463.37
मध्य प्रदेश	690.71	876.06	896.93
महाराष्ट्र	225.38	174.64	195.91
मणिपुर	218.48	469.07	676.54
मेघालय	5.48	12.00	10.21
मिजोरम	339.83	339.72	392.25
नागालैंड	1.22	15.23	49.47
उड़ीसा	192.13	378.11	521.73
पंजाब	268.61	62.81	28.62
राजस्थान	643.36	663.05	684.84
सिक्किम	194.04	343.08	281.34
तमिलनाडु	160.39	170.86	135.03
त्रिपुरा	166.51	106.46	55.02
उत्तर प्रदेश	648.60	633.44	736.23
पश्चिम बंगाल	288.52	433.39	506.99
कुल	6609.24	7197.29	8679.62

विवरण-II

1997–2000 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण गतिविधियों हेतु लक्ष्य/उपलब्धियां

पौध लाखों में/क्षेत्र हेक्टेयर में

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लक्ष्य (1997–2000)		उपलब्धियां (1997–2000)	
		पौध वितरण*	क्षेत्र**	पौध वितरण*	क्षेत्र**
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4200	255000	7030.08	522231
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	30000	25.85	8588
3.	असम	75	81000	74.46	18088
4.	बिहार	1500	120000	419.28	40657
5.	गोवा	70	4200	33.19	2610.30
6.	गुजरात	5700	205000	5761.92	201432

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	600	96000	106.13	48072
8.	हिमाचल प्रदेश	60	90000	90.9	89810
9.	जम्मू–कश्मीर	180	72000	177.66	52758
10.	कर्नाटक	1300	223000	1627.88	239963.30
11.	केरल	540	57000	15.07	34751
12.	मध्य प्रदेश	1350	450000	1786.41	643535
13.	महाराष्ट्र	3450	378000	2626.83	283266.94
14.	मणिपुर	75	36000	35.57	17025
15.	मेघालय	120	54000	139.18	6546
16.	मिजोरम	66	59400	65.46	19309
17.	नागालैंड	180	24000	0	0
18.	उड़ीसा	900	253000	737.18	217496
19.	पंजाब	156	60000	156.87	31281
20.	राजस्थान	1200	253000	1066.53	160115
21.	सिक्किम	66	33000	59.89	27326.86
22.	तमिलनाडु	3300	295000	3106.06	484049
23.	त्रिपुरा	120	30000	129.56	24794.58
24.	उत्तर प्रदेश	6600	330000	5615.46	275186.91
25.	पश्चिम बंगाल	2475	132000	5.41	34186
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12	12700	3.81	10141.13
27.	चंडीगढ़	0.30	1100	1.53	269
28.	दादरा व नागर हवेली	37	2300	15.20	980
29.	दमन व दीव	4.25	130	0.83	159
30.	दिल्ली	75	3000	50.13	80
31.	लक्षद्वीप	15	225	12	197
32.	पांडिचेरी	15	225	16.51	224.09
	कुल	34462.55	3640280	31527.62	3495128.11

*पौध वितरण : 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16–क के अंतर्गत निजी भूमियों पर रोपण कार्य

**क्षेत्र : 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16–ख के अंतर्गत वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियों पर कवरेज

विवरण-III

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल परियोजनाएं लागत (करोड़ रु.)	वास्तविक लक्ष्य (हजार हे.)
	राज्य क्षेत्र		
1.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1997–98 से 2000–2001	272.00	160
2.	केरल वानिकी परियोजना 1998–99 से 2001–02	183.00	54
	कुल	455.00	214
	केन्द्रीय क्षेत्र*		
1.	वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तान परियोजना (एफआरईईपी) 1994–95 से 2001–02	192.47	
2.	पारि–विकास परियोजना 1996–97 से 2002–03	294.93	
	कुल	487.40	

*पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

II. पूरी की गई विश्व बैंक सहायता प्राप्त वानिकी क्षेत्र की परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	सामाजिक वानिकी परियोजना, उत्तर प्रदेश	1979–80 से 1983–84	40.00
2.	सामाजिक वानिकी परियोजना, जम्मू व कश्मीर और हरियाणा	1982–83 से 1990–91	57.07
3.	सामाजिक वानिकी परियोजना, पश्चिम बंगाल	1981–82 से 1990–91	34.75
4.	सामाजिक वानिकी परियोजना, कर्नाटक (ओडीए से) के साथ	1983–84 से 1991–92	124.55
5.	सामाजिक वानिकी परियोजना, केरल	1984-85 से 1992-93	59.51
6.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना (यूएसए आईडीसे) के साथ (उ.प्र., हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात)	1985–96 से 1992–93	387.29
7.	गुजरात सामुदायिक वानिकी परियोजना	1980–81 से 1984–85	66.65
8.	पश्चिम बंगाल वानिकी परियोजना	1992–93 से 1997–98	114.00
9.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना	1992–93 से 1999–00	413.00

1	2	3	4
10.	आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	1994–95 से 1999–00	353.92
11.	मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना	1995–96 से 1999–00	245.94
		कुल	1914.68

टेलीफोन केबल

***72. श्री रामपाल सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2000–2001 के दौरान देश में टेलीफोन केबल बिछाने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) बीएसएनएल (भारत संचार निगम लि.) के लिए वर्ष 2000–2001 में 490 एलसीकेएम (लाख कंडक्टर किमी) टेलीफोन केबल (कॉपर केबल) बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 1.4.2000 से 31.12.2000 तक 263 लाख कंडक्टर किमी. केबल बिछा दी गई है। आशा है, बीएसएनएल 31.3.2001 तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

एमटीएनएल (महानगर टेलीफोन निगम लि.) के लिए वर्ष 2000–2001 में 29 लाख कंडक्टर किमी. टेलीफोन केबल (कॉपर केबल) बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से जनवरी, 2001 की समाप्ति तक 21 लाख कंडक्टर किमी. केबल बिछाई जा चुकी है। यद्यपि दिल्ली के लिए निर्धारित लक्ष्य (13 लाख कंडक्टर किमी.) को प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है, जबकि मुंबई के कतिपय क्षेत्रों में मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन से उपयुक्त अनुमति प्राप्त करने में हो रही परेशानी के कारण (16 लाख कंडक्टर किमी.) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना संभव प्रतीत नहीं होता। तथापि, इस मसले को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

***73. श्रीमती मिनाती सेन :**
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश और निजीकरण के परिणामस्वरूप कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे लोगों की नौकरियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

कुशल और अर्द्धकुशल कामगारों का भारी संख्या में पलायन

***74. श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात और उड़ीसा से कुशल और अर्द्धकुशल कामगारों के बड़ी संख्या में पलायन करने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का देश में प्रवासी श्रमिक बलों के लिए पुनर्वास योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) उड़ीसा तथा गुजरात राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों से कुशल तथा अर्द्धकुशल कामगारों के बड़ी संख्या में पलायन करने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, अन्तःराज्यीक प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, अन्तःराज्यीक प्रवासी श्रमिक (आर.ई.सी.एस.) अधिनियम, 1979 को अधिनियमित किया गया है जिसका लक्ष्य प्रवासी श्रमिकों के हितों का संरक्षण करना है।

राष्ट्रीय खेल अकादमी

*75. **श्रीमती कान्ति सिंह** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय खेल अकादमी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अब तक देश में और विशेषकर बिहार में स्थापित ऐसी अकादमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं और खेल अकादमियां स्थापित करने के कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ग) अभी तक ऐसी कोई राष्ट्रीय खेल अकादमी नहीं है जो राज्यों में स्थापित की गई हो। तथापि, सरकार विभिन्न राज्यों में, अनेक खेल विधाओं में अकादमियां स्थापित करने के मामले पर विचार कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, राज्य मंत्रियों के साथ भी शीघ्र ही परामर्श किया जाएगा।

नदियों में प्रदूषण

*76. **श्री भर्तृहरि महताब** :
श्री रामशकल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषित बहिस्राव के छोड़े जाने के कारण कौन-कौन सी नदियां प्रदूषित हो गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने नदियों विशेषकर महानदी और पम्बा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रत्येक नदी की सफाई पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या नाल्को के राख के कुंड के तटबंध के टूटने के कारण ब्राह्मणी नदी प्रदूषित हो गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भूमिगत जल को संक्रमण से बचाने के लिए यदि कोई कदम उठाए जा रहे हैं, तो वे क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के चल रहे चरण के अंतर्गत अब तक 16 राज्यों में 27 बड़ी नदियों के प्रदूषित भागों की पहचान कर ली गई है और प्रदूषण उपशमन के लिए शामिल किया गया है। अब तक रिलीज की गई धनराशि सहित इन नदियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। कथजोरी/महानदी नदियों पर कटक शहर में 14.04 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से प्रदूषण उपशमन कार्यों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब तक उड़ीसा राज्य सरकार को 92 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(ङ) और (च) नालको ऐश पांड में 31.12.2000 को दरार पड़ने के पश्चात् नादिरा एवं ब्राह्मणी नदियों का जल प्रदूषित हो गया था। उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन नदियों की जल गुणता सामान्य होने तक नालको को प्रभावित क्षेत्र के लोगों को जल के वैकल्पिक स्रोत मुहैया कराने के निर्देश जारी किए हैं। जहां तक भूमिगत जल के संदूषित होने का प्रश्न है, ऐश पांडों के आस-पास के कुछ खुदे कुओं में ऐश स्लटी के कारण गाद जल गई थी। नालको प्राधिकारियों को 28 फरवरी, 2001 तक इन खुदे कुओं की सफाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने उस तारीख से पहले सभी कुओं की गाद निकाल दी थी और भूमिगत संदूषण के संदूषित होने का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक जारी निधि

लाख रुपये

क्र.सं.	राज्य/नदी	कुल
1	2	3
I	आंध्र प्रदेश	877.89
1	गोदावरी	
II	बिहार/(III) झारखंड	106.50
2	गंगा	
3	सुवर्णरेखा	
4	दामोदर	
IV	गुजरात	2583.62
5	साबरमती	

1	2	3
V	कर्नाटक	834.65
6	तुंग	
7	तुंगभद्रा	
8	भद्रा	
9	कावेरी	
VI	महाराष्ट्र	1033.00
	गोदावरी	
10	कृष्णा	
VII	मध्य प्रदेश	2472.70
11	बेतवा	
12	चम्बल	
13	खान	
14	क्षिप्रा	
15	नर्मदा	
16	ताप्ती	
17	वैनगंगा	
VIII	उड़ीसा	92.00
18	ब्राह्मणी	
19	महानदी	
XI	पंजाब	2446.80
20	सतलज	
X	राजस्थान	50.00
	चम्बल	
XI	तमिलनाडु	2094.57
	कावेरी	
21	अदयार	
22	क्यूम	
23	वेनार	
24	वेगयी	
25	ताम्रबरारानी	
XII	हरियाणा	7317.00
26	यमुना	
XIII	दिल्ली	475.09
	यमुना	
XIV	उत्तर प्रदेश XV) उत्तरांचल	20695.61
	गंगा	
	यमुना	
27	गोमती	
XVI	पश्चिम बंगाल	952.21
	गंगा	
	दामोदर	
	कुल जोड़	42031.64

खतरनाक उद्योगों में बच्चे

*77. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिनांक 20 जनवरी, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित समाचार के अनुसार उन नियोक्ताओं के विरुद्ध, जो खतरनाक उद्योगों में बच्चों को काम पर रखते हैं उचित कार्रवाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कोई कोष स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) सरकार ने 20 जनवरी, 2001 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि बाल श्रमिकों को नियोजित करने के दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा उन्हें दंडस्वरूप, प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 465/1986 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर, 1996 को, बाल श्रम उन्मूलन हेतु कतिपय निदेश दिए थे। इन निदेशों में, राज्य द्वारा स्थापित कल्याण–सह–पुनर्वास निधि में, उल्लंघनकर्ता नियोक्ताओं द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये की दर से अंशदान करना शामिल था। कार्यमुक्त कराए गए बच्चे के परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार न देने पर राज्य सरकार को 5000 रुपये अंशदान करना होगा। तब से, सरकार माननीय न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करती रही है।

दिसंबर, 1999 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर शपथ पत्र के अनुसार, उन उल्लंघनकर्ता नियोक्ताओं द्वारा जमा की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

(ङ) बाल श्रमिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना नामक दो योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के तहत, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय बाल श्रम परियोजना समितियों को निधि जारी की जाती है। इस योजना के तहत किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं : कार्यमुक्त कराए गए बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों/पुनर्वास केन्द्रों के जरिए अनौपचारिक शिक्षा देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, स्वास्थ्य देख–रेख तथा छात्रवृत्ति आदि। अब तक, बाल श्रमिक बहुल 13 राज्यों में लगभग 2 लाख बच्चों के लाभार्थ 96 बाल श्रम परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनमें 3552 पुनर्वास केन्द्र हैं। सहायता अनुदान योजना के तहत, कामकाजी बच्चों के लाभार्थ कार्योन्मुखी योजनाएं चलाने के लिए, राज्य सरकारों की अनुशंसा पर स्वैच्छिक संगठनों को सीधे तौर पर निधि जारी की जाती है।

विवरण

राज्यों द्वारा कल्याण निधि में जमा कराई गई राशि

राज्य	राशि
1	2
1. आंध्र प्रदेश	1,10,000.00 रुपये
2. बिहार	1,00,000,.00 रुपये
3. गुजरात	2,40,000.00 रुपये
4. हरियाणा	80,000.00 रुपये
5. हिमाचल प्रदेश	20,000.00 रुपये
6. कर्नाटक	4,95,000.00 रुपये
7. मध्य प्रदेश	4,40,000.00 रुपये
8. महाराष्ट्र	4,80,000.00 रुपये
9. उड़ीसा	1,00,000.00 रुपये
10. पंजाब	1,20,000.00 रुपये
11. राजस्थान	60,000.00 रुपये
12. तमिलनाडु	1,60,000.00 रुपये
13. उत्तर प्रदेश	25,01,488.00 रुपये
14. पश्चिम बंगाल	80,000.00 रुपये

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

*78. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डाकघरों और डाक सेवाओं का नेटवर्क विश्व में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की अत्यधिक आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो देश में ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघरों को मंजूरी न देने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) भारत का डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा है। इसमें कुल 1,54,551 डाकघर हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस नेटवर्क में नियमित रूप से लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इस नेटवर्क में 23344 डाकघर थे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की कुल संख्या 1,38,149 है। भारत में एक डाकघर औसतन 21.26 वर्ग किमी. क्षेत्र को और 5462 लोगों को सेवा प्रदान करता है। यह आंकड़े विश्व के अन्य अधिकांश देशों में प्रति डाकघर सेवित औसत जनसंख्या और औसत क्षेत्र के आंकडों की तुलना

में अत्यंत बेहतर हैं। विश्व के कुछ प्रतिनिधि देशों के संबंध में डाकघरों की कुल संख्या, प्रति डाकघर सेवित औसत जनसंख्या और औसत क्षेत्र के बारे में जानकारी संलग्न विवरण–I में दी गई है। इससे यह देखा जा सकता है कि भारत ऐसे देशों में से है, जिनमें डाकघरों तथा डाक सेवाओं के नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है।

देश में नए डाकघर खोलने की मांगों की निर्धारित मानदंडों के अनुसार जांच की जाती है। इनकी एक प्रति संलग्न विवरण–II में दी गई है। चूंकि डाक नेटवर्क का विस्तार एक योजना कार्यकलाप है, इसलिए यह विस्तार मानदंड आधारित औचित्य पर योजना लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि वित्तीय तथा मानव संसाधन उपलब्ध हों।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी डाक सुविधाओं की व्यवस्था पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलकर भी की जा रही है।

विवरण-I

विश्व में कुछ प्रतिनिधि देशों में डाकघरों की संख्या, प्रति डाकघर सेवित औसत जनसंख्या और औसत क्षेत्र

क्र सं.	देश का नाम	डाकघरों की कुल संख्या	प्रति डाकघर सेवित औसत जनसंख्या	प्रति डाकघर सेवित औसत क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	भारत	154551	5462.00	21.26
2.	चीन	112204	11191.22	85.53
3.	संयुक्त राज्य अमेरिका	38159	7090.33	245.62
4.	ग्रेट ब्रिटेन	18760	3126.33	13.01
5.	फ्रांस	17038	1454.04	32.37
6.	जर्मनी	14500	5656.55	24.61
7.	ईरान	13715	4493.62	120.16
8.	पाकिस्तान	13294	9822.48	59.88
9.	ब्राजील	11713	13812.86	726.71
10.	पोलैंड	7836	4934.92	39.90
11.	मिस्र	7488	8811.43	133.74
12.	आस्ट्रेलिया	3922	4780.72	1966.69
13.	बुलगारिया	3303	2497.73	33 58
14.	दक्षिण अफ्रीका	2449	17202.94	498.59
15.	सऊदी अरब	1421	14201.27	151.80
16.	केन्या	1033	28083.25	561.83
17.	घाना	1010	18970.30	236.17
18.	यूगांडा	313	67188.50	753.61

विवरण-II

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड

	सामान्य क्षेत्रों में	पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में
1. जनसंख्या	300 (गांवों के समूह की, जिसमें वह गांव भी शामिल है, जहां डाकघर खोला जाना है)	एक अकेले गांव की आबादी 500; अथवा गांवों के समूह की आबादी 1000
2. दूरी	मौजूदा निकटतम डाक–घर से 3 किमी.	3 किमी. सिवाय इसके कि विशेष मामलों में दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है।
3. प्रत्याशित आय	लागत का 33.33%	लागत का 15%

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने तथा अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर का विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड

(iii) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार कम से कम 5 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए।

(iv) सामान्य क्षेत्रों में वार्षिक घाटा प्रतिवर्ष 2400/– रु. से अधिक तथा जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/– रु. से अधिक नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में डाकघर को आरम्भ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इससे 5 प्रतिशत लाभ होना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने के लिए पात्र हो सके। लाभ और घाटे का आकलन विभाग द्वारा अपनाए जा रहे आय व लागत के फार्मूले के अनुसार किया जाता है।

खेलों को प्रोत्साहन

***79. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विशेषकर दमन एवं दीव में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी धनराशि वस्तुतः जारी की गई; और

(ग) इस संबंध में कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) खेलों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र सहित पूरे भारत में कार्यान्वित की जा रही हैं

(1) स्कूलों में खेल कूद का संवर्धन

(2) ग्रामीण खेल कार्यक्रम

(3) खेल छात्रवृत्ति योजनाएं

(4) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप

(5) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान

(6) कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान

(7) सिंथेटिक खेल परतों को बिछाने के लिए अनुदान

(8) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

(9) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल कोष

(10) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार

(11) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

(12) अर्जुन पुरस्कार

(13) द्रोणाचार्य पुरस्कार

(14) मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना–वार व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है

आबंटन और व्यय
(लाख रुपये में)

योजना का नाम	1997–98		1998–99		1999–2000	
	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
(क) खेल गतिविधियों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन	400	45.23	400	600	400	368.70
(1) स्कूलों में खेल–कूद का संवर्धन						
(2) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार						
(3) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार						
(4) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल कोष						

1	2	3	4	5	6	7
(ख) ग्रामीण खेल कार्यक्रम	100	60.76	150	21.78	125	66
(ग) खेल छात्रवृत्ति योजनाएं	170	113	232	220	300	348
(ध) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप	40	40	40	31.50	38	26
(ङ) खेल अवस्थापना के सृजन अनुदान	860	668.98	1160	267.30	656	726.99
(च) कालेज एवं विश्वविद्यालयों में खेल के संवर्धन हेतु अनुदान	325	311	309	492	500	500
(छ) सिंथेटिक खेल परतों को बिछाने के लिए अनुदान	450	413	550	345.47	600	400
(ज) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष	2	2	3	3	3	3
(झ) अर्जुन पुरस्कार	8	9	9	12	12	45
(ञ) द्रोणाचार्य पुरस्कार	3	0.75	3	7.50	2	7.50

यहां यह स्पष्ट किया जा सकता है कि धनराशि राज्य वार आबंटित नहीं की जाती है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले व्यवहार्य प्रस्ताव/अनुरोध के आधार पर ही उनको वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है।

नागर विमानन क्षेत्र में निवेश

***80. श्री अनंत गुदे** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नागर विमानन क्षेत्र (सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों) में किए गए निवेश की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकास संबंधी अनुमोदित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और अब तक कितने संसाधन जुटाए गए हैं;

(घ) इस क्षेत्र में अपेक्षित गैर-सरकारी/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अंतिम रूप दिए गए/विचाराधीन प्रोत्साहनों के पैकेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में उन प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आगामी योजना अवधि के दौरान आरंभ किए जाने/पूरा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) नागर विमानन सैक्टर में, निवेश संबंधी पुनरीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों के बारे में गत 3 वर्षों के लिए योजना परिव्ययों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) नागर विमानन सैक्टर में निजी/विदेशी निवेश को आकर्षित करने के बारे में निम्नलिखित पहल की गई हैं :

(1) एयर इंडिया में सरकार को धारित इक्विटी के 60 प्रतिशत हिस्से का विनिवेश, जिसमें से 40 प्रतिशत हिस्से को किसी रणनीतिक भागीदार को बेचा जाना है। कुल इक्विटी का 26 प्रतिशत हिस्से को उन विदेशी निवेशकों को मुहैया कराया जा सकता है जो कोई विदेशी एयरलाइन भी हो सकती है।

(2) इंडियन एयरलांइस में सरकारी इक्विटी के 51 प्रतिशत का विनिवेश जिसमें से 26 प्रतिशत किसी रणनीतिक भागीदार को दिया जाना है जबकि शेष 25 प्रतिशत कर्मचारियों, वित्तीय संस्थाओं तथा जनता को दिया जाता है।

(3) बिक्री करके भारतीय होटल निगम में एअर इंडिया द्वारा धारित इक्विटी का 100 प्रतिशत विनिवेश।

(4) चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकता तथा चेन्नई को निजी निवेशकों को दीर्घावधि पट्टे पर देकर उनका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास करना।

नागर विमानन सैक्टर के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित पहल की गई हैं/की जा रही हैं :

(1) निजी सैक्टर की भागीदारी से बंगलौर, हैदराबाद तथा गोवा में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण।

(2) सात घरेलू हवाई अड्डों अर्थात् बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, अमृतसर, गोवाहाटी तथा कोचीन हवाई अड्डों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बतौर घोषणा करना।

(3) सी एन एस–ए टी एम प्रणाली आधारित उपग्रह का सिविलियन विमानों के सुरक्षित एवं नियमित प्रचालनार्थ कार्यान्वयन करना।

(4) नागर विमानन आर्थिक नियंत्रक प्राधिकरण (सी ए ई आर ए) नामक प्रस्तावित स्वायत्त आर्थिक नियंत्रण प्राधिकरण का गठन।

(5) इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपनी दीर्घावधिक अपेक्षाओं हेतु 35–40 विमानों की खरीद करना।

विवरण

नागर विमानन मंत्रालय

(करोड़ रुपये में)

संगठन	नौवीं योजना 1997–2002	वार्षिक योजना 1997-98		वार्षिक योजना 1998-99		वार्षिक योजना 1999-2000		संशोधित नौवीं योजना
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ अनंतिम व्यय	प्रस्ताव
एअर इंडिया लिमिटेड	3664.00 (0.00)	1233.45	517.75	602.53 (5.00)	550.01 (0.00)	433.46 (0.01)	383.09 (0.00)	3652.52 (1000.01)
इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड	3640.75 (125.00)	470.00	441.90	630.00 (125.00)	522.03 (0.00)	540.01 (0.01)	492.27 (0.00)	3731.11 (325.01)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	3421.87 (283.37)	609.15 (35.47)	338.58 (10.00)	800.43 (68.17)	319.87 (25.00)	697.93 (41.00)	360.63 (25.00)	3174.02 (551.69)
पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड	209.20	87.25	26.85	90.00	5.55	101.55	1.21	200.70
नागर विमानन महानिदेशालय	27.00 (27.00)	3.77 (3.77)	1.07 (1.07)	4.45 (4.45)	3.38 (3.38)	4.40 (4.40)	3.47 (3.47)	23.42 (23.42)
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	25.00 (25.00)	2.50 (2.50)	0.01 (0.01)	3.00 (3.00)	2.35 (2.35)	3.58 (3.58)	2.62 (2.62)	22.13 (22.13)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	35.00 (35.00)	14.73 (14.73)	10.00 (10.00)	12.94 (12.94)	11.00 (11.00)	6.00 (6.00)	6.00 (6.00)	35.00 (35.00)
भारतीय होटल निगम	89.55	50.00	8.52	42.40	10.19	20.00	13.37	85.13
योग	11112.37 (495.37)	2470.85 (56.74)	1344.68 (21.08)	2185.75 (218.56)	1424.38 (41.73)	1806.93 (55.00)	1262.66 (37.09)	10924.03 (1957.26)

कोष्ठक में दिए गए आंकडे बजटीय सहायता को दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

623. डा. संजय पासवान : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैश्वीकरण और विश्व व्यापार समझौते के मद्देनजर पिछड़े हुए उद्योगों के बंद होने के कारण आसन्न भीषण बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार दिल्ली में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बेरोजगार किए गए कामगारों के लिए व्यापक पुनर्वास योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए सरकार का क्या तर्क है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) वैश्वीकरण और विश्व व्यापार समझौते के मद्देनजर अखित भारतीय स्तर पर बेरोजगारी में कोई विशेष वृद्धि होने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रतिष्ठानों की बंदी एक सतत् प्रक्रिया है जो प्रतिस्पर्धा में न टिक पाने वाले उद्योगों को बंद करके उनके स्थान पर प्रतिस्पर्धा वाले नए उद्योगों को प्रतिस्थापित करने के लिए की जाती है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बंदी से प्रभावित कर्मकारों के लिए एक आकर्षक स्वैच्छिक पृथक्करण पैकेज तैयार किया है।

(ख) से (घ) दिल्ली के नान कन्फॉर्मिंग क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की बंदी से प्रभावित कर्मकारों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई 1300 एकड़ क्षेत्र वाली भूमि को प्राप्त करने की अनुमति दी थी। नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1065 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया था। 800 एकड़ और भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा उस पर भी कब्जा ले लिया गया जिससे भूमि की कुल उपलब्धता लगभग 1865 एकड़ हो गई। इस योजना को कार्यान्वित करने वाली दिल्ली सरकार की एजेंसी अर्थात् दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने लगभग 14700 आवेदन कर्ताओं को झिलमिल, बादली, पटपड़गंज और नरेला औद्योगिक क्षेत्रों में विशिष्ट भू-खण्ड नंबर आबंटित कर दिए हैं। इसके अलावा, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में 378 फ्लैट वाले कारखानों का निर्माण किया गया तथा पात्र आवेदकों को 178 फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है।

प्रभावित कर्मकारों की रोजगार अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर इकाइयों को पुनर्वासित किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

मंगलौर हवाई अड्डे का विकास

624. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मंगलौर हवाई अड्डे पर धावन पट्टी और नया टर्मिनल भवन बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितना व्यय आएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मंगलौर हवाई अड्डे पर एक नई हवाईपट्टी के निर्माण के लिए परियोजना पर कार्य करने से पहले एक विस्तृत साध्यता अध्ययन करेगा। विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करने और स्थल को मृदा परीक्षण करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की जा रही है। प्रस्ताव आरंभिक चरण में है और परियोजना के आरंभ किए जाने के बारे में कोई निश्चित समय-सीमा इस समय बता पाना संभव नहीं है। अभी तक कोई विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

राज्य सडकों के लिए विश्व बैंक निधि

625. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही राज्य सड़कों को सूचीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान इन राज्य सड़कों के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) राज्यीय सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तथापि, विश्व बैंक ने सड़क परियोजनाएं तैयार करने और नीतिगत सुधारों के लिए तकनीकी सहायता के अंतर्गत 51.5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है। इस ऋण से 15 राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्र

पांडिचेरी परियोजनाएं तैयार कर रहे हैं। तथापि, विश्व बैंक ने इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कोई वायदा नहीं किया है।

(ग) विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में राज्यीय सड़क परियोजनाओं के लिए क्रमशः 350 मिलियन अमरीकी डालर और 381 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण प्रदान किए हैं।

तटीय विनियमन जोन नियमों में संशोधन

626. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यमान विशेष परिस्थितियों पर विचार करते हुए तटीय विनियमन जोन नियमों में कुछ संशोधन किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैच फिक्सिंग घोटाला

627. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैच फिक्सिंग घोटाले को अपराध के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वार मैच फिक्सिंग घोटाले में संलिप्त क्रिकेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सरकार, वर्तमान कानूनों जैसे कि जुआ अधिनियमों आदि की पुनरीक्षा कर रही है और वर्तमान प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करने की संभावना का पता लगा रही है ताकि खेलों में मैच–फिक्सिंग और सट्टेबाजी की घटनाओं पर कारगर ढंग से कार्रवाई की जा सके।

(ग) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) ने सी. बी.आई. की रिपोर्ट तथा बी.सी.सी.आई. द्वारा नियुक्त आयुक्त (जांच) श्री माधवन की रिपोर्ट के अनुसार, मैच–फिक्सिंग में आरोपित क्रिकेट खिलाड़ियों की क्रिकेट संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने, इन खिलाड़ियों को प्रदत्त अर्जुन पुरस्कार को वापस लेने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।

खतरनाक एवं जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई

628. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खतरनाक और जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई के लिए सामान्य कार्य योजना विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सितंबर, 2000 में भू–तल परिवहन मंत्रालय द्वारा खतरनाक और परिसंकटमय पदार्थों के परिवहन के लिए एक क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अलावा सार्क देशों के प्रतिनिधियों ने सेमिनार में हिस्सा लिया था। सेमिनार में देश के भीतर परिसंकटमय पदार्थों के परिवहन की प्रणाली को मानकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। परिसंकटमय पदार्थों को सीमा के पार परिवहन के लिए एक सामूहिक व्यवहार संहिता बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था। तथापि, अभी तक इस तरह की कोई योजना विकसित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

युगल परियोजना को पूरा किया जाना

629. श्री राजो सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य के उपभोक्ताओं को बेहतर दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने और युगल परियोजना (युगल शहर नेटवर्क सेवा) के लिए बिहार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोदावरी जल सिंचाई परियोजना

630. श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश में इचमपल्ली गोदावरी जल सिंचाई परियोजना के लिए तीन वैकल्पिक स्थलों की जांच करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) इचमपल्ली परियोजना का व्यापक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण संरक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान को सौंपा गया है। मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या वैकल्पिक स्थलों का मूल्यांकन भी सौंपे गए कार्य का एक का हिस्सा है। परियोजना प्रस्तावक ने स्थल/पर्यावरणीय मंजूरी के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

631. श्री पुष्प जैन :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और राजस्थान में आज की स्थिति के अनुसार जिलावार कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन राज्यों में अलग-अलग जिलावार कितने पुराने एक्सचेंज अभी भी कार्य कर रहे हैं;

(ग) इन सभी एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) महाराष्ट्र और राजस्थान में इस समय काम कर रहे इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की आज तक की संख्या के अलग-अलग व जिलेवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) कोई भी पुराने एक्सचेंज काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन राज्यों में सभी एक्सचेंज इलैक्ट्रोनिक हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

31.1.2001 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की स्थिति

क्र.सं.	जिलों के नाम	इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	294
2.	अकोला	79
3.	अमरावती	116
4.	औरंगाबाद	136
5.	बीड	96
6.	भंडारा	50
7.	बुल्धाना	108
8.	चंद्रपुर	76
9.	जुले	81
10.	गड्चीरोली	36
11.	गोंडिया	51
12.	हिंगाली	37
13.	जलगांव	198
14.	जालना	70
15.	कल्याण	114
16.	कोल्हापुर	259
17.	लातूर	114
18.	मुंबई	123

1	2	3
19.	नागपुर	120
20.	नांदेड़	108
21.	नासिक	211
22.	नांदूरबार	47
23.	उस्मानाबाद	78
24.	परभानी	52
25.	पुणे	231
26.	रायगढ़	149
27.	रत्नागिरी	140
28.	सांगली	291
29.	सतारा	186
30.	सिंधुदुर्ग	87
31.	सोलापुर	174
32.	ठाणे	24
33.	वर्धा	68
34.	वशीम	46
35.	यवतमाल	86
	जोड़	4136

विवरण-II

31.1.2001 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की स्थिति

क्र.सं.	जिलों के नाम	31.1.2001 की स्थिति के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	82
2.	अलवर	101
3.	बंसवाडा	34
4.	बरन	25
5.	बाड़मेर	66
6.	भरतपुर	50
7.	भीलवाड़ा	72
8.	बीकानेर	64
9.	बूंदी	38
10.	चित्तौड़गढ़	60
11.	चुरू	83
12.	दौसा	41
13.	धौलपुर	14
14.	डूंगरपुर	34
15.	हनुमानगढ़	58
16.	जयपुर	151
17.	जैसलमेर	26
18.	जालोर	63
19.	झालावाड़	33
20.	झुंझुनु	70
21.	जोधपुर	90
22.	करौली	26
23.	कोटा	44
24.	नागौर	101
25.	पाली	131
26.	राजसमंद	49
27.	सवाईमाधोपुर	33
28.	सीकर	89
29.	सीरोही	49
30.	श्रीगंगानगर	100

1	2	3
31.	टोंक	45
32.	उदयपुर	81
	जोड़	2003

[हिन्दी]

दुधी और रांची के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

632. श्री ब्रजमोहन राम : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में दुधी और झारखंड में रांची के बीच बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके पूरा होने का लक्षित समय यदि कोई है, तो क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) दिनांक 12.10.2000 को अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 का विस्तार उत्तर प्रदेश में दुधी नगर को झारखंड में रांची से जोड़ता है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य यातायात आवश्यकता, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किए जाते हैं।

[अनुवाद]

ताज की सुरक्षा हेतु परियोजना

633. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से "ताज" की सुरक्षा हेतु परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर कार्य शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन पर कितनी प्रगति हुई है और कार्य को पूरा करने के लिए परियोजना-वार अनुमानित तारीख क्या है; और

(ङ) अनुमानित व्यय की तुलना में इन परियोजनाओं पर कितना खर्च आएगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार द्वारा 222.27 करोड़ की 10 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बराबर की साझेदारी में कार्यान्वित की जा रही हैं। अनुमोदित की गई ये परियोजनाएं आगरा में अनवरत विद्युत आपूर्ति, गोकुल बांध का निर्म्राण, जल निकासी प्रणाली में सुधार एवं आगरा की सफाई, बाई पास सड़कों का निर्माण तथा आगरा शहर में सड़क निर्माण/विस्तार से संबंधित हैं। ये परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा इनके 31 मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है। अब तक इन 10 परियोजनाओं के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में 65.53 करोड़ की राशि दी जा चुकी है तथा 31.12.2000 तक इन पर 101.83 करोड़ रुपये खर्च हो चुका था।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में परिवहन

634. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में बसे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम द्वारा कितनी बसें चलाई जा रही हैं; और

(घ) दस वर्ष से पुरानी कितनी बसें हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्थानीय कॉल सुविधा

635. श्री पी. आर. खूंटे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दिल्ली और मेरठ के बीच स्थानीय कॉल सुविधा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. का विचार देश में अन्य स्थानों पर ऐसी सेवाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली और मेरठ के बीच 180 सेकेण्ड पल्स दर पर अर्थात एसटीडी कोड के बिना सीधी स्थानीय काल सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) जी हां, ऐसी स्थानीय काल सुविधा अन्य स्थानों पर निम्नलिखित स्थितियों में पहले से ही उपलब्ध है

(i) जब दो अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) संलग्नित हों।

(ii) जब उसी या संलग्नित लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एलडीसीए) में पड़ने वाले दो अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) के दो अल्पदूरी प्रभारण केन्द्रों (एसडीसीसी) के बीच की अरीय दूरी 50 किमी. तक हो।

(iii) जब दो असंलग्नित लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एलडीसीए) के दो लंबी दूरी प्रभारण केन्द्रों (एलडीसीसी) के बीच की अरीय दूरी 50 किमी. तक हो।

विमान दुर्घटना

636. श्री बाबूभाई के. कटारा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 दिसंबर, 2000 के आज की तारीख तक स्थान–वार हुई विमान दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक विमान दुर्घटना की कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इनके क्या परिणाम निकले और प्रत्येक दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मसूरी के निकट हाथोपाऊ में दिनांक 2.1.2001 को भारतीय सिविल पंजीकृत विमान तथा स्पान एयर कंपनी का हैलीकॉप्टर टकरा गए थे। विमान चालक सहित विमान में सवार पांच व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

(ख) से (घ) वायुयान नियम 1973 के नियम 71 के अंतर्गत दुर्घटना निरीक्षक द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

नदी जल का बंटवारा

637. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत और बंगलादेश दोनों देशों में होकर बहने वाली 6 नदियों के जल बंटवारे पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में ढाका में दोनों देशों के बीच कोई बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक के क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) भारत–बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) की जनवरी, 2001 में ढाका में हुई 34वीं बैठक में, जे आर सी ने अन्य बातों के साथ–साथ दोनों देशों के सचिवों (जल संसाधन) के नेतृत्व वाली संयुक्त विशेषज्ञ समिति को निदेश दिया कि दोनों देशों के बीच छः नदियों अर्थात् मनु, मुहरी, खोवई, गुमती, धारला और दुधकुमार के जल के बंटवारे के लिए जे आर सी के विचारार्थ शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

राजस्थान में जवाई नहर

638. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाई बांध से जोधपुर तक बहने वाली जवाई नहर को पाइपलाइन में बदलने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इससे राजस्थान के कितने गांवों को लाभ मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राजस्थान सरकार द्वारा अक्तूबर, 1999 में 577 गांवों के लाभ के लिए 153 करोड़ रुपये की इस परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। इस स्कीम की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के साथ बकाया मुद्दों के समाधान पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरसंचार सुविधाएं

639. श्री रामानन्द सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर विन्ध्य संभाग के सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, कटनी, पन्ना जिलों में टेलीफोन और दूरसंचार सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के सतना जिले में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ग्रामवार कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ङ) इन गांवों में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश के सतना जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की ग्रामवार अद्यतन संख्या और वह समय, जब तक इन गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है, संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश के सतना जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए इस समय लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की ग्रामवार संख्या और वह समय जब तक इन गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है

क्र.सं.	गांवों के नाम	इस समय लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या	वह समय जब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है
1	2	3	4
1	बुमकाहर	19	2000--01
2	हरदुआ	30	2000-01
3	दागदीहा	15	2001-02
4	सकारिया	21	2001-02
5	भैन्स्वर	12	2001-02
6	बाराहा	06	2001-02
7	अबेर	22	2001-02
8	मेहुती	27	2001-02
9	दाद्हिया	6	2001-02
10	जिगनाहट	10	2001-02
1	रामपुरचौरसी	20	2001-02
12	चंदई	27	2001-02
13	बरौंधा	18	2001-02
14	रजरवाड़	20	2001-02
15	गौरैया	20	2001-02
16	चोराहाटा	20	2001-02
17	मुदाहा	20	2001-02
18	करीगोही	20	2001-02

1	2	3	4
19	दुरेहा	19	2001–02
20	कोनी	11	2001–02
21	कोदर	10	2001–02
22	चुंडा	8	2001–02
23	मादीकला	13	2001–02
24	अमकुई	15	2001–02
25	झिन्गोदर	26	2001–02
26	उसारार	12	2002–03
27	कारमाऊ	22	2002–03
28	चुरबाड़ी	17	2002–03
	जोड़	486	

[अनुवाद]

बंगलौर में नया हवाई अड्डा

640. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में 300 मिलियन डालर के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दो समूहों अर्थात् जर्मनी के नेतृत्व वाले संघ और स्विट्जरलैंड के नेतृत्व वाले संघ को छांटा गया है;

(ख) क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बंगलौर में प्रस्तावित हवाई अड्डे का काम कब से प्रारंभ होगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) बंगलौर के नजदीक देवनहाली में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मै. होचटोफ एयरपोर्ट जो एम बी एच, जर्मनी तथा मै. सोपेंज जी एम बी एच, जर्मनी के दो कोसोर्टिया को दोनों वरीयता प्राप्त बोलीकर्त्ताओं के बतौर छांटा गया है। इस समय, चयन प्रक्रिया की दूसरी स्टेज चल रही है जिसमें वरीयताप्राप्त बोलीकर्त्ता एक विस्तृत परियोजना साध्यता अध्ययन संचालित करने की प्रक्रिया में हैं। वरीयताप्राप्त बोलीकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद, संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन किया जाएगा। सभी औपचारिकताएं/सभी अपेक्षित कानूनी सहमति–पत्रों को पूरा करने के बाद, हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि निर्माण कार्य कब से शुरू होगा।

अंतर्राष्ट्रीय सड़क का निर्माण

641. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत (असम), चीन, म्यांमार, सिंगापुर आदि से गुजरने वाली 'स्टीलवेल रोड' नामक अंतर्राष्ट्रीय सड़क/राजमार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और उक्त संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने असम में लीडो से भारत–म्यांमार सीमा पर पांगसु पास तक स्टीलवेल रोड को दिनांक 12.10.2000 की अधिसूचना संख्या 923 (अ) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 153 घोषित किया है। असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारों से अपनी "अनापत्ति" भेजने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाली सभी परिसंपत्तियों को केन्द्र सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं

642. श्री रामदास आठवले : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में, विशेषकर वहां के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कौन–कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित अवधि में पूरी हो जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) विगत तीन वर्षों में महाराष्ट्र द्वारा क्रियान्वयन करने के लिए एक वृहत स्कीम अर्थात तेमघर और 9 मध्यम

परियोजनाएं अर्थात आंध्रखोरे, धापीवाड़ा लिफ्ट सिंचाई स्कीम (एल. आई.एस.) घटप्रभा (फटकवाड़ी), हरन घाट लिफ्ट सिंचाई स्कीम, किरमिरी, पिम्पलगांव (धाले), उत्तरमंद, वांग और जाशीनगर शुरू की गई हैं। इनमें से तेमघर, आंध्रखोरे, किरमिरी, वांग और उत्तरमंद से जनजातीय अथवा सूखा प्रवण जिलों को लाभ पहुंचेगा।

(ख) और (ग) किसी भी परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे इसके आकार, भूमि की उपलब्धता, भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करता है तथा राज्यों की प्राथमिकता के अनुसार भिन्न–भिन्न परियोजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा आबंटित निधियों का भी उतना ही महत्व होता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

643. प्रो. रासासिंह रावत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने और अबाधित यातायात सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन यातायात की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) राज्य को नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों के विकास के लिए सहायता देने के मानदंड क्या हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान राजमार्गों के निर्माण, सुधार और रख–रखाव के लिए राजस्थान को कितनी धनराशि दी गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) दुर्घटना–बहुल सड़क खंडों की पहचान करना एक सतत् प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय सड़क सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। सरकार वाहन यातायात के लिए सड़क को सुरक्षित बनाने हेतु अनेक सुधार कार्य कर रही है जिनमें 4 लेन बनाना, 2 लेन के विद्यमान मार्गों को सुदृढ़ करना, ज्यामितिय सुधार के बाइपासों का निर्माण, सड़क संकेतों, चिह्नों की व्यवस्था आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के सड़क प्रयोक्ताओं में जागृति लाने के लिए भी उपाय किए जाते हैं।

(ग) केन्द्र सरकार चालू कार्यों को पूरा करने के लिए, अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार स्वीकृति किए जाने वाले नए कार्यों के लिए धनराशि की उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समग्र धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल की खपत तथा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। सामरिक सड़क स्कीम और आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की सड़कों के अंतर्गत भी धनराशि प्रदान की जाती है।

(घ) राजस्थान में सड़कों के लिए राजस्थान सरकार को निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गई :

(करोड़ रुपये)

	वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय सड़कें
(i)	1998–99	83.24	1.77
(ii)	1999–2000	130.34	1.58
(iii)	2000–2001	164.18	75.82

[अनुवाद]

बंगलौर और देवनहल्ली के बीच राजमार्ग

644. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में बंगलौर और देवनहल्ली के बीच राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग–7 कर्नाटक राज्य में बंगलौर और देवनहल्ली को जोड़ता है। तथापि, इस खंड को चौड़ा करने का कार्य उत्तर–दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर चरणों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के चरण–I के अंतर्गत 21.56 करोड़ रुपये की लागत से 524 से 527 किमी. और 535 से 539 किमी. तक 6 लेन बनाने का कार्य पहले ही सौंप दिया गया

है। 527 से 535 किमी. और 539 से 556 किमी. तक के खंड चरण–II में शामिल किए गए हैं। अनुमानित लागत 160.00 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

645. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेषकर बिहार के तिरमुहान घाट और दरभंगा जिलों में केबलों की उपलब्धता के बावजूद टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। देश में दरभंगा सहित, जहां कहीं भी केबल और क्षमता उपलब्ध है, टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। तिरमुहान गांव लगभग 3 किमी. की दूरी पर बिथौली एक्सचेंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिलहाल उस गांव में केबल नहीं बिछी हुई है। कार्य–आदेश जारी किया गया है और कार्य दो माह की अवधि में पूरा होने की आशा है। भूमिगत केबल बिछाने का काम पूरा होने के तुरन्त बाद कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बच्ची की दुर्घटना में मृत्यु

646. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने 7 फरवरी, 2000 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वचालित सीढ़ी दुर्घटना में मृत बच्ची के परिवार के सदस्यों को मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दी गई 5 लाख रुपये की अनुग्रहपूर्वक प्रतिपूर्ति राशि 13 दिसंबर, 1999 को एस्कलेटर दुर्घटना में मरी लड़की के परिवार वालों द्वारा स्वीकार नहीं की गई ।

[हिन्दी]

असम में दूरसंचार सुविधाएं

647. श्री तरूण गोगोई : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए क्या मानदंड नियत किए गए हैं;

(ख) इस समय असम में कितने टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं और 2000–2001 के दौरान कितने एक्सचेंजों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) इस समय राज्य में कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है और कितने गांवों में उपलब्ध नहीं है;

(घ) बाकी गांवों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ङ) इस समय राज्य में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिलेवार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(च) सरकार ने प्रतीक्षा सूची के निपटान हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(छ) अब तक राज्य में किन–किन शहरों और नगरों में आप्टिकल फाइबर उपलब्ध है और 2001–2002 के दौरान जिलेवार कितने स्थानों पर इन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा; और

(ज) बाकी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) किसी भी गांव में नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कम से कम 10 नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत मांग होनी अपेक्षित है, बशर्ते यह मांग उस एसडीसीए में मौजूद एक्सचेंज से पूरी नहीं की जा सकती हो।

(ख) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार, असम में कुल 459 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यशील हैं। वर्ष 2000–2001 के दौरान 60 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है।

(ग) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार राज्य में कुल 24,685 गांवों में से 14,478 गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है।

(घ) शेष सभी गांवों को 31.3.2002 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना है।

(ङ) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार असम में प्रतीक्षा सूची में कुल 25,680 आवेदन दर्ज हैं। दूरसंचार जिलावार ब्यौरा निम्नानुसार है :

बोंगईगांव	–	5514
डिब्रूगढ़	–	2953
जोरहाट	–	6604
कामरूप	–	2122
नौगांव	–	1627
सिलचर	–	3535
तेजपुर	–	3325

(च) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को छः महीनों के भीतर निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(छ) और (ज) राज्य के 23 राजस्व जिला मुख्यालयों में से; 14 मुख्यालय ओएफसी लिंक माध्यम से जुड़े हैं। शेष 9 जिला मुख्यालयों को 31 मार्च, 2002 तक चरणबद्ध रूप से ओएफसी संपर्कता प्रदान करने की योजना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

648. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, मरम्मत, नव निर्माण, सुधार के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान व्यय की गई धनराशि का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34, 35 आदि के सुधार और विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) स्वीकृत और खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये) के योजनावार ब्यौरे इस प्रकार हैं

	अनुरक्षण और मरम्मत के लिए (गैर–योजनागत)		नए निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए (योजनागत)	
	स्वीकृत राशि (आबंटन)	व्यय	स्वीकृत राशि (आबंटन)	व्यय
7वीं योजना	40.08	4.08	46.88	46.88
8वीं योजना	83.89	94.94	171.35	169.39
9वीं योजना (जनवरी, 2001 तक)	148.32	147.11	424.64	342.38

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कच्छ में भूकंप के कारण मारे गए श्रमिक

649. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए भूकंप में कच्छ, जामनगर और अन्य स्थानों पर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत कितने श्रमिक मारे गए और कितने भवनों और कितनी जनशक्ति की हानि हुई;

(ख) मृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक को उपलब्ध कराई गई/प्रस्तावित सहायता और मुआवजा–राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए और उन्हें अपना

व्यापार और व्यवसाय पुनः आरम्भ करने में सहायता देने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सिंचित भूमि

650. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक देश में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था; और

(ख) प्रत्येक योजनावधि के अंत में वृद्धि की दर क्या थी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) सिंचित क्षेत्र तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षणों पर आधारित इसके आकलन में वर्ष दर वर्ष अंतर आता रहता है और इसका योजनावार रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, प्रथम योजना से लेकर आठवीं योजना के अंत तक विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देश में कुल प्रयुक्त सिंचाई क्षमता (आईपीयू) और प्रत्येक योजना के अंत में वृद्धि की दर का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

सभी आंकड़े मिलियन हैक्टेयर में हैं

पंचवर्षीय योजना अवधि	योजना अवधि के अंत में संचयी प्रयुक्त सिंचाई क्षमता	वृद्धि	वर्षवार वृद्धि की दर
प्रथम योजना (1951–56)	25.04		
द्वितीय योजना (1956–61)	27.80	2.76	0.55
तृतीय योजना (1961–66)	32.17	4.37	0.87
वार्षिक योजनाएं (1966–69)	35.75	3.58	1.19
चौथी योजना (1969–74)	41.89	6.14	1.23
पांचवीं योजना + वार्षिक योजनाएं (1974–80)	52.64	10.75	1.79
छठी योजना (1980–85)	58.82	6.18	1.24
सातवीं योजना (1985–90)	68.59	9.77	1.95
वार्षिक योजनाएं (1990–92)	72.85	4.27	2.13
आठवीं योजना (1992–97)	80.76	7.91	1.58

राज्यवार प्रयुक्त सिंचाई क्षमता और छठी योजना से आठवीं योजना के अंत तक उनकी वृद्धि की दर का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं. राज्यों/संघ राज्य	छठी से आठवीं योजनाओं के अंत तक प्रयुक्त सिंचाई क्षमता (000 हेक्टे. में)						
	छठी योजना (1980–85) के अंत में	सातवीं योजना (1985–90) अंत में	–वृद्धि– कालम (4)–(3)	वार्षिक योजना (1990–92) के अंत में	–वृद्धि– कालम (6)–(4)	आठवीं योजना (1992–97) के अंत तक	–वृद्धि– कालम (8)–(6)
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	4891	5431.9	5409.6	5509.6	77.7	5570.96	61.36
2. अरुणाचल प्रदेश	34.2	49.7	15.5	55.9	6.2	65.54	9.64
3. असम	404	535.9	131.9	578	42.8	622.62	44.62
4. बिहार	5154	6250	1096	6652.2	402.2	6897.9	245.7
5. गोवा	13.7	21.1	7.4	28.7	7.6	29.84	1.14
6. गुजरात	2255	2628.2	373.2	2790.2	162	3039.62	249.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हरियाणा	3106	3245.9	139.9	3274.7	28.8	3365.24	90.54
8.	हिमाचल प्रदेश	110	118.7	8.7	126.4	7.7	134.01	7.61
9.	जम्मू व कश्मीर	439	463.2	24.2	488.4	25.2	508.73	20.33
10.	कर्नाटक	2168	2500.4	332.4	2587.6	87.2	2960.41	372.81
11.	केरल	707	792.3	85.3	849.4	57.1	1001.8	152.4
12.	मध्य प्रदेश	2942	3516.2	574.2	3770	253.8	4042.97	272.97
13.	महाराष्ट्र	2586	3140.6	554.6	3247.1	106.5	3628.8	381.7
14.	मणिपुर	59	85.5	26.5	91.2	5.7	103.19	11.99
15.	मेघालय	32	35.7	3.7	37.2	1.5	39.47	2.27
16.	मिजोरम	5.8	8.2	2.4	9	0.8	1.22	2.22
17.	नागालैंड	47	54.4	7.4	55.9	1.5	57.93	2.03
18.	उड़ीसा	2158	2313.5	155.5	2452.2	138.7	2669.71	217.51
19.	पंजाब	5373	5505.4	132.4	5547.2	41.8	5748.46	201.26
20.	राजस्थान	3488	3943.3	455.3	4203.7	260.4	4425.47	221.47
21.	सिक्किम	10	15.9	5.9	17.1	1.2	20.59	3.49
22.	तमिलनाडु	3449	3585.4	136.4	3643.6	58.2	3656.85	13.25
23.	त्रिपुरा	50	74.5	24.5	80.9	6.4	86.33	5.43
24.	उत्तर प्रदेश	16600	20887	4287	23103	2216	28049	4946
25.	पश्चिम बंगाल	2669	3307	638	3567.9	206.9	3909.42	341.52
	कुल राज्य	58750.7	68509.9	9759.2	72767.1	4257.2	80645.78	7878.68
	कुल संघ शासित क्षेत्र	71.5	77.1	5.6	84.6	7.5	113.36	28.76
	कुल जोड़	58822.2	68587.0	9764.8	72851.7	4264.7	80759.14	7907.44

टेलीडेन्सिटी

651. श्री एस. पी. लेपचा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में टेलीडेन्सिटी का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने अखिल भारतीय औसत से निचले स्तर पर स्थित बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थिति में सुधार हेतु क्या उपाय किए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य–वार टेलीघनत्व का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थिति सुधारने के लिए, इन राज्यों में 2000–2001 के दौरान क्रमशः 438000 और 260000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

विवरण

देश में पिछले तीन वर्षों का राज्यवार टेलीघनत्व

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.3.98	31.3.99	31.3.2000
1.	अंडमान एवं निकोबार	2.29	4.22	6.34
2.	आंध्र प्रदेश	1.63	2.21	3.13
3.	असम	0.64	0.83	1.06
4.	बिहार	0.42	0.53	0.65
5.	गुजरात	2.82	3.40	4.26
6.	हरियाणा	2.30	2.78	3.36
7.	हिमाचल प्रदेश	2.89	3.49	4.32
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0.95	1.11	1.31
9.	कर्नाटक	2.50	3.00	3.76
10.	केरल	3.48	4.37	5.60
11.	मध्य प्रदेश	1.06	1.25	1.54
12.	महाराष्ट्र	4.06	4.60	5.40
13.	उत्तर पूर्व	0.99	1.25	1.56
14.	उड़ीसा	0.77	0.97	1.21
15.	पंजाब	3.81	4.72	5.68
16.	राजस्थान	1.49	1.79	2.11
17.	तमिलनाडु	2.79	3.54	4.52
18.	उत्तर प्रदेश	0.86	1.09	1.33
19.	पश्चिम बंगाल	1.34	1.67	2.09
20.	दिल्ली	13.74	13.84	15.40
	कुल	1.94	2.32	2.86

टिप्पणी : गुजरात राज्य में दादरा, दीव, दमन और नगर हवेली (के.शा. प्र.) शामिल हैं।

केरल राज्य में लक्षद्वीप (के.शा.प्र.) शामिल है।

महाराष्ट्र राज्य में गोवा और मुंबई शामिल हैं।

उत्तर–पूर्व दूरसंचार सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य सम्मिलित हैं।

पंजाब राज्य में चंडीगढ़ (के.शा.प्र.) सम्मिलित है।

तमिलनाडु राज्य में चेन्नई और पांडिचेरी के.शा.प्र. सम्मिलित हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता और सिक्किम राज्य सम्मिलित हैं।

बिहार राज्य में झारखंड राज्य सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित है।

उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल राज्य सम्मिलित है।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र

652. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संचार को वहनीय बनाने और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए देश के दूरसंचार क्षेत्र को विनियमन मुक्त बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) नागरिकों को, वहनीय और प्रभावी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना नई दूरसंचार नीति (एनटीपी–99) का मुख्य लक्ष्य है। एनटीपी–99 में, सभी ऑपरेटरों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में एक समयबद्ध तरीके से दूरसंचार क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल तैयार करने की परिकल्पना भी की गई है। देश के भीतर सभी दूरसंचार सेवाओं अर्थात् बुनियादी, सेल्यूलर मोबाइल, रेडियो पेजिंग, इंटरनेट, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीसेट), वॉयस मेल, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस (जीएमपीसीएस) तथा सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) को निजी भागीदारी के लिए खोला गया है।

(ग) देश में विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं

(i) बुनियादी, इंटरनेट, वी सेट, वॉइस मेल, एनएलडी तथा जीएमपीसीएस जैसी दूरसंचार सेवाओं में

ऑपरेटरों की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जहां फ्रिक्वेंसी स्पैक्ट्रम जैसे सीमित संसाधन हैं, वहां सेल्यूलर मोबाइल जैसी दूरसंचार सेवाओं में ऑपरेटरों की संख्या पर प्रतिबंध है।

(ii) राष्ट्रीय लंबी दूरी नीति के अंतर्गत अवसंरचना प्रदाताओं (आईपी) के दो वर्ग अर्थात् आईपी–। तथा आईपी–॥ हैं। आईपी–। डार्क फाइबर, राइट–ऑफ–वे, डक्ट स्पेस इत्यादि जैसी परिसंपत्तियां उपलब्ध करा सकते हैं तथा आईपी–॥ "एण्ड–टु–एण्ड" बैंडविड्थ प्रदान कर सकते हैं।

(iii) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के बाद उपग्रह और सबमेरीन केबल मीडियम का प्रयोग करते हुए इंटरनेट हेतु अंतर्राष्ट्रीय गेट–वे स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेट–वे स्थापित करने वाले आईएसपी को अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को बैंडविड्थ बेचने की अनुमति दी गई है।

(iv) मांग पर बैंडविड्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में दूरसंचार विभाग को सलाह देने के लिए, आईटी और दूरसंचार उद्योग की सुप्रसिद्ध हस्तियों को शामिल करते हुए, एक बैंडविड्थ सलाहकार समिति गठित की गई है।

बिहार में टेलीफोन सुविधाएं

653. श्री रामजी मांझी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार बिहार में जिलेवार, विशेषकर गया जिले में कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा है;

(ख) राज्य में जिलेवार कितने गांवों में अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) राज्य के उक्त जिलों और बकाया गांवों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बिहार में 14,703 गांव टेलीफोन सुविधायुक्त हैं और 24,772 गांव टेलीफोन रहित हैं। 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार बिहार का जिले–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बाकी गांवों को मार्च 2002 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

विवरण

क्र.सं.	राजस्व जिला	कुल गांव	31.1.2001 की स्थिति के अनुसार वीपीटी युक्त गांव	31.1.2001 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा रहित गांव
1	2	3	4	5
1.	भोजपुर	990	552	438
2.	बक्सर	816	294	522
3.	भागलपुर	805	664	141
4.	बांका	1616	510	1106
5.	छपरा	1563	542	1021
6.	सिवान	1353	369	984
7.	गोपालगंज	1453	359	1094
8.	दरभंगा	1081	432	658
9.	मधुबनी	1054	467	587
10.	समस्तीपुर	1061	432	629
11.	गया	2659	560	2099
12.	नवादा	946	344	602
13.	जहांनाबाद	857	322	535
14.	औरंगाबाद	1737	404	1333
15.	वैशाली	1402	668	734
16.	पुर्निया	1296	354	942
17.	कटिहार	1548	356	1192
18.	किशनगंज	802	253	549
19.	नौगचिया	180	148	32
20.	अररिया	751	328	423
21.	खगरिया	241	143	98
22.	बेगुसराय	867	549	138

1	2	3	4	5
23.	चंपारन (पूर्वी)	1283	901	382
24.	चंपारन (पश्चिमी)	1359	461	888
25.	मुंगेर	526	325	201
26.	जमुई	1354	283	1071
27.	लखीसराय	359	223	136
28.	शेखपुरा	179	173	6
29.	मुजफ्फरपुर	1736	601	1135
30.	सीतामढ़ी	781	516	265
31.	शिवहर	179	59	120
32.	पटना	1582	690	692
33.	नालंदा	1081	508	573
34.	सहरसा	472	345	127
35.	सुपौल	451	243	208
36.	मधेपुरा	438	366	72
37.	रोहतास	1710	358	1352
38.	कैमूर	1297	210	1087
	कुल	39675	14903	24772

[अनुवाद]

राज्यों में ई-मेल सुविधाएं

654. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ई–मेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या मान दण्ड अपनाए गये हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार उक्त सुविधा राज्यवार किन–किन शहरों में उपलब्ध कराई गई; और

(ग) 2000–2001 के दौरान राज्यवार किन–किन शहरों में विशेषकर पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल स्थित कौन से पिछड़े क्षेत्रों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) देश में ई–मेल सुविधा दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी भी इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) अथवा ई–मेल प्रदाता द्वारा प्रदान की जा सकती है। वर्ष 1994 से ई–मेल सेवा के विए लाइसेंस दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान किये जा रहे थे। चूंकि नवम्बर 1998 में इंटरनेट नीति की घोषणा होने से दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस उन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को प्रदान किए गए हैं जो इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं। ई–मेल सुविधा इंटरनेट सुविधा का ही एक भाग है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सभी सैकेण्डरी स्विचन क्षेत्रों में इंटरनेट नोड्स खोलने का निर्णय लिया है बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता उपलब्ध हो। बीएसएनएल द्वारा जिला मुख्यालयों में इंटरनेट नोड खोले जाएंगे बशर्ते कि मांग और तकनीकी व्यवहार्यता हो। इंटरनेट सुविधा, जिला मुख्यालयों से उसके आस–पास के स्थानों पर स्थानीय कॉल सुविधा पर भी प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो।

31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार जहां इंटरनेट नोड्स खोले गये हैं उन स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है जिससे दूरसंचार नेटवर्क वाले उत्तरी बंगाल के पिछड़े क्षेत्र भी इंटरनेट संपर्कता प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण

31.12.2000 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट नोड की राज्य–वार/शहर–वार सूची

राज्य	शहर/नोड
1	2
दिल्ली	दिल्ली
तमिलनाडु	कोयम्बटूर
	चेन्नई
	कुड्डालोर
	धर्मापुरी
	एरोद
	कांचीपुरम
	कराईकुडी
	कुम्बाकोनम
	मदुरै
	नागरकोली
	ऊटी
	सलेम
	तिरूनेलवेली
	त्रिची
	तिरूपपुर
	टुटीकोरिन
	वेल्लोर
	विरूद्धनगर

1	2	1	2	1	2	1	2
	तंजौर		यवतमाल	आन्ध्र प्रदेश	अदीलाबाद		भरूच
महाराष्ट्र	मुम्बई	कर्नाटक	बंगलौर		अनन्थापुर		भावनगर
	नागपुर		बंगलकोट		इलुर		भुज
	पुणे		बेलगौम		गुन्टूर		गांधीनगर
	अहमदनगर		वेल्लारी		हैदराबाद		गांधीधाम
	अकोला		बिदर		करनूल		गोधारा
	अमरावती		बीजापुर		काकीनदा		हिम्मतनगर
	औरंगाबाद		चामाराजनगर		करीम नगर		जूनागढ़
	बीड		चिकमंगलूर		खाम्माम		मेहसाना
	बांद्रा		चितरादुर्ग		महबूबनगर		पालमपुर
	चंद्रापुर		देवलगेर		नालगोंडा		राजकोट
	धूले		धरवार		नेल्लोर		सैंसागढ़
	गडचिरोली		गड़ग		निजामाबाद		सूरत
	जलगांव		गुलबर्गा		ऑगोले		वी.वी. नगर
	कल्याण		हसन		सांगारेड्डी		वलसाड
	कोलापुर		हवेरी		श्रीकाकुलम्		वापी
	लालना		हुबली		तिरूपति	मध्य प्रदेश	भोपाल
	नांदेड		कोडागू		विजयानगरम		ग्वालियर
	उस्मानाबाद		कोलार		विजयवाड़ा		जबलपुर
	परभानी		कोप्पल		विशाखापट्नम		इंदौर
	रायगढ़		मंध्या		वारंगल	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी
	रत्नागिरी		मंगलोर	गुजरात	अहमदाबाद		दुर्गापुर
	संगली		मैंसूर		अंकलेश्वर		कलकत्ता
	सतारा		रायचूर		अहमदनगर		माल्दा
	स्वान्थवदी		शिमोगा		अमरेली		बेरहमपोर
	शोलापुर		टुमकुर		आनन्द		रायगंज
	वर्धा		उडीपी		बड़ौदा		हाल्दा
			उत्तर कनांद				

1	2
	सूरी
	खड़गपुर
	बांकुरा
	पुर्लिया
	कूचबेहर
	जलपाईगुड़ी
	बलूरघाट
	कृष्णानगर
राजस्थान	कोटा
	अलवर
	अजमेर
	जयपुर
	जोधपुर
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
	मथुरा
	बदायूं
	मेरठ
	आगरा
	नौएडा
	लखनऊ
	वाराणसी
	इलाहाबाद
	कानपुर
	मुजफ्फरपुर
	बरेली
	रामपुर
	मुरादाबाद
	बिजनौर
	सहारनपुर
पंजाब	अमृतसर
	भटिंडा
	जालन्धर
	लुधियाना
	मोहाली
	पटियाला
केरल	अल्लेपी
	कालीकट
	इड्डूकी
	कान्नूर
	कावारथी
	कोल्लम
	कोट्टायम
	पालघाट
	पाथानमथिट्टा
	तिरूवन्तपुरम
	तिरूवेल
	त्रिचूर
उड़ीसा	कटक
	भुवनेश्वर
	राउरकेला
	संबलपुर
	बालासोर
	बारीपाडा
	बोलनगिर
	धेकानल
	क्योंझर
बिहार	पटना
	बेगुसराय
	खगरिया
	हाजीपुर
	आरा
	मोतीहारी
	भागलपुर
	मुजफ्फरपुर
	दरभंगा
	सासाराम
	डाल्टनगंज
	हजारीबाग
	मुंगेर
जम्मू–कश्मीर	जम्मू
	श्रीनगर
	उधमपुर
	रजौरी
	लेह
मेघालय	शिलांग
त्रिपुरा	अगरतला
छत्तीसगढ़	रायपुर
उत्तरांचल	देहरादून
	हरिद्वार
	पीलीभीत
	नैनीताल
	अल्मोड़ा
हरियाणा	पानीपत
	अम्बाला
	फरीदाबाद
	गुड़गांव
	करनाल
असम	गुवाहाटी
	सिलचर
अण्डमान	पोर्टब्लेयर
हिमाचल	शिमला
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी
गोवा	गोवा
सिक्किम	गंगटोक
चंडीगढ़	चंडीगढ़

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग की जनोपयोगी सेवा के रूप में घोषणा

655. श्री तूफानी सरोज : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग क्षेत्र को उपयोगी सेवा की तरह प्रमुख उद्योग के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नई औद्योगिक इकाइयों के लिए पृथक श्रम कानून बनाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पृथक श्रम कानून न होने के कारण वस्त्र इकाइयों में भारी निवेश नहीं हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) समुचित सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (4) के तहत "सूती वस्त्र" उद्योग को लोकोपयोगी सेवा घोषित किया जा सकता है।

(ग) और (घ) देश के मौजूदा श्रम कानून सभी औद्योगिक इकाइयों, निर्यात संवर्द्धन जोनों तथा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों पर लागू होते हैं।

(ङ) और (च) किसी भी उद्योग में निवेश काफी हद तक, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूदा अत्पादों की आपूर्ति-मांग परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मार्च, 1997 तक कपड़ा उद्योग को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों का सकल वितरण लगभग 25929 करोड़ रुपये था जो समस्त उद्योगों का 11.3 प्रतिशत हिस्सा है। ये आंकड़े यह संकेत नहीं करते हैं कि मौजूदा श्रम कानून कपड़ा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में बाधक है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 का परिवर्तन

656. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सीमा में तनकुही से मुजफ्फरपुर-बरौनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को चार लेनों वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में तनकुही से मुजफ्फरपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को चार लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है और प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य शुरू किया जाएगा। प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के मुजफ्फरपुर-बरौनी खंड को चार लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विषैले अपशिष्ट पदार्थों का प्रभाव

657. श्री सईदुज्जमा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में विषैले अपशिष्ट पदार्थों आदि को पुनः प्रयोज्य बनाने और पाटन हेतु इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेरोजगार कामगारों और उनके परिवार को काम देने के नाम पर पोत भंजन के रूप में गुजरात तट के अलांग में अभी भी विषैले पदार्थों का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार धात्विक प्रदूषण और इसके कुप्रभाव के संबंध में अलांग यार्ड पर सिंगापुर द्वारा कराए गए अध्ययन से अवगत है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा पोत भंजन की आयात गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) 2000 में यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के अनुसार भरण और निपटान के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात निषिद्ध है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त विनियमन के अनुसार पुराने पोतों के भंजन को विषाक्त अपशिष्ट के रूप में नहीं माना गया है।

(घ) और (ङ) गुजरात मैरिटाइम बोर्ड (जी. एम. बी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(च) केवल माल रहित पोतों का अलांग से विखंडन करने के लिए आयात किया जाता है जिसके लिए गुजरात मेरिटाइम बोर्ड विनियमन, 2000 के अंतर्गत जी एम. बी. द्वारा प्राधिकृत स्थानीय पत्तन प्राधिकरण पोतों की बीचिंग और कटाई के लिए अनुमति प्रदान करता है।

असम के वनों की रक्षा

658. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में वनरोपण के लिए 1000 करोड़ रुपये अनुदान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या असम सरकार ने वनों की रक्षा और संरक्षण, वनभूमि, वन्य, प्राणी, वन्य जीव अभ्यारण्य और मानस बाघ परियोजना, राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य–"ओरांग" और काजीरंगा आदि के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सभी निदेशों और दिशानिर्देशों को क्रियान्वित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नवीं योजना के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है और न ही इसके लिए कोई बजट निर्धारित किया गया है।

(घ) से (च) चार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत वन्यजीवों और उनके वासस्थलों के संरक्षण के लिए असम को धनराशि दी जा रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में असम को दिए गए वित्तपोषण की स्थिति इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

स्कीम का नाम	1997–98	1988–99	1999–2000	2000–2001
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	54.62	58.05	53.44	262.805
बाघ परियोजना	45.08	35.00	87.29	140.10
हाथी परियोजना	–	29.60	25.15	45.00
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस–पास पारि विकास	10.250	42.34	20.00	45.51

भारत सरकार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबन्धन तथा जानवरों द्वारा मारे जाने और मानव जीवन को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी, प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और हाथी गणना आदि के संबंध में समय–समय पर दिशा निर्देश जारी करती है जिनका सामान्यतया नियमों और क्रिया विधियों के अनुसार पालन किया जाता है।

सेल्यूलर आपरेटर

659. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर ऑपरेटरों विशेषकर भारती सेल्यूलर लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क वसूलने के संबंध में सरकार को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस संबंध में कुछ निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

660. श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार के संबंध में टेलीकाम यूजर्स फोरम ऑफ इंडिया से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) दूरसंचार विभाग में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

कम वर्षा

661. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी मौसम विज्ञान के अनुसार देश के कई भागों में सामान्य से कम वर्षा हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में औसत से कम वर्षा होने वाले स्थानों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार भी 0.1 और 5.0 मीटर तक जलस्तर में गिरावट का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश को 35 क्षेत्रों/उप प्रभागों में बांटा है। वर्ष 2000 के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र एवं कच्छ उप प्रभाग में वर्षा सामान्य से कम हुई जिसे 134 जिलों में कम तथा 8 जिलों में बहुत कम वर्षा कहा जा सकता है। प्रत्येक राज्य में कम मानसूनी वर्षा वाले जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा लगाए गए दीर्घकालिक प्रेक्षणों से देश के विभिन्न भागों में भूमि जल के स्तर में गिरावट की स्थिति का पता चला है। भूमि जल के स्तर में यह गिरावट मुख्यतः वार्षिक पुनर्भरण की अत्यधिक निकासी, वर्षा की मात्रा में अंतर, बढ़ती जनसंख्या और वनों की कटाई के कारण भूमि जल के पुनर्भरण में कमी के कारण रही है।

विवरण

वर्ष 2000 में कम मानसूनी वर्षा (20 प्रतिशत अथवा उससे कम) वाले जिले

राज्य	जिले का नाम	वास्तविक	सामान्य	गिरावट %	श्रेणी
1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	1. तीरप	2033.5	2798.6	−27%	डी
असम	1. एन.सी. हिल्स	1433.2	2179.4	−34%	डी
	2. सिबसागर	977.6	1569.8	−38%	डी
नागालैंड	1. नागालैंड	1023.7	1380.6	−26%	डी
सिक्किम	1. सिक्किम	1815.5	2536.6	−28%	डी
उड़ीसा	1. बोलनगीर	882.6	1254.8	−30%	डी
	2. कटक	811.5	1102.3	−26%	डी
	3. कालाहांडी	827.1	1110.5	−26%	डी
	4. फुलबनी	961.8	1195.8	−20%	डी
	5. सम्बलपुर	774.4	1355.6	−43%	डी
	6. सुन्दरगढ़	995.6	1358.4	−27%	डी
बिहार	1. सारन	687.3	934.7	−26%	डी

1	2	3	4	5	6
	2. सिवान	757.7	955.2	−21%	डी
झारखंड	1. सिंहभूम	835.8	1105.8	−24%	डी
उत्तर प्रदेश	1. बलिया	712.5	902.7	−21%	डी
	2. हरदोई	529.5	804.7	−34%	डी
	3. रायबरेली	488.0	825.1	−41%	डी
	4. आगरा	420.1	669.9	−37%	डी
	5. अलीगढ़	476.8	624.9	−24%	डी
	6. एटा	420.8	625.3	−33%	डी
	7. इटावा	519.8	693.1	−25%	डी
	8. झांसी	636.1	822.6	−23%	डी
	9. ललितपुर	544.8	944.6	−42%	डी
उत्तरांचल	1. टिहरी गढ़वाल	534.5	722.2	−26%	डी
हरियाणा	1. गुड़गांव	362.1	487.0	−26%	डी
	2. हिसार	108.5	316.6	−66%	एस
	3. जीन्द	320.3	448.4	−29%	डी
	4. करनाल	484.2	640.7	−24%	डी
	5. कुरुक्षेत्र	375.0	517.4	−28%	डी
	6. महेन्द्रगढ़	185.4	440.1	−58%	डी
	7. पानीपत	316.5	517.9	−39%	डी
	8. रेवाड़ी	321.7	412.7	−22%	डी
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	1. दिल्ली	498.0	629.0	−21%	डी
पंजाब	1. भटिन्डा	209.1	290.3	−28%	डी
	2. फरीदकोट	154.9	329.6	−53%	डी
	3. गुरदासपुर	610.2	822.5	−26%	डी
	4. जालन्धर	417.5	542.0	−23%	डी
	5. लुधियाना	355.7	511.3	−30%	डी
	6. संगरूर	156.8	573.5	−67%	एस

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा	700.9	948.9	−26%	डी
	2. कांगड़ा	1264.1	1683.5	−25%	डी
	3. सिरमौर	1168.0	1505.8	−24%	डी
	4. सोलन	806.4	1098.1	−27%	डी
जम्मू व कश्मीर	1. श्रीनगर	108.4	163.2	−34%	डी
	2. कुपवाड़ा	212.7	264.6	−20%	डी
	3. बड़गाम	88.8	182.5	−51%	डी
	4. बारामूला	263.7	342.6	−23%	डी
	5. लद्दाख	5.7	35.3	−84%	एस
राजस्थान	1. श्रीगंगानगर	134.1	178.5	−25%	डी
	2. हनुमानगढ़	111.0	262.5	−58%	डी
	3. जैसलमेर	109.3	150.0	−27%	डी
	4. जालोर	310.1	387.6	−20%	डी
	5. जोधपुर	208.0	295.9	−30%	डी
	6. पाली	318.1	468.0	−32%	डी
	7. अलवर	364.4	552.4	−34%	डी
	8. बांसवाड़ा	429.2	843.4	−49%	डी
	9. भरतपुर	439.4	605.9	−27%	डी
	10. भीलवाड़ा	397.3	600.6	−34%	डी
	11. बून्दी	533.4	686.5	−22%	डी
	12. चित्तौड़गढ़	479.6	742.8	−35%	डी
	13. दौसा	410.4	580.8	−29%	डी
	14. धौलपुर	454.3	670.7	−33%	डी
	15. डूंगरपुर	354.4	638.5	−44%	डी
	16. जयपुर	385.7	480.7	−20%	डी
	17. झालावाड़	713.7	901.9	−21%	डी
	18. झुंझुनूं	384.7	392.9	−28%	डी

1	2	3	4	5	6
	19. करौली	448.0	616.2	−27%	डी
	20. राजसमन्द	215.9	495.2	−56%	डी
	21. सवाई माधोपुर	412.8	655.1	−37%	डी
	22. सीकर	248.7	414.5	−40%	डी
	23. सिरोही	631.4	804.5	−22%	डी
	24. टोंक	315.0	555.9	−43%	डी
	25. उदयपुर	336.9	559.9	−40%	डी
	26. चुरू	212.2	287.8	−26%	डी
मध्य प्रदेश	1. बेतुल	572.7	920.6	−38%	डी
	2. भिन्ड	275.0	679.2	−60%	एस
	3. भोपाल	848.2	1080.5	−21%	डी
	4. छतरपुर	646.1	1053.0	−39%	डी
	5. छिन्दवाड़ा	527.4	932.1	−43%	डी
	6. दमोह	831.2	1092.5	−24%	डी
	7. दतिया	584.0	817.4	−29%	डी
	8. देवास	482.0	930.8	−48%	डी
	9. धार	453.1	781.0	−42%	डी
	10. ग्वालियर	421.3	763.2	−45%	डी
	11. होशंगाबाद	710.8	1344.5	−47%	डी
	12. इन्दौर	431.6	865.1	−50%	डी
	13. झाबुआ	450.3	720.9	−38%	डी
	14. खण्डवा	417.2	752.6	−45%	डी
	15. खरगांव	433.8	731.3	−41%	डी
	16. मन्दसौर	534.3	727.7	−27%	डी
	17. नरसिंगपुर	822.3	1091.4	−25%	डी
	18. रायसेन	609.4	1133.7	−46%	डी
	19. राजगढ़	566.2	948.3	−40%	डी

1	2	3	4	5	6
	20. रतलाम	432.4	846.2	−49%	डी
	21. सीहोर	547.5	1220.1	−55%	डी
	22. सीवनी	655.8	1153.0	−43%	डी
	23. शाजापुर	634.6	932.1	−32%	डी
	24. शिवपुरी	536.3	784.7	−32%	डी
	25. टीकमगढ़	404.4	825.2	−51%	डी
	26. उज्जैन	427.5	863.8	−51%	डी
	27. बालाघाट	1092.2	1358.6	−20%	डी
	28. माण्डला	697.5	1255.7	−44%	डी
	29. पन्ना	709.5	1130.5	−37%	डी
	30. रीवा	411.0	1066.3	−61%	एस
	31. सतना	685.6	953.1	−28%	डी
	32. सिधी	406.8	1020.3	−60%	एस
छत्तीसगढ़	1. बस्तर	1005.4	1270.8	−21%	डी
	2. दुर्ग	704.0	1002.9	−30%	डी
	3. रायगढ़	889.2	1307.8	−32%	डी
	4. रायपुर	821.2	1195.1	−31%	डी
गुजरात	1. बनासकांठा	395.0	621.2	−36%	डी
	2. बडौदा	430.0	953.6	−55%	डी
	3. भरूच	376.1	951.9	−60%	एस
	4. डांग	1353.0	1843.2	−27%	डी
	5. गांधी नगर	289.0	525.9	−45%	डी
	6. कैरा	406.2	784.1	−48%	डी
	7. मेहसाना	317.0	609.7	−48%	डी
	8. पंचमहल	406.1	861.5	−53%	डी
	9. साबरकांठा	376.5	783.8	−52%	डी
	10. सूरत	719.4	1293.7	−44%	डी

1	2	3	4	5	6
	11. अमरेली	217.7	556.3	−61%	एस
	12. भावनगर	207.0	607.4	−57%	डी
	13. जूनागढ़	478.7	724.9	−34%	डी
	14. कच्छ	177.2	435.0	−59%	डी
	15. राजकोट	367.4	557.3	−34%	डी
	16. सुरेन्द्रनगर	261.2	511.7	−49%	डी
दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	1. दीव	333.8	576.8	−42%	डी
महाराष्ट्र	1. धुले	459.2	666.8	−31%	डी
	2. पुणे	566.8	817.9	−31%	डी
	3. अमरावती	528.6	701.3	−25%	डी
तमिलनाडु	1. चेंगलपटटु एम.जी.आर.	300.5	442.7	−32%	डी
	2. दक्षिण अर्काट	208.1	394.8	−47%	डी
	3. तंजावूर	216.2	316.2	−32%	डी
	4. तिरूचिरापल्ली	206.8	273.5	−24%	डी
	5. नागापटिनम क्यू.इ.एम.	190.5	276.5	−31%	डी
केरल	1. कोझीकोड	1823.0	2762.9	−34%	डी
	2. कन्नुर	2096.7	2793.9	−25%	डी
	3. मलपुरम	1603.9	2087.9	−23%	डी
	4. त्रिसूर	1626.1	2253.9	−28%	डी
	5. तिरूवनन्तपुरम	848.6	1173.2	−28%	डी
	6. कसरगोड	2358.7	2963.7	−20%	डी
	7. वायनाड	1861.9	2918.7	−36%	डी

डी = कम जब वर्षा -20% से -59% है।

एस = बहुत कम जब वर्षा -60% अथवा उससे कम है।

खानों की सुरक्षा

662. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डी.जी.एम.एस. (खान सुरक्षा महानिदेशक) की जांच द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा के मामले में कितने अधिकारी दोषी पाए गए; और

(ख) खनन कंपनियों द्वारा उनमें से कितने अधिकारियों को दंडित किया गया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों में खान सुरक्षा महानिदेशालय की जांच द्वारा खनिकों की सुरक्षा के मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या निम्नवत है :

खनिज की किस्म	1998	1999	2000
कोयला	273	213	137
कोयले से भिन्न	106	110	74

(ख) उनमें से खान कम्पनियों द्वारा दंडित किए गए अधिकारियों की संख्या निम्नवत है :

खनिज की किस्म	1998	1999	2000
कोयला	88	85	28
कोयले से भिन्न	42	45	11

[हिन्दी]

झारखंड में खेल संबंधी गतिविधियां

663. श्री राम टहल चौधरी :
प्रो. दुखा भगत :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में खेल संबंधी गतिविधियों के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) झारखंड में खेल संबंधी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को साझेदारी आधार पर सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

बाल श्रम उन्मूलन

664. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री अशोक ना. मोहोल :
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में बाल श्रम के उन्मूलन पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाल श्रम उन्मूलन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को और अधिक सहायता प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बाल श्रम उन्मूलन हेतु और अधिक कठोर कानून बनाने पर भी सम्मेलन में विचार किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्पों पर क्या कार्रवाई की गई या की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (च) नई दिल्ली में 22 जनवरी, 2001 को आयोजित बाल श्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन को माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, जिलाधिकारियों, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं क्रियान्वित करने वाले प्रभारी परियोजना स्टाफ, श्रमिक संघों, नियोक्ताओं, अनुसंधान संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों ने बैठक की और बाल श्रम उन्मूलन के मुद्दे पर विचार विमर्श किया।

सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ संकल्प लिया गया कि जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एक समयबद्ध ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी सरकारी एजेन्सियों, अनुसंधान संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, नियोक्ताओं, श्रमिक संघों, प्रेस, बार एसोसिएशनों गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को मिल कर कार्य करना चाहिए तथा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए ताकि उनके सामूहिक संसाधनों से बाल श्रम की समस्या का एक पावन ढंग

से समाधान किया जा सके। कानूनी प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए जहां आवश्यक हो प्रवर्तन तंत्र को प्रशिक्षित किया जा चाहिए व संवेदनशील और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए तथा बाल श्रम से संबंधित अधिनियमों का कड़ा प्रवर्तन किया जाना चाहिए।

पगलदिया नदी पर सिंचाई परियोजना

665. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के नलबाड़ी जिले में पगलदिया नदी पर एक बृहत सिंचाई बांध बनाने के लिए कोई प्रपीड़क नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए पहले से ही स्वीकृत 540 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग करने का हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 542.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की पगलादिया बांध परियोजना का कार्यान्वयन ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में करना अनुमोदित किया है। इस परियोजना से असम के नालबारी और कामरूप में बाढ़ और कटाव से 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सुरक्षा होगी। इस परियोजना से नालबारी और बारपेटा जिलों में 54,160 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ और पुनः बसाये गए गांवों को घरेलू उपयोग के लिए 3 मेगावाट (संस्थापित क्षमता) की अनुषंगिक जल विद्युत भी प्राप्त होगी।

इन परियोजना में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की विद्यमान आर्थिक दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से उनके लिए उपर्युक्त पुनर्वास और पुनर्स्थापना पैकेज का प्रावधान है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हेलीकाप्टरों को किराए पर लेना

666. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने अपतटीय खोज और पर्यटन के लिए अन्य देशों से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन देशों से हेलीकॉप्टर किराए पर लिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) वर्तमान में कंपनी के पास कितने हेलीकॉप्टर हैं; और

(घ) ऐसे कितने पर्यटन स्थल हैं जहां हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर बेड़े में निम्नलिखित प्रकार के हेलीकॉप्टर हैं :

(i) डॉफिन	–	20
(ii) एम आई–172	–	03
(iii) वेल–407	–	02
(iv) बेल 206 एल	–	03
(v) रॉबिन्स–44	–	02

(घ) इस समय पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड माता वैष्णो देवी के लिए नियमित आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड द्वारा लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय में सेवा में लगाये गये हेलीकाप्टरों का प्रयोग यात्रा और पर्यटन के लिए भी किया जा रहा है।

केदारनाथ–बद्रीनाथ, पंतनगर, नैनीताल इत्यादि जैसे विभिन्न पर्यटक स्थानों को हेलीकाप्टर सेवाओं से जोड़ने के पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के प्रस्तावों की उत्तरांचल सरकार द्वारा छानबीन की जा रही है।

[हिन्दी]

घाघरा नदी पर पुल का निर्माण

667. श्री बब्बन राजभर : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के देवरिया में घाघरा नदी पर पुल का निर्माण वर्ष 1986 में ही शुरू हुआ था और अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्माण कार्य में विलंब की जांच करने और इसे शीघ्रतापूर्वक पूरा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) देवरिया जिले में घाघरा नदी पर पुल तुरतीपुर में है जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है। यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में प्रदूषण

668. श्री मानसिंह पटेल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्व के अधिकतम प्रदूषित महानगरों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में वायु, ध्वनि और गंदगी आदि से फैलने वाले सभी तरह के प्रदूषण मौजूद हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली में वायु–प्रदूषण के कारण फेफड़े संबंधी रोग तेजी से फैल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) विविक्त परिवेशी पदार्थों की सघन विद्यमानता के मामले में दिल्ली विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। तथापि विगत दो वर्षों में किए गए उपायों के फलस्वरूप प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में उत्पन्न होने वाली फेफड़ों की बीमारियों से संबंधित सुनिश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली में प्रदूषण संबंधी एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्य योजना दी गई थी। इस कार्य योजना में वाहन एवं औद्योगिक प्रदूषण, कचरा प्रबंधन एवं ध्वनि प्रदूषण भी शामिल थे। पर्यावरण प्रदूषण (निवारक एवं नियंत्रण) प्राधिकरण के नाम से 20 जनवरी, 1998 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें सुधार किया जा सके और कार्य योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जा सके।

[अनुवाद]

एस.टी.डी./स्थानीय टेलीफोन बूथों के आपरेटरों के लिए कमीशन में वृद्धि

669. श्री ए. ब्रह्मनैया :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एसटीडी/स्थानीय टेलीफोन बूथों के आपरेटरों के कमीशन में वृद्धि संबंधी आदेशों को कार्यान्वित न किए जाने और उनकी अन्य समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत संचार निगम लि. ने ऐसे आदेशों के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं की जांच के लिए भी निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे आदेशों को कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा

670. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर–अजमेर–नसीराबाद–महु से होकर जाने वाली दिल्ली–मुंबई सड़क के नसीराबाद–महु खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999–2000 के दौरान इस सड़क के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई

(ग) इस सड़क के निर्माण कार्य के संबंध में अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999–2000 के दौरान इस सड़क के लिए 11 निर्माण कार्यों के लिए 13.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

(ग) 9 कार्य पहले ही पूरे कर लिए गए हैं और शेष 2 कार्य प्रगति पर हैं।

राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण की गतिविधियां

671. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण की गतिविधियों को कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो देश में इस संस्था की इकाइयां कहां–कहां पर हैं;

(ग) प्रत्येक इकाई पर कितना वार्षिक खर्च है;

(घ) क्या ये इकाइयां दूर–दराज के क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की तलाश करने और खेलों को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अपनी गतिविधियां चला रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण की कार्यरत विभिन्न प्रशिक्षण यूनिटों की अवस्थिति नीचे दी गई है

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (एन.एस.टी.सी.) के अंतर्गत अपनाए गए स्कूलों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(2) आर्मी बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.) का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(3) विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(4) खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

(5) उत्कृष्टता केन्द्रों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण–V में दिया गया है।

(ग) आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को भोजन और आवास की सुविधाएं, चिकित्सा तथा बीमा कवर और उनकी शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए प्रतिवर्ष उन पर 21,500/– रुपये से 26,500/– रुपये की रकम प्रतिवर्ष खर्च की जाती है। गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों पर प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के हिसाब से 8,000/– रुपये से 15,000/– रुपये तक की रकम खर्च की जाती हैं। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल सुविधाओं, खेल उपकरणों के रख–रखाव, वैज्ञानिक समर्थन और प्रशिक्षकों तथा प्रशासनिक स्टाफ के वेतन पर होने वाले खर्च को पूरा करता है। प्रत्येक भारतीय खेल प्राधिकरण यूनिट पर हुआ सही व्यय संबंधी ब्यौरा एकत्र किया जाएगा और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी, हां।

भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र, देश के दूर–दराज क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी शामिल करते हैं और उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल योजना (एस.ए.जी.) विशेष रूप से दूरस्थ, जनजातीय, ग्रामीण तथा तटीय क्षेत्रों से प्रतिभा का पता लगाने पर केन्द्रित की गई है। इस योजना के अंतर्गत दाखिल किए गए प्रशिक्षणार्थियों को अन्य योजनाओं के प्रशिक्षणार्थियों की तरह ही सुविधाएं दी जाती हैं।

(ङ) एस.ए.जी. केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

एन.एस.टी.सी. द्वारा अपनाए गए स्कूल एवं अखाड़े

दक्षिणी क्षेत्र

1. संत जोसेफ इंडियन हाई स्कूल, बंगलौर
2. वी.पी. सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, बिजयबाड़ा
3. माउंट कारमल स्कूल, कोट्टायम

उत्तरी क्षेत्र

1. डी.ए.वी. सीनियर सैकेंडरी स्कूल, चंडीगढ़
2. राजकीय बालिका सीनियर सैकेंडरी स्कूल, जालंधर
3. सी.आर.जेड. सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सोनीपत

पूर्वी क्षेत्र

1. संत ईगनेशियस हाई स्कूल, गुमला
2. सुवंतानगर विद्यानिकेतन, कलकत्ता
3. बी.एस. हाई स्कूल, सुन्दरगढ़
4. उमाकान्त एकेडमी, अगरतला
5. तासी नाभगयाल एकेडमी, गंगटोक
6. राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, रांची
7. राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, कृष्णा नगर
8. संत जी.एच. स्कूल, कुरसियांग
9. डाउनहिल जी.एच. स्कूल, कुरसियांग

पश्चिमी क्षेत्र

1. मुक्तांगना इंगलिश स्कूल, पुणे
2. पावरा पब्लिक स्कूल, अहमद नगर
3. भूपाल नूल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर
4. भोंसले मिलिटेरी, नासिक
5. सजीवन विद्यालय, पंचगनी
6. संत अन्टानी उच्च विद्यालय, गोवा
7. एस.जी.एन. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीगंगानगर

मध्य क्षेत्र

1. एम.के.पी. इण्टर कालेज, देहरादून
2. राजकीय बहुउद्देश्यीय उच्च विद्यालय, इंदौर
3. उदयप्रताप इंटर कोलज, वाराणसी
4. कोलवीन तालूकदार, लखनऊ
5. महारानी लक्ष्मीबाई बहुउद्देश्यीय, जबलपुर

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

1. डोनी पोलो विद्या भवन, इटानगर
2. डान बास्को उच्च विद्यालय, गुवाहाटी
3. सैनिक स्कूल, इम्फाल
4. एंटोनी उच्च विद्यालय, शिलांग

अखाड़े

1. गोकुल उस्ताद तालीम केन्द्र, पुणे
2. क्रीड़ा विकास व्यायाममंडल, सांगली

विवरण-II

आर्मी बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.)

मध्य क्षेत्र

1. आई.एस.टी.सी., जबलपुर (म.प्र.)
2. जाट रेजिमेंटल सेंटर, बरेली (उ.प्र.)
3. बी.ई.जी. रुड़की, उत्तर प्रदेश

पूर्वोत्तर क्षेत्र

1. 58, जी.टी.सी., शिलांग

पूर्वी क्षेत्र

1. बिहार रेजिमेंटल सेंटर, दानापुर (बिहार)

पश्चिमी क्षेत्र

1. बी.ई.जी., पुणे (महाराष्ट्र)
2. ए.एस.सी. (साउथ) बेंगलौर (कर्नाटक)
3. आर्टी सेंटर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

विवरण-III

विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)

पूर्वी

1. एस.ए.जी., रांची
2. एस.ए.जी., जगतपुर
3. एस.ए.जी., पोर्ट ब्लयेर
4. एस.ए.जी., मुजफ्फरपुर
5. एस.ए.जी., किशनगंज

उत्तर-पूर्वी

1. इम्फाल
2. नाहारलगुन
3. एज़वाल
4. उतलोव
5. अगरतला

दक्षिणी

1. एलेप्पी
2. तेल्लीचेरी

उत्तरी

1. आनन्दपुरसाहिब

मध्य

1. दिल्ली (एस्सो. सेंटर)
2. इलाहाबाद (एस्सो. सेंटर)

विवरण-IV

एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्र

पश्चिमी क्षेत्र

1. एस.टी.सी., कांडीवाली
2. एस.टी.सी., गांधीनगर
3. एस.टी.सी., गोवा
4. एस.टी.सी., अलवर
5. एस.टी.सी., जोधपुर

मध्य क्षेत्र

1. एस.टी.सी., धार
2. एस.टी.सी., दिल्ली
3. एस.टी.सी., काशीपुर
4. एस.टी.सी., रायबरेली
5. एस.टी.सी., इटावा
6. एस.टी.सी., भोपाल
7. एस.टी.सी., लखनऊ
8. एस.टी.सी., इलाहाबाद
9. एस.टी.सी., जबलपुर

पूर्वोत्तर क्षेत्र

1. एस.टी.सी., दीमापुर
2. एस.टी.सी., इम्फाल
3. एस.टी.सी., गुवाहाटी
4. एस.टी.सी., गोलाघाट
5. एस.टी.सी., शिलांग

पूर्वी क्षेत्र

1. एस.टी.सी., कलकत्ता
2. एस.टी.सी., लेबांग
3. एस.टी.सी., धनकेनाल
4. एस.टी.सी., बर्दवान
5. एस.टी.सी., कटक
6. एस.टी.सी., सिलीगुड़ी

दक्षिणी क्षेत्र

1. एस.टी.सी., कोल्लम
2. एस.टी.सी., बंगलौर
3. एस.टी.सी., त्रिवेंद्रम
4. एस.टी.सी., मेडिकरी
5. एस.टी.सी., पांडिचेरी
6. एस.टी.सी., चेन्नई
7. एस.टी.सी., धारवाड़
8. एस.टी.सी., त्रिचुर
9. एस.टी.सी., कालीकट
10. एस.टी.सी., सेलम
11. एस.टी.सी., हैदराबाद
12. एस.टी.सी., निजामाबाद
13. एस.टी.सी., इलुरू
14. एस.टी.सी., मेडक

कुल एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्र 47

उत्तरी क्षेत्र

1. एस.टी.सी., पटियाला
2. एस.टी.सी., चंडीगढ़
3. एस.टी.सी., भिवानी
4. एस.टी.सी., कुरुक्षेत्र
5. एस.टी.सी., बिलासपुर
6. एस.टी.सी., धर्मशाला
7. एस.टी.सी., संगरूर (मस्ताना साहिब)
8. एस.टी.सी., बादल

विवरण-V

उत्कृष्टता केन्द्र

दक्षिणी क्षेत्र

1. सी.ई.एक्स., बंगलौर
2. सी.ई.एक्स., एल.एन.सी.पी.ई., त्रिवेंद्रम

पूर्वी क्षेत्र

1. सी.ई.एक्स., कलकत्ता

मध्य क्षेत्र

1. सी.ई.एक्स., दिल्ली
2. सी.ई.एक्स., लखनऊ

कुल उत्कृष्टता केन्द्र 08

उत्तरी क्षेत्र

1. सी.ई.एक्स., पटियाला

पश्चिमी क्षेत्र

1. सी.ई.एक्स., गांधी नगर

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

1. सी.ई.एक्स., इम्फाल

विमान की क्षमता बढ़ाने की समीक्षा

672. श्री हरिभाऊ शंकर महाले :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान बेड़े की घटती क्षमता और यात्रियों की अपर्याप्त संख्या की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। घरेलू विमान परिवहन सेक्टर में, उपलब्ध कुल क्षमता तथा यातायात प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर लिया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न प्रचालकों की विमान बेड़े को बढ़ाने की योजना की जांच–पड़ताल की जाती है और विमान–बेड़े की क्षमता को भावी अपेक्षा के मद्देनजर रखकर तदनुसार अनुमोदित किया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विमानन सेक्टर में अति क्षमता और प्रणामी रुग्णता की स्थिति से बचा जाए।

श्रम प्रधान नीति

673. श्री जोरा सिंह मान :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में 9 प्रतिशत वार्षिक विकास दर हासिल करने हेतु श्रम प्रधान नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) सरकार यह मानती है कि दीर्घकालिक आधार पर अर्थव्यवस्था में विकास की मौजूदा दर में वृद्धि केवल श्रम बल के लिए और अधिक रोजगार अवसरों के सृजन से संभव है। योजना कार्य के भाग के रूप में, अधिक रोजगार सृजन संभावित कतिपय श्रम परख क्षेत्रों/आर्थिक गतिविधियों का विशेष ध्यान तथा अधिक सार्वजनिक निवेश के लिए पता लगाया गया है। इनमें सिंचाई तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना शामिल है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में पता लगाए गए अन्य श्रम परख क्षेत्र फार्म क्षेत्र में बागवानी, वृक्षारोपण, पशुपालन तथा डेयरी हैं और गैर फार्म क्षेत्र में कपड़ा उद्योग, ग्रामीण तथा लघु उद्योग, हथकरघा, मधुमक्खी पालन तथा निर्माण हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में विश्व बैंक द्वारा सड़कों का उन्नयन

674. श्री आर. एस. पाटील :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर. एल. जालप्पा :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विश्व बैंक के एक नौ सदस्यीय दल ने सड़क उन्नयन कार्यों का जायजा लेने हेतु बंगलौर का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या विश्व बैंक कर्नाटक में लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन हेतु 2000 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर सहमत हो गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) विश्व बैंक के मूल्यांकन मिशन ने कर्नाटक राज्य सड़क परियोजना के मूल्यांकन के लिए जनवरी, 2001 में बंगलौर का दौरा किया था।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने परियोजना क्षेत्र और लागत के लिए न तो अभी कोई अनुमोदन दिया है और न ही ऐसा कोई वायदा किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जबलपुर

675. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जबलपुर से एक प्रस्ताव मिला है और उस पर विचार किया जा रहा है.

(ख) क्या इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की लागत कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कलक्टर, जबलपुर की ओर से जिले में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की विद्यमान योजना के अनुरूप न होने के कारण इसे इस अनुरोध के साथ लौटा दिया गया कि इसे तदनुरूप तैयार किया जाए/संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोचीन के लिए उड़ान

676. श्री पी. सी. थामस :
श्री वी. एम. सुधीरन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी विदेशी विमान कंपनी/कंपनियों से कोचीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन से उड़ानें शुरू करने हेतु कोई निवेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी भी विदेशी विमान सेवा को कोचीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन से उड़ान शुरू करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) ओमान एयर, कुवैत एयरवेज, गल्फ एयर, श्रीलंकन एयरलाइंस, क्वतार एयरवेज, एमीरेट्स, सऊदिया, सिंगापुर एयरलाइन और यमन एयरवेज ने कोचीन से/तक अपनी विमान सेवाएं प्रचालित करने में रुचि दिखाई है। जैसा कि अनुरोध किया गया है, उसी अनुसार भारत सरकार ने सऊदिया के लिए चेन्नई के स्थान पर कोचीन को अवतरण स्थल के लिए सहमति प्रदान कर दी है। सितम्बर 2000 तक एमीरेट्स से त्रिवेन्द्रम अथवा कोचीन को अवतरण स्थल बनाने का वचन दे दिया गया है। दूसरे अन्य निवेदन विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

बिहार में श्रमिकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

677. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में विश्व बैंक की सहायता से श्रमिकों के लिए व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना क्रियान्वित करने का है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाने का विचार है;

(ग) ऐसे कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं और बिहार में उक्त योजना के अंतर्गत इन्हें किन-किन स्थानों पर चलाया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार बिहार के पूर्णिया मंडल में महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने की संभावना पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक खोलने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) भारत सरकार ने बिहार सहित 28 राज्यों में 1989-1998 के दौरान एक विश्व बैंक सहाय्यित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना कार्यान्वित की है। एक नई विश्व बैंक सहाय्यित प्रशिक्षण परियोजना का प्रस्ताव राज्यों के साथ परामर्श के प्रारंभिक चरण में विचाराधीन है। विश्व बैंक सहाय्यित नई परियोजना पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुक्त कराए गये बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

678. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से मुक्त कराए

गये बंधुआ मजदूरों की प्रति इकाई लागत को बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संघ सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित अनेक राज्य सरकारों से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास सहायता में वृद्धि करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ था। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हुए सलाह–मशवरे के आधार पर मुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को दी जाने वाली पुनर्वास सहायता राशि मई, 2000 से 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गयी है।

एल्यूमिनियम का लागत मूल्य

679. श्री सुनील खां : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या छह टन बॉक्साइट से एक टन एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो एन.ए.एल.सी.ओ. (नालको) द्वारा उत्पादित प्रति टन एल्यूमिनियम का लागत मूल्य कितना है;

(ग) क्या आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में उत्पादित एक टन एल्यूमिनियम का लागत मूल्य भारत में उत्पादित एक टन एल्यूमिनियम के लागत मूल्य से कहीं कम है; और

(घ) अन्य देशों से एल्यूमिनियम आयात करने के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) बाक्साइट से एल्यूमिनियम का उत्पादन बाक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा पर निर्भर करता है। नालको में 6 टन बाक्साइट से 1 टन एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है।

(ख) वर्ष 1999–2000 के दौरान नालको द्वारा उत्पादित एक टन एल्यूमिनियम का लागत मूल्य 48,606 रु. था।

(ग) वर्ष 1999–2000 (या 2000) के लिए कुछ एल्यूमिनियम संयंत्रों की तुलनात्मक लागत नीचे दी गई है :

संयंत्र/देश	उत्पादन लागत (अमरीकी डालर)
1	2
नालको, अंगुल, भारत	1054
मोजाल, मोजाम्बिक	959
टोमागो, आस्ट्रेलिया	1126
अलबा, बहरीन	1107
कारमोय 2, नार्वे	1190
एलकोआ टेनेसी ए.यू.एस.ए.	1232

(घ) सरकार की आयात–निर्यात नीति के अनुसार एल्यूमिनियम का आयात और निर्यात ओपन जनरल लाइसेंस (ओ जी एल) के अंतर्गत है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1999–2000 के दौरान एल्यूमिनियम का निर्यात इसके आयात से अधिक था।

क्रिकेट मैच के लिए मानार्थ प्रवेश पत्र

680. श्री कीर्ति झा आजाद : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 से 22 नवंबर, 2000 तक फिरोजशाह कोटला क्रिकेट मैदान, दिल्ली में भारत व जिम्बाब्वे के बीच हुए क्रिकेट मैच के दौरान क्लब हाउस के 2000 टिकट मानार्थ प्रवेश पत्र के रूप में बांटे गये थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वितरण से कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ; और

(ग) ऐसे निशुल्क प्रवेश पत्रों से लाभ उठाने वालों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गांवों में टेलीफोन सेवा

681. डॉ. रमेश चन्द तोमर :
श्री गंता श्रीनिवास राव :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002 तक सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार आज की तिथि तक कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और कितने गांवों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ग) क्या इन टेलीफोनों में एस.टी.डी. सुविधा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य हेतु अनुमानतः कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। सरकार की यह योजना है कि मार्च 2002 तक फिक्सड सेवा प्रदाताओं के साथ संयुक्त प्रयास करके सभी राजस्व गांवों को जोड़ दिया जाए।

(ख) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार, 393,722 गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान की गई है और 213,769 गांव दूरसंचार सुविधा रहित हैं। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 7497 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन एसटीडी सुविधायुक्त हैं, एसटीडी सुविधा मांग पर प्रदान की जाती है।

(ङ) चालू वित्त वर्ष 2000–2001 के लिए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के वास्ते 634 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल	गांवों की कुल संख्या	31.01.2001 की स्थिति के अनुसार वीपीटी युक्त गांव	1.2.2001 की स्थिति के अनुसार सुविधा रहित गांव
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	282	282	0
2.	आंध्र प्रदेश	29460	23383	6077
3.	असम	22224	14478	7746
4.	बिहार	79208	26267	52941
5.	गुजरात	18125	13923	4202
6.	हरियाणा	6850	6811	39
7.	हिमाचल प्रदेश	16997	12118	4879
8.	जम्मू और कश्मीर	6764	3917	2847
9.	कर्नाटक	27066	26414	652
10.	केरल	1530	1530	0
11.	मध्य प्रदेश	71526	47272	24254
12.	महाराष्ट्र	42060	31170	10890
13.	गोवा	407	371	36
14.	अरुणाचल प्रदेश	3599	672	2927
15.	मणिपुर	2394	692	1702
16.	मेघालय	5629	1215	4414
17.	मिजोरम	770	621	149
18.	नागालैंड	1192	649	543
19.	त्रिपुरा	862	660	202
20.	उड़ीसा	46989	23486	23503
21.	पंजाब	12687	12687	0
22.	राजस्थान	38634	23816	14818
23.	तमिलनाडु	17991	17898	93
24.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	75698	56188	19510
25.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	39551	25415	14136
26.	पश्चिम बंगाल	37910	20874	17036
27.	सिक्किम	427	301	126
28.	कोलकाता	468	421	47
29.	दिल्ली	191	191	0
	जोड़	607491	393722	213769

जल-मल शोधन संयंत्र

682. श्री डी. वी. जी. शकंर राव :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजनाओं के अन्तर्गत हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए मूसी नदी को साफ करने हेतु तीन जल–मल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए 295 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को शुरू करने हेतु धनराशि कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) मूसी नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत नदियों की अनुमोदित सूची में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में ''एग्रो टैंक गार्डन''

683. श्री सुरेश चन्देल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ''एग्रो टैंक गार्डन'' के निर्माण की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण हिमाचल प्रदेश द्वारा वन भूमि के उपयोग की अनुमति देने हेतु इस परियोजना को क्षेत्रीय वन कार्यालय चंडीगढ़ के पास भेज दिया गया है;

(ग) क्या अनुमति प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ने औषधीय पौधों की कृषि तकनीकों के विकास की परियोजना 1999–2002 के लिए पांच लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश, राज्य सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में 19 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव की जांच के बाद इस मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को दिसम्बर, 2000 में परियोजना के बारे में अतिरिक्त सूचना भिजवाने का अनुरोध किया था लेकिन अभी तक राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कच्छ के रण में वनस्पति और जीव जन्तुओं का विनाश

684. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जनवरी, 2001 के ''द पायनियर'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार 1960 में कच्छ के रण के रेगिस्तान बनने और अनाच्छादन को रोकने हेतु आस्ट्रेलिया से आयात किये गये ''प्रास्पर्स जूवीफेरा'' (गंदा बबूल) से वहां की वनस्पति और जीव जन्तुओं का तेजी से विनाश होने लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विनाश को रोकने और कच्छ के रण की वनस्पति और जीव जन्तुओं के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राहत सामग्री पहुंचाने के लिए विमानों का उपयोग किया जाना

685. श्री तूफानी सरोज : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में हाल ही में हुई भूकंप आपदा से निपटने के लिए और भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कुछ विमानों को सेवा में लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विमानों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमानों ने राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां तो उन्होंने कुल कितनी उड़ानें भरीं;

(ङ) इन विमानों के संचालन पर हुए खर्चे का वहन कौन सी एजेन्सी कर रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय ने गुजरात में भूकंप से संबंधित राहत कार्यों के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। दिनांक 22–2–2001 तक अहमदाबाद और भुज हवाई अड्डों पर 173 राहत उड़ानें

(126 अंतरराष्ट्रीय सहित) चलाई गई हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने 26 जनवरी से 14 फरवरी 2001 तक 184 अतिरिक्त उड़ानें चलाईं तथा 775 टन राहत सामग्री भी पहुंचायी थी। एयर इंडिया ने राहत सामग्री ले जाने के लिए 26 जनवरी, 2001 से 22 फरवरी, 2001 तक 56 उड़ानें चलाईं तथा विदेशों से 376.875 टन राहत सामग्री प्राप्त की।

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स ने भूकंप पीड़ितों के लिए अनुग्रह राहत सामग्री प्राप्त करने के लिए अनुदेश जारी किए थे। एयर इंडिया ने भारत के विभिन्न स्थानों से राहत सामग्री निःशुल्क पहुंचाने के लिए प्रस्ताव दिया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सभी/अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को जो राहत प्रचालन हेतु पूरी तरह से चलाई गई थीं, सभी हवाई अड्डा प्रभारों से मुक्त कर दिया तथा दिनांक 28.2.2001 तक कार्गो/टर्मिनल हैंडलिंग के प्रभारों को भी छोड़ दिया है।

[अनुवाद]

राजस्थान में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. सुविधाएं

686. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री पुष्प जैन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सभी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. सुविधाओं का विस्तार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह सुविधा वहां कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों से एस.टी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराने के आवेदन बड़ी संख्या में लंबित हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) लंबित मांगों को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में 70 प्रतिशत एक्सचेंजों में एसटीडी, पीसीओ सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ग) पर्याप्त विश्वसनीय मीडिया के अभाव में इन एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा अपलब्ध न होने के कारण बाकी क्षेत्रों में उक्त सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी।

(घ) बाकी एक्सचेंजों में उत्तरोत्तर रूप से मार्च 2002 के अन्त तक यह सुविधा प्रदान करने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

(ङ) जी हां।

(च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) विभिन्न एक्सचेंजों को संपर्कता प्रदान करने हेतु विश्वसनीय मीडिया हेतु विस्तृत योजना तैयार की गई है। ताकि इन एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा दी जा सके।

विवरण

एसएसए	कुल ग्रामीण एक्सचेंज	एसटीडी रहित ग्रामीण एक्सचेंज
1	2	3
अजमेर	66	18
अलवर	90	0
बांसवाड़ा	58	9
बाड़मेर	62	27
भरतपुर	51	2
भीलवाड़ा	63	18
बीकानेर	56	20
बूंदी	33	5
चित्तौड़गढ़	53	9
चुरू	72	16
जैसलमेर	23	14
जयपुर	134	29
झालवाड़	29	5
झुन्झुनू	58	0
जोधपुर	82	9

1	2	3
कोटा	53	9
नागौर	89	23
पाली	115	37
सवाई माधोपुर	53	3
सीकर	80	17
सिरोही	103	24
श्रीगंगानगर	139	13
टोंक	33	10
उदयपुर	112	32
जोड़	1713	349

दूरसंचार जिला

687. श्री अनन्त नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितने दूरसंचार जिले हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001–2002 के दौरान नए दूरसंचार जिलों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) प्रत्येक दूरसंचार जिला अथवा एसएसए (गौण स्विचन क्षेत्र) प्रशासन, प्रभारण, रूटिंग और नम्बरिंग योजनाओं के प्रयोजन के लिए प्रचालन संबंधी एक बेसिक यूनिट होता है। विद्यमान नीति के अनुसार, एसएसए को सामान्यतः दो भागों में प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक कारणों से नहीं बांटा जा रहा है, किन्तु विद्यमान दूरसंचार जिलों को दूरसंचार जिले के कार्यभार के आधार पर दूरसंचार जिला प्रबंधकों/महाप्रबंधकों/मुख्य महाप्रबंधकों के स्तर तक अपग्रेड किया जा रहा है।

विवरण

प्रत्येक राज्य में दूरसंचार जिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	दूरसंचार जिलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एण्ड निकोबार (संघ शासित क्षेत्र)	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	आंध्र प्रदेश	22
4.	असम	7
5.	बिहार	14
6.	छत्तीसगढ़	6
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	17
9.	हिमाचल प्रदेश	6
10.	हरियाणा	9
11.	जम्मू एण्ड कश्मीर	5
12.	झारखण्ड	6
13.	केरल	12
14.	कर्नाटक	19
15.	महाराष्ट्र	30
16.	मध्यप्रदेश	34
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	1
20.	नागालैंड	1
21.	उड़ीसा	12
22.	पांडिचेरी	1
23.	पंजाब	11

1	2	3
24.	राजस्थान	24
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	18
27.	त्रिपुरा	1
28.	उत्तर प्रदेश	48
29.	उत्तरांचल	5
30.	पश्चिम बंगाल	14
31.	दिल्ली	1
	जोड़	330

गुजरात में हुई विमानपत्तनों की क्षति

688. श्री दिन्शा पटेल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाल ही में आए भूकंप के दौरान विमानपत्तनों को पहुंची क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस टूट-फूट की मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अहमदाबाद, भावनगर और पोरबन्दर हवाई अड्डों को हुई मामूली क्षति की पहले ही मरम्मत कर दी गई है। राजकोट और बडोदरा में टर्मिनल भवनों की दीवारों में आई मामूली दरारों की मरम्मत चल रही है। बडोदरा में ट्रांसमीटर स्टेशन को हुई क्षति की मरम्मत करना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं था। जामनगर सिविल टर्मिनल में विभिन्न स्थानों पर मामूली दरारें आई हैं और क्षति का आकलन करने के लिए ढांचा तैयार करने वाले इंजीनियरों को सेवा के लिए अनुरोध किया गया है।

भुज सिविल एयर टर्मिनल पर टर्मिनल भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और डॉप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास/दूरी मापक उपस्करों (डीवीओआर/डीएमई) भवन और चार रिहायशी क्वार्टरों में गहरी दरारें आई हैं। काण्डला हवाईअड्डे पर भी टर्मिनल भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इन हवाई अड्डों पर यात्रियों और कार्यालयों के लिए अस्थायी ढांचा प्रदान करने के लिए कार्रवाई चल रही है।

बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोडना

689. श्री अरूण कुमार : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में बौद्ध तीर्थ स्थलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरभाष एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

690. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में इस समय कार्य कर रहे दूरभाष एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं

(i) ऑप्टिकल फाइबर केबल आदि जैसे विश्वसनीय माध्यम की व्यवस्था करना।

(ii) अगम्य क्षेत्रों के लिए सेटेलाइट टर्मिनलों की व्यवस्था करना।

(iii) एनालॉग टाइप इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को नए डिजीटल टाइप एक्सचेंजों में बदलना।

(iv) नेटवर्क में डीएलसी, एचडीएसएल व डब्ल्यूएलएल उपस्करों की शुरूआत।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

इचमपल्ली और पोलावरम परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करना

691. श्री के. येरननायडू :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी नदी पर इचमपल्ली और पोलावरम परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी किसी सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं उनको पूरा करना मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जल मग्नता से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान, तत्पश्चात आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करने तथा राज्य द्वारा आवश्यक निधियों का प्रावधान करने पर आधारित है।

इंदिरा गांधी विमानपत्तन पर सुरक्षोपाय

692. श्री एन. जर्नादन रेड्डी :
डा. अशोक पटेल :
डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 के "दि स्टेट्समैन" में "आई जी आई एयरपोर्ट सेफ्टी एट दि मर्सी वैदर गॉड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या गत फरवरी के दौरान विमानपत्तन पर स्थापित किया गया आई.एल.एस.--III आज तक काम नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(च) क्या किसी उन्नत आई.एल.एस. के होने के कारण विमानचालक विशेषकर सर्दी के मौसम में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में अब क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिनांक 14-2-1999 के उपकरण अवतरण प्रणाली श्रेणी-III स्थापित की गई थी। तथापि इसे श्रेणी-II के रूप में प्रचालनात्मक बनाया गया था क्योंकि हवाईपट्टी केन्द्रीय लाइन प्रकाश एप्रोच प्रकाश आदि जैसे अतिरिक्त भू-सुविधाओं की व्यवस्था करनी थी। सिविल कार्य नबम्बर 1999 में शुरू किया जाना था। दिल्ली में डाट-मिक्स संयंत्र के उपयोग पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के कारण विलंब हुआ था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) अब श्रेणी-III क प्रणाली लगाई गई है और मार्च 2001 तक इसे प्रचालनात्मक बनाए जाने की संभावना है। भारतीय विमानचालकों को पहले से ही श्रेणी-II प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। श्रेणी-II प्रचालनों का अपेक्षित अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्हें श्रेणी-III प्रचालनों के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

प्रतिभा पलायन

693. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "आई टी ब्रेनड्रेन टू वेस्ट विल कंटीन्यू, सेज आई एल पी रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत से उच्च प्रौद्योगिकी वाले कामगार पश्चिमी देशों को पलायन करना चाह रहे हैं जैसाकि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिवेदन में बताया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पश्चिमी देशों में उच्च प्रौद्योगिकी वाले कामगारों का पलायन रोकने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह सरकार की जानकारी में है कि कुछ सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायी बेहतर रोजगार अवसरों हेतु देश छोड़ कर पश्चिम की ओर आ रहे हैं। इस व्यवसाय की जानकारी रखने वाले कार्मिकों की गतिविधियों से, विश्व बाजार में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के दीर्घावधि अवसर बढ़ते हैं। तथापि, भारत सरकार मौलिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा उद्यम सृजन के ऐसे उपाय कर रही है जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों को साफ्टवेयर विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकीयक्षम सेवाओं की बहुतायत में स्थापना हेतु प्रोत्साहित कर सके।

नई नागर विमानन नीति

694. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **नागर विमानन मंत्री** प्रारूप नागर विमानन नीति के बारे में 27–7–2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई नागर विमानन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) नागर विमानन नीति दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे निकट भविष्य में मत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

[हिन्दी]

खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर

695. श्री रामजी लाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शीत ऋतु में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन खेलों के लिए यह विशेष प्रशिक्षण प्रबंध किया गया था;

(ग) उपर्युक्त प्रशिक्षण शिविर के तहत कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया और किन खेलों के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया; और

(घ) उपर्युक्त प्रशिक्षण योजना के माध्यम से कितनी आय अर्जित की गई और इस संबंध में प्रबंध करने के लिए कुल कितना खर्च किया गया?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

भारतीय खेल प्राधिकरण ने पिछली सर्दी के दौरान राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन किया था।

(ख) निम्नलिखित खेल विधाओं में शिविर आयोजित किए गए थे :

(1) महिला हाकी (सीनियर)

(2) महिला हाकी (जूनियर)

(3) कुश्ती (सीनियर)

(4) मुक्केबाजी (सीनियर)

(5) वालीबाल (युवा शिविर)

(6) एथलेटिक्स (सीनियर)

(7) जूडो (सीनियर)

(8) रोइंग (सीनियर) चण्डीगढ़

(ग) निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनकी संबंधित खेल विधाओं में प्रशिक्षित किया गया था

खेल विधा	शिविरवासियों के संख्या
1	2
(1) महिला हाकी (सीनियर)	29
(2) महिला हाकी (जूनियर)	38
(3) कुश्ती (सीनियर)	32

1	2
(4) मुक्केबाजी (सीनियर)	49
(5) वालीबाल (युवा शिविर)	28
(6) एथलेटिक्स (सीनियर)	77
(7) जूडो (सीनियर)	32
(8) रोइंग (सीनियर) चण्डीगढ़	12
कुल	297

(घ) राष्ट्रीय शिविरों से कोई आय अर्जित नहीं की गयी थी। इन शिविरों का वित्त पोषण युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय करता है।

[अनुवाद]

संयुक्त वन प्रबंधन

696. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने लोगों की भागीदारी से वन प्रबंध हेतु अब तक संयुक्त वन प्रबंधन के संबंध में संकल्प पारित किया है;

(ख) कितने राज्यों ने ऐसा संकल्प पारित नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन के प्रचालनीकरण से संबंधित मामलों पर सुझाव देने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और संयुक्त वन प्रबंधन हेतु तौर-तरीके सुझाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) अब तक 26 राज्यों ने संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वन प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए संकल्प पारित किया है।

(ख) गोवा और मेघालय ने संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु संकल्प को अभी अंगीकार करना है। क्षेत्रीय स्तर पर वन प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों की है।

(ग) से (ङ) संयुक्त वन प्रबंधन के प्रचालनीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई है। राज्य वन विभाग और ग्राम समितियों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन का प्रचालन किया जाता है। तथापि, निरंतर परामर्श और सभी स्टेक होल्डरों से फीड बैक प्राप्त करने हेतु वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त वन प्रबंधन नेटवर्क का गठन किया गया है।

छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

697. श्री मोहन रावले : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई के आधुनिकीकरण हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल के विस्तार के क्रम में लगभग 72000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल वाला एक नया टर्मिनल 2 सी. पहले से ही चालू किया गया है। मौजूदा टर्मिनल 2 बी को और आधुनिक किया जा रहा है। इन परिवर्धन-कार्यों के पूरा होने के बाद अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल से प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन यात्रियों का आना-जाना हो सकेगा।

सेवा एवं सुविधा के स्तर को और अच्छा करने तथा इन्हें अत्याधुनिक बनाने के लिए मुम्बई एयरपोर्ट को दीर्घावधिक पट्टा आधार पर किसी गैर-सरकारी ऑपरेटर को देने का निर्णय किया गया है। विनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन मानकों को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी हवाई अड्डे का कुछ ही दिनों में विनिर्दिष्ट विस्तार कार्य तथा बाद के दिनों में, दूसरे विस्तार-कार्य को शुरू करना पड़ेगा।

इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम

698. श्री विजय हान्दिक : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम श्रेणी-III संस्थापित हो गई है;

(ख) यह प्रणाली संस्थापित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था और यह निर्णय लेने की तारीख से इसे संस्थापित करने की तारीख तक कितना समय लगा;

(ग) क्या भारतीय विमान चालकों को इन अत्याधुनिक उपकरणों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा श्रेणी–III के आई. एल. एस. न होने के कारण बहुत कम साफ दिखाई देने की वजह से वाणिज्यिक उड़ानों में व्यवधान पहुंचने के कारण समय और धन के हुए नुकसान का आकलन किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने कोहरे और प्रदूषण से ढके मुम्बई, कोलकता, चेन्नई, विमानपत्तनों जैसे प्रमुख विमानपत्तनों पर इस प्रणाली की संस्थापना हेतु समय–सीमा निर्धारित की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिनांक 14.2.1999 को श्रेणी–3 ए प्रचालनों के लिए उपयुक्त उपकरण अवरतण प्रणाली उपस्कर संस्थापित किया गया था। यद्यपि इसे श्रेणी–2 के रूप में ही प्रचालन में लाया गया क्योंकि रनवे–सेन्टर–लाइन, लाइट्स मार्गस्थ प्रकाश व्यवस्था इत्यादि अतिरिक्त सुविधाएं दी जानी थीं।

(ख) इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रेणी–3 उपकरण अवतरण प्रणाली संस्थापित करने का निर्णय अगस्त 1998 में लिया गया था और मुख्य उपस्कर सहित विभिन्न सुविधाओं के संस्थापन का कार्य नवम्बर, 2000 में पूरा किया गया था। दिल्ली में हौट–मिक्स संयंत्र के प्रयोग पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाने के कारण विलंब हुआ था। मार्च, 2001 तक सिस्टम को चालू किया जाएगा।

(ग) भारतीय विमान चालकों को श्रेणी–2 प्रचालन के लिए पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्रेणी–2 का प्रचालन का अपेक्षित अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्हें श्रेणी–3 के प्रचालन के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(घ) श्रेणी–3 उपकरण अवतरण प्रणाली का संस्थापन होने से 200 मीटर तक कम दिखाई पड़ने की स्थिति में भी विमानों का प्रचालन हो सकता है। यद्यपि दिखाई देने की सीमा कभी–कभी 200 मीटर से कम भी हो जाती है और उस दौरान विमानों का प्रचालन बंद कर दिया जाता है।

अतः सिर्फ श्रेणी–3 उपकरण अवतरण प्रणाली नहीं लगाए जाने को ही वैमानिक प्रचालन का अवरोधक नहीं माना जा सकता है, इसके कारण वाणिज्यिक उड़ानों में विघ्न पड़ने से होने वाले समय तथा धन की हानि का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।

(ङ) मुम्बई, कोलकता और चेन्नई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर श्रेणी–1 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपकरण अवतरण प्रणाली पहले से ही प्रयोग में है। इन्हें पर्याप्त माना जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में दूरभाष सुविधाएं

699. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में वहां की जनसंख्या के मुकाबले टेलीफोनों की संख्या सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने और प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) (क) जी, हां।

(ख) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार बिहार का टेलीफोन घनत्व 3.34 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले प्रति 100 व्यक्ति 0.82 है।

(ग) सरकार द्वारा राज्य में टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने और प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन से जोड़ने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है :

(i) चालू वित्त वर्ष के दौरान 2,60,000 नए टेलीफोन और लगाने का प्रस्ताव है जिसमें से 31.1.2001 तक 1,47,488 टेलीफोन पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं।

(ii) वर्ष 2002 तक बिहार के सभी राजस्व गांवों को डब्ल्यू एल एल प्रणाली प्रदान कर दिए जाने की योजना बना ली गई है।

[अनुवाद]

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा हैदराबाद से उड़ान शुरू करना

700. श्री राजैया मल्याला :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के हैदराबाद और अन्य स्थानों से उड़ानें शुरू करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में संयुक्त अरब अमीरात से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) मई, 2000 में विमान सेवाओं से संबंधित मामलों पर हुई द्विपक्षीय वार्ताओं के अंतिम दौर के दौरान, भारत सरकार ने यू.ए.ई. के नामित विमान कंपनी को चेन्नै को एक नये अवतरण स्थल के रूप में देने पर सहमति जताई है। सितम्बर, 2002 तक या तो तिरूवनन्तपुरम अथवा कोच्चि को एक अन्य नये अवतरण स्थल की पेशकश पर सहमति जताई गई थी। यूनाईटेड अरब अमीरात की नामित विमान कंपनी अमीरात एयरलाइन्स को हाल ही में हैदराबाद हवाई अड्डे के लिए/से होकर अन्तरराष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित करने की भी अनुमति दी गयी है।

डाकघर

701. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001–2002 के दौरान राज्यों में जिलेवार और स्थान–वार कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : डाकघर योजना लक्ष्यों के अनुसार मानदंड आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

कुरुक्षेत्र, हरियाणा में विमानपत्तन का निर्माण

702. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में विमानपत्तन के निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विभागीय अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किसी हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा रियायती टिकट

703. श्री नरेश पुगलिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को रियायती टिकटें जारी की हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है जिसमें किसी एक उड़ान में रियायती टिकट का प्रयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 10 (दस) तक सीमित की गई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं और इसका औचित्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसी एक उड़ान में रियायती टिकट का प्रयोग करने वाले यात्रियों की संख्या सीमित करने संबंधी इंडियन एयरलाइन्स के इस आदेश की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स ने नीति के बतौर यात्रियों की उन विभिन्न श्रेणियों के लिए रियायती किराए जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ सेवारत कार्मिक, सैन्य बल/पैरा मिलिटरी फोर्स, पुलिस कार्मिक, वीरता अवार्ड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, खिलाड़ी आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सामाजिक वचनबद्धता को पूरा करने और बेहतर लाभ कमाने वाले प्रबंधन प्राप्त करने के उद्देश्य से भी किया गया है जिससे कि उड़ानों की कम/अधिक मांग वाले सीजन पर निर्भर रहते हुए उड़ानों को और अधिक उपार्जक बनाया जा सके।

(ङ) और (च) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कामकाजी महिलाओं से संबंधित कृतिक बल

704. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **श्रम** मंत्री कामकाजी महिलाओं से संबंधित कृतिक बल के बारे में 20 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4910 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामकाजी महिलाओं से संबंधित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) कार्यान्वयन के लिए स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और शेष सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है तो विलंब के क्या कारण हैं और इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कृतक बल का कार्यकाल 30.04.2001 तक बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

मंडल बांध

705. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड के पलामू जिले में मंडल बांध का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बांध को चालू करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) पलामू जिले में मंडल गांव के निकट उत्तरी कोइल सिंचाई परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

बाल श्रमिकों से संबंधित कानून

706. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाल श्रमिकों पर प्रताड़न, शोषण और उनकी हत्या जैसे अत्याचारों को रोकने के लिए बाल श्रमिकों से संबंधित कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भदोही के कालीन उद्योग और तमिलनाडु में शिवकासी के आतिशबाजी उद्योगों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन श्रमिकों की शीघ्र मुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेथ और विनियमन) अधिनियम 1986 अधिनियम की अनुसूची में वर्णित व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है और अन्य सभी नियोजनों में इसे विनियमित करता है। अधिनियम के अंतर्गत गठित तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह पर अनुसूची में परिवर्धन किए जाते हैं। बाल श्रम अधिनियम, 1986 में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और इस पर मई, 1987 में आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन सहित अनेक मंचों पर विचार विमर्श किया गया है। अधिनियम को और अधिक कडा बनाने के लिए सम्मेलन में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हैं

(एक) अपराध संज्ञेय बनाना (दो) दण्ड को अधिक कठोर और निवारक बनाया जाए और (तीन) बच्चे की उम्र के सत्यापन का उत्तरदायित्व नियोजक का होना चाहिए। इस संबंध में कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ग) देश में बाल श्रम पर प्रामाणिक सूचना दस वर्षीय जनगणना के आधार पर तैयार की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। कामकाजी बच्चों की उद्योगवार संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) सरकार ने देश में बाल श्रम की समस्या के निदान के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा की थी जिसमें बाल श्रम संबंधी नियमों के सख्ती से प्रवर्तन, बाल श्रमिक के माता–पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से उनके लाभार्थ बाल श्रमिक की सेवाओं के समेकन और बाल श्रम बहुल क्षेत्रों में परियोजना को शुरू करने आदि पर बल दिया गया है।

कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता–अनुदान स्कीम के माध्यम से जोखिमकारी व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों को हटाने और उनका पुनर्वास करने के उपाय किए हैं। संबंधित परियोजना समितियों द्वारा जिला स्तर पर जागरूकता सृजन अभियान चलाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल नीति

707. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सहित विकासशील देशों को चेतावनी दी है कि उन्हें राष्ट्रों के बीच झगड़ों से बचने के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या तालाबों और बंजर भूमि के जीर्णोद्धार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में बंगलौर में कोई संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ग) इस संगोष्ठी में क्या सुझाव दिए गए;

(घ) क्या भारत इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के महानिदेशक ने पर्यावरणीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी वैज्ञानिक पत्रिका के एक अंक में तथा पेरिस में 21 मार्च, 1998 को जल तथा सतत विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल के मुद्दे पर भविष्य में युद्ध होने की सम्भावना का अनुमान लगाया है।

तथापि, भारत ने एकीकृत और पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस रूप में अपने जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए वर्ष 1987 में एक राष्ट्रीय जल नीति पहले ही स्वीकार कर ली है।

(ख) से (ङ) ''लेक 2000–झीलों और आर्द्र भूमि का पुनरुद्धार'' नामक एक संगोष्ठी 27–29 नवम्बर, 2000 के दौरान भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में आयोजित की गई थी जो पर्यावरण और बन मंत्रालय, भारत सरकार, कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग, आर्द्र भूमि वैज्ञानिकों की सोसायटी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रायोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में बहुत सी सिफारिशें और सुझाव दिए गये हैं। इस संगोष्ठी में की गई 17 सिफारिशें संक्षेप में संलग्न विवरण में दी गई हैं। झीलों और आर्द्र भूमि से संबंधित योजनाएं और नीतियां बनाते और कार्यान्वित करते समय सरकार द्वारा विभिन्न संगोष्ठियों में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

बंगलौर में 27–29 नवम्बर 2000 तक हुई ''लेक 2000–झीलों और आर्द्र भूमियों का पुनरुद्धार,'' नामक संगोष्ठी में की गई मुख्य सिफारिशों का संक्षेप

1. आर्द्रभूमियों के पुनरुद्धार, उनके सतत उपयोग और संरक्षण से संबंधित क्रियाकलापों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी अभिकरणों का एकीकरण।

2. सतत उपयोग और संरक्षण के लिए कार्यनीतियां विकसित करने के वास्ते एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए झीलों और आर्द्र भूमियों के सुधार, पुनरुद्धार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाए।

3. चुनिंदा, प्रतिनिधि आर्द्र भूमियों के उनकी मौजूदा स्थिति, सतत उपयोग, प्रबन्धन और संरक्षण के संबंध में एक आंकड़ा आधार सृजित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से अध्ययन; और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उनके दीर्घकालिक प्रबन्धन के लिए कार्यनीतियां तैयार करने के वास्ते एक व्यापक योजना तैयार की जाए। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की सहभगिता के माध्यम से पारिस्थितिक प्रणालियों की नियमित मानीटरिंग।

4. जलीय प्राणियों के स्वास्थ्य, बीमारी और संगरोध पहलुओं की देखभाल के लिए एक व्यापक कार्य योजना तत्काल बनाई जाए।

5. देश के अंतर्देशीय जल निकायों की जलीय जैविक भिन्नता के अध्ययन के वास्ते एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाए।

6. झीलों, आर्द्रभूमियां और नदियों के महत्व की पहचान तथा मानव सभ्यता और जलीय जैविक भिन्नता के आहार में उनकी भूमिका के लिए सरकारी और गैरसरकारी संगठनों के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम बनाए जाएं और उनका कार्यान्वयन किया जाए।

7. प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र में झीलों और तालाबों का पता लगाया जाए तथा लोगों की सहभागिता से उनकी धाराओं का पुनर्भरण किया जाए।

8. अस्थाई तालाबों का पता लगाया जाए तथा समाज और जैविक वातावरण के प्रति उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए उनकी विभिन्नता का अन्वेषण किया जाए।

9. जल निकायों और जल ग्रहण क्षेत्र सुरक्षा में कचड़ा फेंकना रोकने के लिए लोगों का निगरानी दल गठित किया जाना है।

10. आर्द्र भूमि नीतियों को तैयार करते समय मछुआरों के सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर भी विचार किया जाना है।

11. पारिस्थितिक प्रणाली के सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम विकास सहित छात्रों की भागीदारी।

12. झीलों के स्वामित्व और विधिक स्थिति को उचित रूप से परिभाषित किया जाए।

13. सुरक्षित क्षेत्रों में आर्द्र भूमि की स्थिति की जांच करने के लिए वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को आंकड़े सुलभ कराए जाएं।

14. मत्स्य पालन विशेषज्ञों से स्वीकृति मिलने के पश्चात ही झीलों में विदेशी मछलियां डालने की अनुमति दी जाए।

15. शिक्षा और प्रशिक्षण : जलीय पारिस्थितिक प्रणाली के मूलाधारों, लक्ष्यों और विधियों के विषय में लोगों की आवश्यकताओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाए। वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं को जलीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनरुद्धार, प्रबन्धन और संरक्षण में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

16. केन्द्र और राज्य सरकारों को अनुसंधान और विकास, जल विभाजक/पैमाना पुनरुद्धार को बढ़ावा देना चाहिए जोकि झील, धारा और आर्द्रभूमि घटकों को एकीकृत करते हैं। राज्य अभिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों के अनुसंधानकर्ताओं को पुनरुद्धार परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में भाग लेना चाहिए।

17. झीलों के पुनरुद्धार के लक्ष्य वास्तविक होने चाहिए तथा उन्हें अलग–अलग पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए प्रत्याशित स्थितियों की संकल्पना पर आधारित होना चाहिए।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों और सह-चालकों के इस्तीफे

708. श्री भान सिंह भौरा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के अनेक कमेंडरों और सहचालकों ने इस्तीफा दे कर विभिन्न एयरलाइनों में नौकरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) पिछले छह महीने में 8 पायलटों ने त्यागपत्र दिया। इनमें से 5 पायलटों ने वैयक्तिक कारणों से त्याग पत्र दिया और बाकी तीन ने किसी स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं किया। कंपनी नियम के उपबंधों के अनुसार इन पायलटों ने त्यागपत्र देने के बारे में पूर्वनोटिस नहीं दिया था। अभी तक कोई भी त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-93 का विस्तार

709. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 93 का विस्तार आगरा से बरास्ता चंदौसी–मुरादाबाद तक किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राजमार्ग को चौड़ा करने और सतह को पुनः तैयार किए जाने का कार्य कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या मुरादाबाद जिले में कुंदेरकी में राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 93 पर रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाई ओवर बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इस आवश्यक फ्लाई ओवर को न बनाए जाने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) आगरा से चंदौसी होते हुए मुरादाबाद 12.10.2000 को अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 93 से जुड़ा हुआ है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। यातायात की आवश्यकताओं, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर बने पुलों पर विकास कार्य किए जाते हैं।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों का विकास

710. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण आदिवासी क्षेत्रों में विकास और सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबधित कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 किसी गैर–वानिकी गतिविधि के लिए वन भूमि के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। तथापि, इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। पिछले 20 वर्षों से जब से कानून लागू हुआ है लगभग 4.94 लाख हैक्टेयर वन भूमि को शामिल करके, जिसमें अदिवासी क्षेत्र सर्वाधिक है, 6000 से अधिक विकासात्मक प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किसी गैर–वानिकी गतिविधि के लिए किसी वन भूमि को हस्तांतरित करते समय स्थानीय लोगों विशेषकर जनजाति के लोगों पर परियोजना के संभावित प्रतिकूल प्रभावों की ओर समुचित ध्यान दिया जाता है।

विशेष विकास से संबंधित प्रस्तावों और आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराने, जिसमें सड़कें, पेय जल आपूर्ति स्कीम, ट्रांसमिशन लाइनें, स्कूल, डिस्पेंसरियां आदि शामिल हैं तथा जहां पर 5 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि की आवश्यकता नहीं है, को शीघ्र मंजूरी देने के उद्देश्य से छः क्षेत्रीय कार्यालयों को, यदि प्रस्ताव सभी पहलुओं से पूरा हो, 4 सप्ताह के भीतर मामलों पर निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

[अनुवाद]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पुराने विमानों को बदला जाना

711. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोनों राष्ट्रीय कैरियरों को अपने पुराने विमानों को बदलने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन दोनों एयर लाइनों के जहाजी बेड़ों को फिर से सक्रिय करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एअर इंडिया विमान–बेड़ा युक्तिकरण और संवृद्धि के लिए ड्राई लीज आधार पर विमानों को लगा रही है। इंडियन एयरलाइन्स नये विमानों की खरीद के लिए इस समय तकनीकी–आर्थिक अध्ययन कर रही है। अध्ययन के पूरा हो जाने पर, निदेशक मंडलों के अनुमोदन के पश्चात् एक परियोजना रिपोर्ट सरकार को दे दी जाएगी।

सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन

712. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण लागत में होने वाली वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) मुख्यतः भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण की समस्या तथा कुछ राज्यों द्वारा साख पत्र जारी करने में देरी के कारण कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है।

(ग) विकास संबंधी परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण के बाद ही अनुमोदन प्रदान किया जाता है। ठेकेदारों को शीघ्र भुगतान के लिए तथा राज्य सरकारों द्वारा साख पत्र जारी करने की आवश्यकता के निवारण के लिए कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों की प्रगति की संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी अवरोध को यदि कोई हो, नियत लक्ष्य के अनुसार परियोजना पूरी करने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय करके दूर किया जाए।

विभागीय भवनों का निर्माण

713. डा. राम चन्द्र डोम :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में 75 प्रतिशत से अधिक डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में विभागीय भवनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पिछले दो वर्षों में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए नए भवनों का निर्माण किया गया है और जहां से ये एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) **डाक विभाग**

जी, नहीं।

दूरसंचार विभाग

जी, हां।

(ख) **डाक विभाग**

उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

दूरसंचार विभाग

31 जनवरी, 2001 की स्थिति के उनुसार असम राज्य में काम कर रहे कुल 459 एक्सचेंजों में से 365 एक्सचेंज किराए के भवनों में हैं।

(ग) **डाक विभाग**

इस समय छः डाकघर भवनों के निर्माण का काम चल रहा है। इसके अलावा प्रचालन प्राथमिकता और योजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विभाग विभागीय भवनों के निर्माण का कार्य शुरू कर रहा है।

दूरसंचार विभाग

लगभग 50 स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए विभागीय भवनों के निर्माण को अंतिम रूप दिया गया है तथा भवनों का निर्माण कार्य चरणबद्ध ढंग से मार्च, 2002 तक पूरा होने की संभावना है। राज्य सरकार से राज्य में विभिन्न स्थानों पर भूमि के आबंटन/अधिग्रहण के लिए निरंतर आग्रह किया जा रहा है ताकि विभागीय भवनों का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जा सके।

(घ) **दूरसंचार विभाग**

मध्य प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान बनाए गए तथा कार्य कर रहे नए टेलीफोन एक्सचेंज भवन इस प्रकार हैं

1. **मंदसौर जिले में** : (क) मंदसौर (ख) सीतामऊ (ग) पिपलिया मंडी (घ) श्यामगढ़।

2. **नीमच जिले में** : (क) सिंगोली (ख) मानसा।

बाल श्रमिकों की दुर्दशा की समीक्षा के लिए समिति

714. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में बाल श्रमिकों की दुर्दशा की समीक्षा करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि हां, तो अब तक इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या अलीगढ़ में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे हार्डवेयर उद्योग में श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के ताला उद्योग में बाल श्रम के नियोजन के प्रत्येक पहलू की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(घ) और (ङ) देश में बाल श्रम से संबंधित प्रमाणित सूचना दस वर्षीय जनगणना के आधार पर तैयार की जाती है। कामकाजी बच्चों के उद्योग–वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्कीम के अन्तर्गत कार्य से हटाए गए 2500 बालकों की व्याप्ति हेतु अलीगढ़ में 30 विशेष स्कूल/पुनर्वास केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

त्रिवेन्द्रम-माले सैक्टर में अपर्याप्त उड़ानें

715. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम–माले सैक्टर में उड़ानों की कमी के कारण यात्रियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स अनुसूचित आधार पर ए–320 विमानों से त्रिवेन्द्रम तथा माले के बीच प्रति सप्ताह पांच उड़ानें प्रचालित करती है। इस सैक्टर पर शीत ऋतु की पीक अवधि के दौरान समस्या उत्पन्न हो जाती है। सीजन के दौरान यात्रियों की अधिक आवाजाही की पूर्ति के लिए इंडियन एयरलाइन्स इस सैक्टर पर अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करती है बशर्ते कि विमान, कर्मीदल तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता हो।

जनवरी, 2001 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स ने इस मार्ग पर 14.2.2001 तक त्रिवेन्द्रम तथा माले के बीच दो फालतू सेक्शन उड़ानों और चार अतिरिक्त उड़ानों के आदेश दिए।

पशुओं के व्यवहार का अध्ययन

716. डा. वी. सरोजा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूकंप या किसी अन्य आपदा से पहले पशुओं के व्यवहार में अंतर आता है, पशुओं के व्यवहार का गहन अध्ययन कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भूकंप की भविष्यवाणी एवं पशुओं के अस्वाभाविक व्यवहार के बीच अंतःसंबंध से संबंधित साहित्य की जांच/पुनरीक्षा हेतु कदम उठाए गए हैं ताकि एक अनुसंधान परियोजना तैयार की जा सके।

वन विकास परियोजनाएं

717. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेषतः असम से इन राज्यों के क्षेत्रों में वन विकास परियोजनाएं स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) हाल ही में स्थापित वन विकास अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता देने हेतु असम सहित 15 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

I. वर्ष 2000–01 के दौरान (22.2.2001 के अनुसार) अब तक वन विकास अभिकरणों को स्वीकृत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	राज्य	वन विकास अभिकरण की अवस्थिति	शामिल किया जाने वाला कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत कुल परियोजना लागत (लाख रुपये)
1.	पंजाब	मुक्तशर	355	70.68
2.	जम्मू और कश्मीर	डोडा	1720	111.67
3.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	580	37.84
4..	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	1140	75.28
5.	जम्मू और कश्मीर	बुधगाम	1140	75.28
6.	मध्य प्रदेश	गुना	6500	743.97
7.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	2000	330.05
8.	हिमाचल प्रदेश	सुकेत	1950	200.47
9.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	2000	359.75
10.	उत्तर प्रदेश	मिरजापुर	1279	199.80
11.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	1070	124.07
		कुल	19734	2328.86

II. 22.2.2000–01 तक विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित परियोजनाओं के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, ये परियोजनाएं स्वीकृति हेतु विचार करने के भिन्न–भिन्न चरणों में हैं जो अंतिम रूप से उनकी तकनीकी उपयुक्तता विभिन्न राज्यों के बीच प्रदेशिक वितरण और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए उपलब्ध धनराशि शर्तों पर निर्भर होगी।

क्र.सं.	राज्य	वन विकास अभिकरण की अवस्थिति	शामिल किया जाने वाला कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	कुल परियोजना लागत (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	पलोंचा	3550	434.34
2.	असम	कांजीरंगा	200	134.40
3.	गोवा	दक्षिण गोवा	180	49.95
		उत्तरी गोवा	275	49.90
4.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	1675	68.31
5.	महाराष्ट्र	दहानु	6040	617.70
		थाने	5000	608.89
		पुणे	1000	162.17
		जलगांव	800	128.96
		कोल्हापुर	1358	187.72
		पूर्वी नासिक	5100	1394.69
		पश्चिमी नासिक	2850	755.50
		दक्षिण चंद्रपुर (केंद्रीय चंद्रपुर)	825	460.05
		दक्षिण चंद्रपुर (बहरागढ़ सिरोंचा)	1125	182.54
		आलापाली	50	259.70
		मेवासी	640	109.41
		पश्चिमी धुले	1045	257.67
		उत्तरी धुले	1045	117.23
6.	मध्य प्रदेश	पश्चिमी छिंदवाड़ा	7625	919.50
		दक्षिणी छिंदवाड़ा	6850	831.38
		पूर्वी सिद्दी	640	128.00
		पश्चिमी सिद्दी	640	128.00
		दक्षिणी सिओनी	1050	157.50
		उत्तरी सिओनी	3000	375.00
		सिहोरे	1000	185.00
7.	उत्तर प्रदेश	हरदाई	1700	753.70
		फैजाबाद	1495	241.60

1	2	3	4	5
		रेनूकोट	800	158.40
8.	हरियाणा	गुड़गांव	3000	800.73
		सिरसा	1200	307.26
9.	नागालैण्ड	तुईसंग	1260	125.39
		मोन	980	99.71
		कोहिमा	1200	149.99
10.	छत्तीसगढ़	महासामुंड	750	256.00
		पूर्वी सरगुजा	750	188.42
		बस्तर	750	230.08
11.	गुजरात	पंचमहालेश	2650	629.95
		वलसाद	1840	318.64
		बढ़ोदा	1600	408.00
		नर्मदा	1000	203.25
12.	कर्नाटक	कोलार	1045	210.20
		बेल्लारी	650	107.35
		टुमकुर	1350	231.98
13.	राजस्थान	डूंगरपुर	2000	418.23
		प्रतापगढ़	2000	420.95
		केन्द्रीय उदयपुर	1750	367.17

दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार

718. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्रों की भागीदारी से देश में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ उक्त क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जा रहा है; और

(घ) देश में किफायती दर पर दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) 31.3.2000 तक निजी ऑपरेटरों द्वारा मुख्य दूरसंचार सेवा क्षेत्र में कुल निवेश लगभग 16564.38 करोड़ रुपये है। इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

बुनियादी सेवाएं	3605.48 करोड़ रु.
सेल्यूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा	11860.91 करोड रु.
वी–सैट	184.52 करोड़ रु.
मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा	250.00 करोड़ रु.
पेजिंग सेवा	663.47 करोड़ रु.

(ग) अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी को छोड़कर सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश किए जा रहे हैं। सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी को अप्रैल, 2002 में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया जाएगा।

(घ) धनराशि की उपलब्धता के आधार पर संचार नेटवर्क में वृद्धि करने के लिए वर्षवार योजनाएं बनाई जाती हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित किया जा रहा है। भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) भी टी आर ए आई द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम सीमा का अनुसरण कर रहे हैं। दूरसंचार क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार देश में लागत प्रभावी सेवाओं की पेशकश की जा रही है।

दूरसंचार अधिकारियों को सिविल कर्मचारियों का दर्जा

719. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरसंचार अधिकारियों की ओर से उन्हें सिविल कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। विभाग के समूह "क" अधिकारियों ने दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण की स्थिति में उन्हें सिविल कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है।

(ख) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि समूह "क" अधिकारियों को कट ऑफ तारीख का निर्णय करते समय पांच वर्ष तक समप्रतिनियुक्ति (डीम्ड डेपूटेशन) की बढ़ाई गई अवधि का लाभ दिया जाएगा।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा

720. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में जिलेवार कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) उक्त राज्य में जिलेवार ऐसे कितने गांव हैं जहां टेलीफोन सुविधाएं अब भी मुहैया नहीं कराई गई हैं; और

(ग) ऐसे गांवों में टेलीफोन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर में 6,764 गांवों में से 3,905 गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है और 2859 गांव टेलीफोन सुविधारहित हैं। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मार्च, 2002 तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य के शेष सभी गांवों में दूरसंचार सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन युक्त गांवों की संख्या	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन रहित गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	जम्मू	961	236
2.	कथुवा	489	100
3.	उधमपुर	540	85
4.	डोडा	357	298
5.	श्रीनगर	137	17
6.	बडगांव	185	316
7.	अनंतनाग	141	505
8.	पुलवामा	222	332
9.	कुपवारा	118	260
10.	बारामूला	224	439
11.	राजौरी	331	72
12.	पुंछ	146	11
13.	लेह	31	82
14.	कारगिल	23	106
	कुल	3905	2859

मोरों की रक्षा

721. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश के विभिन्न प्राणी उद्यानों एवं अभयारण्यों में मोरों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शिकारियों द्वारा कितने मोर मारे गए हैं और इसके लिए उन्हें क्या दण्ड दिए गए हैं; और

(ग) मोरों की संख्या में वृद्धि करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की क्या नीति है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) देश के विभिन्न प्राणी उद्यानों में 764 मोर हैं। देश के अभयारण्यों और अन्य भागो मे मोरों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में अवैध शिकार और अन्य कारणों से मारे गए मोरों तथा अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मोरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(i) मोरों सहित समस्त वन्य प्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक उपयोग से बचाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) मोर को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की

अनुसूची–1 में रखा गया है और इस तरह उसे उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकद्दमा चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(iv) देश के विभिन्न भागों में वन्यजीवों के वासस्थलों के सुधार करने तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को निधियां दी जाती हैं।

(v) मौजूदा आयात–निर्यात (एक्सिम) नीति के अन्तर्गत मोरों तथा उनके व्युत्पन्नों का निर्यात करना प्रतिबंधित है।

(vi) किसानों में इस बात की चेतना जागृत की जाती है कि वे अपने खेतों में जैव कीटनाशकों और अविषैले रसायनों का इस्तेमाल करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे बीज बोए जाने के बाद उन्हें तत्काल मिट्टी से ढक दें।

(vii) वन फील्ड स्टाफ को इस बात की हिदायत दी गई है कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतें।

विवरण

राज्य	वर्ष	मारे गए मोरों की संख्या			अभ्युक्तियां
		अवैध शिकार	जहर द्वारा मारे गए	प्राकृतिक मृत्यु	
1	2	3	4	5	6
हरियाणा	1999		10		अपराधियों के विरुद्ध वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए।
हरियाणा	1999		2		
हरियाणा	2000		10		पुलिस के पास एफ आई आर दर्ज कराई गई।
हरियाणा	2000	3			अपराधियों के विरुद्ध वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए।
हरियाणा	2000			5	
राजस्थान	1998	12	4		जांच की जा रही है/न्यायालय में लंबित है।
राजस्थान	1999	6	7		न्यायालय में लंबित है।
राजस्थान	2000	3	18		न्यायालय में लंबित है।
राजस्थान	2001		20		न्यायालय में चालान किया फाइल किया गया।
राजस्थान	2001				13.2.2001 और 16.2.2001 को अलग से सीकर जिले में मोरों की मृत्यु के 21 मामलों की सूचना मिली। मामले की जांच की जा रही है।
दिल्ली	99	2			दोषी ठहराया गया (3 महीने का कारावास और 500 रुपये जुर्माना)।
दिल्ली	99		5		

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	2000			4	
चण्डीगढ़	2000			2	
गुजरात	98–99	10		4	एक गिरफ्तार किया गया (मामला न्यायालय में लंबित है)।
गुजराज	99–2000	9	3	15	न्यायालय में लंबित है।
गुजरात	2000–2001		4		
तमिलनाडु	98–99	1			2 गिरफ्तार किया गया (मामला न्यायालय में लंबित है)।
उड़ीसा	98	1	1		4 गिरफ्तार किया गया (मामला न्यायालय में लंबित है)।
मध्य प्रदेश	1–98 से 12–2000	137	87		125 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मामले पंजीकृत किए गए और 3 को दोषी ठहराया गया।

[अनुवाद]

केरल में नए टेलीफोन केन्द्र

722. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में जिलेवार कितने टेलीफोन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस राज्य में स्थानवार कितने टेलीफोन केन्द्र निर्माणाधीन हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001–2002 के दौरान राज्य में, विशेषकर पटनमथिट्टा और अलाप्पुजा में नए टेलीफोन केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) राज्य में निर्माणाधीन एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) 2001–2002 के दौरान केरल राज्य में 50 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। सात एक्सचेंज अलाप्पुजा और पटनमथिट्टा जिलों में खोलने का प्रस्ताव है (ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं)।

विवरण-I

जिला	इस समय कार्य रहे एक्सचेंजों की संख्या
1	2
अलाप्पुजा	49
कालीकट	70
मालापुरम	63
विनाड	25
कन्नौर	83
कसारगोड	50
एर्नाकुलम	96
इडुक्की	74
कोट्टायम	72
पालघाट	84

1	2
पटनमथिट्टा	55
क्वीलोन	71
त्रिचूर	66
त्रिवेंद्रम	70
जोड़	928

विवरण-II

जिला	मार्च, 2001 तक निर्माणाधीन एक्सचेंजों की संख्या
अलाप्पुजा	1
कालीकट	1
मालापुरम	–
विनाड	1
कन्नौर	2
कसारगोड	–
एर्नाकुलम	3
इडुक्की	–
कोट्टायम	3
पालघाट	2
पटनमथिट्टा	2
क्वीलोन	4
त्रिचूर	4
त्रिवेंद्रम	9
जोड़	32

विवरण-III

एक्सचेंज का नाम	जिला	टाइप	क्षमता
1	2	3	4
मन्नाचेरी	अलाप्पुजा	ओसीबी आरएसयू	1500
वेनमोनी	अलाप्पुजा	5 ईएसएस आरएसएम	2000
चेरियानाड	अलाप्पुजा	ई–10बी आरएलयू	2000
करटिकापल्ली	अलाप्पुजा	सी–डॉट एमएएक्स–एक्सएल आरएसयू	2000
तिरूवल्ला यूनिट II	अलाप्पुजा	ओसीबी	3000
चेंगरूर	अलाप्पुजा	ओसीबी	2000
पजहाकुलम	पटनमथिट्टा	एमएएक्स–एक्सएल आरएसयू	1500

कृष्णा नदी के जल का बंटवारा

723. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार तमिलनाडु को उसके हिस्से का जल मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार समझौते के अनुसार तमिलनाडु को बंटवारे के जल की आपूर्ति के संबंध में हस्तक्षेप करने का है;

(ग) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार तेलगु–गंगा परियोजना प्रणाली के तहत आंध्र प्रदेश के जलाशयों में उपलब्ध कृष्णा नदी के जल की मात्रा के आधार पर तमिलनाडु सरकार आंध्र प्रदेश से कृष्णा नदी के जल का अपना हिस्सा प्राप्त कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

724. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके रख–रखाव के लिए कुल कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है;

(ग) क्या मुहैया कराई गई धनराशि का पूरा–पूरा उपयोग हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन–कौन से प्राधिकरण जिम्मेवार हैं; और

(च) वर्ष 2001–2002 के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 की मरम्मत और निर्माण के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) 8 राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी कुल लंबाई 1239.3 किमी. है हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों में रख–रखाव के लिए मुहैया कराई गइ धनराशि :

(करोड़ रुपये में)

1997–98	20.34
1998–99	22.56
1999–2000	23.26

(ग) और (घ) पूरी तरह उपयोग कर लिया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्ष 2001–2002 के लिए बजट अभी अनुमोदित किया जाना है। अतः अभी इसके ब्यौरे बता पाना संभव नहीं है।

पर्यावरण अनुकूल नगर

725. श्री सी. पी. राधाकृष्णन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ नगरों को पर्यावरण अनुकूल नगर के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं और उनके चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) राष्ट्रीय वानिकी कार्य–योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। सात अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद और अहमदाबाद को पारि–शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। राज्य सरकार की एजेंसियों से कहा गया है कि वे इन शहरों के संबंध में पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं तैयार करें।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) मंत्रालय ने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि वे आगामी वर्षों में वनों के सतत विकास के अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों और केन्द्र सरकार की वार्षिक योजनाओं में वानिकी क्षेत्र के आबंटनों में वृद्धि करें।

(ii) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य की वानिकी कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं में वानिकी क्षेत्र के आबंटनों में वृद्धि करें।

(iii) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एक समन्वय समितियों का गठन करें।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय वित्त–पोषण की संभावना का पता लगाने के लिए परियोजना प्रस्तावों का एक सार–संग्रह तैयार किया गया है।

बांध निर्माण का कार्य पूरा किया जाना

726. श्री खारबेल स्वाइं : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधूरे बांधों का निर्माण–कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बांध–वार ब्यौरा क्या है,

(ग) झारखंड के चांडिल और गलुढी में सुवर्णरेखा नदी पर बांधों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इन बांधों को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निश्चित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) विभिन्न कारणों से बहुत सी सिंचाई और बहुउद्देश्यीय स्कीमों के पूरा होने में विलंब हुआ है जिसमें राज्य सरकारों के पास निधियों का अभाव सबसे बड़ा कारण है। इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्यों को उनकी ऐसी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं, अथवा जो पूरा होने के उन्नत चरणों में हैं, के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया करने के वास्ते वर्ष 1996–97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारंभ किया था।

(ख) बांध–वार जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चांडिल बांध और गलुढी बैराज के निर्माण कार्य में क्रमशः 97 प्रतिशत और 98 प्रतिशत (फाटकों के संस्थापन के अलावा) की प्रगति हुई है।

(घ) राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, कार्यान्वयन एवं उनकी वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी संसाधनों से तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार की जाती है।

विवरण

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम–केन्द्रीय ऋण सहायता का आबंटन
(15.2.2001 तक की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	क्र.सं.	परियोजना का नाम	जारी की गई केंद्रीय ऋण सहायता 96-97	जारी की गई केंद्रीय ऋण सहायता 97-98	जारी की गई केंद्रीय ऋण सहायता 98-99	जारी की गई केंद्रीय ऋण सहायता 99-2000	जारी की गई केंद्रीय ऋण सहायता 2000-2001 15.2.2001 तक	जारी की गई संचयी केंद्रीय ऋण सहायता 15.2.2001 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश								
	1.	श्री राम सागर चरण–I	31.500	50.000	25.000	38.000	27.720	172.220
	2.	चय्येरू (अन्नामाया)	3.750	4.000	2.500	3.000	2.080	15.330
	3.	जुराला		16.500	21.500	13.000	21.000	72.000
	4.	सोमासिला		3.500	14.500	9.525	17.000	44.525
	5.	नागार्जुन सागर			9.000	0.000	3.630	12.630
	6.	मड्डवालसा			7.170	1.490	13.200	21.860
	7.	गुंडलावागु					1.670	1.670
	8.	मड्डीगेड्डा					1.000	1.000
	9.	कानुपुर नहर					1.920	1.920
	10.	एर्राकालवा जलाशय					2.170	2.170
कल			35.250	74.000	79.670	65.015	91.390	345.325

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम								
	1.	पहुमारा	0.600	1.300	1.000	0.430	0.000	3.330
	2.	हवाईपूर्व लिफ्ट	0.875	0.000	1.000	1.090	0.000	2.965
	3.	रूपाही	0.255	0.000	0.400	0.000	0.000	0.655
	4.	धनसिरी	1.500	5.000	4.000	5.000	5.400	20.900
	5.	चम्पामती	1.000	1.000	1.800	1.750	3.050	8.600
	6.	बोरोलिया	0.500	1.350	1.600	1.500	0.000	4.950
	7.	बोरादि कराई		1.000	1.350	0.750	1.800	4.900
	8.	बुढ़ी विहंग		0.500	0.800	0.750	0.000	2.050
	9.	कोलांग बेसिन में एकीकृत सिंचाई स्कीम		2.250	2.000	1.750	2.250	8.250
*	10.	कोलांग	0.500				0.000	0.500
कुल			5.230	12.400	13.950	13.020	12.500	57.100
बिहार								
	1.	पश्चिमी कोसी	10.000	0.000	14.635	30.570	25.000	80.205
	2.	अपर कियूल	2.500	0.000	5.100	7.625	1.200	16.425
	3.	दुर्गावती	1.000	0.000	1.150	11.000	0.000	13.150
	4.	बाणसागर		1.500	2.000	80.000	0.000	83.500
	5.	ओरिनी जलाशय		2.030	5.500	0.000	2.370	9.900
*	6.	बिलासी जलाशय		1 620	0.800	0.500	0 470	3.390
	7.	सोन आधुनिकीकरण			7 000	0.000	16.920	23.920
कुल			13.500	5.150	36.185	129 695	45 960	230 490
छत्तीसगढ़								
	1.	हसदेच बांगी		4.250	9.000	8.600	8.930	30.780
	2.	शिवनाथ व्यपवर्तन		0.250	0.500	0.920	1.000	2.670
	3.	जोक व्यपवर्तन				1.000	0.000	1.000
कुल			0.000	4.500	9.500	10.520	9.930	34.450

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गोवा								
	1.	सलाउली फेज–I		5.250	0.000	3.500	3.350	12.100
	2.	तिल्लारी					43.300	43.300
कुल			0.00	5.250	0.000	3.500	46.650	55.400
गुजरात								
	1.	सरदार सरोवर	71.250	177.000	410.000	267.000	300.000	1225.250
*	2.	झुज	1.200	1.800	1.070	0.670	0.000	4.740
	3.	मुक्तेश्वर	0.488	2.700	0.900	1.130	2.000	7.218
*	4.	सिपु	1.635	2.900	1.800	0.120	0.000	6.455
*	5.	दमनगंगा		5.000	3.250	1.220	0.000	9.470
*	6.	कर्जन		4.000	2.500	1.100	0.000	7.600
*	7.	सुखी		2.000	2.650	1.000	0.000	5.650
*	8.	देव		0.500			0.000	0.500
*	9.	वतरक		1.000	1.650	0.460	0.000	3.110
*	10.	हरनव–II	0.065				0.000	0.065
*	11.	उमारिया	0.135				0.000	0.135
	12.	अजी–IV					10.350	10.350
	13.	ओजट–II					2.750	2.750
	14.	ब्राह्मनी–II					4.000	4.000
कुल			74.773	196.900	423.820	272.700	319.100	1287.293
हरियाणा								
	1.	गुडगांव नहर	2.500	0.000	0.000	0.000	0.000	2.500
	2	जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई		12.000	0.000	0.000	0.000	12.000
*	3.	जल संसाधन समेकन परियोजना	30.000			0.000	0.000	30.000
	4.	हथिनी कुण्ड (डब्ल्यू आर सी पी)					0.000	0.000
	5.	लोहारू लिफ्ट					0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश								
	1.	शाहनहर सिंचाई परियोजना		6.500	5.000	14.455	5.625	31.580
	2.	सिधाता					1.500	1.500
	3.	चेंजर लिफ्ट					0.765	0.765
कुल			0.000	6.500	5.000	14.455	7.890	33.845
जम्मू व कश्मीर								
*	1.	मरबाल लिफ्ट	0.300				0.000	0.300
	2.	लेथपोड़ा लिफ्ट	0.500			0.680	0.000	1.180
*	3.	कोइल लिफ्ट	0.500				0.000	0.500
	4.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण				2.250	5.000	7.250
	5.	प्रतात्प नहर का आधुनिकीकरण				0.750	0.900	1.650
	6.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण				1.000	0.750	1.750
	7.	रजपोरा लिफ्ट					1.000	1.000
	8.	तराल लिफ्ट					1.000	1.000
	9.	इगोफी					1.500	1.500
कुल			1.300		0.000	4.680	10.150	16.130
झारखंड								
	1.	गुमानी		3.000	2.440	10.000	0.000	15.440
	2.	तोराई		2.500	0.000	0.000	0.000	2.500
	3.	लतरातु		0.670	1.000	0.340	0.120	2.130
	4.	कंसजोर		1.850	3.250	2.130	2.330	9.560
	5.	सानुवा		0.420	3.500	0.000	1.535	5.455
	6.	सुरंगी		0.200	1.300	1.760	1.730	4.990
	7.	तपकारा जलाशय		0.250	0.150	0.115	0.000	0.515
	8.	बताने					3.335	3.335
कुल			0.000	8.890	11.640	14.345	9.050	43.925

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक								
	1.	अपर कृष्णा चरण–I	57.000	50.000	50.000	100.000	50.000	307.000
	2.	मालप्रभा	1.500	12.000	10.000	13.500	0.000	37.000
	3.	हिरेहल्ला	2.750	6.000	6.000	8.000	8.000	30.750
	4.	घटप्रभा		15.000	12.500	20.000	45.000	92.500
	5.	करंजा		7.500	16.00	15.640	18.000	57.140
कुल			61.250	90.500	94.500	157.140	121.000	524.390
केरल								
	1.	कल्लाडा	3.750	15.000	0.000	0.000	0.000	18.750
	2.	मुवातुपुझा					12.650	12.650
कुल			3.750	15.000	0.000	0.000	12.650	31.400
मध्य प्रदेश								
	1.	इंदिरा सागर	37.500	51.000	37.500	40.000	80.000	246.000
	2.	बाणसागर बांध	23.250	54.000	20.000	38.000	25.000	160.250
	3.	अपर वेनगंगा	2.500	5.000	10.000	9.830	14.000	41.330
	4.	राजघाट बांध			11.500	4.375	11.928	27.803
	5.	सिंध फेज–II			2.250	2.120	3.865	8.235
	6.	सिंध फेज–I				1.000	3.500	4.500
	7.	माही					2.170	2.170
	8.	बेरियारपुर बायांतट नहर					5.000	5.000
	9.	उर्मिल					1.000	1.000
	10.	बंजार					1.000	1.000
कुल			63.250	110.000	81.250	95.325	147.463	497.288
महाराष्ट्र								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	4. भीमा			12.500	19.750	12.255	0.000	44.505
	5. अपर तापी			2.500	0.000	3.800	0.000	6.300
	6. अपर वर्धा			30.000	0.000	20.000	17.655	67.655
	7. वाण				15.000	6.740	8.620	30.360
	8. जयकवाड़ी						8.920	8.920
	9. विष्णुपुरी						4.000	4.000
	10. बहुला						4.410	4.410
कुल			14.000	55.000	50.860	49.875	60.745	230.480
मणिपुर								
	1. खुगा		4.300	6.000	4.500	9.250	0.000	24.050
	2. थौबल			20.000	6.280	11.060	0.000	37.340
	3. दोलैथाबी						0.000	0.000
कुल			4.300	26.000	10.780	20.310	0.000	61.390
मेघालय								
	1. रेंगाई घाटी						1.280	1.280
कुल							1.280	1.280
उड़ीसा								
	1. अपर इन्द्रावती (केबीके)		19.000	30.000	10.000	17.850	10.000	86.850
	2. रेंगाली		9.900	20.000	50.000	28.300	17.000	125.200
	3. सुवर्णरेखा		18.000	27.000	0.000	19.500	0.000	64.500
	4. आनन्दपुर बैराज		1.550	3.000	0.250	2.050	0.000	6.850
	5. अपर कोलाब (केबीके)			5.000	10.000	6.900	2.350	24.250
	6. तितलागढ़ चरण–II (केबीके)				1.250	0.000	3.000	4.250
	7. लोअर इंदिरा (केबीके)					3.750	5.500	9.250
	8. लोअर सुकतेल (केबीके)					3.000	2.500	5.500
कुल			48.450	85.000	71.500	81.350	40.350	326.650

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब								
	1.	रंजीत सागर बांध	67.500	100.000	0.000	42.000	0.000	209.500
	2.	यूबीडीसी का रिमॉडलिंग					0.000	0.000
कुल			67.500	100.000	0.000	42.000	0.000	209.500
राजस्थान								
	1.	जैसमांड (आधुनिकीकरण)	0.925	1.000	1.000	0.125	0.075	3.125
	2.	छापी	1.750	2.500	5.500	4.000	0.900	14.650
	3.	पंचाना		2.500	1.120	3.520	3.497	10.637
	4.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण–II		36.000	74.000	50.000	25.780	185.780
*	5.	बिसालपुर			30.430	11.130	0.000	41.560
	6.	नर्मदा नहर			23.000	13.320	0.000	36.320
	7.	गंभीरी (आधुनिकीकरण)			1.000	0.000	0.315	1.315
	8.	चौली			4.000	7.900	0.460	12.360
	9.	माही बजाज सागर				16.670	14.130	30.800
कुल			2.675	42.000	140.050	106.665	45.157	336.547
तमिलनाडु								
*	1.	जल संसाधन समेकन परियोजना	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000
कुल			20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000
त्रिपुरा								
	1.	मानू	1.313	2.000	1.175	2.890	1.500	8.878
	2.	गुमटी	1.560	2.200	1.850	1.945	1.845	9.400
	3.	खोवाई	0.900	0.900	0.950	1.465	1.500	5.715
कुल			3.773	5.100	3.975	6.300	4.845	23.993
उत्तर प्रदेश								
	1.	शारदा सहायक	15.000	10.000	16.000	40.000	50.000	131.000
	2.	सरयू नहर	9.000	17.500	20.000	54.000	22.500	123.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.	मध्य गंगा नहर सहित अपर गंगा	15.000	17.500	20.000	28.000	32.640	113.140
	4.	एच.के. दोआब में खरीफ चैनल मुहैया कराना	0.500	3.000	4.000	10.000	13.500	31.000
	5.	बाणसागर		10.000	16.500	38.000	16.360	80.860
	6.	लखवर व्यासी		20.000	0.000	0.000	0.000	20.000
	7.	टिहरी				96.000	49.500	145.500
	8.	ज्ञानपुर पंप नहर				12.000	5.200	17.200
	9.	पूर्वी गंगा नहर				8.000	4.000	12.000
*	10.	राजघाट बांध	3.000				0.000	3.000
*	11.	गुण्टानाला बांध	1.000			0.000	0.000	1.000
कुल			43.500	78.000	76.500	286.000	193.700	677.700
पश्चिमी बंगाल								
	1.	तीस्ता बैराज	5.000	15.000	10.000	19.000	0.000	49.000
	2.	कंगसाबती		4.000	0.000	6.000	2.500	12.500
	3.	डीवीसीके बैराज और सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण		1.000	0.000	0.000	0.000	1.000
	4.	टातको					0.625	0.625
	5.	पटलोई					0.700	0.700
	6.	हनुमंत					0.500	0.500
कुल			5.000	20.000	10.000	25 000	4.325	64.325
मध्यम क्षेत्र के लिए जारी की गई कुल केन्द्रीय ऋण सहायता			500.000	952.190	1119.180	1397.895	1184.135	5153.400
के लिए जारी की गई कुल केन्द्रीय ऋण सहायता						62.707	23.595	86.302
			500.000	952.190	1119.180	1460.602	1207.730	5239.702

*अब ये परियोजनाएं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं हैं।

[हिन्दी]

पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में टेलीफोन केन्द्र

727. श्री महेश्वर सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में राज्यवार कितने टेलीफोन केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) एम.सी.पी.सी. और अन्य उपकरणों की आपूर्ति के कारण राज्यवार किन–किन स्थानों पर टेलीफोन केन्द्र नहीं खोले जा सके हैं; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में 299 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्यवार लक्ष्य इस प्रकार है :

असम = 4; बिहार = 13; हिमाचल प्रदेश = 75; जम्मू और कश्मीर = 30; कर्नाटक = 12; मध्य प्रदेश = 20; महाराष्ट्र = 67; उत्तर पूर्व = 40; (अरुणाचल प्रदेश = 2; मणिपुर = 3; मेघालय = 11; मिजोरम = 10; नागालैंड = 4; त्रिपुरा = 10); उड़ीसा = 22; पश्चिम बंगाल = 11; सिक्किम = 5। शेष राज्यों में पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों यदि कोई हो, के लिए कोई योजना नहीं है।

(ख) राज्य–वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्राप्त करने की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। क्रयादेश जारी कर दिए गए हैं। उपस्कर मैसर्स पीसीएल/पीडीआईएसएल, चंडीगढ़ के लिए क्षेत्रीय मूल्यांकन (फील्ड इवैल्यूएशन) के अधीन हैं। उपस्करों मैसर्स पीसीएल/पीडीआईएसएल, चंडीगढ़ तथा आईटीआई, बेंगलूर द्वारा अभी आपूर्ति की जानी है।

विवरण

उन स्थानों की राज्यवार सूची जहां नए एक्सचेंज को स्थापित किए जाने के लिए एमसीपीसी वी–सैट की आवश्यकता है

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थानों के नाम
1.	बिहार	महुआ टांड, गारू, रामगढ़, बोरियो, कर्रोन, कुंडहीट, मसालिया, कुमारडुग्गी, अधौरा (योग=9)
2.	हिमाचल प्रदेश	थिरोत, खोकसार, धानकार, चिटकुल, स्याबुंग, चिउनी, साडा, गुस्सैन, सुदहार, गोमा, सैंज, खुद, पुल बहाल, मनिओटी सरपारा, धामबारी (योग = 14)
3.	मध्य प्रदेश	छिंडी, सतरेंगा, लोंगी, सालहेबेरा, रेंगाखेरका, स्राखेडा, कीकीरमेता, खोकसापारे, जोहरापाडार, उरमल, सुलेसा, कुमा, किनधा, खामहार, भटुराकछार, काटेकल्याण, गिरोला, विश्रामपुरी जैतपुर तथा सलबारडी (योग = 20)
4.	महाराष्ट्र	शेलोशी, विशालगढ़, अनुस्कुरा, गाजापुर, बारवीडाम तथा हाजीमलंगवाड़ी (योग = 6)
5.	उत्तर–पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्य सहित)	यचाली (एप) नियापीन (एप), टेंगकिंगगांव (एपी), सुगनु (एमएन), कास्सेमखुल्लेन (एमएन), साईकुल (एमएन), काकचिंग खुनाओ (एमएन), खारखुटा (एमजी), लुमशनोंग (एमजी), रानीकोर (एमजी), दाईनाडुबी (एमजी), चॉकपोट (एमजी), नाकलोक (एमजी), टोबू (एनजी), टेनिंग (एनजी) तथा चावमून (टीपी) (योग = 16)
6.	राजस्थान	डांगरी, अवाई, रांधा, हियजालेर, कोट और मंद्रायल (कुल = 6)
7.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	डेगन चोला, शेराघाट, कांदा, नागथाट, लखवार, लखमंडल तथा घुट्टा (योग = 7)

[अनुवाद]

कोसी बांध

728. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दर्जिया फुइया (बिहार) में कोसी बांध का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण कोसी नदी के किनारे रह रहे किसानों को नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त बांध का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बाढ़ से सुरक्षा के लिए दर्जिया फुइया (बिहार) में कमला–बलान नदी पर तटबंध के निर्माण की एक तटबंध स्कीम चल रही है। यह कार्य बिहार सरकार द्वारा अपने स्वयं की राज्य योजना निधि में से पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस तटबंध स्कीम को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुद्दा भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बिहार में सिंचाई सुविधाएं

729. श्री रघुनाथ झा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में समुचित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां महा–उत्पात मचाती हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए और अधिक कुएं खोदने और ट्यूबवैल लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या महा–विनाशलीला को रोकने व बेहतर तथा उपयोगी उद्देश्य के लिए जल को नियंत्रित करने हेतु नेपाल से निकलने वाली नदियों के जल को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ग) संयुक्त बिहार राज्य के लिए 13347 हजार हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता में से मार्च, 2000 तक 8124 हजार हेक्टेयर का सृजन हुआ है। भूजल विकास सहित सिंचाई सुविधाओं का विकास स्वयं राज्यों द्वारा आवश्यक निधियों के प्रावधान से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ख), (घ) और (ङ) नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ आती है। नेपाल से निकलने वाली कमला बलान, कोसी तथा अन्य नदियों पर बांधों के निर्माण के मुद्दे पर जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति की 1 से 3 अक्तूबर, 2000 तक हुई सचिव स्तर की बैठक में विचार विमर्श किया गया जिसमें दोनों पक्ष विशेषज्ञ स्तर की बातचीत करने पर सहमत हो गए तथा सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। महाकाली (भारत में सारदा) नदी पर पंचमेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए संयुक्त परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के अधिदेश के साथ दिसंबर, 1999 में काठमांडू में एक भारत–नेपाल संयुक्त परियोजना कार्यालय खोला जा चुका है। सचिव स्तर की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पारस्परिक लाभ के लिए नेपाल में लघु/मध्यम जल विद्युत परियोजनाओं के विकास से संबंधित परियोजनाओं का संयुक्त रूप से पता लगाने के लिए एक भारतीय दल ने नेपाल का दौरा किया है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकादमी, पटियाला

730. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानद विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकादमी, पटियाला को भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण से इसकी संबद्धता समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला एक समकक्ष विश्वविद्यालय नहीं है। यह भारतीय खेल प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन एक संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

731. डा. बलिराम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2001 तक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिले के प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण–I और–II में दी गई है।

(ख) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए एक्सचेंजों के विस्तार की योजना बनाई गई है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में नए एक्सचेंज खोलने के लिए ओएफसी की योजना बनाई गई है।

(iii) नेटवर्क में अव्यवहार्य पोकेट को हटाने के लिए भूमिगत केबल की भी योजना बनाई गई है।

विवरण-I

आजमगढ़ उत्तर प्रदेश (पूर्व) की प्रतीक्षा सूची

एसएसए	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1	अहीररौला	85
2	अम्बारी	54
3	अनजान शहीद	33
4	अत्तरौलिया	58
5	अमूवारी (उत्तर पूर्व)	5
6	आजमगढ़ रेलवे स्टेशन	961'
7	आजमगढ़	
8	बैंकट	48
9	बरदाह	41
10	बिलारमऊ (कटार)	60
11	बिलारिया गंज	68
12	बिंदावल	23
13	बरदीहा (उत्तर–पूर्व)	16
14	बिंद्रा बाजार	215
15	चांदपट्टी	271
16	छपरा सुल्तानपुर	49
17	चेओटा (उत्तर–पूर्व)	
18	चित्तेपुर	88
19	दीदार गंज	148
20	देवगांव	259
21	दुर्वासा (उत्तर–पूर्व)	22
22	फरीहा	111
23	गोपालगंज	14
24	गोसांई की बाजार	11
25	हरैया (उत्तर–पूर्व)	65
26	जहानागंज	85
27	जीयनपुर	221
28	कंचनपुर	28
29	कंधरापुर	35
30	कप्तान गंज	37
31	कौडिया	23
32	कहनहानी	28
33	कोइलसा	48
34.	लाहीडीह	40
35	लालगंज	146

1	2	3
36	लालघाट	126
37	महाराज गंज	1
38	महूल	208
39	मर्टिनगंज	24
40	मेहनागढ़	105
41	मेहनाजपुर	29
42	मुबारकपुर	471
43	मिट्ठूपुर (उत्तर–पूर्व)	80
44	मनधारी	48
45	नैनी जोर (उत्तर–पूर्व)	21
46	नंदावन (उत्तर–पूर्व)	13
47	निजामाबाद	350
48	पलहाना	19
49	पाबई	71
50	फूलपुर	375
51	रानी की सराय	76
52	रामगढ़ (उत्तर)	26
53	सनजारपुर	122
54	सरायमीर	244
55	सारदाह	27
56	साथियावान	41
57	सेनपुर	16
58	सिंहपुर	14
59	सुंभी बाजार	16
60	तहवारपुर	45
61	तरवा	36
62	ठेकमा	107
	जोड़	6107

विवरण-II

मऊ उत्तर प्रदेश (पूर्व) की प्रतीक्षा सूची

एसएसए	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1	अदारी	0
2	आइलाक	0
3	अमीला–ए	4
4	अमीला–बी	
5	अतार–सवान	7
6	बारागांव	0
7	बोझी–ए	19
8	बोझी–बी	
9	चकारा	0
10	चिरियाकोट	0
11	दोहारी घाट	10
12	दुबारी	124
13	घोसी	35
14	हैदरपुर	0
15	हथिनी	0
16	कल्याणपुर	15
17	करहा–ए	35
18	करहा–बी	
19	कारीसाथ	0
20	खुरहाट	0
21	कुरथी जफरपुर	0
22	कुश्मोर	0
23	कोपागंज	0
24	मधुबन	15

1	2	3
25	मरयादपुर–ए	85
26	मरयादपुर–बी	
27	मऊ	90
28	मऊ औद्योगिक क्षेत्र	0
29	मोहम्मदाबाद	0
30	नदावा सराय	0
31	पीपरीडीह	0
32	पीपर साथ	0
33	रानीपुर	2
34	रतनपुरा	0
35	सारसेना	0
36	सेमारी जमालपुर	32
37	सीपाह	30
38	सुग्गीचौरी	10
39	सुरजपुर–ए	12
40	सुरज–बी	
41	सुल्तानपुर	4
	जोड़	529

[हिन्दी]

वृद्ध महिलाओं के लिए विमान किराए में रियायत

732. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार साठ वर्षों से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं के लिए विमान किरायों में रियायत देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रियायत कितना प्रतिशत तक दिए जाने की संभावना है और इसे कब तक प्रभावी बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स 63 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत की छूट देती है।

[अनुवाद]

विशाखापट्टनम में प्राकृतिक उद्यान की स्थापना

733. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में कंबलकोंडा में विशाखापट्टनम वन क्षेत्र में एक प्राकृतिक उद्यान की स्थापना के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस उद्यान को मंजूरी प्रदान करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) प्रमुख वन्यजीव गार्डेन, आंध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि कंबलकोंडा वन ब्लॉक में 6037.33 हेक्टेयर क्षेत्र को 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्राकृतिक उद्यान के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया है ताकि उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव–जंतुओं को सुरक्षित एवं उन्नत किया जा सके। चूंकि प्राकृतिक उद्यान को केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषणार्थ कानूनी वैद्यता प्राप्त नहीं है। अतः राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह उस क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने पर विचार करें। अभयारण्य के रूप में अधिसूचित हो जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार इसके चरणबद्ध विकास हेतु सहायता प्रदान करने की स्थिति में आ जाएगी।

एल्यूमिनियम बाजार पर नाल्को का प्रभुत्व

734. श्री अनादि साहू : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी (नालको) देश के भीतर और बाहर एल्यूमिनियम के बाजार पर अपना प्रभुत्व खोता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार देश में और विदेशों में एल्यूमिनियम के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान नालको का स्वदेशी बाजार में शेयर और एल्यूमिनियम के निर्यात संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	स्वदेशी बाजार शेयर	एल्यूमिनियम का निर्यात मीट्रिक टन (एमटी) में
1997–98	26%	55,475
1998–99	18%	39,865
1999–2000	22%	95,185

वर्ष 2000–2001 के लिए प्रक्षेपित निर्यात 1,20,000 एम. टी. होने का अनुमान है। विगत कुछ वर्षों में, स्वदेशी बाजार में नालको का शेयर परिवर्तित होता रहा है परन्तु नालको से एल्यूमिनियम का निर्यात, वर्ष 1998–99 को छोड़कर, उत्तरोत्तर बढ़ा है। एल्यूमिनियम प्रगालक में पॉट लाइन में खराबी आ जाने के कारण वर्ष 1998–99 नालको के लिए एक खराब वर्ष, साबित हुआ। अतः नालको, देश के भीतर एल्यूमिनियम के बाजार पर अथवा एल्यूनिमियम धातु की निर्यात बिक्री की मात्रा के संबंध में अपना प्रभुत्व नहीं खो रहा है। नालको अपने उत्पादों के लिए स्वदेशी और विदेशी बाजारों में अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने की स्थिति में है। सरकार ने एल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए नालको की एल्यूमिनियम उत्पादन की क्षमता को 2,30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,45,000 टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए अपना अनुमोदन पहले ही दे दिया है। इसे मई, 2002 तक पूरा किया जाना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विमानपत्तनों के लिए कृतिक बल

735. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानपत्तनों की अवसंरचना में सुधार और बेहतर एयरलिंक के लिए सरकार द्वारा गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस कृतिक बल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। (ख) मुख्य–मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं :

(1) हवाई अड्डा आधारसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास अर्थात्, हवाई पट्टियों, टर्मिनल भवनों का निर्माण, आधुनिक दिक्चालनात्मक प्रणालियों इत्यादि को लगाया जाना।

(2) विमान सेवाओं में सुधार अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी राजधानियों को विमान सेवा से जोड़ना, 50 सीटों वाले विमानों को सेवा में लगाना; और

(3) विमान सेवाओं को आर्थिक दृष्टि से साध्य बनाने के लिए कर रियायत और नागर विमानन विकास निधि का सृजन करना।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों सहित रिपोर्टें सभी संबंधितों को भेजी जा चुकी हैं और आवधिक रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की संवीक्षा की जा रही है। अधिकांश सिफारिशों पर कार्रवाई पहले ही पूरी की जा चुकी है।

परासिनिकडवन सर्प उद्यान पर हमला

736. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नूर जिले के परासिनिकडवन सर्प उद्यान पर हमले की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) जी, हां। केरल के कन्नूर जिला स्थित सर्प उद्यान से जानवरों की बरामदगी से संबंधित शिकायत मिली है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट से पता चला है कि उद्यान के मालिक ने उद्यान में अवैध ढंग से जानवर रखे हुए थे जिन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के परंतुकों के तहत बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद उन जानवरों को विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों के एक दल की निगरानी में सुरक्षित स्थान पर रखने की योजना बनाई गई थी। तथापि, जानवरों को 50 घंटों से भी अधिक लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया के कारण सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सका। केरल के आदरणीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि इन जानवरों को अदालत के अंतिम फैसले तक वन विभाग के कर्मचारियों की देख–रेख में उसी उद्यान में रखा जाए।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले उद्योग

737. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रदूषण नियंत्रण की श्रेणी एफ.एफ–27, एफ–42 के अंतर्गत आने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : देश में स्थित उद्योगों का ऐसा कोई श्रेणीकरण नहीं किया गया है। तथापि, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निम्नलिखित 17 उद्योगों की पहचान की गई है जिनके प्रदूषण स्तर की प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गहरी निगरानी की जा रही है :

1. एल्यूमिनियम
2. सीमेंट
3. डिस्टिलरी
4. उर्वरक
5. चमड़ा
6. पेट्रोरसायन
7. लुगदी एवं कागज
8. चीनी
9. जस्ता
10. कास्टिक
11. तांबा
12. डाइ एवं डाई इंटरमीडिएट्स
13. लोहा एवं इस्पात
14. पतंगानाशक
15. फार्मास्यूटिकल्स
16. शोधक कारखाने
17. ताप विद्युत संयंत्र

उपकरणों की आपूर्ति

738. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्रों की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उपकरणों की आपूर्ति कब तक कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) देश में सुदूर क्षेत्रों में स्थित कितने गांवों में टावर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है; और

(ङ) सरकार द्वारा सुदूर क्षेत्रों में उक्त सुविधा को चुस्त–दुरुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए छोटे तथा मध्यम आकार के एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई है। ये एक्सचेंज, सी–डॉट डिजाइन पर आधारित स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत एक्सचेंजों में विश्वसनीय संयोजकता (कनेक्टिविटी) प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता का संचारण माध्यम प्रदान करने की भी योजना है। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफल संस्थापन हेतु एक्सचेंज उपस्करों तथा पॉवर संयंत्र, बैटरी एमडीएफ तथा भूमिगत केबल जैसे अन्य अनिवार्य उपस्करों की आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार की 14.2 लाख डीईएल (सीधी एक्सचेंज लाइनें) प्रदान करने के लिए स्विचन क्षमता की 25.82 लाख लाइनों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 3431 एक्सचेंज लगाने की योजना है।

(ग) उपर्युक्त उपस्करों की मार्च, 2001 तक आपूर्ति होने की संभावना है।

(घ) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार, देश में दूरस्थ क्षेत्रों में टावर टेलीफोन सुविधा प्राप्त गांवों की संख्या 2,10,791 है।

(ङ) फर्मों की वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) दी गई है। त्वरित अनुरक्षण हेतु सर्किल स्तर पर कार्यदल टीमों में तथा उड़न दस्तों का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर मरम्मत केन्द्र खोले जा रहे हैं। पुरानी तथा मरम्मत के अयोग्य एनएआरआर प्रणालियों को धीरे–धीरे बदले जाने की योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में टैंक सुधार परियोजना

739. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने टैंक सुधार परियोजना हेतु कर्नाटक सरकार को विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार को परियोजना रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक के विचारार्थ हेतु प्रेषित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक इस परियोजना को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) कर्नाटक सरकार को उक्त सहायता कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 946.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कर्नाटक टैंक सुधार परियोजना अक्तूबर, 2000 में विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। इस समय विश्व बैंक अपने मिशनों द्वारा परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। आगे की बातचीत और समझौते पर हस्ताक्षर होना विश्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों पर कर्नाटक सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

नागपुर विमानपत्तन पर मल्टीमॉडल अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो केन्द्र

740. श्री थावरचंद गेहलोत :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागपुर विमानपत्तन पर एक मल्टीमॉडल अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो केन्द्र के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या तकनीकी–आर्थिक व्यवहारिकता संबंधी सर्वेक्षण कराने का ठेका मैसर्स लार्सन और टुब्रो कंपनी के नेतृत्व में बने कंसोर्टीयम को दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में मल्टीमॉडल अंतर्राष्ट्रीय हब के विकास के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने तकनीकी–आर्थिक साध्यता अध्ययन करने के लिए मैसर्स एल एंड टी–रामबोल इंजीनियर्स लिमिटेड को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। रिपोर्ट के अगस्त, 2001 तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा उड़ानों को रद्द करना

741. श्री टी. गोविन्दन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से अपनी उड़ानें रद्द की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) 1998 से 2000 की अवधि के दौरान, अंतर्देशीय नेटवर्क में सेवा हटा लिए गए सैक्टरों और उनके हटाए जाने के कारणों को बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I के रूप में संलग्न है। उसी अवधि के दौरान आरंभ किए गए नए सैक्टरों के ब्यौरे भी संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1998 से 2000 की अवधि के दौरान अंतर्देशीय नेटवर्क में सेवा से हटा लिए गए सैक्टरों और उनके हटाए जाने के कारणों को बताने वाला विवरण

सैक्टर जिन पर सेवा हटा ली गई	आवृत्ति/विमान	कब से	टिप्पणी
1	2	3	4
बंगलौर–कालीकट	3 ए 320	जन., 98	बंगलौर से कालीकट के लिए उड़ान को पुनः लगाना/कम यात्री मांग
गुवाहाटी–लीलाबाड़ी	2 डी 228	सित., 98	कोलकत्ता बेस से दिल्ली के डी 228 विमान को पुनः लगाना/कम यात्री मांग

1	2	3	4
गुवाहाटी–दीमापुर	3 डी 228	सित., 98	कोलकत्ता बेस से डी 228 विमानों को दिल्ली में पुनः लगाना/कम यात्री मांग
कोलकत्ता–रांची	2 ए 320	दिस., 98	कम यात्री मांग
एजवाल–गुवाहाटी	3 डी 228	जन., 99	दिस. 98 से एजवाल के लिए बी 737 सेवाओं को आरम्भ करना। डार्नियर विमान को कोलकत्ता से दिल्ली में पुनः लगाना
चैन्ने–पट्टापार्थी	2 बी 737	जुलाई, 99	कम यात्री मांग। प्रति उड़ान औसत यात्री संख्या 30
जबलपुर–भोपाल	2 डी 228	नव., 99	मार्ग पुनःसंरचना/दिल्ली–ग्वालियर–जबलपुर मार्ग पर नए सेवाएं आरंभ करना
औरंगाबाद–उदयपुर	7 बी 737	नव., 99	मार्ग पुनःसंरचना और कम यात्री मांग
औरंगाबाद–जयपुर	7 बी 737	नव., 99	मार्ग पुनःसंरचना और कम यात्री मांग
कोलकत्ता–पुणे	3 बी 737	नव., 99	मार्ग पुनःसंरचना और कम यात्री मांग
अहमदाबाद–पुणे	3 बी 737	नव., 99	मार्ग पुनःसंरचना और कम यात्री मांग
अहमदाबाद–चैनै	3 बी 737	नव., 99	मार्ग पुनःसंरचना और कम यात्री मांग
चैन्नै–पुणे	3 बी 737	नव., 99	मार्ग पुनःसंरचना और कम यात्री मांग
चैन्नै–गोवा	3 ए 320	नव., 99	मार्ग पुनःसंरचना और कम यात्री मांग। प्रति उड़ान औसत यात्री संख्या 30
मुंबई–पुणे	6 ए 320	अक्तू., 00	कम यात्री मांग
चैन्नै–नागपुर–भोपाल	2 बी 737	अक्त., .00	कम यात्री मांग
जोधपुर–जैसलमेर–(मौसम के आधार पर)	3 बी 737	अक्तू., 00	मार्ग पुनःसंरचना उदयपुर–जैसलमेर को विमान सेवा से जोड़ दिया गया है।

विवरण-II

अंतर्देशीय नेटवर्क पर विमान सेवा से जोड़े गए नए सैक्टर

सैक्टर	*आरंभ करने की तारीख*	*साप्ताहिक आवृत्ति/विमान*
1	2	3
दिल्ली/विज़ाग	23/9/98	3 बी 737
मुंबई/जैसलमेर	26/10/98	3 बी 737
मुंबई/रायपुर	26/10/98	3 बी 737
अहमदाबाद/पुणे**	26/10/98	3 बी 737
कलकत्ता/पुणे**	26/10/98	3 बी 737
मुंबई/वाराणसी	1/12/98	7 ए 320
एजवाल/इम्फाल	12/12/98	2 बी 737
दिल्ली/शिमला	12/3/99	3 डी 228

1	2	3
दिल्ली/कुल्लु	12/3/99	3 डी 228
मुंबई/लखनऊ	29/3/99	डी ए 320
मुंबई/पटना	29/3/99	डी ए 320
मुंबई/रांची	29/3/99	डी ए 320
दिल्ली/कोयम्बटूर	29/3/99	डी ए 320
दिल्ली/कालीकट	29/3/99	डी ए 320
लखनऊ/वाराणसी	29/3/99	डी ए 320
दिल्ली/जबलपुर	11/6/99	2 डी 228
जबलपुर/भोपाल**	11/6/99	2 डी 228
दिल्ली/देहरादून	16/9/99	3 डी 228
दिल्ली/धर्मशाला	16/9/99	3 डी 228
बंगलौर/कोयम्बटूर	1/11/99	डी बी 737
ग्वालियर/जबलपुर	1/11/99	3 डी 228
मुंबई/जम्मू	1/11/99	डी ए 320
मुंबई/श्रीनगर	1/11/99	डी ए 320
मुंबई/पुणे	1/11/99*	6 ए 320
चैन्नई–भोपाल	26/3/2000*	2 बी 737
चैन्नई–नागपुर	26/3/2000*	2 बी 737
भोपाल/नागपुर	26/3/2000*	2 बी 737
गोवा/आगरा (एकतरफा)	29/10/2000	2 ए 320
उदयपुर–जैसलमेर	29/10/2000	3 बी 737

(*) अक्तू. 2000 से सेवा बंद कर दी थी।
(**) 1/11/99 से सेवा बंद कर दी थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए आदर्श छूट समझौता

742. श्री सुबोध मोहिते : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी निवेशकों को न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के निर्माण के लिए आदर्श छूट समझौते में परिवर्तन करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सड़क क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र को पांच वर्ष के लिए कर छूट और पांच अन्य वर्ष के लिए 30 प्रतिशत कर छूट, निर्माण उपस्करों का शुल्क मुक्त आयात, मामला दर मामला आधार पर निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण करार में 40 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी जैसे अनेक प्रोत्साहन पहले ही दिए हैं। इसके अतिरिक्त, वार्षिकी रुख भी अपनाया जा रहा है जिसमें निवेश की वसूली के लिए उद्यमी को एक नियत वार्षिकी धनराशि का आश्वासन दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए धन

743. श्री राजो सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितना धन खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) मदवार सड़कों, पुलिया के निर्माण और लेनों की संख्या में वृद्धि करने पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं पर कितना धन खर्च किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) चूंकि वर्ष 2001–2002 का बजट अभी पेश किया जाना है और संसद द्वारा पारित किया जाना है, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च किए जाने के लिए प्रस्तावित धनराशि के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

744. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल के वर्तमान अपव्यय और बड़े स्तर पर सिंचाई को विकसित करना आंध्र प्रदेश की बड़ी समस्याओं में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य को सहायता देने हेतु सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में गोदावरी पर इचमपल्ली और पोलावरम जैसी वृहत परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण गोदावरी का पानी समुद्र में बेकार चला जाता है। इन परियोजनाओं में महाराराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जलमग्नता जैसे अंतर्राज्यीय मुद्दे शामिल हैं। अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से संबंधित राज्यों के सदस्यों को शामिल करते हुए केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

केन्द्र, आंध्र प्रदेश में चल रही वृहत सिंचाई परियोजनाओं अर्थात नागार्जुनसागर श्रीरामसागर चरण–I, सोमसिया और जुराला को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण सहायता मुहैया करा रहा है।

सी-डॉट द्वारा स्विचिंग उपकरणों की खरीद

745. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड ने बहु–राष्ट्रीय कंपनियों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अलग–अलग क्रय आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सी–डॉट द्वारा स्विचिंग उपकरणों की खरीद के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सी–डॉट तथा नई प्रौद्योगिकी की स्विचन निविदाओं के निबंधन तथा शर्तों के अनुसार भारत में निविदा द्वारा मांगी गई मदों का विनिर्माण करने के लिए पंजीकृत भारतीय कंपनियां पात्र बोलीदाता हैं।

सी–डॉट तथा नई प्रौद्योगिकी, दोनों के स्विचन उपस्कर के ऑर्डर, भारतीय रुपयों में एल 1 मूल्यांकित मूल्यों के संबंध में एक पूरे पैकेज के रूप में सभी पात्र बोलीदाताओं को दिए जाते हैं। ऑर्डर देने का यह पैकेज बोलीदाता के उद्धरण (कोट) पर आधारित होता है।

[हिन्दी]

घरेलू उड़ानों के लिए गैर-सरकारी कंपनियों को लाइसेंस

746. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए कंपनीवार कितनी गैर–सरकारी कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं; और

(ख) घरेलू क्षेत्र में घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए कंपनीवार कितनी गैर सरकारी कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और किन सेक्टरों को कवर किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय गैर सरकारी क्षेत्र की दो कंपनियां–मैसर्स जेट एयरवेज और मैसर्स सहारा एयरलाइन्स के पास घरेलू अनुसूचित वैमानिक सेवाएं प्रचालित करने का परमिट है।

(ख) विमानकंपनी प्रचालनों को शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श एक अनवरत प्रक्रिया है। इस समय दो गैर–सरकारी कंपनियां, मैसर्स क्राउन एक्सप्रेस प्राइवेट लि. और मैसर्स अहमदाबाद एविएशन एण्ड एयरोनौटिक्स लि. से देश में अनुसूचित वैमानिक सेवाएं चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। इस विषय में किए गए मार्ग–निर्देशों के प्रावधानों के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। जानकारी/स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने के कारण निम्नांकित चार आवेदन लंबित हैं :

(1) मैसर्स श्री राम ट्रैवल्स एंड टूर्स

(2) मैसर्स रॉयल चिनार एयरलाइंस

(3) मैसर्स एशियन एयरलाइंस और

(4) अरुणाचल प्रदेश सरकार

इसके अतिरिक्त जिस मैसर्स स्टालिन एयरलाइन को 8.4.1997 को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया था उसने इस अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि को बढ़ाने का निवेदन किया है। इस निवेदन की जांच की जा रही है। मैसर्स मोदीलुफ्त लि. को भी दिनांक 29.2.2000 को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया था किन्तु इसके पीछे कुछ शर्तें रखी गई थीं। मौजूदा मार्गदर्शी निर्देशों के अंतर्गत एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय में किसी भी सैक्टर में प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु इन्हें मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धातों का अनुपालन करना होता है जिसमें मार्गों की विनिर्दिष्ट श्रेणी में न्यूनतम प्रचालन संबंधी उपबंध हैं।

बाक्साइट और खड़िया का अवैध उत्खनन

747. श्री रामानंद सिंह : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के सतना जिले में पट्टों की अवधि समाप्त होने के बावजूद बाक्साइट और खड़िया (चॉक) खानों में अवैध उत्खनन किए जाने की जानकारी है; और

(ख) सरकार द्वारा अवैध उत्खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) खनिज रियायत, नियमावली, 1960 (एमसीआर) के प्रावधानों के तहत, यदि पट्टा अवधि की समाप्ति से 12 माह पहले खनन पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन दिया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदन का निपटान किए जाने तक, मौजूदा पट्टा जारी रहेगा।

अवैध खनन, यदि कोई हो, को रोकने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में अवैध खनन रोकने संबंधी अनेक प्रावधान हैं। इसके अलावा, इस संबंध में प्रावधानों को सुदृढ करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में, हाल ही में, डाली गई धारा 23(ग) के तहत अवैध खनन रोकने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

748. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम सहित अन्य राज्यों के बाढ़ नियंत्रण प्रभारी मंत्रियों की एक समन्वय–बैठक, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित की गई; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और बाढ़ के खतरे को नियंत्रण करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जोखिमपूर्ण बाढ़ समस्या को कम करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी संभव सहायता और सहयोग दिया जाएगा। यह सूचित किया गया था कि केन्द्र ने नौवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ प्रबंधन के लिए 55.56 करोड़ रुपये की राशि की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। पहाड़ी क्षेत्र में व्यापक जल विभाजक प्रबंधन के संबंध में, यह निर्णय लिया गया था कि यह मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए कृषि मंत्रालय को भेजा जाए।

[हिन्दी]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन

749. प्रो रासासिंह रावत : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस तिथि को किया गया और साथ ही इसके कार्य, शक्तियां और दायित्व क्या हैं;

(ख) इस प्राधिकरण के वर्तमान सदस्यो के नाम क्या हैं;

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ के कितने भूभाग को हस्तगत करना तय किया गया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस भूभाग का सीमांकन सुनिश्चित किया गया है;

(ङ) क्या उन किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया है, जिनकी भूमि, भवन अथवा आवास–गृह इत्यादि उक्त क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते हैं और जिन्हें हटाया जाना होगा; और

(च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित रतनपुर के आस–पास के क्षेत्र में चल रहे

निर्माण–कार्य के रोक दिए जाने/समय पर कार्य पूरा न किए जाने और इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का गठन 1988 में एक संसदीय अधिनियम (1988 का सं. 68) द्वारा किया गया था। यह अधिनियम 15 जून, 1989 को प्रवृत्त हुआ। प्राधिकरण के कार्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) प्राधिकरण के वर्तमान सदस्यों के नाम संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) एनएचएआई को उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की प्रकृति के आधार पर भूमि की आवश्यकता होती है। आमतौर पर भूमि की आवश्यकता, कार्य स्थल की स्थितियों और परियोजना की अपेक्षाओं के आधार पर 45–60 मी. चौड़ाई वाले खंड की होती है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि भवनों को गिराने की आवश्यकता कम से कम हो और अदा की गई क्षतिपूर्ति पर्याप्त हो।

(च) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के उदयपुर–रतनपुर खंड का विकास/निर्माण कार्य, कार्य सौंपे जाने के बाद शुरू किया जाएगा। कार्य सौंपे जाने की संभावना जून, 2001 है। अतः इस स्तर पर कार्य रोक देने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अनुसार प्राधिकरण के कार्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व

I. कृत्य

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए प्राधिकरण का कृत्य यह होगा कि वह सरकार द्वारा उसमें निहित किए गए या उसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य किसी राजमार्ग का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रबंध करे।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए :

(क) उसमें निहित या सौंपे गए राजमार्गों का सर्वेक्षण, विकास, अनुरक्षण और प्रबंध कर सकेगा,

(ख) उसमें निहित या उसे सौंपे गए राजमार्गों पर या उनके निकट कार्यालय या कर्मशालाएं सन्निर्मित कर सकेगा और होटल, मोटल, उपाहारगृह और विश्रामकक्ष स्थापित कर सकेगा और उनका अनुरक्षण कर सकेगा,

(ग) अपने कर्मचारियों के लिए निवास भवनों और नगरियों का सन्निर्माण कर सकेगा,

(घ) राजमार्गों के उचित प्रबंध के लिए, उसमें निहित या उसे सौंपे गए, राजमार्गों पर यानों के चलाए जाने को विनियमित और नियंत्रित कर सकेगा,

(ङ) भारत और विदेश में परामर्शदात्री और निर्माण सेवाओं का विकास और व्यवस्था कर सकेगा और राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंध के संबंध में या उन पर किन्हीं सुविधाओं के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलाप चला सकेगा,

(च) उसमें निहित या उसे सौंपे गए राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसी सुविधाओं और प्रसुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा, जो प्राधिकरण की राय में ऐसे राजमार्गों पर यातायात के निर्बाध गमन के लिए आवश्यक हों,

(छ) इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कृत्यों का अधिक दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक या अधिक कंपनियां बना सकेगा,

(ज) सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निगमित निकाय को, अपने कृत्यों में से कोई कृत्य सौंप सकेगा या उन्हें उसमें लगा सकेगा,

(झ) राजमार्गों से संबंधित विषयों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगा,

(ञ) राजमार्ग के विकास की स्कीम बनाने और उसे कार्यान्वित करने में किसी राज्य सरकार की सहायता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर कर सकेगी, जिन पर पारस्परिक रूप में सहमति हो जाए,

(ट) समय–समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन की गई सेवाओं या प्रदत्त फायदों के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से फीस तथा राज्य सरकारों की ओर से

ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसे उस राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी अन्य फीसें एकत्रित करेगा,

(ठ) ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकरण को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या उस पर अधिरोपित किसी कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हों या उनके आनुषंगिक हों।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह :

(क) प्राधिकरण द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना प्राधिकृत करती है, या

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कर्तव्य या दायित्व की बाबत, जिसके अधीन प्राधिकरण या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा नहीं होंगे, कोई कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

शक्तियां और उत्तरदायित्व

2. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई भूमि, लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि समझी जाएगी और प्राधिकरण के लिए ऐसी भूमि का अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा।

3. निधियों का निवेश प्राधिकरण अपनी निधियों का (जिसके अंतर्गत कोई प्रारक्षित निधि है) विनिधान, केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा ऐसी अन्य रीति से, जैसी विहित की जाए, कर सकेगा।

4. उधार लेने की प्राधिकरण की शक्ति–

(i) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए, केन्द्रीय सरकार की सम्मति से या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी साधारण या विशेष प्राधिकार के निबंधनों के अनुसार बंधपत्रों, डिवेंचरों या ऐसी अन्य लिखतों का, जैसी वह ठीक समझे, निर्गमन करके किसी भी स्रोत से धन उधार ले सकेगा।

(ii) प्राधिकरण ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर अधिकथित करे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित रकमें, ओवर ड्राफ्ट के रूप में या अन्यथा अस्थायी रूप से उधार ले सकेगा।

(iii) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण द्वारा उपधारा (I) के अधीन लिए गए उधारों की बाबत, मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रत्याभूत करे सकेगी।

5. कतिपय संकर्मों का भार ग्रहण करने की प्राधिकरण की शक्ति–प्राधिकरण, केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किन्हीं संकर्मों या सेवाओं या किसी वर्ग के संकर्मों या सेवाओं को कार्यान्वित करने का भार ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ग्रहण कर सकेगा जो प्राधिकरण और संबंधित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के बीच तय पाई जाएं।

6. प्रवेश करने की शक्ति–इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण द्वारा साधारण या विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जब कभी इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और :

(क) निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच कर सकेगा,

(ख) तलमाप ले सकेगा,

(ग) खोद सकेगा या अवमृदा के भीतीर वेधन कर सकेगा,

(घ) संकर्म की सीमाएं और आशयित रेखाएं लगा सकेगा,

(ङ) चिह्न लगाकर और खाइयां खोदकर ऐसा तल, सीमा रेखाएं और रेखाएं चिन्हित कर सकेगा, या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा, जो विहित की जाए।

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी सीमा के भीतर या निवास गृह से संलग्न किसी घिरे आंगन या बाग में प्रवेश करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घंटे की लिखित सूचना ऐसे अधिभोगी को पहले ही दिए बिना (ऐसा करने के लिए उसके अधियोगी की सहमति के सिवाय) प्रवेश नहीं करेगा।

7. बजट–प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर और ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राधिकरण की प्राक्कलित

प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे और इसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

8. वार्षिक रिपोर्ट–प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वह पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलाप का पूरा ब्यौरा देगा और ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

विवरण-II

प्राधिकरण के गठन की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :

(i) श्री दीपक दासगुप्ता अध्यक्ष

पूर्णकालिक सदस्य

(ii) श्री हरदीपक सिंह सदस्य (वित्त)

(iii) श्री आर.एल. कौल सदस्य (निजी निवेश)

(iv) श्री एन.के सिन्हा सदस्य (तकनीकी)

(v) श्री मुकेश केकर सदस्य (प्रशासन)

पदेन अंश कालिक सदस्य

1. डा. एन सी सक्सेना, सचिव, योजना आयोग
2. श्री सी.एम. वासुदेव, सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
3. श्री आशोक जोशी, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
4. श्री एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

[अनुवाद]

कर्नाटक में राजमार्ग-परियोजनाएं

750. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **सडक परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की कुछ परियोजनाओं को बाह्य एजेंसियों की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में उन राजमार्ग–परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें केन्द्र द्वारा आबंटित राशि के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) कर्नाटक में विदेशी सहायता से इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय आबंटन में से इस समय 188.27 करोड़ रुपये के 26 कार्य चल रहे हैं।

दूरभाष केन्द्र

751. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कई ऐसे दूरभाष–केन्द्र जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (ओ.एफ.सी.) से संयोजित किया गया है, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार के सारन, छपरा जिले में कई ग्रामों में दूरभाष–केन्द्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नियोजन के अभाव, प्रशासकीय कुप्रबंधन तथा सामग्री की कमी की वजह से बड़ी संख्या में संस्वीकृत दूरभाष कनेक्शनों का लगाया जाना लंबित है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) राज्य में विशेषकर छपरा जिले में, इस समय काम कर रहे दूरभाष–केन्द्र को अद्यतन बनाने तथा उनका विस्तार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। ओ.एफ.सी. द्वारा जोड़े गए एक्सचेंज सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। कभी–कभी ओ.एफ.सी. रूट पर व्यवधान, विद्युत आपूर्ति में लंबे व्यवधानों इत्यादि के कारण कार्यकरण प्रभावित होता है।

(ग) और (घ) एक्सचेंज सामान्यतया उपयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। तथापि, ओवरहेड लाइनों इत्यादि जैसे अविश्वसनीय माध्यम पर जोड़े गए एक्सचेंजों में समस्या विद्यमान रहती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग 'ङ' को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि तथा नए टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलना जारी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, अतिरिक्त 2,05,674 लाइनें पहले ही जोड़ी जा चुकी हैं तथा 186 नए एक्सचेंज 31.1.2001 तक खोले जा चुके हैं। छपरा एसएसए में 31.1.2001 तक क्षमता में वृद्धि 7792 है तथा 31.1.2001 तक खोले गए नए एक्सचेंज 12 हैं।

सरकारी क्षेत्र में विनियुक्त कार्यबल

752. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्रों, यथा—इस्पात, कोयला और दूरसंचार में कुल कितने कार्यबल विनियुक्त किए गए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, कुल कार्यबल कितना था; और

(ग) आज की स्थितिनुसार, भारत के रोजगार केन्द्रों में कुल कितनी संख्या में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय अर्ध सरकारी, राज्य अर्ध सरकारी तथा स्थानीय निकायों) में रोजगार लगभग 19.4 मिलियन था। इसमें भारतीय मिशनों/विदेशी दूतावासों तथा रक्षा सेवाओं के रोजगार को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) वर्ष 1997 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा मोटे तौर पर नमूना आधार पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार संगठित एवं असंगठित निजी दोनों क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 354 मिलियन के लगभग थी।

(ग) 30.11.2000 की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या (शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों) जिनमें से यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, 41.4 मिलियन के लगभग थी।

परित्यक्त नगरीय क्षेत्र में रोजगार

753. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सामान्य परिस्थितियों में, जब किसी खनन—कार्याधीन नगरीय—क्षेत्र में किसी खनन कंपनी द्वारा खनिज संसाधनों का पूरा उपयोग करके उन्हें निःशेष कर दिया जाता है और जब वह उस स्थान को छोड़कर किसी मए स्थान को चली जाती है, तो पूर्वोक्त क्षेत्र का विकास अवसन्न हो जाता है और वहां सामाजिक तथा आर्थिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तृत परिदृश्य में चलने वाली गतिविधियों और परित्यक्त [illegible]य क्षेत्र में रोजगार के स्रोतों को सृजित करने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाने का विचार किया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि खनिज सम्पदा धीरे—धीरे समाप्त हो जाएगी इसलिए खानों के आर्थिक दोहन की प्रक्रिया के पूरी होने के साथ ही उसे बंद कर दिए जाने की आवश्यकता है। जब भी खान को बंद करना जरूरी हो जाए तो इसे एक व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से इस तरह से बंद किया जाए जिससे कर्मकार और इनके आश्रित स्वयं को बिना किसी विशेष कठिनाई के पुनर्वासित कर सकें।

रोजगार आश्वासन कार्यक्रम

754. **श्री एस. पी. लेपचा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, रोजगार आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) उक्त कार्यक्रम में राज्यवार कितने श्रम दिवस रखे गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1998—99, 1999—2000 एवं 2000—2001 के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदान कराई गई निधियां तथा सृजित मानव—दिवस संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रदान कराई गई राशि (केन्द्रीय रिलीज एवं राज्य मैचिंग शेयर) (रुपये लाख में)			सृजित मानव दिवस (लाख)		
		1998–99	1999–2000	2000–2001	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20925.00	13718.00	4467.74	370.67	175.63	उपलब्ध नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	2675.00	959.00	672.41	38.29	26.25	12.38
3.	असम	13772.50	6701.11	3372.80	259.86	148.52	45.92
4.	बिहार	23245.00	33849.85	4876.98	400.89	384.62	74.70
5.	झारखंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2994.81	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	38.37
6.	गोवा	225.00	73.33	29.03	2.65	1.05	0.22
7.	गुजरात	5512.50	5735.18	4768.13	63.07	48.49	26.63
8.	हरियाणा	2075.00	2641.97	907.60	18.02	22.65	5.87
9.	हिमाचल प्रदेश	2562.50	1260.05	389.72	35.45	25.65	7.37
10.	जम्मू और कश्मीर	5950.00	3673.24	2131.83	69.37	26.27	13.99
11.	कर्नाटक	12937.50	8893.18	2698.76	292.41	185.95	49.35
12.	केरल	4826.25	4722.49	1375.19	55.75	42.94	19.02
13.	मध्य प्रदेश	27541.25	23284.90	8847.49	429.43	288.90	91.05
14.	छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4488.68	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	36.30
15.	महाराष्ट्र	10208.96	14670.27	4136.04	205.62	234.67	76.45
16.	मणिपुर	1112.50	410.48	302.89	16.97	9.70	2.31
17.	मेघालय	762.50	294.31	204.81	10.69	7.67	0.00
18.	मिजोरम	1000.0	636.86	150.52	19.56	4.95	4.14
19.	नागालैंड	2625.00	432.62	382.19	51.59	22.92	7.31
20.	उड़ीसा	15940.00	23494.24	11109.73	340.14	215.42	104.47
21.	पंजाब	3400.00	1486.45	354.41	19.74	16.81	10.12
22.	राजस्थान	11168.75	9183.94	3927.90	209.61	91.89	46.40
23.	सिक्किम	400.00	557.10	81.10	8.20	5.34	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	23400.00	14129.63	7229.12	457.09	166.79	59.82
25.	त्रिपुरा	1800.00	1201.46	680.16	40.86	17.91	7.55
26.	उत्तर प्रदेश	43942.06	48206.11	13720.62	754.31	485.73	43.45
27.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	911.56	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	6.84
28.	पश्चिम बंगाल	10337.50	12644.63	7169.18	106.37	127.70	67.60
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40.00	27.36	0.00	0.49	0.39	0.18
30.	दादरा और नगर हवेली	30.00	27.36	0.00	0.13	0.21	0.00
31.	दमन व दीव	0.00	0.91	0.00	0.03	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	100.00	1.82	0.00	1.72	0.87	0.00
33.	पाण्डिचेरी	0.00	34.66	0.00	0.38	0.29	0.68
	सम्पूर्ण भारत	248514.78	232952.53	92381.50	4279.36	2786.17	858.49

उड़ीसा के लंबित सड़क संबंधी प्रस्ताव

755. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचारार्थ लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) वार्षिक योजना 2000–2001 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार संबंधी 185 प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ख) राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा से कुल 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 6 स्वीकृत कर दिए गए और शेष प्रस्तावों की जांच की जा रही है। इन पर चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	8
3.	बिहार	21
4.	चंडीगढ़	1
5.	गोवा	7
6.	गुजरात	9
7.	हरियाणा	9
8.	हिमाचल प्रदेश	7
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	3
11.	केरल	4
12.	मध्य प्रदेश	9

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	16
14.	मणिपुर	3
15.	मेघालय	8
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	10
19.	पंजाब	7
20.	राजस्थान	15
21.	तमिलनाडु	5
22.	उत्तर प्रदेश	7
23.	पश्चिम बंगाल	12
24.	छत्तीसगढ़	6
25.	झारखंड	10
	कुल	185

बागडोगरा विमानपत्तन की विमान धावन-पट्टी पर तारकोल की परत बिछाने का कार्य

756. श्री अमर राय प्रधान : क्या **नागर विमानन** मंत्री 14 दिसम्बर, 200 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3937 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा विमानपत्तन कि विमान धावन–पट्टी पर तारकोल की परत बिछाने का कार्य हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यहां से घरेलू उड़ानें कब से शुरू कर दी जाएंगी;

(ग) क्या बागडोगरा में घरेलू उड़ानों के प्रयोजन से एक पृथक, विमानतल रखने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) धावनपथ कारपेटिंग कार्य जिसे भारतीय वायु सेना (आईएएफ) द्वारा किया जा रहा है, प्रगति पर है और इसके 31 मार्च, 2001 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) भारतीय वायु सेना द्वारा दी गई संशोधित अनुसूची के अनुसार, अंतर्देशीय उड़ानों का प्रचालन 5.1.2001 से पहले ही आरंभ हो चुका है।

(ग) से (ङ) इस समय बागडोगरा पर एक अलग अंतर्देशीय हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, चूंकि वर्तमान हवाई अड्डे से अनुसूचित उड़ानों का प्रचालन संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है।

पिछड़े प्रान्तों में विमानपत्तन बनाया जाना

757. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े बोडोलैण्ड प्रान्त के अंतर्गत आने वाले स्थानों, विशेषतः ब्रह्मपुत्र नदी से उत्तरी तट प्रदेश में स्थित कोकराझार, बोंगईगांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, दरांग, शोणितपुर, धेमाजी और धुबरी जिलों में रहने वाले लोगों को विमान सेवा की सुविधा उपलब्ध करानें के उद्देश्य से इस प्रान्त में किसी विमानपत्तन को बनाए जाने हेतु किसी नीति पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अब तक जो कार्यवाही की गई उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) इस समय गुवाहाटी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा जोरहाट, सिलचर, तेजपुर और डिब्रूगढ़ में अंतर्देशीय हवाई अड्डे हैं जो प्रचालनात्मक हैं। विमान यातायात के लिए मांग की कमी को दृष्टि में रखकर, बोडोलैंड क्षेत्र से विमान प्रचालनों को आरंभ करने के बारे में किसी भी एयरलाइन द्वारा अपनी योजना नहीं दिए जाने के कारण, इस क्षेत्र में किसी भी नए हवाई अड्डे की स्थापना की इस समय कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य

758. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा

में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने स्थानों पर कार्य किया जा रहा था तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार का वर्तमान वित्तीय–आबंटन की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में 29 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य प्रगति पर थे।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त चालू कार्यों और 1.4.2000 से 31.12.2000 तक पूरे किए गए कार्यों के लिए 134.75 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) आबंटित धनराशि 2000–2001 के दौरान पूरे किए जाने के लिए नियत चालू कार्यों के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

[अनुवाद]

आप्टिकल-फाइबर केबल्स

759. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2000–2001 के दौरान सरकार का लगभग एक लाख किलोमीटर लंबाई के मार्ग पर ऑप्टिकल–फाइबर केबल्स (ओ.एफ.सी.) बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दूरसंचार–सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सूक्ष्मतरंग प्रणाली (माइक्रोवेव सिस्टम) की तुलना में ऑप्टिकल–फाइबर केबल प्रणाली सस्ती पड़ती है; और

(ङ) यदि हां, तो सूक्ष्मतरंग प्रणाली की तुलना में ऑप्टिकल–फाइबर केबल–प्रणाली लगाने के तुलनात्मक लाभों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। सामग्री उपलब्ध होने पर।

(ख) इसकी अनुमानित लागत 1990 करोड़ रुपये है।

(ग) विभिन्न सर्किलों द्वारा 6 एफओएफसी को प्रापण की कार्रवाई की जा रही है। 12 एफ तथा 24 एफओएफसी के प्रापण हेतु, निविदा आमंत्रित की गई थीं परन्तु विक्रेताओं द्वारा निविदागत मूल्यों को स्वीकार न किए जाने के कारण पूरी मात्रा की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। शेष मात्रा के प्रापण हेतु अल्प सूचना आधार पर सीमित निविदा आमंत्रित की गई है।

(घ) ओएफसी माइक्रोवेव तथा उपग्रह द्वारा विश्वसनीय संचार माध्यम प्रदान करना किसी क्षेत्र के भौगोलिक भू–भाग पर निर्भर करता है। किसी स्थान के लिए किसी विश्वसनीय संचार माध्यम की योजना बनाते समय तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) माइक्रोवेव की तुलना में ओएफसी प्रणाली के लाभ के तुलनात्मक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न संचार कार्यों के लिए अलग–अलग माध्यम होते हैं। माध्यम का चयन संबंधित कार्य तथा संचारण माध्यम के स्वरूप पर निर्भर करता है।

सेल्यूलर फोनों के लिए केबल से बचने तथा उष्णकटिबंध द्वीपों तथा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे दूरस्थ स्थानों पर पहुंच के लिए रेडियो आवृत्ति/माइक्रोवेव संचार ही सर्वोत्तम तरीका है।

दूसरी ओर, अनेक स्थिर बिंदुओं पर वास्तविक लिंक प्राप्त करने के लिए ओएफसी प्रणाली ही उपयुक्त है। इसके लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि सिगनल कितनी दूर तक जाना चाहिए और इससे कितनी सूचना सम्प्रेषित की जा सकती है।

माइक्रोवेव की तुलना में ओएफसी के लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है :

ओएफसी	माइक्रोवेव
1	2
1. उच्च बैण्डविड्थ (सूचना सम्प्रेषण क्षमता)	सीमित बैण्डविड्थ
2. रिजनरेटरों/एम्पलीफायरों के बीच अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय होना।	अधिकतम 50 किमी.

1	2
3. फाइबर के अन्यत्र उपयोग के बिना इस प्रणाली का उन्नयन किया जा सकता है	प्रणाली के उन्नयन किए जाने पर सभी तरह के परिवर्तन करने पड़ते हैं जिससे अत्यधिक लागत आती है
4. इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंटरफियरेन्स (ईएमआई) से प्रतिरक्षित	ईएमआई के प्रति संवेदनशील
5. संस्थापन तथा अनुरक्षण की कम लागत	संस्थापन शीघ्र अनुरक्षण की अत्यधिक लागत
6. मौसम/विनाशकारी घटना से कम प्रभावित परन्तु बाढ़, चक्रवात आदि में बह सकती है	अपेक्षाकृत टिकाऊ
7. उपलब्ध प्रणाली 8 एमबी/एस, 34 एमबी/एस, 140 एमबी/एस, एसटीएम–। एसटीएम–4, एसटीएम–16 तथा डीडब्ल्यूडीएम प्रणालियां	**उपलब्ध प्रणाली** 2 एमबी, 8एमबी (2 जीएचजैड) 34 एमबी (7 जीएचजैड, 11 जीएच जैड) 140 एमबी (6 जीएचजैड, 13 जीएचजैड, 18 जीएचजैड)
8. इसे सभी तरह के भौगोलिक स्थानों तक ले जाना संभव नहीं है।	इसे ऊबड़–खाबड़ भू–भाग में भी ले जाया जा सकता है।

संचार-प्रणाली में सुधार

760. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में संचार–प्रणाली के सुधार के लिए जो विकास–कार्य किए गए, उनका राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार का, चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान, देश की संचार–प्रणाली में और अधिक सुधार करने के विचार से, कुछ प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रदान किए गए टेलीफोनों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–। में दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, खर्च की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण–।। में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में संचार सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा विस्तार हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित परिकल्पित हैं :

1. मियाद समाप्त तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अप्रचलित स्विचों के स्थान पर डिजिटल स्विच लगाना;
2. स्थानीय नेटवर्क में वायरलेस इनलोकल लूप हाईबिट रेट डिजिटल उपभोक्ता लाइन (एचडीएसएल) एसिमिट्रिकल डिजिटल उपभोक्ता लाइन (एडीएसएल) तथा आप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकियां शुरू करना।
3. ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए बेहतर तथा विश्वसनीय प्रौद्योगिकियां शुरू करना।
4. सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय माध्यम होना।
5. इंटरनेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु पर्याप्त बैंडविड्थ उपलब्ध करवाना।
6. एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) सुविधा प्रदान करना। मांग होने पर जिला मुख्यालय स्तर तक आईएसडीएन शुरू किए जाने की योजना बनाई गई है।
7. स्थिर तथा सचल टेलीफोन प्रदान करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी से मांग पर टेलीफोन प्रदान करना।
8. सरकार के प्रयासों में सहयोग के भाग के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी से सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करना।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1.	अंडमान-निकोबार	2012	7501	8690
2.	आंध्र प्रदेश	216487	404980	655088
3.	असम	36477	50375	61162
4.	बिहार	62294	103128	125179
5.	गुजरात	213824	255388	374022
6.	हरियाणा	73081	96170	117436
7.	हिमाचल प्रदेश	40176	43217	60027
8.	जम्मू-कश्मीर	20819	18501	22158
9.	कर्नाटक	254378	237002	364715
10.	केरल	230010	271065	350055
11.	मध्य प्रदेश	102692	140352	154816
12.	महाराष्ट्र	501441	502129	657868
13.	पूर्वोत्तर	23030	35116	43801
14.	उड़ीसा	67178	68175	89036
15.	पंजाब	165969	193469	208288
16.	राजस्थान	147632	171445	182395
17.	तमिलनाडु	364546	480238	546170
18.	उत्तर प्रदेश	313918	341602	418217
19.	पश्चिम बंगाल	238140	281745	301803
20.	दिल्ली	180941	90392	176733
	जोड़	3259045	3791990	4917659

टिप्पणी : गुजरात राज्य में दादर दीव, दमन तथा नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल हैं।

केरल राज्य में लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल है।

महाराष्ट्र राज्य में गोवा तथा मुंबई शामिल है।

उत्तर-पूर्व दूरसंचार सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

पंजाब राज्य में चण्डीगढ (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल है।

तमिलनाडु राज्य में चेन्नई तथा पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) शापिल है।

पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता तथा सिक्किम राज्य शामिल है।

बिहार राज्य में झारखंड राज्य शामिल है।

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरांचल राज्य शामिल है।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि

क्र.सं.	राज्य/सर्किल का नाम	खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	अंडमान-निकोबार	9.95	16.47	27.30
2.	आंध्र प्रदेश	550.54	696.94	112.63
3.	असम	122.45	112.86	143.67
4.	बिहार	269.08	325.45	390.13
5.	गुजरात	565.95	552.24	820.47
6.	हरियाणा	181.21	207.17	301.03
7.	हिमाचल प्रदेश	121.59	119.87	168.02
8.	जम्मू और कश्मीर	52.51	51.04	87.07
9.	कर्नाटक	654.33	714.02	962.52
10.	केरल	631.11	731.50	926.51
11.	मध्य प्रदेश	329.84	390.54	481.83
12.	महाराष्ट्र	846.63	865.52	1236.75
13.	पूर्वोत्तर	104.72	182.03	201.14
14.	उड़ीसा	167.28	174.44	224.44
15.	पंजाब	463.32	525.99	584.27
16.	राजस्थान	386.01	374.81	568.15

1	2	3	4	5
17.	तमिलनाडु	876.24	1015.70	1383.35
18.	उत्तर प्रदेश	1018.09	1014.20	1171.52
19.	पश्चिम बंगाल	638.83	669.19	795.70
20.	अन्य	656.42	710.36	935.77
21.	एमटीएनएल	858.95	953.06	947.99
	जोड़	9505.05	10403.40	13480.26

टिप्पणी : गुजरात राज्य में दादर दीव, दमन तथा नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल है।

केरल राज्य में लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल है।

महाराष्ट्र राज्य में गोवा तथा मुबई शामिल है।

उत्तर–पूर्व दूरसंचार सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

पंजाब राज्य में चण्डीगढ (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल है।

तमिलनाडु राज्य में चेन्नई तथा पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल है।

पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता तथा सिक्किम राज्य शामिल है।

एमटीएनएल में नई दिल्ली तथा मुंबई शामिल है।

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का रख-रखाव

761. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के वन विभागों को, धनराशि की कमी की वजह से, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और प्राणि–उद्यानों का समुचित रूप से रख–रखाव करने के कार्य में कठिनाई आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इन उद्यानों के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग, भय और कुशंकाओं से भरा जीवन जीने पर विवश हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का गिराकर न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) वित्तीय कठिनाई के कारण राज्य सरकारें अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा चिड़ियाघरों को अपेक्षित मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हैं।

(ख) पशुधन के मारे जाने तथा मानव जीवन के नुकसान की घटनाओं की सूचना विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के साथ लगते क्षेत्रों से प्राप्त होती है। चिड़ियाघरों के मामले में मानवों और पशुधन के मारे जाने की किसी घटना की सूचना नहीं है।

(ग) भारत सरकार ने वन्यजीवों द्वारा जीवन के नुकसान तथा पशुधन के मारे जाने, दोनों मामलों में क्षतिपूर्ति अदा करने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को इस क्षतिपूर्ति की अदायगी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत की जाती है।

गंगा को कावेरी नदी से जोड़ना

762. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ने के संबंध में, सरकार को संबंधित राज्य सरकारों की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नदियों के अंतर–संयोजन के माध्यम से जल को हस्तांतरण करने हेतु किन–किन कार्यविधियों को अवधारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम.टी.एन.एल. द्वारा टेलीफोन के मासिक किराये में वृद्धि

763. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री चिंतामन वनगा :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने 1 फरवरी, 2001 से टेलीफोन उपकरण को सुरक्षित रखने और कम टेलीफोन करने वाले उपभोक्ताओं हेतु टेलीफोन के मासिक किराये में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना वार्षिक राजस्व सृजित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार कम टेलीफोन करने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एम.टी.एन.एल. के इन आदेशों की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 1.2.2001 से कम काल करने वाले शहरी उपभोक्ताओं के लिए किराया 190/– रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 250/– रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है और सेफ कस्टडी वाले टेलीफोनों के किराये 1.2.2001 से सभी स्लैबों में 20 प्रतिशत घटा दिए गए हैं।

(ग) 200 किमी. तक के एसटीडी टैरिफों में कमी करने के साथ–साथ किराये बढ़ाए गए हैं।

(घ) इस पैकेज से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की संभावना नहीं है।

(ङ) इस समय पुनरीक्षण के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण योजना एक पैकेज के रूप में घोषित की गई है।

उड़ीसा में तटीय नहरों का विकास

764. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में तटीय नहरों के विकास के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) उड़ीसा में स्थित तटीय नहर में जमा भारी गाद को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इसकी गाद हटाने के लिए 28.72 करोड़ रुपये की राशि का एक अनुमान तैयार किया है। यह परियोजना वित्त वर्ष 2001–2002 में क्रियान्वित किए जाने के लिए उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना के चक्रवात पुनर्निर्माण घटक के तहत विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित की गई है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

765. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2001 की तिथि के अनुसार बिहार में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिलेवार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में जिलेवार कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा–सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिला–वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिला–वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) प्रतीक्षा–सूची के निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) जहां कहीं भी आवश्यक हो स्विचन क्षमता में वृद्धि करना;

(ii) नए एक्सचेंज खोलना;

(iii) भूमिगत केबल बिछाना।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	31.01.2001 की प्रतीक्षा सूची	प्रदान की गई डी.ई.एल.एस.		
			97-98	98-99	99-2000
1	2	3	4	5	6
1.	भोजपुर	2088	1102	1364	1518

1	2	3	4	5	6
2.	बक्सर	1377	1447	1640	1687
3	भागलपुर	2515	1033	2329	2510
4.	बांका	432	964	1043	1062
5.	सारण	3045	2015	2254	2968
6.	गोपालगंज	2167	622	763	1036
7.	सिवान	3148	372	986	2048
8.	दरभंगा	2863	2817	2805	2162
9.	मधुबनी	6125	1724	1062	2032
10.	समस्तीपुर	3998	1266	989	1708
11.	गया	2495	1997	3567	3513
12.	औरंगाबाद	1396	334	532	738
13.	जहानाबाद	1086	250	908	846
14.	नवादा	708	638	1039	988
15.	वैशाली	5417	937	1098	2050
16.	कटिहार	1092	1103	2249	2154
17.	किशनगंज	212	313	786	708
18.	अररिया	974	449	743	868
19.	पूर्णिया	1726	1924	2490	2286
20.	खड़गिया	3317	422	868	1842
21.	बेगूसराय	4312	1490	1532	1789
22.	पश्चिमी चम्पारण	33	552	2036	1862
23.	पूर्वी चम्पारण	6831	1822	2965	3419
24.	मुंगेर	2893	572	1366	2863
25.	लखीसराय	442	499	868	1008
26.	शेखपुरा	264	203	686	703
27.	जमुई	411	299	789	896
28.	मुजफ्फरपुर	7896	3273	2346	3811
29.	सीतामढ़ी	3266	359	1848	1286
30.	शिवहर	940	49	280	289
31.	पटना	16294	6024	12253	19356
32.	नालंदा	5636	1633	2784	3686
33.	सहरसा	798	572	1094	2045
34.	मधेपुरा	568	605	798	986
35.	सुपौल	532	408	885	1084
36.	रोहतास	2716	1242	762	1638
37.	भभुआ	2012	898	672	908

[अनुवाद]

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

766. श्री के. मुरलीधरन :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार और केरल में जिलावार पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ लगाने संबंधी कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ख) किन कारणों से ये आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ग) ये आवेदन कब तक निपटा दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सूचना संलग्न विवरण–I और–II में दी गई है।

(ख) एक्सचेंजों में अतिरिक्त क्षमता के उपलब्ध न होने, विश्वसनीय माध्यम के उपलब्ध न होने, न्यायालय मामलों तथा आवेदकों द्वारा औपचारिकताओं के पूरे न होने के कारण आवेदन लंबित हैं।

(ग) तकनीकी व्यवहार्यता तथा आवेदकों द्वारा अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर लंबित आवेदन निपटाए जा सकते हैं।

विवरण-I

राज्य/सर्किलों के नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित आवेदन प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4
1. अंडमान–निकोबार	0	0	0
2. आंध्र प्रदेश	34157	21009	7304
3. असम	454	905	2038
4. बिहार (झारखंड सहित)	3482	4776	10029
5. *गुजरात (दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली सहित)	1666	6179	1830
6. जम्मू–कश्मीर	4358	6543	7401
7. *केरल (लक्षद्वीप तथा मिनीकोय के संघ राज्य क्षेत्र सहित)	17734	16040	14034
8. कर्नाटक	0	0	0
9. मध्य प्रदेश	292	957	84
10. महाराष्ट्र	20061	22772	11960
11. गोवा	375	0	80
12. उड़ीसा	976	1565	456
13. हरियाणा	4252	6141	2706
14. हिमाचल प्रदेश	0	14	4
15. *पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य संहित)	3073	2640	2654
16. राजस्थान	13500	10021	5473
17. अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
18. मणिपुर	0	0	0
19. मेघालय	0	0	0
20. मिजोरम	0	0	0
21. नागालैंड	0	0	0
22. त्रिपुरा	0	0	0
23. *तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित लेकिन चेन्नै टेलीफोन्स को छोड़कर)	33528	43471	21373
24. उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	77	193	1301
25. पश्चिम बंगाल (कलकत्ता टेलीफोन को छोड़कर)	1981	3534	12954
26. सिक्किम	0	0	15
महानगर जिले			
27. कलकत्ता	341	320	581
28. चेन्नै	0	0	0
29. दिल्ली	0	0	(31.1.01 की स्थिति के अनुसार)
30. मुंबई	0	0	

विवरण-II

केरल दूरसंचार सर्किल

जिले का नाम	पिछले तीन वर्षों (31.1.2001 की स्थिति के अनुसार) लंबित आवेदन–पत्र		
	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4
1. त्रिवेन्द्रम	0	0	28
2. क्विलोन	114	254	309
3. पथनमथिट्टा	0	0	0
4. अल्लेपी	0	0	0
5. कोट्टायम	0	0	0
6. इडुक्की	0	0	0

1	2	3	4
7. एरनाकुलम	0	0	0
8. त्रिचूर	0	45	374
9. पलक्काड	0	105	384
10. मालाप्पूरम	502	1064	1400
11. कालीकट	468	1206	1627
12. वायनाड	196	457	490
13. कन्नूर	10	25	392
14. कासरागोड	15	10	155

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के लिए धनराशि

767. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के लिए वर्षवार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख–रखाव और मरम्मत हेतु आंध्र प्रदेश को किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान में निर्मित किए जा रहे पुलों के निर्माण कार्य पूरे होने की संभावित/वास्तविक समय सीमा क्या है;

(ग) क्या कार्य शुरू और पूरा होने में हो रही देरी के कारण पुलों की अनुमानित निर्माण लागत बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) आबंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं

आबंटन (लाख रुपये)

वर्ष	रा.रा. (मूल) विकास के लिए	रा.रा. (अनुरक्षण व मरम्मत)
1999–2000	5045 00	3440.26
2000–2001	10188.00	3230.00

(ख) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस समय 12 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इनके मार्च, 2001 से सितंबर, 2001 तक पूरे हो जाने की उम्मीद है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में डाकघर

768. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री राजो सिंह :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सभी जिलों में वर्तमान में श्रेणीवार कितने डाकघर/उप डाकघर चल रहे हैं;

(ख) राज्य में कितने डाकघर/उप डाकघर घाटे/लाभ में चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे उप डाकघरों को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय बिहार के सभी जिलों में काम कर रहे डाकघरों/उप डाकघरों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :

प्रधान डाकघर	–	30
विभागीय उप डाकघर	–	1012
अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	–	99
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	–	7731

(ख) शाखा डाकघरों की त्रिवर्षीय वित्तीय पुनरीक्षा तथा अस्थाई उप डाकघरों की आवधिक वित्तीय पुनरीक्षा करने की व्यवस्था है। पुनरीक्षणों की वर्तमान स्थिति के अनुसार ब्यौरा नीचे दिया गया है

		घाटे पर चल रहे	लाभ अर्जित कर रहे
(i) विभागीय उप डाकघर	–	04	41
(ii) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	–	3160	2265

(ग) और (घ) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकरण शुल्क

769. श्री रामपाल सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नए टेलीफोन कनेक्शन हेतु वरिष्ठ नागरिकों के आवेदनों पर पंजीकरण शुल्क माफ करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम फैसला कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के नॉन ओ वाई टी विशिष्ट श्रेणी के तहत एक टेलीफोन कनेक्शन हेतु अनुरोध को पंजीकृत करने हेतु पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट देने संबंधी अनुदेश पहले ही विद्यमान है। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सं. 2-12/99-पीएचए दिनांक 29.05.2000

परिपत्र 8/2000

विषय : वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रभारों को हटाना।

वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न रियायतें देने के मुद्दे की जांच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि 65 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, जो दिनांक 05.10.1999 के परिपत्र सं. 11/99 में निर्धारित किए गए अनुदेशों के अनुसार गैर–ओवाईटी विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता पर टेलीफोन के पंजीकरण के लिए पात्र हैं, टेलीफोन कनेक्शन के अनुरोध को पंजीकृत करने के लिए पंजीकरण प्रभारों के भुगतान से छूट दी जाए। इसे अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

ये आदेश परिपत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

कृपया इस सुविधा को व्यापक प्रचार दिया जाए।

सं. 2-12/99-पीएचए दिनांक 5-10-2000

परिपत्र 11/99

विषय : वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

एक कल्याण कार्य के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि 65 वर्ष तथा इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक "गैर–ओवाईटी–विशेष" श्रेणी के अंतर्गत अपने नाम पर एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए मांग पंजीकृत करने के पात्र होंगे। इस प्रकार प्रदान किए गए टेलीफोन उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात, केवल पति/पत्नी, यदि जीवित हों, के नाम एक सामान्य श्रेणी के टेलीफोन के रूप में स्थानांतरित होंगे तथा इसके बाद होने वाले स्थानांतरण लागू टेलीफोन स्थानांतरण नियमों से नियंत्रित होंगे।

उपर्युक्त स्कीम को व्यापक प्रचार दिया जाए।

वाराणसी में बाई-पास का निर्माण

770. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले हेतु स्वीकृत बाइपास सड़क के निर्माण के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) बाकी धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है और इस बाइपास सड़क के पूरा करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य सरकार को धनराशि समग्र रूप से आबंटित की जाती है न कि कार्यवार। वर्ष 2000–2001 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 13390.56 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। इसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य तथा वाराणसी में प्रस्तावित बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण शामिल है।

(ख) और (ग) आवश्यकतानुसार समय–समय पर अपेक्षित धनराशि आबंटित की जाएगी। इस सड़क को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि इस कार्य के लिए अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

[अनुवाद]

सामान को गलत ढंग से चढाना, उतारना

771. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सामान को गलत ढंग से चढ़ाने,

उतारने संबंधी घटनाओं में वृद्धि की जानकारी है जिनसे सामान या तो गायब हो जाता है या देरी से पहुंचता है, जिसके कारण इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के यात्रियों को कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने और संबंधित यात्रियों के सामानों को समय से और सुरक्षित तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया सहित लगभग सभी एयरलाइनों ने अपनी–अपनी बैगेज ट्रेसिंग प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर लिया है जिसकी वजह से यह गुम होने वाले बैगों को तुरंत और अधिक सक्षम रूप से तलाश कर लेती है। सामान के देरी से वितरण होने और सामान के गुम होने के संबंध में यात्रियों को क्षतिपूर्ति करने के बारे में एयरलाइनों की अपनी–अपनी क्रिया–विधि भी है।

भुवनेश्वर विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

772. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर विमानपत्तन से नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमति मांगने वाली एयरलाइन कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजी बेसिक टेलीकॉम ऑपरेटर

773. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी निजी बेसिक टेलीकॉम आपरेटरों ने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन देने के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है और कुछ ने तो इन परियोजनाओं पर अभी तक काम शुरू भी नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसे आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह देखा गया है कि लाइसेंसशुदा बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों द्वारा किया गया निवेश अभी तक अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में ही किया गया है। उनसे बार–बार इस बात पर जोर देकर यह कहा गया है कि वे अधूरे वीपीटी लक्ष्यों को हासिल करके अपनी वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करें। उन्हें यह भी स्पष्ट किया गया कि उनके लाइसेंस करारों में उनके द्वारा की गई कार्य–निष्पादन बाध्यता संबंधी वचनबद्धता में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/ एअर इंडिया में घोटाला

774. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति
श्री शिवाजी माने :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/एअर इंडिया के सतर्कता अधिकारियों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान पता लगाए गए घोटालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक घोटालों में कितनी धनराशि संलिप्त है और इसमें संलिप्त पाए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/एअर इंडिया के सतर्कता अधिकारियों के ध्यान में घोटाले का कोई मामला नहीं आया है। तथापि, जैसा भी मामला हो किसी भी शिकायत पर तत्काल जांच की जाती है/अन्वेषणकारी एजेंसियों को भेजी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेल्यूलर टेलीफोन उपभोक्ताओं में वृद्धि

775. श्री अनंत गुढे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार सेल्यूलर टेलीफोन उपभोक्ताओं में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने आज की तारीख के अनुसार देश में उक्त उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के संबंध में अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सेल्यूलर क्षेत्र की वृद्धि को और तेज करने को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मार्च, 1998, मार्च, 1999 और मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) का उपभोक्ता आधार (सेवा क्षेत्रवार) एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) सरकार ने सेल्यूलर उपभोक्ताओं की प्रोजेक्शंस का जायजा नहीं लिया है। तथापि, सरकार का चौथे सेल्यूलर ऑपरेटर को सीएमटीएस के लिए लाइसेंस देने और कतिपय रिक्त स्लाटों को भरने का प्रस्ताव है। इसके लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी ताकि दूरसंचार के क्षेत्र में अधिकाधिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य हासिल किया जा सके। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)/भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सीएमटीएस के लिए देश में सेल्यूलर सेवा उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस पहले ही दिए जा चुके हैं।

विवरण

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के उपभोक्ता आधार

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र (महानगरीय/ दूरसंचार सर्किल)	उपभोक्ताओं की संख्या (मार्च, 1998)	उपभोक्ताओं की संख्या (मार्च, 1999)	उपभोक्ताओं की संख्या (मार्च, 2000)
1	2	3	4	5
1	दिल्ली	215144	215637	332330
2	मुंबई	243028	228297	319309
3	कलकत्ता	51166	39777	90036
4	चेन्नई	42419	35832	54256
5	आंध्र प्रदेश	37653	73991	105469
6	असम	2259	3869	5823
7	बिहार	7379	19197	21901
8	गुजरात	39600	81499	146175
9	हरियाणा	13975	18411	25047
10	हिमाचल प्रदेश	2080	3360	5048
11	कर्नाटक	43530	76984	127967
12	केरल	21380	45623	106560
13	महाराष्ट्र	44859	97204	115086
14	मध्य प्रदेश	12234	20814	40544
15	उत्तर–पूर्व	शून्य	556	722
16	उड़ीसा	3578	9933	9139
17	पंजाब	16977	55425	94403
18	राजस्थान	13011	16126	20025
19	तमिलनाडु	11312	25121	90956
20	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	36280	74713	55950
21	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	23049	54262	113587
22	पश्चिम बंगाल	1403	2947	3978
	जोड़	8,82,316	11,99,578	18,84,311

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही एम्बुलेंस

776. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनी सड़कों पर कितनी एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं;

(ख) वर्ष 2001–2002 में ऐसी कितनी एम्बुलेंस शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या गैर–सरकारी संगठनों से भी इस कार्य में सहयोग देने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस समय गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के कोटपुतली–आमेर टोल राजमार्ग खंड पर एक एम्बुलेंस सेवा चला रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का 2001–2002 के राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ और खंडों पर यह सुविधा आरंभ करने का इरादा है।

[हिन्दी]

प्रदूषण के कारण नुकसान

777. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के कारण देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ डालर की संपत्ति का नुकसान होता है और 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा 'द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन वैल्यूइंग द इकॉनमी वाई कॉस्ट ऑफ एनवायरनमैंटल डीग्रेडेशन इन इंडिया'' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में भारत में पर्यावरणीय अवक्रमण से जुड़ी आर्थिक लागत के कुल आकार का स्थूल अनुमान दिया गया है। विश्व बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि 1995 में वायु प्रदूषण के कारण 36 शहरों में लगभग 40,000 मौतें हुई हैं। तथापि, इन आंकड़ों की पुष्टि के लिए कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं

(i) वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिःस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समयबद्ध आधार पर अपने यहां आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित कराएं और दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(iii) महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के औद्योगिक एस्टेटों में अनेक साझा बहिःस्राव शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(iv) वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए पैट्रोल और डीजल दोनों प्रकार से चलित वाहनों की निर्माण अवस्था में उत्सर्जन संबंधी मानक 1990 में पहली बार लागू किए गए और 1996 में उन्हें और अधिक सख्त बनाया गया। 1.4.2000 से और अधिक सख्त उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं।

(v) ऑटोमोबाइल्स के लिए सीएनजी की सप्लाई दिल्ली और मुंबई के अनेक खुदरा केन्द्रों से की जाती है ताकि सीएनजी युक्त वाहनों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(vi) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2000 के संबंध में 14.2.2000 को अधिसूचना जारी की गई है ताकि सभी स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके।

(vii) मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए एक पर्यावरणीय कार्य योजना तैयार की गई है और क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार को अग्रेषित की गई है।

(viii) दिल्ली में वाहन प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों के कारण हाल ही के वर्षों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है।

(ix) पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए पर्यावरणीय महामारी अध्ययन किए गए हैं।

दूरसंचार विभाग में अनियमितताएं

778. श्री सुंदर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में दूरसंचार विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत मिली है जैसा कि 9 जनवरी, 2001 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और राष्ट्रीय सहारा में भी "शीर्षक" के अलावा अन्य कहीं भी किसी अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया है। "शीर्षक" में सुधार करने के लिए मुख्य संपादक को पत्र लिखा गया था। मुख्य महाप्रबंधक से मिलने आए पत्रकारों ने भी जनवरी, 2001 के प्रथम सप्ताह में हुए साक्षात्कार के दौरान किसी अनियमितता के बारे में नहीं बताया था।

(ख) किसी अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेल्यूलर ऑपरेटरों द्वारा अत्यधिक प्रभारों की वापसी

779. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सेल्यूलर टेलीफोन ऑपरेटरों को अगस्त 1999 से उपभोक्ताओं से लिए गए अत्यधिक शुल्क की वापसी करने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर ऑपरेटरों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सेल्यूलर कंपनियों द्वारा कंपनी-वार अनुमानतः कितनी राशि वापस की जानी है; और

(घ) इस वापसी के कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 25 जनवरी, 2001 को अधिसूचित दूरसंचार टैरिफ (बारहवां संशोधन) आदेश 2001 में वापस की जाने वाली राशियां उल्लिखित हैं जो लाइसेंस फीस में कमी के परिणामस्वरूप सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं द्वारा सेल्यूलर मोबाइल सेवा के उपभोक्ताओं को दी जाएंगी। इस आदेश में प्रत्येक कंपनी के लिए, प्रति उपभोक्ता किराए की वापस अदायगी की राशि एवं उपभोक्ता द्वारा प्रति मिनट प्रयोग की वापस अदायगी की राशि (रिफण्ड) का उल्लेख है। प्रत्येक कंपनी की वापस अदायगी की कुल राशि संगत अवधि के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता उपयोग पर आधारित होगी। वापस अदायगी की सही राशि के ब्यौरे ऑपरेटरों द्वारा उनकी रिपोर्टें प्रस्तुत करने पर उपलब्ध होंगे।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) को भेजे गए दिनांक 5 फरवरी, 2001 के पत्र में, भारतीय सेल्यूलर ऑपरेटर्स संघ (सीओएआई) ने उद्योग की ओर से यह उल्लेख किया है कि वे सेल्यूलर उपभोक्ताओं को राशि वापस लौटाने में खुश हैं। तथापि, उन्होंने कुछ स्पष्टीकरणों के बारे में पूछा था कि जो पहले ही दिए जा चुके हैं।

(घ) सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं को रिफंड जारी करने का कार्य पूरा करने के लिए चार मास की अवधि की अनुमति दी गई है जो 2 अप्रैल, 2001 से शुरू है।

मुगदर जोरी खेल को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करना

780. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के "मुगदर जोरी" खेल को राष्ट्रीय खेल में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

781. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री रामानन्द सिंह :
कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली :
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :
डा. बलिराम :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थान-वार वे कौन-कौन सी निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां/औद्योगिक इकाइयां हैं जो खतरनाक बहिस्राव और

ठोस अवशिष्टों को छोड़ करके पर्यावरणीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) ऐसी चूककर्ता इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने इन बहिस्रावों और ठोस अवशिष्टों की समस्या का अध्ययन किया है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के नोटिस जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और इकाई वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में मापदंड निर्धारित करने के लिए समिति गठित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा पर्यावरण को ऐसे प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली 53 औद्योगिक इकाइयों के नाम (राज्यवार) जो कि पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर रही हैं और ऐसी दोषी इकाइयों के खिलाफ की गई कार्रवाई जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा उन्हें बंद करने हेतु जारी नोटिस भी शामिल है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) अधिकांश उद्योगों के संबंध में पर्यावरणीय मानक पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पहले ही निर्धारित कर दिए गए हैं। तथापि, इन मानकों की समय–समय पर स्टैंडिंग पी एंड कोर कमेटी द्वारा समीक्षा की जाती है और यदि पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक हो तो इन मानकों को और अधिक कड़ा बनाया जाता है।

(छ) सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं :

(i) सरकार ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियां निर्धारित की हैं, जिनकी आवधिक आधार पर मानीटरी की जा रही है।

(ii) 24 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की गई है और इन सभी क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं जिन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(iii) लोक सुनवाई/गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता सहित विकास संबंधी परियोजनाओं की कतिपय श्रेणियों के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य बना दिया गया है।

(iv) सभी प्रदूषक उद्योगों के मामले में पर्यावरणीय विवरण के रूप में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा आवश्यक बना दी गई है।

(v) देश के विभिन्न जिलों में पर्यावरणीय पहलुओं पर आधारित उद्योगों के स्थल निर्धारण के लिए जोनिंग एटलस तैयार करने का काम आरंभ किया गया है। अभी तक ऐसे 19 जिलों को शामिल किया गया है।

(vi) लघु स्तर की औद्योगिक इकाइयों के समूह में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम आरंभ की गई है। 89 साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जो कि क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(vii) सारे देश में परिवेशी वायु (290) और जल गुणवत्ता मानीटरी केन्द्रों (480) का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(viii) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों की करीब 80 श्रेणियों के बारे में बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता हेतु मानक भी अधिसूचित किए गए हैं।

(ix) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा दोषी उद्योगों का अचानक निरीक्षण करने के लिए पर्यावरणीय निगरानी स्क्वाड बनाए गए हैं।

(x) उद्योगों से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा मानक निर्धारित किए जाते हैं।

(xi) परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं और परिसंकटमय अपशिष्टों के उपयुक्त निपटान के लिए उद्योगों से संयुक्त निपटान सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है।

विवरण

17 श्रेणियों के दोषी उद्योगों की राज्यवार स्थिति
(दिसम्बर 31, 2000 की स्थितिनुसार)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	श्रेणी एवं सीयू/पीयूएसयू/ सीपी में से कौन सा है	प्रदूषण नियंत्रण/की गई कार्रवाई की स्थिति
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	मैसर्स एन बी आर को–ऑप सुगर्स लि., जामपानी बेमूर मण्डल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	चीनी (सी पी)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को ई टी पी एवं बहिःस्राव नियंत्रण प्रणाली को उन्नत बनाए जाने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए गए।
2.	मैसर्स कोठागुंडम थर्मल पावर स्टेशन, पालोंछा, खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश	टी पी पी (एस यू)	ई सी पी का उन्नयन/रीट्रोफिटिंग जुलाई, 2002 तक पूरा होने की संभावना है। इकाई द्वारा "भेल" को आदेश दिया गया है।
असम			
3.	मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. नामरूप इकाई–I एवं–II पर्बतपुर डिबरूगढ़ जिला, असम	उर्वरक (सी यू)	अमोनिया संयंत्र के अलावा सभी इकाइयां बंद हैं। उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत बंद इकाइयों को तब तक शुरू न करने के आदेश दिए गए हैं जब तक आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं।
4.	मैसर्स बोंगाइगांव थर्मल पावर स्टेशन, बोंगाइगांव, असम	टी पी पी (एस यू)	ई एस पी में बढ़ोत्तरी की जा रही है।
बिहार			
5.	हिन्दुस्तान कॉपर लि., इंडियन कॉपर काम्प्लेक्स, पी.ओ. घाटसिला–832 303, जिला सिंहभूम, बिहार	तांबा (सी यू)	सी पी सी बी के दल द्वारा उद्योग का दौरा किया गया तथा ई (पी) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के तहत इकाई को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करने संबंधी दिशा–निर्देश दिए गए।
6.	मैसर्स बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो, बिहार	आयरन एवं स्टील (सी यू)	सी पी सी बी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत इकाई को अक्तूबर, 2001 तक उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए हैं।
7.	मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि., बिहार	आयरन एंड स्टील (पी यू)	सी पी सी बी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत इकाई को अक्तूबर, 2001 तक उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

1	2	3	4
8.	मैसर्स पट्राटू थर्मल पावर स्टेशन, पट्राटू, हजारीबाग, बिहार	टी पी पी (एस यू)	इकाई सं. 10 में ई सी पी की बढ़ोत्तरी पूरी होने के नजदीक है।
9.	मैसर्स बोकारो थर्मल पावर प्लांट (डी बी सी) ए, बोकारो, बिहार	टी पी पी (सी यू)	ई एस पी स्थापित किए जाने संबंधी कार्य जून, 2001 तक पूरा किया जाना है। कार्य चल रहा है।
10.	मैसर्स बोकारो थर्मल पावर प्लांट (डी वी सी) बी, बोकारो, बिहार	टी पी पी (सी यू)	ई एस पी स्थापित किए जाने संबंधी कार्य जून, 2001 तक पूरा किया जाना है। कार्य चल रहा है।
	गुजरात		
11.	मैसर्स येस्ट एल्को एन्जाइमस लि., पालिटाना डेम साइट, भावनगर जिला, गुजरात	डिस्टलरी (पी यू)	उद्योग के ई टी पी उन्नयन कार्यक्रम, जो अब पूरा हो चुका है, को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उसे बंद करने संबंधी पहले जारी किए गए आदेश वापस ले लिए गए थे तथा अब उद्योग का परीक्षण किया जा रहा है।
12.	मैसर्स छारोतार सहकारी खांड उद्योग लि. पी ओ पलाज–388465 तहसील पेटलाड जिला कैरा, गुजरात	चीनी (सी पी)	नवीनतम स्थिति का पता लगाया जा रहा है।
	हरियाणा		
13.	मैसर्स अशोका डिस्टलरी एंड कैमीकल्स, हथीन फरीदाबाद महलब रोड़, गांव हथीन, फरीदाबाद, हरियाणा	डिस्टलरी (पी यू)	मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है।
	कर्नाटक		
14.	मैसर्स दक्षिणा कन्नहडा एस एस के लि. ब्रह्मवीर उडुपी, एस के जिला, कर्नाटक	चीनी (सी यू)	उद्योग ने ई टी पी प्रदान करवाया है तथा नवीनतम स्थिति का पता लगाया जा रहा है।
15.	मैसर्स बीदर एस एस के लि., बीदर, कर्नाटक	चीनी (सी पी)	उद्योग ने ई टी पी प्रदान करवाया है तथा नवीनतम स्थिति का पता लगाया जा रहा है।
16.	मैसर्स सहकारी सक्कारे कारखाना नियमित, अलंद तालुक, गुलबर्ग जिला, कर्नाटक	चीनी (सी पी)	नवीनतम स्थिति का पता लगाया जा रहा है।
17.	मैसर्स सिरूगुप्पा सुगर्स एंड केमिकल्स लि., देशनूर बेल्लारी, बेल्लारी जिला, कर्नाटक	चीनी (पी यू)	मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है।
	केरल		
18.	मैसर्स दी को–कॉपरेटिव सुगर्स लि., (डिस्टलरी यूनिट) चित्तूर, पालाकाड	डिस्टलरी (एस यू)	सी पी सी बी दल द्वारा उद्योग का दौरा किया गया और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

1	2	3	4
19.	मैसर्स दी को–ऑपरेटिव सुगर्स लि. (सुगर यूनिट) चित्तूर, पालाकाड, केरल	चीनी (एस यू)	अनुपालन के संबंध में नवीनतम स्थिति का पता लगाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश			
20.	मैसर्स कॉक्स डिस्टलरी नौगांव, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश	डिस्टलरी (पी यू)	इकाई के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी मामला चल रहा है।
21.	मैसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, खापरी, कुनहारी दुर्ग, मध्य प्रदेश	डिस्टलरी (पी यू)	इकाई द्वारा स्थापित ई टी पी पर्याप्त नहीं पाया गया तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
22.	मैसर्स भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, मध्य प्रदेश	लोहा और इस्पात	सी पी सी बी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत इकाई को अक्तूबर, 2001 तक उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए हैं।
23.	मैसर्स ओरियंट पेपर मिल, अमलाई, मध्य प्रदेश	गूदा और कागज (पी यू)	सी पी सी बी द्वारा उद्योग का दौरा किया गया तथा ई टी पी को पर्याप्त नहीं पाया गया। मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग को मानकों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।
24.	मैसर्स नवल सिंह का सहकारी शक्कर कारखाना, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	चीनी (पी यू)	सी पी सी बी के क्षेत्रीय कार्यालय को अनुपालन संबंधी स्थिति की जांच करने का अनुरोध किया गया है।
25.	मैसर्स ग्वालियर सुगर कं. ग्वालियर, मध्य प्रदेश	चीनी (पी यू)	ई टी पी पर्याप्त नहीं पाया गया। सी पी सी बी द्वारा राज्य बोर्ड उद्योग द्वारा अनुपालन किए जाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
26.	मैसर्स सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, बेतुल, मध्य प्रदेश	टी पी पी (एस यू)	एम पी ई बी ने विद्यमान ई ए पी की रेट्रोफिटिंग संबंधी कार्य योजना प्रस्तुत की है। पी एफ सी द्वारा धनराशि उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा।
महाराष्ट्र			
27.	मैसर्स निफाड एस एस के लि. भौसाहेनगर, निफाड जिला नासिक, महाराष्ट्र	डिस्टलरी (सी पी)	सी पी सी बी द्वारा पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत यूनिट बंद करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
28.	मैसर्स पंचगंगा एस एस के लि. गंगानगर, हटकानानगेल, महाराष्ट्र	डिस्टलरी (सी पी)	नवीनतम स्थिति की प्रतीक्षा है।
29.	मैसर्स करनवीर काकासाहेब नाथ एस एस के लि., काकासाहेबनगर निफाड जिला नासिक, महाराष्ट्र	डिस्टलरी (सी पी)	ई टी पी पर्याप्त नहीं पाया गया। एस पी सी बी को इकाई के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

1	2	3	4
30.	मैसर्स टेरना शेतकारी एस एस के लि., टेटना नगर ओस्मानाबाद जिला, महाराष्ट्र	डिस्टलरी (सी पी)	नवीनतम स्थिति की प्रतीक्षा है।
31.	मैसर्स चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों में ई एस पी लगे हुए हैं लेकिन कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। एम एस ई बी ने 2002–2004 तक सभी इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से या तो बैग फिल्टर/या बड़े साइज के ई एस पी लगाने का निर्णय लिया है।
32.	कोराडी थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, पी ओ एकलाहारे -422105 महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों में ई एस पी लगे हैं लेकिन उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। ई एस पी में संवर्धन किया जा रहा है तथा एक चरणबद्ध तरीके से इसे वर्ष 2003 तक पूरा किए जाने की संभावना है।
33.	नासिक थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, पी ओ एकलाहारे–422105, महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों में ई एस पी लगे हुए हैं लेकिन कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। एम एस ई बी ने 2002–2005 तक सभी इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से या तो बैग फिल्टर/या बड़े साइज के ई एस पी लगाने का निर्णय लिया है।
34.	भुसावल थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, दीपनगर–425307, महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों में ई एस पी लगे हुए हैं लेकिन कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। एम एस ई बी ने 2002–2006 तक सभी इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से या तो बैग फिल्टर/या बड़े साइज के ई एस पी लगाने का निर्णय लिया है।
35.	मैसर्स पार्ली वैजनाथ थर्मल पावर स्टेशन बीड, महाराष्ट्र	टी पी पी (एस यू)	सभी इकाइयों में ई एस पी लगे हुए हैं लेकिन कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। एम एस ई बी ने 2004–2006 तक सभी इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से या तो बैग फिल्टर/या बड़े साइज के ई एस पी लगाने का निर्णय लिया है।
	उड़ीसा		
36.	राउरकेला स्टील प्लांट (उर्वरक इकाई), राउरकेला–769011, उड़ीसा	फर्टिलाजर (सी यू)	मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है।
37.	पारादीप फास्फेट्स लि., पी. ओ., पी पी एल, टाऊनशिप, पारादीप–754–145, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	आर (सी यू)	सी पी सी बी द्वारा सितंबर, 19–23, 2000 के दौर समुद्री तूफान के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए स्थिति के मूल्यांकन के लिए इकाई का व्यापक निरीक्षण किया गया। सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रिपोर्ट भेज दी गई है।

1	2	3	4
38.	मैसर्स राउरकेला स्टील प्लांट (लोहा एवं इस्पात), राउरकेला, जिला, सुन्दरगढ़, उड़ीसा	लोहा एवं इस्पात (सी यू)	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत संबंधित इकाई को उत्सर्जन मानकों का अक्तूबर, 2001 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए।
39.	मैसर्स धारनी सुगर्स एंड केमीकल्स लि., नयागढ़, उड़ीसा	चीनी (पी यू)	मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में है। अद्यतन स्थिति की प्रतीक्षा की जा रही है।
40.	मैसर्स आस्का को–ऑपरेटिव शुगर एंड केमीकल्स लि., आस्का, उड़ीसा	चीनी (सी यू)	मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में है।
41.	मैसर्स तलचेर थर्मल पावर स्टेशन, पो.ओ. तलचेर थर्मल, जिला अंगुल, उड़ीसा– 759101	टी पी पी (सी यू)	इकाई सं. 5 और 6 में ई ए पी संवर्धन का काम पूरा किया गया। शेष ई एस पी के संवर्धन का काम वर्ष 2002 तक चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाना है।
42.	मैसर्स राउरकेला स्टील प्लांट (सी पी पी–I और–II), राउरकेला, सुंदरगढ़, उड़ीसा	टी पी टी (सी यू)	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने उद्योग का दौरा किया और उसे मानकों के अनुपालन के लिए प्रदूषण नियंत्रक सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए कहा गया।
उत्तर प्रदेश			
43.	मैसर्स सरस्वती किसान सहकारी चीनी मिल्स (डिस्टलरी यूनिट)	डिस्टलरी (सी पी)	ई टी पी पर्याप्त नहीं थी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त इकाई के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
44.	मैसर्स कैप्टन गंज डिस्टलरीज, देवड़ा, उत्तर प्रदेश	डिस्टलरी (पी यू)	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग का दौरा किया गया और उसे मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। अद्यतन स्थिति की प्रतीक्षा की जा रही है।
45.	मैसर्स ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट (बी) ओबरा, सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश	टी पी पी (एस यू)	किसी भी इकाई को ई एस पी उपलब्ध नहीं कराया गया है। धन की कमी के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राख कुंडों की क्षमता भी क्षीण हो गई है। संयंत्र प्राधिकारी प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु इच्छुक नहीं है। ई एस पी स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक/पी एस सी के पास लंबित है।
46.	मैसर्स ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट (ए) ओबरा, सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश		किसी भी इकाई को ई एस पी उपलब्ध नहीं कराया गया है। धन की कमी के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राख कुंडों की क्षमता भी क्षीण हो गई है। संयंत्र प्राधिकारी प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के

1	2	3	4
			लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु इच्छुक नहीं है। ई एस पी स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक/पी एस सी के पास लंबित है।
47.	मैसर्स हरद्वार गंज थर्मल पावर परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	टी पी पी (एस यू)	किसी भी इकाई को ई एस पी उपलब्ध नहीं कराया गया है। धन की कमी के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राख कुंडों की क्षमता भी क्षीण हो गई है। संयंत्र प्राधिकारी प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु इच्छुक नहीं है। ई एस पी स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक/पी एस सी के पास लंबित है।
पश्चिम बंगाल			
48.	मैसर्स इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, बरनपुर, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	लोहा और इस्पात (सी यू)	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत संबंधित इकाई को उत्सर्जन मानकों का अक्तूबर, 2001 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए।
49.	मैसर्स दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	लोहा और इस्पात (सी यू)	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत संबंधित इकाई को उत्सर्जन मानकों का अक्तूबर, 2001 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए।
50.	मैसर्स शॉ वैलेस, हल्दिया, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	कीटनाशक (पी यू)	मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में है।
51.	मैसर्स संतालदिही थर्मल पावर स्टेशन, पुरलिया, पश्चिम बंगाल	टी पी पी (एस यू)	31.7.2000 को हुई बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई। ई एस पी स्थापित करने का काम पूरा होने वाला है। पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन में राखकुंड की क्षमता में वृद्धि की जाएगी।
52.	मैसर्स दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, दामोदर वॉली कार्पोरेशन, पो.ओ. दुर्गापुर–713207, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	टी पी पी (एस यू)	स्थापित किए गए ई एस पी संतोषजनक नहीं हैं। ई एस पी के संवर्धन का काम जून, 2001 तक पूरा होने की आशा है।
53.	मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि. बर्दवान, पश्चिम बंगाल	टी पी पी (एस यू)	यूनिट 6 में पर्याप्त ई एस पी व्यवस्था है। तथापि यूनिट सं. 3, 4, और 5 में ई एस पी स्थापित किए जा रहे हैं। राख के कुंड मानकों का अनुपालन नहीं करते। अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए मौजूदा कुंड की खुदाई हेतु कार्रवाई की गई।

गंगा कार्य योजना

782. श्री जोरा सिंह मान :
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री रामजी लाल सुमन :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री मोइनुल हसन :
श्री रामजी मांझी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्य योजना अपनी समापन समय सीमा से काफी पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किस तिथि को यह योजना कार्यान्वित की गई थी और इसके मुख्य प्रयोजन और उद्देश्य क्या थे;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में हासिल कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन हुआ है और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(छ) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने उक्त योजना के खराब कार्यान्वयन के संबंध में कई खामियां बताई हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) योजना को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और इसके पूरा होने की समय सीमा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (च) गंगा कार्य योजना चरण–1, गंगा नदी के प्रदूषण निवारण एवं उसकी जल गुणता में सुधार करने के उद्देश्य से 1985 में शुरू किया गया था। इस योजना को 31.3.2000 को बंद घोषित किया गया था। अपशिष्ट जल के शोधन के लिए निर्धारित प्रतिदिन 873 मिलियन लीटर की लक्षित क्षमता की तुलना में प्रतिदिन 835 मिलियन लीटर शोधन क्षमता पैदा की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन में विलंब अवैध कब्जों, भूमि अधिग्रहण में विलंब, मुकदमेबाजी और संविदात्मक समस्याओं के कारण हुआ। गंगा कार्य योजना, चरण–2, जो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों अर्थात यमुना, गोमती तथा दामोदर को कवर करता है, को 1993 तथा 1996 के बीच चरणों मे अनुमोदित किया गया था और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अपशिष्ट जल के शोधन के लिए प्रतिदिन 1861 मिलियन लीटर की लक्षित क्षमता की तुलना में अब तक प्रतिदिन 634 मिलियन लीटर की शोधन क्षमता सृजित की गई है। भारत सरकार द्वारा राज्य–वार रिलीज की गई निधियों सहित इन योजनाओं के लिए आबंटित कुल निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) और (ज) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए गंगा कार्य योजना पर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि गंगा कार्य योजना पर 15 वर्षों की अवधि में 901.71 करोड़ रुपये का कुल व्यय करने के बावजूद भी अभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है।

(झ) गंगा कार्य योजना चरण–2 का उद्देश्य तभी प्राप्त किया जाएगा जबकि कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए सभी कार्यों को दिसंबर, 2005 तक पूरा किया जाएगा।

विवरण

गंगा कार्य योजना चरण I तथा II के अंतर्गत राज्यवार आबंटित निधियां/रिलीज निधियां

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	कार्य योजना/राज्य	आबंटित निधियां	रिलीज निधियां
1	2	3	4
क.	गंगा कार्य योजना चरण–I	462.04	
1.	बिहार		53.55
2.	उत्तर प्रदेश		190.12
3.	पश्चिम बंगाल		185.60
4.	स्थापना		22.43
	कुल	462.04	451.70
ख.	गंगा कार्य योजना चरण–II	1276.26	
1.	दिल्ली		11.44
2.	उत्तर प्रदेश		246.83

1	2	3	4
3.	हरियाणा		148.00
4.	बिहार		1.70
5.	पश्चिम बंगाल		14.44
6.	परामर्शदाता		9.03
	कुल	1276.26	341.44

[अनुवाद]

विषाक्त पारे का आयात

783. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत में कुछ निजी पार्टियों को बड़ी मात्रा में प्रयोग किए गए पारे का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विषाक्त पारे को आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मानव शरीर पर इस विष के कुप्रभावों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में निजी पार्टियों ने सरकार से पूर्व अनुमति ली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रयोग किए गए पारे का आयात करने वाली पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) पहली जनवरी, 2001 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में 118 मैट्रिक टन विषाक्त पारे की संभावित खेप के संबंध में "अमरीकाज अनवांटेड हैडिंग फार इंडिया" नामक लेख प्रकाशित हुआ था। चूंकि पारे वाले अपशिष्ट के आयात पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 26 दिसंबर, 1996 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 897 के अनुसार प्रतिबंध लगा हुआ है इसलिए सदस्य (सीमा शुल्क), भूतल परिवहन और सभी तटीय राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वे सभी पत्तनों के सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सूचित कर दें कि वे खेप की संभावित लैंडिंग, खेप आने या पहुंचने पर उसे जब्त करने, उसे अपने कब्जे में सुरक्षित रखने तथा उसके बारे में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सूचित करें।

चूंकि पारे वाले अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध है इसलिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने किसी भी गैर-सरकारी पार्टी को अनुमति प्रदान नहीं की है। सीमा शुल्क विभाग से उपर्युक्त माल के आगमन या अन्य रूप में प्राप्त होने की सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

O

गुजरात में भूकंप के कारण हुई क्षति

784. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री दिन्शा पटेल :
श्री किरीट सोमैया :
श्री रामदास आठवले :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आए हाल के भूकंप से दूरसंचार/डाक व्यवस्था को कितना नुकसान/क्षति हुई है;

(ख) क्या प्रभावित शहरों में संचार और डाक व्यवस्था पूर्णतः ठप्प हो गई है;

(ग) उक्त व्यवस्थाओं को कब तक उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है;

(घ) उनके मंत्रालय के प्रभावित कर्मचारियों को कितना मुआवजा और सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गुजरात में हाल ही में आए भूकंप के कारण दूरसंचार प्रणाली को लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भूकंप द्वारा दूरसंचार नेटवर्क को हुई क्षति का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	एसएसए का नाम	प्रभावित एक्सचेंजों की संख्या	प्रभावित भवनों की संख्या	
			विभागीय	किराए के
1.	भुज	147	06	141
2.	राजकोट	25	11	16
3.	सुरेंद्रनगर	03	01	17
4.	जामनगर	04	09	06
	कुल	179	27	180

(ख) कच्छ जिले में संचार प्रणाली पूर्णतः ध्वस्त हो गई और राजकोट, सुरेंद्रनगर और जामनगर जिलों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई।

(ग) भूकंप के 8 दिन के भीतर 90 प्रतिशत से अधिक नेटवर्क को बहाल कर दिया गया था। 11 फरवरी, 2001 तक सभी प्रभावित 179 एक्सचेंज क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई थीं। अब दूरसंचार लाइनों में दोषों की मरम्मत और क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 3–6 महीने लग सकते हैं।

(घ) भूकंप में बीएसएनएल के 12 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। प्रभावित क्षेत्रों के जिन कर्मचारियों की सम्पत्तियां नष्ट हुई हैं, उन्हें अनुग्रह राशि और वित्तीय सहायता देने की योजना है।

(ङ) भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए विभाग द्वारा किए गए ठोस उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

* भूकंप को ध्यान में रखते हुए, शहरी क्षेत्रों में भवनों का निर्माण।
* गांवों में भवनों के निर्माण के लिए प्रीफेब सामग्री का प्रयोग, जो भूकंप के प्रभावों को झेल सकते हैं।
* एक स्थिर विश्वसनीय संचार पारेषण नेटवर्क स्थापित करना।
* सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना।
* राष्ट्रीय नेटवर्क से संपर्कता के लिए वैकल्पिक मार्ग (रूट) उपलब्ध कराना।
* एक्सेस नेटवर्क में वायरलैस–इन–लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) तथा हाई बिट–रेट डिजिटल सब्स्क्राइबर लाइन (एचडीएसएल) शुरू करना।

डाक प्रणाली के संबंध में उत्तर

(क) डाक भवनों को हुआ नुकसान/क्षति :

क्षेत्र	विभागीय		किराए के	
	क्षतिग्रस्त	नष्ट	क्षतिग्रस्त	नष्ट
अहमदाबाद	44	–	55	1
वडोदरा	34	–	21	–
राजकोट	39	2	49	1
	117	2	125	2

नष्ट हुए भवनों के नाम

1. बचाऊ डाक घर (विभागीय)
2. भुज छंटनी कार्यालय (विभागीय)
3. रामपुरा (किराए का)
4. मेमनगर छंटनी कार्यालय (किराए का)

(ख) भूकंप में 90 विभागीय कार्यालय तथा 500 विभागेत्तर कार्यालय बुरी तरह प्रभावित हुए, इनमें से 50 प्रतिशत से भी अधिक कार्यालयों को भूकंप के चार दिन के अंदर, कुछ को अन्य भवनों में स्थानांतरित करके और कुछ को रैंटों में चलाकर कार्यशील कर दिया गया था। भुज नगर में मोबाइल डाक–घर भी उपलब्ध कराया गया था।

(ग) सभी प्रभावित क्षेत्रों में डाक सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

(घ) विभाग ने प्रभावित कर्मचारियों को दवाइयां, खाद्य सामग्री, पेयजल, ऊनी कपड़े विशेषकर कंबल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके तत्काल सहायता उपलब्ध कराई और यह सुनिश्चित किया कि चिकित्सा और परा–चिकित्सा कार्मिक तथा दवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें। शरण के लिए पर्याप्त मात्रा में टेंट भी उपलब्ध कराए गए। कर्मचारियों को नकद सहायता भी दी गई।

(ङ) भविष्य में भवन के ढांचों की योजना बनाते समय, उन्हें भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मार्कन्डेय सिंचाई परियोजना

785. श्री आर. एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक का मार्कन्डेय सिंचाई परियोजना से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के पास पिछले छह वर्षों से मंजूरी के लिए लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने मार्कण्डेय परियोजना के लिए तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन संबंधी एक प्रसताव केन्द्रीय जल आयोग को मई, 1997 में भेजा था। परियोजना की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी तथा तटबंध, डिजाइन, संयंत्र आयोजना, गेट डिजाइन एवं कंक्रीट और मेसनरी बांध डिजाइनों संबंधी विषयों पर इसे स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार ने अभी तक कई पहलुओं विशेषकर, नहर डिजाइन, जल विज्ञान, सिंचाई आयोजना एवं लागत अनुमानों संबंधी टिप्पणियों के संबंध में उत्तर नहीं दिया है।

स्कीम की स्वीकृति विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के अन्वेषणों की अनुपालना की तत्परता पर निर्भर करती है।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए दूरसंचार योजनाएं

786. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए आरम्भ की गई विभिन्न दूर–संचार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं को इन क्षेत्रों के लाभ के लिए उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न दूरसंचार स्कीमों के लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार फिक्सड सेवा प्रदाताओं के संयुक्त प्रयासों से मार्च, 2002 तक देश के प्रत्येक गांव में एक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। वीपीटी उपलब्ध कराने और ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोनों की छुट–पुट मांग को पूरा करने के लिए वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और सी–डॉट टीडीएमए/पीएमपी प्रौद्योगिकियां शामिल की जा रही हैं।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई विभिन्न दूरसंचार स्कीमों के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	मद	1997–98		1998–99		1999–2000	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	टेलीफोन एक्सचेंज	*		1385	1450	2000	2293
2.	स्विचन क्षमता	1800000 (जीएल)	1800000 (जीएल)	1520000 (एनएल)	1505752 (एनएल)	1959500 (एनएल)	1979941 (एनएल)
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	*		844000	1003013	1273700	1411259
4.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	83000	42855	45000	37058	45136	33965

*1997–98 के दौरान इन मदों के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

टिप्पणी : जी एल=कुल लाइनें, एन एल=नेट लाइनें

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए शुरू की गई विभिन्न दूरसंचार स्कीमों के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	मद	1997–98		1998–99		1999–2000	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	टेलीफोन एक्सचेंज	100	114	120	138	160	327
2.	स्विचन क्षमता	125000	196297	200000	258000	266000	419564
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	100000	161384	160000	175121	200000	305905
4.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	13500	5316	13000	5006	10000	4963
5.	ट्रांसमिशन सिस्टम (आरकेएमएस)	1500	1697	1500	1425	1500	1733
6.	उपग्रह केन्द्र	20	03	61	68	73	49

[हिन्दी]

भोपाल में क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना

787. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का मध्य प्रदेश के भोपाल में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक उपकेन्द्र स्थापित करने का भी विचार है;

(ग) इन उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश में खेलों के विस्तार से संबंधित योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार अपने हिस्से के रूप में 1.00 करोड़ रुपये की रकम देने के लिए सहमत हो गई है। इसके अलावा, 2000–2001 के वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट आबंटन में से, 1.00 करोड़ रुपये की रकम इस प्रयोजन के लिए रखी गई है। जैसा कि योजना बनाई गई है, अपेक्षित अवस्थापना का सृजन करने के लिए 10 करोड़ रुपये की रकम की आवश्यकता होगी और यह रकम विकासपरक कार्य के प्रगति पर होने से, चरणबद्ध रूप में प्रदान की जाएगी।

(घ) सरकार ने पहले से ही भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्र को स्थापित करने के लिए सहमति दे दी है।

[अनुवाद]

केरल में प्रमुख राजमार्गों का निर्माण/ आधुनिकीकरण/विस्तार

788. श्री पी. सी. थॉमस : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान जिन प्रमुख राजमार्गों के निर्माण या आधुनिकीकरण या उनके विस्तार की जो योजना बनाई गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) एक्सप्रेस राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान और आगामी दो वर्षों के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, आधुनिकीकरण या निर्माण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–49 पर बाइपास के निर्माण की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके चरणों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना अनुमोदित कर दी है। इस परियोजना में दिल्ली, मुबई, चेन्नै और कोलकाता महानगरों को जोड़ने वाला 5952 किमी. लंबा स्वर्णिम चतुर्भुज तथा सलेम–कोचीन खंड के साथ कश्मीर में श्रीनगर से कन्याकुमारी को और पोरबंदर को सिल्चर से जोड़ने वाले लगभग 7300 किमी. लंबे उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग शामिल हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 54,000 करोड़ रुपये है और इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाया जाना है।

(ग) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 110.64 करोड़ रुपये लागत के विकास/सुधार कार्य जैसे दो लेन बनाना, सड़क गुणता में सुधार, बाइपासों और पुलों का निर्माण आदि चालू वार्षिक कार्यक्रम 2000–2001 में शामिल किए गए हैं। केरल राज्य के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम 2001–2002 में कुल 177.45 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए प्रावधान है। 2002–2003 का वार्षिक कार्यक्रम अभी तैयार किया जाना है।

(घ) और (ङ) रा.रा. 49 पर तीन बाइपासों अर्थात् (i) त्रिपुनितुरा बाइपास (ii) कोतमंगलम बाइपास और (iii) मुवतपूजा बाइपास का प्रस्ताव है। चालू वार्षिक कार्यक्रम 2000–2001 में त्रिपुनितुरा बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रावधान शामिल है। वर्ष 2001–2002 के प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम में कोतमंगलम बाइपास और मुवतपूजा बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रावधान शामिल है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लंबित योजनाएं

789. श्री रामशकल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश की अनेक सिंचाई योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश की कन्हर परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश में कन्हर परियोजना की स्वीकृति बिहार और मध्य प्रदेश की भूमि जल मग्नता सहित अंतर्राज्यीय मुद्दों के शीघ्र समाधान पर निर्भर करती है। अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान, तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति और अन्य सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति के बाद तथा इसके पश्चात योजना आयोग की निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही एक अनुमोदित परियोजना के रूप में इस परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा सकता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (नवीनतम)	लाभ हजार हेक्टे. में/ सृजित विद्युत मै. वाट में
1.	बेवार पोषक	33.73	9.80/0
2.	मेजा बांध को ऊंचा उठाना	65.00	17.88/0
3.	बाणसागर नहर	190.27	150.13/0
4.	राजघाट नहर	126.43	138/0
5.	मौदाहा बांध	125.16	17.70/0
6.	बुंदेलखंड चैनल को पक्का करना	57.37	23.78/0
7.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	36.70	11.83/0
8.	कन्हर सिंचाई	341.45	33.12/0
9.	किशाउ बांध परियोजना (बहुउद्देश्यीय परियोजना)	4099.00	0/600
10.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	45.83	65.96/0
11.	भुपाली पंप नहर की क्षमता बढ़ाना	64.86	48.257
12.	पूर्वी यमुना नहर के लिए हथनी–कुण्ड सपंर्क चैन	22.49	–
13.	कंचनोडा बांध	70.46	13.55/00

राज्यों में यूथ हॉस्टल

790. श्री सुरेश चन्देल :
श्री अनंत नायक :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश सहित देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में "यूथ हॉस्टलों" की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन हॉस्टलों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत बंटवारा अनुपात क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के भार को कम करने के लिए केन्द्र सरकार का इस व्यय के बड़े भार को वहन करने का विचार हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे हॉस्टलों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) जी, नहीं। देश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों में युवा छात्रावास स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। युवा छात्रावासों का निर्माण, केन्द्र और राज्य सरकार के बीच लागत के बंटवारे के आधार पर नहीं किया जाता है। युवा छात्रावासों के निर्माण केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम होता है। राज्य सरकार, बिजली, पानी, पहुंच मार्ग, चहारदीवारी सहित पूर्णतः निशुल्क विकसित भूमि उपलब्ध कराती है जबकि केन्द्र सरकार, छात्रावास के भवनों के निर्माण–कार्य पर होने वाली पूरी लागत वहन करती है। बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में एक युवा छात्रावास पहले से ही कार्यरत है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

791. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन के हकदार उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत त्याग पत्र दिए हैं को न्यूनतम 265/– रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पेंशन उसी तरह से जीवन स्तर लागत सूचकांक पर आधारित महंगाई राहत से जुड़ी हुई नहीं है जैसा कि अन्य सरकारी पेंशन भोगियों को मिलती हैं;

(ग) क्या कर्मचारी पेंशन निधि के तहत पेंशन बढ़ाने और इसे जीवन स्तर लागत के सूचकांक जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई राहत की मांग जारों पर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या निर्णय है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन की गणना मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता दोनों के आधार पर की जाती है। फिलहाल, कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत पेंशन में महंगाई भत्ता भी एक कारक है। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि का निर्धारण कर्मचारियों द्वारा की गई अंशदायी सेवा, जिसमें योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभार्थी भी सम्मिलित हैं, की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जो न्यूनतम 265/– रुपये प्रतिमाह के शर्त के अधीन होगी/ योजना के अंतर्गत, पेंशन निधि का मूल्यांकन तथा पेंशन लाभों का वार्षिक आधार पर समीक्षा करने हेतु प्रावधान है। तदनुसार, प्रथम वार्षिक मूल्यांकन के पूरा होने पर, 16.11.1996 से लाभार्थियों को पेंशन भुगतान पर 4 प्रतिशत की राहत स्वीकृत की गई थी। दूसरे वार्षिक मूल्यांकन के पूरा होने पर, 01.04.1998 से पेंशनरों को 5.5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत स्वीकृत की गई थी। कर्मचारी पेंशन योजना, सीमित स्रोतों वाली एक अंशदायी सेवा, योजना है। इसलिए, योजना पर अत्यधिक देयताओं का भार डालना वांछनीय नहीं समझा गया है जो कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध करने के कारण संभावित है।

कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में हाथियों की हत्या

792. श्री रामजीवन सिंह :
डा. श्रीमती सुधा यादव :
श्री दिनेश चंद्र यादव :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में कार्बेट और राजा जी राष्ट्रीय उद्यानों में हाथियों की हत्या अनिष्टकर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार, अभ्यारण्य–वार कितने हाथियों की मृत्यु हुई/मारे गए;

(घ) क्या हाल ही में कार्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों ने हाथियों को कीलें और नुकीली वस्तुएं खिलाकर उन्हें घुट–घुट कर और दुखदायी पीड़ा की मौत मारा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(च) क्या सरकार ने इन जानवरों की देखभाल में ढिलाई और उनके प्रति निर्दयी व्यवहार बरतने के संबंधों में कोई जांच की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है और हाथियों की प्रभावी निवारण के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) 27.12.2000 से 10.2.2001 की अवधि के दौरान कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी दांत चुराने के उद्देश्य से हाथियों को मारे जाने संबंधी पांच मामले प्रकाश में आए हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक मरे या मारे गए हाथियों की संख्या निम्नलिखित है :

	प्राकृतिक मौत (दुर्घटनाओं सहित)	मारे गए (अवैध शिकार)	कुल
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	31	–	31
कार्बेट नेशनल पार्क	11	5	16

(घ) और (ङ) कार्बेट पार्क के प्राधिकारियों द्वारा 27.12.2000 को मारे गए हाथी के बारे में भेजी गई प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार जानवर की आहार संबंधी नली में एक तेज धार वाला लोहे का टुकड़ा मिला है। तथापि, राज्य सरकार के प्राधिकारियों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार हाथियों की हत्या के लिए लगभग 6–7 सेंमी. लंबाई का, अस्त्र या तो बन्दूक द्वारा छोड़ा गया है या तीरकमान द्वारा अस्त्र का प्रयोग किया गया है।

(च) और (छ) भारत सरकार के वरिष्ठ वन्यजीव अधिकारियों ने स्थिति का मौके पर मुआयना करने के उद्देश्य से 12 और 13 फरवरी को पार्क का दौरा किया। दल की रिपोर्ट के अनुसार पार्क में बड़ी मात्रा में रिक्तियां हैं। संचार तंत्र तथा कर्मचारियों की आवाजाही में सुधार की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार से निधियों का हस्तांतरण न होने की वजह से पार्क वित्तीय संकट से भी गुजर रहा है। प्रारंभिक अवस्थाओं में पार्क के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी अपेक्षानुसार नहीं थी।

(ज) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से निम्नलिखित कार्रवाई करने को कहा है :

(i) पार्क के वरिष्ठ अधिकारियों को और अधिक सक्षम तथा प्रतिबद्ध अधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापन।

(ii) फील्ड स्तर के सभी पदों को भरा जाना।

(iii) संचार तंत्र में सुधार ताकि जब कभी भी आवश्यकता हो फील्ड स्टाक दूरस्थ क्षेत्रों में शीघ्रता से पहुंच सके।

(iv) राज्य सरकार से एक आकस्मिकता योजना तैयार करने को कहा गया है जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है।

(v) उत्तर प्रदेश सरकार से भी पार्क हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि को शीघ्रता से उत्तरांचल को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

(vi) मामले की सफलतापूर्वक जांच के लिए सी बी आई से भी राज्य सरकार की सहायता करने का अनुरोध किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा

793. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में 2001–2002 के दौरान टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य का जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टी.डी.एम. बाड़मेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में लाइनें बिछाने के लिए केबलों की कमी का सामना कर रहा है जिसके परिणामसवरूप संसद सदस्य कोटा से बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन आबंटित नहीं किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) यह प्रस्ताव है कि 2001–2002 के दौरान राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 84,600 सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) उपलब्ध कराई जाएं। बाड़मेर और जैसलमेर के जिलों के लिए क्रमशः 2,800

और 800 सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराने के लिए जिलावार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं बाड़मेर ओर जैसलमेर जिलों में संसद–सदस्य कोटे से बिना बारी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए केबल की कमी नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2001–2002 के लिए राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वास्ते जिलावार सीधी एक्सचेंज लाइनों के लक्ष्य

क्र.सं.	दूरसंचार जिला	ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए लक्ष्य
1	2	3
1.	अजमेर	2600
2.	अलवर	7700
3.	बांसवाड़ा	2400
4.	बाड़मेर	2800
5.	भरतपुर	2900
6.	भीलवाड़ा	1900
7.	बीकानेर	2100
8.	बूंदी	1300
9.	चित्तौड़गढ़	2400
10.	चुरू	2100
11.	जयपुर	4200
12.	जैसलमेर	800
13.	झालावाड़	800
14.	झुनझुनु	5200
15.	जोधपुर	3200
16.	कोटा	1400
17.	नागौर	5500
18.	पाली	7000
19.	सवाई माधोपुर	2800
20.	सीकर	4800
21.	सिरोही	7700
22.	श्रीगंगानगर	7400
23.	टोंक	1300
24.	उदयपुर	4300
	जोड़	84,600

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

794. डा. विजय कुमार मल्होत्रा :
कुंवर अखिलेश सिंह :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री तारा चन्द भगोरा :
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों से अधिक समय से 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में और दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के द्वारा कितने बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या रोजगार सृजन के लक्ष्य तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है; और

(घ) प्रतिवर्ष बेरोजगार व्यक्तियों को अधिकतम नौकरियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 30.11.2000 की स्थिति के अनुसार देशभर एवं दिल्ली में स्थित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, क्रमशः 413.52 लाख एवं 9.86 लाख थी।

(ख) 1999 एवं 2000 के दौरान (नवम्बर तक) रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए नियोजनों की संख्या क्रमशः 2.21 एवं 1.62 लाख थी।

(ग) और (घ) चूंकि रोजगार समवर्ती विषय है, इसलिए केन्द्र एवं साथ ही राज्य सरकारें रोजगार सृजन हेतु उत्तरदायी हैं।

योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था में हो रहे रोजगार सृजन के ब्यौरों की जांच करने एवं 10 वर्षों की अवधि में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार (10 मिलियन प्रतिवर्ष) सृजन के अवसरों हेतु उपाय सुझाने के लिए श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है।

समेकित वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास योजना

795. श्री अनन्त नायक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां समेकित वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास योजना लागू की जा रही है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान उक्त प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से उड़ीसा में चलाए गए वन रोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना स्कीम इस समय गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को परियोजना वार किए गए आबंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस स्कीम के तहत उड़ीसा सहित अन्य राज्यों को स्वीकृत की गई परियोजनाओं के अंतर्गत जो वनीकरण संबंधी कार्य किए गए उनमें नर्सरी तैयार करना, वृक्षारोपण कार्य, और जहां मृदा और आर्द्रता संरक्षण कार्य भी शामिल है। नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह की सभी परियोजनाएं लोगों की सहभागिता आधार पर क्रियान्वित की जाती हैं।

विवरण

1999–2000 और 2000–2001 के दौरान एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत जिन परियोजनाओं को आबंटन किया गया और धनराशि रिलीज की गई उनका वर्षवार और राज्यवार विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	वाटरशेड	जिला	1999-2000		2000-2001	
			आबंटन	जारी धनराशि	आबंटन	जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश		निजामाबाद	17.40	8.70	16.61	28.67
		कुड्डप्पा	16.49	16.94	16.77	13.64
		अनन्तपुर	26.03	26.03	27.11	32.12
		कुरनूल	16.89	11.80	16.85	25.28
		चित्तूर	24.99	25.74	24.83	15.60
		खम्माम	50.94	60.44	51.46	51.46
	तटीय शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन	सीकाकुलम विहायनगरम कृष्णा, गुन्टूर और नेल्लौर	0.00	0.00	154.43	79.48
	जोड़		152.74	149.65	308.06	246.55
अरुणाचल प्रदेश	पान्हकाओ कैचमैंट	लोहित	4.15	4.15	9.68	7.30
	सैंग सैल्ला एवं तवांग पी एच–II	तवांग	20.37	26.19	36.72	31.57

1	2	3	4	5	6	7
	तापो–तारक (पीएच–II)	तापो–तारक	11.87	20.00	23.68	0.47
	यनमान वाटरशेड	चैंगलैंग	7.52	7 53	14.15	7.31
	चौंगखाम वाटर शेड	लोहित	0.00	0.00	6.68	5.34
	जोड़		43.91	57.87	90.91	51.99
असम	आरंग वाटरशेड	काछर	16.79	13.43	17.91	7.61
	डारंग ब्लॉक	सोनितपुर	16.79	13.43	17.91	7.89
	काडम–झाडल	लखीमपुर	16.79	13.43	17.91	13.43
	कामरूप	कामरूप	16.79	13.43	17.91	7.93
	करूवा आरैर रोवटा वाटरशेड	डारंग	16.79	13.73	17.91	7.97
	4 वा[illegible]शेड	नागांव	0.00	0.00	9.28	7.42
	जोड़		83.95	67.15	98.83	52.25
बिहार/झारखंड	अजॉय वाटरशेड	देवधर	9.18	9.18	9.54	1.96
	गिरडीह	गिरडीह	27.38	27.38	31.57	16.84
	सुबर्नरेखा वाटरशेड	रांची	24.13	24.13	25.58	13.16
		डुमका	0.00	0.00	19.50	15.60
	जोड़		60.69	60.69	86.19	47.56
गुजरात	भावनगर	भावनगर	67.88	58.94	69.50	46.87
	कोस्टल शैल्टर बेल्ट प्लांटेशन	कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, अमराल्ली, भावनगर और अहमदाबाद	0.00	0.00	280.35	145.58
		सूरत	0.00	0.00	14.91	4.00
		पंचमहल	0.00	0.00	110.44	25.00
	जोड़		67.88	58.94	475.20	221.45
हरियाणा	घग्गर एवं मारकंडा	पंचकुला	81.29	81.29	90.13	77.60
हिमाचल प्रदेश	गिरी जल विभाजक	सिरमौर एवं सोलन	38.56	19.38	45.17	15.89
	देहर–मांगू	मंडी	37.08	18.54	44.02	63.02
	जोड़		75.64	37.92	89.19	78.91

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू एवं कश्मीर	बसन्टर कैचमेंट	कठुआ	57.33	57.60	86.81	44.00
	बरिंगी कैचमेंट	अनंतनाग	57.99	42.49	65.90	0.00
	चेन्नई जल विभाजक	उधमपुर	65.71	47.52	78.67	78.67
	करनाह जल विभाजक	कुपवाड़ा	53.12	20.00	56.37	55.20
	सुखातो जल विभाजक	राजौरी	64.50	52.71	69.56	96.43
	त्रिकुटा हिल्स (पी एच–II)	जम्मू	78.90	79.55	84.48	43.55
	इंदिरा हिल्स	अनंतनाग (मेंट)	0.00	8.20	0.00	0.00
	सुखातो हिल्स	राजौरी (मेंट)	9.58	5.95	0.00	0.00
	त्रिकुटा हिल्स (चरण–I)	जम्मू (मेंट)	10.71	10.71	0.00	0.00
	बसन्टर कैचमेंट	कठुआ (मेंट)	25.00	25.00	22.16	0.00
	चेन्नई जल–विभाजक	उधमपुर (मेंट)	5.16	4.32	0.00	0.00
	बरिंगी कैचमेंट	अनंतनाग (मेंट)	5.00	5.00	0.00	0.00
	बिल्लानी कैचमेंट	(मेंट)	5.04	5.04	0.00	0.00
	जोड़		438.04	364.09	463.85	317.85
कर्नाटक	2 जलविभाजक	चित्रदुर्ग	23.72	23.72	26.78	26.78
	3 जलविभाजक	हसन	40.16	30.11	33.71	33.67
	3 जलविभाजक	टुमकूर	37.45	37.45	38.91	29.55
	4 जलविभाजक	बेलगांव	28.35	28.35	29.11	29.11
	2 जलविभाजक	बीदर	24.01	24.01	23.14	19.14
	4 जलविभाजक	कोलार	17.72	16.72	15.32	15.32
	कोस्टल शैल्टर बेल्ट प्लांटेशन	कन्नारा (साऊथ) उडुक्की एवं कन्नड (यू)	0.00	0.00	26.79	13.86
	जोड़		171.41	160.36	193.76	167.43
केरल	छुलियार एवं अगाली जल विभाजक	पालाकाड	49.39	49.03	125.07	68.43
	देवीयार परियोजना	इदुकी	65.53	52.83	71.94	71.94
	एडमाल्यार	एरनाकुलम	52.77	46.24	32.59	23.13
	इलिथोडु जल विभाजक	एरनाकुलम	38.34	38.34	34.03	40.52

1	2	3	4	5	6	7
	पक्क[illegible] विभाजक	पठानामठिठ्ठा	51.07	51.07	39.88	29.91
	[illegible]	थिरूस्सर	47.64	47.64	43.76	52.82
	सांकली जल–विभाजक	तिरूवनन्तपुरम	58.65	54.27	56.93	99.83
	#	मल्लापुरम	0.00	6.72	0.00	0.00
	कोस्टल शैल्टर बेल्ट (प्लांटेशन)	तिरूवनन्तपुरम कोल्लाम, कन्नौर, अल्पुझा, एरनाकुलम, थिरूस्सर, मालाप्पुरम, कोजी–कोड एवं कसारगोड	0.00	0.00	199.02	99.51
	जोड़		363.39	346.14	603.22	486.09
मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़	भिंड जल–विभाजक	भिंड	40.40	[illegible].30	41.00	0.00
	बीना जल–विभाजक	रायसेन	40.55	15.00	40.13	40.13
	चम्बल जल–विभाजक	मंदसौर	33.17	33.17	36.05	35.95
	कोरल एवं कुंडा जल–विभाजक	वैस्ट नीमर	42.28	12.11	43.33	4 53
	धनेसारा नाला जल–विभाजक	बस्तर	9.19	9.19	4.13	0.00
	दुधी जल–विभाजक	होशंगाबाद	27.48	0.00	28.16	20.53
	कैन जल–विभाजक	छत्तरपुर	38.09	38.09	40.35	23.93
	माही जल–विभाजक	धार	28.93	28.93	29.90	42.43
	पार्वती एवं सिंड	गुना	45.70	23.82	45.80	32.93
	सैंडूर जल–विभाजक	सरगुजा	42.14	29.77	43.52	23.00
	सेओनाथ जल–विभाजक	राजनंदगांव	35.86	35.86	35.21	21.86
	सिंड जल–विभाजक	दतिया	43.76	32.31	45.41	33.49
	सितारेवा जल–विभाजक	छिंदवाड़ा	38.17	38.17	39.17	17.84
	कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र	मांडला	0.00	16.11	36.27	0.00
	सुनारनदी जल–विभाजक	दामोह	0.00	0.00	32.28	25.92
	कुल		465.63	352.83	540.71	322.54
महाराष्ट्र	10–जल–विभाजक	नासिक	27.44	0 00	16.70	11.91
	5–जल–विभाजक	कोल्हापुर	5.96	0.00	6.40	6.39
	बी एम 117, 118, 121 के आर 35	सांगली	23.83	0.00	25.17	18.88

1	2	3	4	5	6	7
	बी एम 39, बी एम 35	पुणे	22.75	9.18	12.15	12.11
	जुन्नेर शिरूर	पुणे	1.44	0.00	0.63	0.00
	6 जल–विभाजक	नासिक	6.56	0.00	3.78	22.24
	धुले	धुले	169.92	0.00	188.44	141.35
		सिंधुदुर्ग	10.55	8.00	13.95	12.80
	जोड़		268.45	17.18	267.22	225.68
मणिपुर	इम्फाल, जल–विभाजक	इम्फाल	139.44	139.44	128.71	122.39
	लोकटॉक कैचमैंट (चरण–II)	इम्फाल	118.60	118.60	88.43	36.94
	मकलांग जल–विभाजक	उखरूल	77.84	77.84	89.83	88.15
	थैबाल जल–विभाजक	थौबाल	132.85	132.85	153.55	80.63
	जोड़		468.73	468.73	460.52	328.11
मेघालय	चिबोक जल–विभाजक		13.61	10.21	19.60	14.70
मिजोरम	कर्णफुली जल–विभाजक	छिमटुपुई	15.30	15.20	15.44	28.98
	तिआड जल–विभाजक	आइजोल ईस्ट	32.99	32.99	35.53	35.53
	तलांग जल–विभाजक	आइजोल	66.54	66.54	69.20	54.91
	तुइवॉल जल–विभाजक	आइजोल ईस्ट	32.83	32.83	34.10	30.00
	जोड़		147.66	147.56	154.27	149.42
नागालैंड	जी जैड यू–यू	कोहिमा	24.80	18.60	40.80	30.60
	मुगुईकी जल–विभाजक	कोहिमा	34.88	20.00	57.38	43.04
	जोड़		59.68	38.60	98.18	73.64
उड़ीसा	तेल जल–विभाजक	एन के बी जिला	152.89	0.00	204.60	153.45
	चिल्का जल–विभाजक	के एन पी जिला	44.15	0.00	58.35	43.76
	सालेंडी जल–विभाजक	के एन जिला	38.60	0.00	54.26	90.70
	सिमलीपाल टाइगर रिजर्व	जिला मयूरभंज	23.59	18.50	27.17	0.00
	हडुआ चटारा	कटक	46.93	37.54	82.03	0.00
	केलुआ वाड़ा गेंगुटी	जाजपुर	27.40	21.92	50.75	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	बाड़ीपाड़ा एफ डिविजन	मयूरभंज, बालासौर और भद्रक	28.68	22.94	37.65	0.00
	करंजिया एफ डिविजन	मयूरभंज	28.67	22.93	37.66	0.00
	महानदी और ब्राह्मणी	कटक और जाजपुर	56.94	37.54	87.03	0.00
	6 जल–विभाजक	कियोनझर	40.14	32.12	52.72	0.00
	बर्हानदी लोहार, खंडी	गंजम	51.46	41.17	89.48	0.00
	कुआखई बाड़ा गंगुआ	खुर्दा	45.20	5.00	80.50	0.00
	कोस्टल शेल्टर बैल्ट प्लांटेशन	पुरी	0.00	0.00	278.68	159.59
	कोस्टल शेल्टर बैल्ट प्लांटेशन	गंजम	0.00	0.00	44.30	26.07
	कोस्टल शेल्टर बैल्ट प्लांटेशन	बालासौर	0.00	0.00	35.44	20.86
	कोस्टल शेल्टर बैल्ट प्लांटेशन	केन्द्रपाड़ा	0.00	0.00	277.21	100.00
	कोस्टल शेल्टर बैल्ट प्लांटेशन	जगतसिंहपुर	0.00	0.00	226.21	129.35
	कोस्टल शेल्टर बैल्ट प्लांटेशन	भद्रक	0.00	0.00	8.86	5.22
	जोड़		584.65	239.66	1732.90	729.00
पांडिचेरी	कोस्टल शेल्टर बैल्ट प्लांटेशन	पांडिचेरी, करईकल, यानम और माहे सर्किल	0.00	0.00	41.62	20.12
पंजाब	सतलुज	रूप नगर	112.49	28.62	113.02	0.00
राजस्थान	11 जल–विभाजक	बांसवाड़ा	85.45	85.36	152.07	147.81
	10 जल–विभाजक	झालावाड़	55.53	35.00	119.16	66.17
	लाडपुरा और मंडाना	कोटा	70.51	75.00	158.12	71.70
	5 जल–विभाजक	टोंक	43.25	51.43	72.18	29.97
	3 रेंजेस	उदयपुर	78.94	95.00	173.54	117.02
	सरिस्का टाइगर रिजर्व	अल्वर	43.47	34.78	56.67	0.00
	जोड़		377.15	376.57	731.74	432.67
सिक्किम	डजोंगु जल–विभाजक	नार्थ सिक्किम	48.18	33.45	44.45	0.00
	रंगपोचु जल–विभाजक	ईस्ट सिक्किम	139.20	76.37	133.57	183.01
	जोड़		187.38	109.82	178.02	183.01

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु		मदुरै	35.13	0.00	38.73	0.00
	कोस्टल शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन	चैन्नई धर्मपुरी ट्रिचि और विरूधुनगर	0.00	0.00	156.81	84.55
	कुल		35.13	0.00	195.54	84.55
त्रिपुरा	10 जल–विभाजक	अगरतला	94.24	37.77	97.46	91.51
उत्तर प्रदेश	अमितियार गड़ कैचमेंट	देहरादून	78.65	72.90	81.72	66.29
उत्तरांचल	जयकुरगड जल–विभाजक	उत्तरकाशी और टेहरी	81.03	40.52	89.73	79.66
	खोह–सुखरो	पौंडी	64.80	58.60	75.54	51.44
	कोशी–रामगड़	नैनीताल	174.90	126.40	191.31	102.35
	कार्बेट नेशनल पार्क	रामनगर–नैनीताल	45.80	2.68	60.60	30.80
		नैनीताल (मेंट)	15.25	15.25	0.00	0.00
		देहरादून (मेंट)	13.68	13.68	0.00	0.00
	उद्यान कृषि	ताज वनीकरण	0.00	3.57	0.00	0.00
	वन विभाग	ताज वनीकरण	19.83	34.11	5.77	3.34
		हरदोई	0.00	0.00	13.14	3.00
	वन विभाग	आगरा	0.00	0.00	53.02	53.02
		बिजनौर	0.00	0.00	4.51	1.50
	कुल		493.94	367.71	575.34	391.40
पश्चिम बंगाल	मृदा संरक्षण प्रभाग	3 नार्थ बंगाल	93.16	83.95	98.38	48.22
	सुंदरबन बायो–रिजर्व	24 परगना साऊथ	93.16	86.69	98.36	44.78
	कोस्टल शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन	खड़कपुर	0.00	0.00	13.80	7.60
	हिल सर्कल	दार्जिलिंग कुरसियांग	0.00	0.00	22.00	17.00
	जोड़		186.32	170.64	232.54	117.60
	कुल जोड़		5034.00	3750.00	7938.12	4911.63

[हिन्दी]

रूस के साथ समझौता

796. श्री बाबूभाई के. कटारा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन के संबंध में भारत और रूस के बीच फरवरी, 2001 में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते से भारत को क्या लाभ हुए अथवा होने की सम्भावना है; और

(घ) यह समझौता किस तारीख से प्रभावी होगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारत और रूस के बीच दिनांक 14 फरवरी, 2001 को विमानन सुरक्षा के संवर्धन के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) करार में विमान, अनुरक्षण सुविधाओं तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों सहित नागर वैमानिकी उत्पादों के प्रमाणन संबंधी पारस्परिक स्वीकृति तथा अनुमोदन की व्यवस्था है बशर्ते कि मानक और प्रणाली पर्याप्ततया तुल्य और कुट्टनीय हो।

(ग) इस करार का आशय दोनों देशों द्वारा नागर विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए मानकों और प्रणालियों के बीच सामंजस्य बैठाना है और विमानन उद्योग तथा प्रचालकों पर पडे आर्थिक बोझ को अतिरिक्त निरीक्षणों, मूल्यांकनों तथा परीक्षण करके कम करना है।

(घ) यह करार हस्ताक्षर की तारीख से ही प्रभावी हो गया है।

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में कमी

797. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.एस.एस.ओ. द्वारा कराये गए नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार देश में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में ऐसी कमी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या सरकार का शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था में हो रहे रोजगार सृजन के ब्यौरों की जांच करने एवं 10 वर्षों की अवधि में 100 मिलियन रोजगार (10 मिलियन प्रतिवर्ष) सृजन के अवसरों हेतु उपाय सुझाने के लिए श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है।

टी.आर.ए.आई. की सिफारिशें

798. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री किरीट सोमैया :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने सेल्यूलर टेलीफोन आपरेटर्स के राजस्व हिस्से को कम करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने टी.आर.ए.आई. की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में सेल्यूलर उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) घरेलू और विदेशी निवेशकों पर उक्त सिफारिशों का क्या प्रभाव है;

(छ) क्या इस निर्णय से इस क्षेत्र में और कम्पनियों के आने की संभावना है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस क्षेत्र में नई कम्पनियों के प्रवेश के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (ज) सेल्यूलर उद्योग की ओर से भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ (सीओएआई) ने अन्य बातों के साथ–साथ यह अभ्यावेदन किया कि बुनियादी सेवा प्रदाताओं को सीमित गतिशीलता (मोबिलिटी) की अनुमति देने से उनके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने, सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस शुल्क को बुनियादी सेवा प्रदाताओं के बराबर लाने, जीएसएम (मोबाइल संचार की ग्लोबल प्रणाली) का प्रयोग करते हुए फिक्स्ड फोनों की व्यवस्था करने, निर्धारित स्तर (फिक्स्ड लेग) की कॉल के लिए सेल्यूलर प्रचालकों द्वारा एकत्र प्रभारों में से 5 प्रतिशत रखना, इंटरकनेक्शन के और अधिक प्वाइंट प्रदान करने सहित उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि प्रचालन का समान अवसर सुनिश्चित हो सके। सेल्यूलर सेवाओं के कॉल प्रभारों के घट जाने से पिछले एक वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिससे राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हुई है। सरकार आशा करती है कि इससे घरेलू और विदेशी निवेशकों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा इससे सेल्यूलर और बुनियादी सेवा–क्षेत्र में और अधिक कंपनियां आकर्षित होंगी।

(झ) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नये सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं (सीएमटीएसपी) के प्रवेश हेतु मानदंड

मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1. बोलीदाता कंपनी, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए।

2. बोलीदाता कंपनी कई सेवा क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकती है बशर्ते कि कंपनी ने नेटवर्थ, अनुभव आदि जैसी प्रवेश संबंधी सभी शर्तों को पूरा कर लिया हो।

3. सीएमटीएस के लिए लाइसेंस, गैर–विशिष्ट आधार पर 20 वर्ष की अवधी के लिए जारी किया जाएगा जिसे एक बार दस वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

4. बोलीदाता कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. लाइसेंस, "मल्टी–स्टेज इन्फार्म्ड असेंडिंग बिडिंग प्रोसेस" के अनुसार तैयार की गई निविदा प्रक्रिया के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।

6. कंपनी की नेटवर्थ 30 करोड़ रु. और 50 करोड़ रु. और 100 करोड़ रु. होगी तथा प्रदत्त इक्विटी "ग" "ख" और "क" सर्किल श्रेणी के लिए क्रमशः 3 करोड़ रु. तथा 10 करोड़ रु. होगी। संबंधित सर्किल में सेवा प्रदान करने के संबंध में बोली लगाने वाली सेवा प्रदाता कंपनी की नेटवर्थ जोड़ी जाएगी।

7. प्रवर्तक कंपनी समान सेवा क्षेत्र के लिए एक से अधिक बोलीदाता कंपनी में साझोदारी नहीं रख सकती।

8. मौजूदा लाइसेंस धारक समान सेवा क्षेत्र के लिए बोली नहीं लगा सकते हैं।

9. बोलीदाता कंपनी और/अथवा उसकी प्रवर्तक कंपनी दोनों को दूरसंचार क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए।

10. सफल बोलीदाता को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अन्तिम बोली के आधार पर बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। कंपनी को "क", "ख" और "ग" सेवा क्षेत्रों के लिए 50, 25, और 15 करोड़ रु. के बराबर की वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) तथा 20, 10 और 2 करोड़ रु. के बराबर की राशि की कार्य निष्पादन बैंक गारंटियां (पीबीजी) भी प्रस्तुत करनी होंगी।

11. सेल्यूलर सेवाओं के संबंध में नए और मौजूदा प्रचालनों के लिए, लाइसेंस फीस, मेट्रो सेवा क्षेत्रों तथा श्रेणी "क" सर्किलों के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 12 प्रतिशत, श्रेणी "ख" सर्किलों के लिए एजीआर का 10 प्रतिशत तथा श्रेणी "ग" सर्किलों के लिए एजीआर का 8 प्रतिशत तक कमी करके बुनियादी सेवाओं के बराबर रखी जाएगो, इसमें स्पेक्ट्रम प्रभार शामिल नहीं होंगे।

12. इसके अलावा, सेल्यूलर लाइसेंसधारकों, को 4.4 मेगाहर्ट्स तक के स्पेक्ट्रम के लिए एजीआर को 2 प्रतिशत (अथवा

6.2 मेगाहर्ट्स तक के स्पेक्ट्रम के लिए एजीआर का 3 प्रतिशत) की राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करना होगा।

13. ये फ्रिक्वेंसियां राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आबंटन योजना–2000 (एनएफएपी–2000) में निर्धारित अभिज्ञात बैंडों से आबंटित की जाएंगी। रिक्त स्लॉटों के लिए चयनित आपरेटरों को 935–960 मेगाहर्ट्स सहित 890–915 मेगाहर्ट्स के सेल्यूलर बैंड में तथा चौथे सेल्यूलर ऑपरेटर को 1805–1880 मेगाहर्ट्स सहित 1710–1785 मेगाहर्ट्स के सेल्यूलर बैंड में उपयुक्त फ्रिक्वेंसी स्पॉट आबंटित कराए जाएंगे। संचयी रूप से अधिकतम 4.4 मेगाहर्ट्स + 4.4 मेगाहर्ट्स की अनुमति होगी। प्रयोग, औचित्य और उपलब्धता के आधार पर 1.8 मेगाहर्ट्स + 1.8 मेगाहर्ट्स तक अतिरिक्त स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा, जिससे कुल 6.2 मेगाहर्ट्स + 6.2 मेगाहर्ट्स + 6.2 मेगाहर्ट्स हो जाएगा।

14. **न्यूनतम रॉल-आउट दायित्व** : दूरसंचार सर्किलों में, कम से कम 10% जिला मुख्यालय (डीएचक्यू) लाइसेंस की प्रभावी तारीख से पहले वर्ष में कवर किए जाएंगे तथा 50% जिला मुख्यालयों को तीन वर्षों के अन्दर कवर किया जाएगा। लाइसेंसधारकों को यह अनुमति भी होगी कि जिला मुख्यालयों के बदले जिले में किसी अन्य नगर को कवर कर ले। डीएचक्यू नगर की कवरेज का तात्पर्य है कि नगरपालिका की सीमाओं का कम से कम 90% हिस्से में सड़कों और भवनों के अन्दर अपेक्षित कवरेज हो जानी चाहिए। मेट्रो शहरों में, प्रभावी तारीख के एक वर्ष के भीतर 90% सेवा क्षेत्र कवर किया जाना चाहिए। लाइसेंस की प्रभावी तारीख की स्थिति के अनुसार जिला मुख्यालयों को लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कास्टिक सोडा फैक्टरी

799. श्री महेश्वर सिंह : क्या **खान** मंत्री 20.11.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के दरांम क्षेत्र में बड़ी संख्या में नमक की चट्टानों को देखते हुए नमक के घोल पर आधारित कास्टिक सोडा फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले के दरांम क्षेत्र में नमक घोल पर आधारित कास्टिक सोडा फैक्ट्री स्थापित करने के बारे में हाल ही में भारत सरकार को काई प्रस्ताय प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवाएं

800. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने असीमित प्रतिस्पर्धा और पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा के लिए नए लाइसेंस जारी करने के लिए बिना किसी अलग प्रवेश शुल्क की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बी.आर.ए.आई. ने महानगरों में सेवा क्षेत्रों के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवा (पीएमआरटीएस) के नए लाइसेंस के लिए निबंधन एवं शर्तों के संबंध में, टीआरएआई की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है। टीआरएआई. (संशोधन) अधिनियम, 2000 के संदर्भ में, सिफारिशों के कतिपय–पहलुओं के संबंध में 12 फरवरी, 2001 को टीआरएआई को पिछला हवाला (बैक रैफरेंस) दिया गया है। टीआरएआई का अगला उत्तर प्राप्त होने के पश्चात सरकार द्वारा अंतिम निर्णय यथासमय लिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि तथा यातायात नियंत्रित करने के लिए विधायी प्रस्ताव

801. श्री मोहन रावले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूमि तथा यातायात नियंत्रित करने के संबंध में एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) इस विधेयक में यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के नियंत्रण तथा अनधिकृत कब्जों को हटाने की व्यवस्था की जाए।

(ग) इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए इस अवस्था में कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

झारखंड में सिंचाई परियोजनाएं

802. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में गढ़वा और पलामू जिलों में कन्हार, औरंगा और कुटाकू परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित संशोधित लागत कितनी है और परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराने में कौन सी परेशानियां सामने आ रही हैं; और

(ग) परियोजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) औरंगा–यह परियोजना पर्यावरण स्वीकृति, पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना तथा जल वैज्ञानिक अध्ययन के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति की 27.8.93 को हुई 55वीं बैठक में स्वीकार की गई थी। राज्य सरकार से तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालना अभी होनी है। इस परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 529.49 करोड़ रुपये है।

कन्हार–संशोधित परियोजना रिपोर्ट 11/98 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी और टिप्पणियां सितम्बर, 1999 में राज्य सरकार को भेजी गई थीं। उनकी अनुपालना अभी प्राप्त होनी है। इस परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 1015.76 करोड़ रुपये हैं।

कुटाकु (उत्तर कोयल) –836.11 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना रिपोर्ट मई, 1999 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी और टिप्पणियां सितम्बर, 1999 में राज्य सरकार को भेजी गई हैं। उनकी अनुपालना अभी प्राप्त होनी है।

राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों में से और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। इन सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी तत्परता से केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

[अनुवाद]

सड़क निर्माण हेतु सीमेंट का उपयोग

803. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 54,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए सीमेंट की अधिक मात्रा उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों के अनुसार इस निर्णय से परियोजना की लागत तेजी से बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने सड़कों तथा राजमार्गों के निर्माण हेतु सीमेंट के उपयोग की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की सोच रही है; और

(च) यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में सीमेंट कंकरीट और डामर युक्त मार्गों दोनों को अपनाने का निर्णय लिया है। यद्यपि, सीमेंट कंकरीट मार्ग की प्रारंभिक लागत अधिक है, कंकरीट मार्ग की जीवन चक्र लागत प्रभावी पाई गई है।

(ग) और (घ) स्टेज निर्माण के लिए अनुत्तरदायित्व, निर्माण उपस्कर की कमी, कंकरीट सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त अनुभव और निर्माण एजेंसियों का अभाव सीमेंट कंकरीट सड़कों की कुछ खामियां हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) दीर्घकालीन लागत लाभ और कंकरीट सड़कों के लिए अनुभव और एजेंसियों के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस समय इस निर्णय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

पटना में विमान दुर्घटना

804. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'मेजर प्लेन मिशैप एवर्टेड' नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावनाओं को टालने के लिए सावधानी के तौर पर सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता से पटना जानेवाली एलायंस एअर बोइंग–737 को दिनांक 23.1.2001 को घूमकर जाना पड़ा क्योंकि विमान यातायात नियंत्रक (ए.टी.सी.) को हवाईपट्टी पर एक जीप दिखाई दी। विमान ने घूमकर चक्कर काटा और फिर पटना हवाई अड्डे पर सही–सलामत उतरा।

(ग) और (घ) घटना की जांच की गई और पाया गया कि दृश्यता–स्थिति का पता लगाने के लिए मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की जीप बिना समन्वय स्थापित किए ही हवाईपट्टी पर पहुंच गई।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है कि विमान यातायात नियंत्रण के कर्मचारियों को इस उद्देश्य से विमान में ही लगाया जाएगा और मौजूदा समन्वय पर जोर देते हुए इसके कठोर अनुपालन के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई है।

[हिन्दी]

फैक्ट्री कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं

805. डा. संजय पासवान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा फैक्ट्री कामगारों का कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का औचक या नियमित निरीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उक्त केन्द्रों तथा अस्पतालों के संबंध में निरीक्षण रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का घटिया चिकित्सा सुविधाओं के लिए बदनाम ई.एस.आई. को चिकित्सा सेवाओं का औचक निरीक्षण कराने का प्रस्ताव है ताकि गरीब कामगारों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उक्त निगम के पास उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये सुविधाएं ई.एस.आई. के लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस स्थिति के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के बीमित श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा तथा उपचार देने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 37 औषधालय, 4 जांच केंद्र, 2 आपातकालीन केन्द्र तथा 4 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित किए हैं। इन कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा केन्द्रों का कामकाज सामान्यतः संतोषजनक है। तथापि, चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक चुस्त–दुरुस्त बनाने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अतिरिक्त निदेशक (निरीक्षण), अतिरिक्त निदेशक (औषधालय/अस्पताल), निदेशक (चिकित्सा, दिल्ली) चिकित्सा अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक रूप से अस्पतालों/औषधालयों के औचक तथा सामान्य दौरे/निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण के दौरान कभी–कभार छोटी–मोटी खामियां सामने आती हैं, जैसे–कुछ उपकरणों का काम न करना, कर्मचारियों का उपस्थित न रहना, सफाई न होना आदि। जानकारी मिलने पर इन कमियों/खामियों को दूर कर दिया जाता

है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को संतोषजनक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमित लोगों को संपूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जैसे–अस्पताल में भर्ती करवाना, विशेषज्ञ परामर्श, घरेलू सेवा, आयुर्वेदिक उपचार आदि।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल सेल्यूलर सेवा

806. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री एम. के. सुब्बा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (एन.ई.आर.) के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वर्तमान में सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ये सुविधाएं झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों में देने के प्रस्ताव हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी नगरों में सेल्यूलर टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की योजना की घोषणा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस), के प्रयोजन से झारखंड राज्य बिहार दूरसंचार सर्किल के सीएमटीएस लाइसेंस के तहत आता है। सीएमटीएस इस समय बिहार दूरसंचार सर्किल के 23 शहरों में सेवा प्रदान कर रहा है जिनके नाम हैं; पटना, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, झरिया, हाजीपुर, दानापुर, चास, मुजफ्फरपुर, गया, हजारीबाग, भागलपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, मधुबनी, बेगुसराय, सिवान, मोतीहारी, रक्सौल, छपरा, बोकारो, समस्तीपुर तथा बेतिया। पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल में शिलांग तथा गुवाहाटी में यह सेवा प्रदान की जा रही है।

(ख) से (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने देश के कुछ भागों, जिनमें पलामू तथा गरवाह जिले भी शामिल हैं, में सीएमटीएस उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

(ङ) और (च) भारत संचार निगम लिमिटेड की योजना आवश्यक अनापत्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात् पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल 49 बड़े कस्बों/शहरों में सेल्यूलर सेवा प्रदान करने की है। इस सेवा के 2001–02 से चरणबद्ध रूप में उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

राजमार्गों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा

807. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को नेपाल से जोड़ने वाले राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित राजमार्गों के नाम क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बस्ती जिले को लुम्बिनी (नेपाल) वाया सिद्धार्थ नगर से जोड़ने वाले राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में कब तक घोषित किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 ए, 31 सी, 77, 104, 105 और 106 भारत को नेपाल से जोड़ते हैं।

(ग) से (ङ) यातायात की आवश्यकता, प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार पर विचार किया जाता है। अतः कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण में लंबित मामले

808. श्री राम टहल चौधरी :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार औद्योगिक और श्रम न्यायाधिकरण में लंबित मामलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

31.12.2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह–श्रम न्यायालय में लम्बित मामलों को दर्शाने वाला विवरण

(ख)

क्र.सं.	के.स.औ.अ. सह श्रम न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	असनसोल	409
2.	बंगलौर	515
3.	कलकत्ता	200 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार
4.	चंडीगढ़	1787
5.	धनबाद–1	1539
6.	धनबाद–2	1339 30.11.2000 की स्थिति के अनुसार
7.	जबलपुर	1367
8.	जयपुर	125
9.	कानपुर	620
10.	लखनऊ	213
11.	नागपुर	294
12.	नई दिल्ली	1087
13.	मुम्बई–1	204
14.	मुम्बई–2	278
15.	हैदराबाद–20.1.2000 से कार्य करना शुरू किया	–
16.	चेन्नई–15.03.2000 से कार्य करना शुरू किया	63
17.	भुवनेश्वर–05.06.2000 से कार्य करना शुरू किया	34
	योग	10074

मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण :

(1) अनेकों उच्च न्यायालयों से न्यायिक अधिकारियों के नाम समय पर प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति में विलम्ब।

(2) विवाद से संबंधित पक्षों द्वारा मांगा गया स्थगन।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन समानता, निष्पक्षता और नैसर्गिक न्याय के हित में प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप, पीठासीन अधिकारियों द्वारा मामलों को शीघ्रता से निपटाने के प्रयास जुटाए जाने के बाबजूद भी मामलों के निपटान की गति धीमी पड़ जाती है।

(ग)

(I) सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाए जा रहे हैं।

(II) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों में कमी लाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में मामलों को समय–समय पर पीठासीन अधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

मजदूर संघ के नेताओं द्वारा श्रमिकों का शोषण

809. श्री रामजी मांझी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघ के अधिकांश नेता मालिक/प्रबंधन के साथ सीधी मिलीभगत करके हजारों श्रमिकों का शोषण करते हैं तथा ऐसे मजदूर संघ के नेताओं के खिलाफ सरकार के पास काफी लंबे समय से शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों में सरकार द्वारा क्या विधि सम्मत कार्यवाही की गई है; और

(ग) किन परिस्थितियों के तहत बारानगर जूट मिल, कलकत्ता के श्रमिकों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रबंधक को आग में झोंक दिया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शीशम के पेड़ों का लुप्त होना

810. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शीशम के पेड़ों में फफूंदी लगने के कारण यह तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन पेड़ों को कितनी क्षति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून (आई सी एफ आर ई) द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सड़क के किनारे, नहरों की कगारों, कृषि भूमि, क्ले मिट्टी एवं दलदली क्षेत्रों में लगे हुए शीशम (दलबरिया सिस्सू) के पेड़ों की क्षति देखने में आई है। फ्यूसेरियम गनोडरमा और फलिनस को इस क्षति का संभावित कारण माना गया है। देश के प्राकृतिक वनों में लगे शीशम वृक्षों में ऐसी क्षति नहीं देखी गई है।

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान शीशम के पेड़ों को हुई क्षति के परिमाण का कोई अधिकृत मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्मिकों की नियमों के खिलाफ नियुक्ति

811. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए कई व्यक्तियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपहरण के दौरान पायलटों को मार्गदर्शन

812. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपहरण के दौरान पायलटों को मार्गदर्शन देने के संबंध में कोई ठोस नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) अपहरण की स्थिति से निपटने के लिए विमानचालकों के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देशों का उल्लेख वर्तमान आपातकालीन योजना में पहले ही किया हुआ है।

देश में सड़कों पर वाहन

813. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सड़कों पर चल रहे वाहनों की अनुमानित संख्या क्या है; और

(ख) वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी को नियमित करने तथा नगरों की सड़कों को जाम होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) उपलब्ध

सूचना के अनुसार, देश में पंजीकृत वाहनों की संख्या इस प्रकार है :

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	पंजीकृत वाहनों की संख्या
1996	33783
1997	37231
1998	40939

(ख) मुख्यतः सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार करके शहर में वाहनों की वृद्धि रोकी जा सकती है। स्थानीय समस्याओं के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों/सिविल ऐजेंसियों द्वारा शहर विशिष्ट रणनीति तथा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार की रणनीति अपनाई जानी है।

असंगठित श्रम क्षेत्र के कल्याण हेतु विशेष योजना

814. **डा. वी सरोजा :**
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में असंगठित श्रम क्षेत्र में श्रम शक्ति तथा उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही विशेष योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत में संगठित श्रम शक्ति उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जो उनके पास होने चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सुविधा विपन्न असंगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु भविष्य निधि सुविधा सहित कई कार्यक्रम शुरू किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त कार्यक्रमों को किस प्रकार वित्तपोषित किया जाता है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1993–94 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 335 मिलियन था। इसमें से लगभग 27 मिलियन असंगठित क्षेत्रों और शेष 308 मिलियन संगठित क्षेत्र में थे। असंगठित श्रम बल का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में कामगारों के मौलिक विशेषाधिकार और अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत से श्रम कानून बनाए हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966, अंतर राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976, भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 इत्यादि शामिल हैं। बीड़ी, भवन और निर्माण, गुर्गीपालन, कृषि फार्म, फलों के बगीचे, पशु प्रजनन, चाय, कॉफी, रबर, इलायची, काली मिर्च के वृक्ष/पौधे लगाने, अगरबत्ती/धूप बनाने, कॉयर, तम्बाकू, चटनी बनाने, कत्था बनाने, ईंट उद्योग इत्यादि जैसे कतिपय असंगठित क्षेत्रों में नियोजित कामगार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में स्वीकृत और प्रदत्त भविष्य निधि पेंशन योजनाओं में शामिल किए जाते हैं।

सरकार देश के ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के कल्याण और उनकी स्थिति में सुधार के लिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार आश्वासन योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इत्यादि अनेक प्लान योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है।

नौवीं योजना अवधि और 2000–2001 के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत निधि का आबंटन निम्नवत है :

योजना का नाम	नौवीं योजना के लिए निधियों का आबंटन (रु. करोड़ों में)	2000–2001 के के आबंटन (रु. लाखों में)
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	4690.00	865.00
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	7095.90	2193.00
रोजगार आश्वासन योजना	8690.00	1530.00

विवरण

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुमानित व्यक्तियों की संख्या

(हजारों की संख्या में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	32513	राजस्थान	17392
असम	6047	सिक्किम*	163
बिहार	26857	तमिलनाडु	24365
गुजरात	15051	त्रिपुरा	834
हरियाणा	4249	उत्तर प्रदेश	45364
हिमाचल प्रदेश	1999	पश्चिम बंगाल	20982
जम्मू व कश्मीर	2269	अंड. निको. द्वीपसमूह	74
कर्नाटक	18550	अरुणाचल प्रदेश*	410
केरल	8935	चंडीगढ़	211
मध्य प्रदेश	26883	दादरा और नगर हवेली*	58
महाराष्ट्र	31366	दिल्ली	2686
मणिपुर	574	गोवा	353
मेघालय	918	दमन और दीव	33
नागालैण्ड	288	लक्षद्वीप*	16
उड़ीसा	11689	मिजोरम	255
पंजाब	5832	पांडिचेरी	247
	कुल		307428

*यह संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों की कुल संख्या है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का अलग–अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तथा मानस राष्ट्रीय बाघ परियोजना

815. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तथा मानस राष्ट्रीय बाघ परियोजना की हालत में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इन पार्कों की उचित देख–रेख तथा इनके सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) असम स्थित मानस बाघ अभ्यारण बोडो उपद्रव से काफी प्रभावित हुआ है। वन्यजीव कर्मचारी आवा–जाही करने और निर्बाध रूप से ड्यूटी करने में अयोग्य हो गए हैं।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वोत्तम प्रबंधन वाले उद्यानों में से एक है तथा क्षेत्र की वन्यजीव संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है।

(ग) और (घ) मानस को बाघ आरक्षित क्षेत्र होने के नाते कार्य की अनावर्ती मदों के लिए शतप्रतिशत और कर्मचारियों के वेतन सहित आवर्ती व्यय के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अब तक की अनावर्ती मदों के लिए 100 प्रतिशत तथा आवर्ती मदों के लिए 50 प्रतिशत सहायता प्राप्त कर रहा था। इस वर्ष से पदवृद्धि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतन सहित शतप्रतिशत आवर्ती लागत की पूर्ति हेतु वित्तपोषण में बढ़ोत्तरी कर दी गई है।

वर्ष	जारी की गई धनराशि (लाख रूपये में)	
	काजीरंगा नेशनल पार्क	मानस बाघ रिजर्व
1997–98	50.89	75.105
1998–99	50.85	35.00
1999–2000	0.44	87.29
2000–2001	45.60	73.00

खेलकूद स्टेडियम

816. श्री पी. डी. एलानगोवन :
श्री राजो सिंह :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खेलकूद को प्रोत्साहित करने हेतु देश में विशेषरूप से तमिलनाडु और बिहार में और ज्यादा खेलकूद स्टेडियम बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में मौजूदा खेलकूद स्टेडियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार देश में खेलकूद संबंधी गतिविधियों के विकास हेतु कितनी राशि आबंटित की गई तथा वितरित की गई; और

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को विकसित करने के तथा पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) चूंकि खेल राज्य का विषय है, अतः यह राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए खेल अवस्थापना का सृजन करें। तथापि, इस दिशा में इनके प्रयासों को पूरा करने के लिए, "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, खेल सुविधाओं के सृजन हेतु समतुल्य हिस्से के आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, बशर्ते कि व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों। वर्ष 1998–99 के आगे के वर्षों के लिए अनुमोदित खेल स्टेडियम परियोजनाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) तमिलनाडु में भारत सरकार से स्वीकार्य वित्तीय सहायता के द्वारा निर्माण के लिए अनुमोदित खेल स्टेडियमों का ब्यौरा इस प्रकार है : (1) मद्रास में राज्य स्तरीय खेल परिसर; (2) खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस.पी.डी.ए.) केन्द्र, सालेम; (3) तूतीकोरिन, चिदम्बरानार में खेल परिसर; (4) तूती कोरिन में वाई. एम.डी.ए. द्वारा इंडोर स्टेडियम; (5) धर्मपुरी, पेरियार में इंडोर स्टेडियम; (6) डिंडीगुल में जिला स्तरीय खेल परिसर; और (7) नागापट्टीनम में जिला स्तरीय खेल परिसर। इनमें वे स्टेडियम शामिल नहीं हैं जिनका निर्माण केन्द्रीय सहायता के बगैर अन्य एजेंसियों द्वारा किया गया है।

(घ) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, कोई राज्यवार धनराशि चिन्हित नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित खेल परियोजनाओं के लिए जारी किए गए राज्यवार अनुदानों की सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद के विकास तथा परंपरागत खेलकूद संवर्धन के लिए भारत सरकार (1) ग्रामीण स्कूलों को अनुदान; (2) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अनुदान; (3) ग्रामीण खेल कार्यक्रम; (4) ग्रामीण खेल टूर्नामेंट और (5) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए महोत्सव की योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

विवरण-I

1998–1999 से आगे के वर्षों के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुमोदित स्टेडियमों संख्या

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ	1998–99		1999–2000		2000–2001	
		स्टेडियमों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता	स्टेडियमों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता	स्टेडियमों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	3	447.49
2.	असम	1	31.41	1	30.00	3	162.00
3.	बिहार	1	186.25	–	–	–	–
4.	दिल्ली	1	17.80	–	–	–	–
5.	गुजरात	–	–	1	60.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हिमाचल प्रदेश	1	2.24	–	–	3	255.00
7.	कर्नाटक	–	–	2	98.00	1	60.00
8.	केरल	1	53.00	3	82.25	1	18.00
9.	मणिपुर	–	–	2	179.87	4	106.50
10.	मिजोरम	–	–	6	162.00	2	57.00
11.	नागालैंड	1	90.00	3	330.00	3	330.00
12.	मध्य प्रदेश	1	18.215	1	30.00	3	118.49
13.	गुजरात	–	–	3	180	11	700.41
14.	राजस्थान	–	–	–	–	1	18.72
15.	तमिलनाडु	–	–	1	79.50	3	168.00
16.	उत्तर प्रदेश	–	–	4	72.44	–	–

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	45,00,000	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	15,00,000	–
3.	असम	33,00,000	2,00,000	2,50,875
4.	बिहार	शून्य	23,79,000	–
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	7,12,000	10,80,000	67,04,800
7.	हरियाणा	51,94,500	9,30,600	–
8.	हिमाचल प्रदेश	95,05,275	29,74,820	10,00,000
9.	जम्मू व काश्मीर	38,90,000	शून्य	88,775
10.	कर्नाटक	73,24,850	21,39,350	83,15,850
11.	केरल	40,99,170	2,04,300	6,39,518
12.	मध्य प्रदेश	21,60,000	5,00,000	41,47,000
13.	महाराष्ट्र	15,80,000	26,00,000	44,04,800
14.	मणिपुर	10,00,000	शून्य	17,00,000
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	–
16.	मिजोरम	शून्य	21,54,900	–
17.	नागालैंड	30,00,000	70,00,000	1,10,00,000
18.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	–
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	2,24,72,000
20.	राजस्थान	8,21,200	5,21,800	5,59,150
21.	सिक्किम	8,10,000	–	27,606
22.	तमिलनाडु	25,52,400	60,650	20,93,915
23.	त्रिपुरा	1,23,67,500	शून्य	76,95,500
24.	उत्तर प्रदेश	21,50,000	15,00,000	–
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	1,46,000	–
26.	दिल्ली	शून्य	8,11,000	16,00,000

1	2	3	4	5
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चंडीगढ़	17,50,000	शून्य	शून्य
3.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
4.	दमन व दीव	2,82,000	शून्य	शून्य
5.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य

तमिलनाडु में सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता

817. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में 380 करोड़ रुपये तक की जल संसाधन परियोजनाओं के लिए सहायता हेतु विश्व बैंक से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विश्व बैंक से कोई जवाब मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना 282.90 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है। चल रही परियोजना के तहत पालार, थामब्राप्रानी और बेगई बेसिनों में 620 वर्षा पोषित टैंकों के पुनर्वास/आधुनिकीकरण के लिए बचत पर 379.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पैकेज शामिल करने की सिफारिश की गई है। विश्व बैंक ने नदी बेसिन बोर्ड बनाने जैसे कुछ मुख्य कार्यों के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है जिसकी राज्य सरकार द्वारा अनुपालना की जानी है।

कृषि श्रमिकों का कल्याण

818. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार को नये प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) भारत सरकार को राज्य सरकारों से कामगारों के कल्याण से संबंधित कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नए भविष्य निधि कार्यालय

819. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों विशेष रूप से केरल में नये भविष्य निधि कार्यालय खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए भविष्य निधि कार्यालय से दूरी आदि जैसे पैरामीटर देखते हुए खोला जाता है। नए भविष्य निधि कार्यालयों को खोलते समय, क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है। नए कार्यालयों को जब कभी जरूरी हो खोला जाता है तथा यह एक सतत् प्रतिक्रिया है। फिलहाल, केरल में कोई नया भविष्य निधि कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली के अस्पतालों में इनसीनेटरों का कार्यकरण

820. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों को इनसीनेटरों के कार्यकरण में उन्नयन हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभिन्न अस्पतालों का दौरा करने तथा वहां के इनसीनेटरों के कार्यकरण पर रिपार्ट प्रस्तुत करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो बोर्ड ने अब तक कितने अस्पतालों का दौरा किया है; और

(घ) अस्पतालवार इसके क्या परिणाम रहे?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली के दस अस्पतालों अर्थात जी. बी. पंत अस्पताल, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, कलावती सरन अस्पताल, ई. एस. आई. अस्पताल, बसई दारापुर, अग्रसेन अस्पताल, सुचेता कृपलानी अस्पताल, सैंट स्टीफन अस्पताल, बाडा हिन्दुराव अस्पताल और सर गंगा राम अस्पताल में स्थापित इनसिनीरेटरों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के पहली फरवरी, 2001 के आदेश के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट छह सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करनी है।

घाट सड़कों में सुधार

821. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घाट सड़कों में सुधार हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना हेतु राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में घाट सड़क विकास हेतु और ज्यादा धनराशि आबंटित करने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रख–रखाव से सम्बन्ध रखती है। घाट खंडो सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्य सड़कों की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों पर खर्च करने के लिए राज्यवार आबंटित की जाती है न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार।

[हिन्दी]

टिहरी तथा सरदार सरोवर बांध

822. श्री रामदास आठवले :
डा. नीतिश सेनगुप्ता :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गुजरात में आए अभूतपूर्व भूकंप के मद्देनजर टिहरी तथा सरदार सरोवर बांध के निर्माण संबंधी कार्यवाही पर सरकार पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरणविदों द्वारा इन बांधों के विरोध में क्या आपत्तियां उठाई गई हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में किन उपचारात्मक कदमों पर विचार कर रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) गुजरात में आए अभूतपूर्व भूकंप के मद्देनजर टिहरी तथा सरदार सरोवर बांध के निर्माण संबंधी कार्यवाही पर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र/आस पास के क्षेत्र में अधिकतम विश्वसनीय भूकम्प (एम.सी.ई.) के लिए डिजाइन किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार सुविधाएं

823. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में इस समय टेलीफान कनेक्शन हेतु जिलेवार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में जिलेवार कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए हैं;

(ग) 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान स्थानवार कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राज्य के बारामूला क्षेत्र में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय जम्मू और कश्मीर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा–सूची में दर्ज आवेदकों की जिलेवार संख्या इस प्रकार है :

जिला	प्रतीक्षा सूची	जिला	प्रतीक्षा सूची
लेह	1353	जम्मू	7310
कारगिल	435	श्रीनगर	10616
राजौरी	1346	अनंतनाग	2368
पुंछ	391	पुलवामा	2728
ऊधमपुर	1330	बड़गाम	244
डोडा	1135	बारामूला	4239
कथुआ	1630	कुपवाड़ा	357

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित टेलीफोन कनेक्शन की संख्या जिलेवार/वर्षवार जानकारी इस प्रकार है :

जिला	1997–98	1998–1999	1999–2000
लेह	426	345	439
कारगिल	114	108	159
राजौरी	810	117	637
पुंछ	663	103	203
ऊधमपुर	1713	1126	1469
डोडा	114	546	249
कथुआ	335	186	969
जम्मू	3799	5133	8255
श्रीनगर	9943	8521	6713
अनंतनाग	622	500	500
पुलवामा	765	539	1006
बड़गाम	261	300	511
बारामूला	1101	430	516
कुपवाड़ा	153	41	440

(ग) 2001–02 के दौरान पूरे जम्मू–कश्मीर सर्किल में प्रदान करने हेतु प्रस्वातित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है। वर्ष 2002–03 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

2001–2002 – 8000

उपर्युक्त के लिए जिलेवार स्थानों को अभा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को वर्ष 2001–2002 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) बारामूला क्षेत्र में टेलीफोन सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। तथापि माध्यम में संकुलन के बारे में शिकायतें मिली हैं। बारामूला तथा कुपवाड़ा को वर्ष 2002–2001 तक ओएसी से जोड़ने का प्रस्ताव है।

(छ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(i) मौजूदा एक्सचेंजों का उच्चतर क्षमता के एक्सचेंजों की संस्थापना के द्वारा नयन किया जा रहा है।

(ii) एसटीडी संयोजकता में सुधार करने के लिए संबंधित क्षेत्र में ओएर्स। बिछाने का प्रस्ताव है।

(iii) बाह्य संयंत्र में सुधार करने के लिए संबंधित क्षेत्र में नए केबल भी बिछाए जा रहे हैं।

लोगों को विदेशों से स्वदेश भेजना

824. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :
श्री जयभान पवैया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों और अन्य देशों से देशवार कितने लोग स्वदेश भेजे गए;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन लोगों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है अथवा किसी केन्द्रीय कोष की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन लोगों को उसी पासपोर्ट पर पुनः खाड़ी देशों की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) खाड़ी देशों सहित विभिन्न देशों से भारत वापस भेजे गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) स्वदेश भेजे गए भारतीयों को उसी पासपोर्ट पर यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टियां नहीं होती हैं, खाड़ी देशों में पुनः जाने की अनुमति प्राप्त होती है। प्रतिकूल प्रविष्टियों की स्थिति में, खाड़ी देशों में पुनः जाने हेतु नया पासपोर्ट प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

विवरण

क्रमांक	देश	1998	1999	2000
		के दौरान स्वदेश भेजे गए व्यक्तियों की संख्या		
1.	म्यांमार	01	–	03
2.	कनाडा	05	11	19
3.	बेलारूस	107	29	04
4.	मलेशिया	1626	649	1403
5.	कुवैत	519	446	312
6.	जार्डन	10	8	09
7.	सऊदी अरब	4920	6504	13969
8.	लेबनान	02	30	32
9.	ओमान	6380	51	132
10.	तुर्की	–	–	08
11.	सिंगापुर	3069	2985	3324
12.	जापान	423	439	647
	योग	17062	11152	19862

[अनुवाद]

दिल्ली के जलस्तर में गिरावट

825. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 2001 के "हिन्दुस्तान" में "भूकम्प के झटकों से जलस्तर में गिरावट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की तुलना में दिल्ली में वर्तमान जलस्तर कितना है; और

(घ) राज्य में भूमिगत जलस्तर के पुनर्भरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 31 जनवरी, 2001 को "भूकम्प के झटकों से जल स्तर में गिरावट" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए प्रेक्षणों के अनुसार भूकम्प के कारण गुजरात के भुज क्षेत्र के भूजल स्तर में कोई गिरावट नहीं पाई गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मौजूदा भूजल स्तर भू–स्तर के 0.95 से 37.25 मीटर नीचे तक है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए माप के अनुसार भूजल स्तर का ब्लाक–वार विवरण इस प्रकार है :

(औसत भूजल स्तर मीटर में)

ब्लाक का नाम	2000 (नवंबर)	1999 (नवंबर)	1998 (नवंबर)	1997 (नवंबर)	1996 (नवंबर)
अलीपुर	5.33	5.15	5.02	5.32	4.40
कंझावला	8.75	5.77	4.27	4.83	4.78
मेहरौली	22.79	24.97	19.71	21.04	19.53
शाहदरा	5.79	5.20	4.23	6.59	5.88
शहर	11.55	10.29	8.80	8.96	8.52

(घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल संसाधनों के संवर्धन के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपाय किए जाने हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूजल स्तर में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(i) "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों" पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन करना। इस स्कीम के तहत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आई आई टी कैम्पस में भूजल पुनर्भरण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया गया है। श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के परिसर में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है।

(ii) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने वर्षा जल संचयन के द्वारा भूजल पुनर्भरण संबंधी प्रस्तावों को तैयार करने में

दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर निगम, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बहुत सी सहकारी ग्रुप आवास समितियों को सहायता प्रदान की है।

(iii) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन।

(iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल का परिचालन करना ताकि वे भूजल के स्तर में गिरावट की प्रवृति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीमें तैयार कर सकें।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रस्ताव

826. श्री रघुनाथ झा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विकास और समृद्धि हेतु राज्य से होकर अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत टेलनेट कम्पनी

827. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के हर्दा जिले में लगभग 130 गांवों में टेलीफोन लगाने हेतु दूरसंचार विभाग के अलावा भारत टेलनेट कम्पनी को भी नियोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी द्वारा यह कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार टेलीफोन कनेक्शन लगाने का कार्य विभाग अथवा किसी अन्य कम्पनी द्वारा कराये जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने के लिए हर्दा जिला, मध्य प्रदेश के निजी लाइसेंसधारक मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड को आबंटित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मैसर्स भारती टेलीनेट ने सूचना दी है कि उसने हर्दा जिले को शामिल करने की योजना नहीं बनाई थी लेकिन अब उसके तकनीकी दल ने आर एफ सर्वेक्षण तथा क्षेत्र का मानचित्र बनाना आरंभ कर दिया है।

(घ) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लोहरदग्गा में पीसीओ

828. प्रो. दुखा भगत : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड के लोहरग्गा क्षेत्र में वर्तमान में कितने पीसीओ कार्यरत हैं;

(ख) इस क्षेत्र में पीसीओ की स्थापना हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय झारखंड के लोहरदग्गा क्षेत्र में 94 पी.सी.ओ. कार्य कर रहे हैं।

(ख) पी.सी.ओ. की संस्थापना के लिए केवल तीन आवेदन लंबित हैं।

(ग) और (घ) ये आवेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं इन्हें फरवरी, 2001 के अंत तक उत्तरोत्तर रूप से निपटा दिया जाएगा।

वर्षा जल संचयन

829. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन के द्वारा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने का प्रयोग करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य में ऐसा प्रयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोग सफल अथवा असफल रहा; और

(ङ) उक्त प्रणाली अपनाकर बिहार में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 25.00 करोड़ रुपये की लागत से "भूमि जल के कृषि पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" पर केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत प्रायोगिक आधार पर प्रयोग किए हैं। वर्षा जल संचयन इस स्कीम का एक अभिन्न भाग है। इस स्कीम में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ज़म्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल हैं।

(ग) और (घ) भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत वर्षा जल संचयन और भूमि जल पुनर्भरण प्रयोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में किए गए हैं। इन प्रयोगों के परिणाम अनुकूल पाये गये हैं और भूमि जल स्तर में बढ़ोतरी उत्साहजनक रही है। महाराष्ट्र में अमरावती और जलगांव जिले, कर्नाटक में गौरीबिदनूर और मुलबागल तालुका और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि जल के स्तर में 1–10 मीटर की वृद्धि हुई है।

(ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत बिहार के भागलपुर और नवादा जिलों में वर्षा संचयन के दो प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

सबमैरिन केबल सर्किट का विस्तार

830. श्री के. येरननायडू : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंटरनेट सेवा प्रदाता नीतियों के अंतर्गत उचित शुल्क पर अंतर्देशीय शहरों तक "सबमैरिन केबल सर्किट" का विस्तार करने की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) देश में इन्टरनेट के लिए बैण्डविड्थ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के बाद इंटरनेट हेतु अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे के लिए सबमैरीन केबल लैण्डिग स्टेशनों की स्थापना की अनुमति दी है। इन्टरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे हेतु सबमैरीन केबल लैण्डिग स्टेशनों की स्थापना संबंधी आवेदन प्रक्रिया का शुल्क 50,000/– रु. है। आईएसपी को समुद्री तट से 100 कि.मी. तक की दूरी के भीतर सबमैरीन केबल लैण्डिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति है इन्टरनेट हेतु अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे के लिए सबमैरिन केबल लैण्डिग स्टेशन स्थापित करने वाले आईएसपी को दूसरे आईएसपी को बैण्डविड्थ बेचने की अनुमति दी गई है। आईएसपी ऐसे किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता से बैण्डविड्थ प्राप्त करके सब मैरीन केबल लैण्डिंग स्टेशन के साथ संयोजकता प्राप्त कर सकता है जो बैण्डविड्थ बेचने के लिए प्राधिकृत हो।

तिरूअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

831. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को चौबीस घंटे वाला विमानपत्तन घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रात्रि में तिरूअनंतपुरम अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन में कितने विमान उतरते हैं और उड़ान भरते हैं;

(ग) क्या किसी कम्पनी ने केन्द्र से रात्रि में विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 2000 बजे से 0600 बजे के बीच प्रति सप्ताह 14 आने वाली और 11 जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं।

(ग) रात्रि अवतरण प्रचालन के संबंध में किसी एयरलाइन का कोई अनुरोध–पत्र लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई उड़ानें

832. श्री टी. गोविन्दन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कितनी नई उड़ानें शुरू की गई हैं;

(ख) क्या ऐसी उड़ानों के कारण नागर विमानन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जबकि एअर इंडिया ने गत वर्ष के दौरान कोई नई उडान शुरू नहीं की है, इंडियन एयरलाइंस ने अपने घरेलू नेटवर्क में निम्नलिखित सेक्टरों को शामिल किया है :

(i) चैन्नै–भोपाल

(ii) चैन्नै–नागपुर

(iii) भोपाल–नागपुर

(iv) गोवा–आगरा (एक तरफ)

(v) उदयपुर–जैसलमेर

उक्त सेक्टरों में से, निम्नलिखित सेक्टरों पर सेवाएं बंद कर दी गईं, क्योंकि ये सेक्टर व्यवहार्य नहीं थे :

चैन्नै–भोपाल

चैन्नै–नागपुर

भोपाल–नागपुर

[हिन्दी]

बिहार में दूरसंचार सुविधाएं

833. श्री राजो सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिलेवार कितने टेलीफोन प्रयोक्ता हैं;

(ख) बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार केन्द्र स्थापित करने और टेलीफोन लाइन बिछाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में सेल्यूलर टेलीफोन और पेजर सेवा जैसी मूल्यवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन और एसटीडी सेवाएं बेहतर बनाने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या शेखपुरा, लखीसराय, जमुई में टेलीफोन सेवाएं असंतोषजनक हैं;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) संतोषजनक टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार के जिलेवार टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में बिछाए गए केबल तथा खोले गए मए एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड की बिहार में पेजर सेवाएं प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। प्रथम चरण में, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा बिहार में 35000 सेल्यूलर टेलीफोन प्रदान करने की योजना है।

(ङ) जी, हां।

(च) एसटीडी सेवाओं में सुधार करने के लिए 1100 किलोमीटर ओएफसी तथा 792 कि.मी. यूएचएफ/एमडब्ल्यू प्रणालियां पहले ही चालू की जा चुकी हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) उपर्गक्त "छ" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	जिले का नाम	31.1.2001 की स्थिति के अनुसार सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या
1	2	3
1.	भोजपुर	12845

1	2	3
2.	बक्सर	6397
3.	भागलपुर	24505
4.	बांका	4728
5.	सारन	14339
6.	गोपालगंज	6190
7.	सीवान	9814
8.	दरभंगा	22052
9.	मधुबनी	12783
10.	समस्तीपुर	13693
11.	गया	20576
12.	औरंगाबाद	4819
13.	जहानाबाद	3498
14.	नवादा	5167
15.	वैशाली	12950
16.	कटिहार	10823
17.	किशनगंज	5081
18.	अररिया	5076
19.	पुर्णिया	12855
20.	खगड़िया	6663
21.	बेगूसराय	12973
22.	पश्चिम चम्पारन	11671
23.	पूर्वी चम्पारन	19514
24.	मुंगेर	12541
25.	लखी सराय	4718
26.	शेखपुरा	2025
27.	जमुई	4016
28.	मुजफ्फरपुर	29944
29.	सीतामढ़ी	9027
30.	शिवहर	1031
31.	पटना	131569
32.	नालन्दा	11502
33.	सहरसा	10204
34.	मधेपुरा	5850
35.	सुपौल	5347
36.	रोहतास	12371
37.	भभुआ	4980
	जोड़	5,04,137

विवरण-II

1.4.2000 से 31.1.2001 तक केबल बिछाने तथा नए ग्रामीण एक्सचेंज को खोलने में हुई प्रगति

क्र.सं.	एसएसए	बिछाए गए केबल (सीकेएम)	खोले गए नए एक्सचेंज
1	2	3	4
1.	आरा	60613	4
2.	भागलपुर	51697	11
3.	छपरा	36752	12
4.	दरभंगा	86899	22
5.	गया	13701	14
6.	हाजीपुर	117188	8
7.	खगड़िया	60942	6
8.	कटिहार	51676	10
9.	मोतीहारी	71810	12
10.	मुंगेर	52177	10
11.	मुजफ्फरपुर	144983	15

1	2	3	4
12.	पटना	109857	9
13.	सहरसा	76051	7
14.	सासाराम	84728	5
	जोड़	10,19,074	145

[अनुवाद]

घरेलू कारवार का डाटाबेस

834. श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने पहले से तैयार की गई प्रश्नावली के द्वारा घरेलू कारवार का डाटाबेस संकलित करने का निर्णय किया है जिसे बंगलौर और हैदराबाद में शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यह शहरों के लिए कितना लाभदायक होगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) डाटा पोस्ट किसी बस्ती में अथवा बड़े शहर/कस्बे में सभी नागरिकों के पतों का डाटा–बेस है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में उसकी पूरी जानकारी, उसका व्यवसाय, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति आदि शामिल होती है। डाटा पोस्ट में घरेलू और व्यवसाय से संबंधित पूरी जानकारी निहित होती है।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि देश के अन्य शहरों तक इसका विस्तार करने से पूर्व दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जाएं–एक बेंगलूर शहर में और दूसरी हैदराबाद शहर में।

(घ) डाटा पोस्ट किसी शहर में नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाएगा जिससे प्रत्येक नागरिक को सही ढंग से डाक वितरित की जा सकेगी। इसका यथासमय डाक वितरण की सुविधा के लिए, नागरिकों के एक पते से दूसरे पते पर चले जाने का पता लगाने में एक उपयोगी साधन के रूप में भी प्रयोग हो सकेगा। उद्योगों और कारपोरेट कार्यालय द्वारा अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सीधी डाक के प्रयोजन के लिए भी डाटा पोस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों द्वारा भी जीवन के विविध पहलुओं पर अपने सामाजिक आर्थिक अध्ययन में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

चूककर्ता कम्पनियां

835. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्विचिंग उपस्करों के विनिर्माण हेतु पंजीकृत कतिपय बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वास्तव में अल्प–सुसज्जित और तैयार माल का आयात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अनुमति का उल्लंघन किया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वदेशी स्विचिंग उपस्कर विनिर्माता कम्पनियों को अपूरणीय क्षति पहुंचाने वाली ऐसी दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) निर्यात–आयात नीति के तहत सब–असेम्बलियों के निर्बाध आयात की अनुमति है। स्विचन उपस्करों सहित दूरसंचार उपस्करों का निर्माण करने वाली कम्पनियां उक्त सब–असेम्बलियां आयात करने की पात्र हैं। नीति के तहत स्विचन उपस्कर के निर्माण हेतु अपेक्षित सब–असेम्बलियों के आयात के लिए भारतीय तथा बहुराष्ट्रीय, दोनों ही तरह की कम्पनियों को विनिर्माण के समान अवसर दिए गए हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी तैयार उपस्कर के आयात की अनुमति है बशर्ते कि उन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा उक्त उपस्कर के आयात तथा विपणन की अनुमति हो।

किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा उक्त किसी भी उपबंध के उल्लंघन की कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम में जैव विविधता क्षेत्र बनाना

836. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने ऐसा जैव विविधता क्षेत्र बनाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है जिसमें मजूली और काजीरंगा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) असम और सिक्किम सहित अन्य विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में अब तक बनाये गये जैव विविधता क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के कुछ क्षेत्रों को जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में घोषित करने की कोई स्कीम नहीं है।

अभ्रक खान

837. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभ्रक खानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन खानों में वर्षवार और राज्यवार कुल कितने अभ्रक का उत्पादन हुआ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में रिपोर्टिंग खानों की कुल संख्या 45 थी। ये खानें आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले; अविभाजित बिहार के गिरिडीह, कोडरमा और नवाडा जिलों और राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में स्थित हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इन खानों से हुए अभ्रक के कुल उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मात्रा टन में)

राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000 (अनन्तिम)
आंध्र प्रदेश	787	890	902
बिहार (अविभाजित)	887	569	320
राजस्थान	23	25	51
कुल	1697	1484	1273

खानों में दुर्घटना

838. श्री एस. पी. लेपचा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक सरकारी और गैरसरकारी खानों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं तथा इनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं; और

(ख) मृतक के परिवारों और घायल हुए खान श्रमिकों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और खानों में घटी दुर्घटनाओं की कुल संख्या और मौतों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	क्षेत्र	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
1998	सार्वजनिक	152	705	172	754
	निजी	32	72	39	79
	कुल	184	777	211	833
1999	सार्वजनिक	139	717	152	781
	निजी	49	70	58	83
	कुल	188	787	210	864
2000	सार्वजनिक	124	537	152	578
	निजी	47	57	54	65
	कुल	171	594	206	643

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अतिरिक्त दूरसंचार नेटवर्क

839. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **संचार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "लोकल लूप" आधारित टेलीफोन और आप्टिकल फाइबर केबल के लिए "वीएसएटी" वायरलैस प्रणाली का उपयोग करके पूरे राज्य में अतिरिक्त दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध कराने हेतु हरियाणा से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में वर्ष 2000–2001 के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। वी–सेट वायरलेस आधारित टेलीफोन और आप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हुए राज्य में अतिरिक्त दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने का सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(फिक्स्ड) दूरसंचार सेवा

840. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) सेल्यूलर टेलीफोन आपरेटरों को "फिक्स्ड" दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम और शर्तों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसमें किस मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने सिफारिश की कि सेल्यूलर मोबाइल सेवा आपरेटर अपने जी एस एम (ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस) नेटवर्क अवसंरचना के आधार पर स्थिर फोन प्रदान कर सकते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। बुनियादी सेवा ऑपरेटरों के उपभोक्ताओं द्वारा वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एन) में हैंड हेल्ड सेटों के इस्तेमाल से संबंधित मुद्दों तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवा ऑपरेटरों के लिए सेवा के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर चर्चा की गई थी।

(ङ) सरकार ने टी आर ए आई की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

"ग्रुप डायलिंग" योजना

841. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक स्थितियों के कारण एक "ग्रुप डायलिंग" योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के क्या लाभ हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इसी प्रकार की भौगोलिक स्थितियों वाले कतिपय जिलों में इस योजना को शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) देश भर के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) के भीतर समान रूप से ग्रुप डायलिंग स्कीम शुरू की गई थी।

(ग) इस स्कीम का लाभ यह था कि एक एक्सचेंज का टेलीफोन उपभोक्ता 180 सैकेंड पल्स दर पर बिना "0" डायल किए उसी एसडीसीए में अन्य एक्सचेंज के उपभोक्ता से संपर्क कर सकता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

क्रिकेट पर प्रतिबंध

842. श्री चिन्तामन वनगा : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपार्ट के आधार पर क्रिकेट खेल पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का, अपने इस निर्णय की समीक्षा करके, केवल उन्हीं क्रिकेट–खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जो किसी विवाद में घिरे रहे हैं अथवा मैच फिक्सिंग मामलों में दोषी पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि प्रश्न के (ग) भाग में उल्लिखित प्रस्ताव पर सहमति नहीं होती तो क्या सरकार क्रिकेट के लिए उदि्दष्ट नियमों का अन्यत्र उपयोग करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार क्रिकेट खिलाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। बी.सी.सी.आई. ही आचार–संहिता के अंतर्गत ऐसा करता है।

(ङ) और (च) चूंकि सरकार क्रिकेट संबंधी किसी भी गतिविधि के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है, अतः निधियों के परावर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली-पटना मार्ग पर सीधी उड़ान

843. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से पटना हेतु गर्मी के मौसम में कोई सीधी उड़ान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा नई दिल्ली और पटना के बीच गर्मी के मौसम के दौरान सीधी उड़ान शुरू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पटना विमानपत्तन की धावन पट्टी पर आधुनिक विमानों को उतरने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसके विस्तार हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) पटना के लिए दैनिक आधार पर निम्नलिखित अनुसूचित विमान सेवाएं मुहैया की जाती हैं :

इंडियन एयरलाइंस	मुंबई–दिल्ली–पटना–रांची तथा वापसी
एलायंस एयर	दिल्ली–लखनऊ–पटना–कोलकाता तथा वापसी
सहारा एयरलाइंस	दिल्ली–पटना–वाराणसी–दिल्ली

दिनांक 25.3.2001 से प्रभावी प्रस्तावित ग्रीष्मकालीन अनुसूची में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। तथापि, पटना एयरफील्ड पर अधिक तापमान की वजह से लोड पेनल्टी से बचने के लिए अप्रैल से जून की समयावधि के दौरान, इंडियन एयरलाइंस की मुंबई–दिल्ली–पटना–रांची सेवा को सामान्यतः अस्थायी तौर पर बदल कर मुंबई–दिल्ली–रांची–पटना और वापसी कर दिया जाता है।

(घ) पटना हवाई अड्डे को आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है जो लोड पेनल्टी सहित विमान एयरबस ए–320 द्वारा प्रचालन के लिए उपयुक्त है और नॉन–डायरेक्शन बीकन (एनडीबी) विजुवल ओमनी रेंज (वीओआर) दूरी मापक उपस्कर (टीएमई) तथा उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) सुविधाओं से सज्जित है। इसमें एक बार में 400 घरेलू तथा 100 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के बास्ते यात्री सुविधा है। तथापि, नई हवाई पट्टी के निर्माण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त भूमि संबंधी मामले के बारे में, बिहार राज्य सरकार ने अपनी असमर्थता जताई है क्योंकि इसके लिए संजय गांधी वनस्पति विज्ञान उद्यान में बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई करनी पड़ेगी और जिसकी वजह से पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी फिर भी राज्य सरकार मौजूदा हवाई पट्टी का पूरा उपयोग करने के लिए हवाई अड्डे के पूर्वी छोर पर उस भूमि को सौंपने पर सहमत हो गई है जिसका उपयोग धोबी घाट के रूप में किया जा रहा है। यह प्रस्ताव परीक्षाधीन है। राज्य सरकार ने बिहटा नामक स्थान पर हवाई अड्डे को शिफ्ट करने संबंधी सुझाव भी दिया है और उसके लिए वह खागोल से बिहटा तक पहुंच मार्ग को चौड़ा करने और उस मार्ग को सुव्यवस्थित करने का खर्चा भी वहन करने के लिए तैयार है।

''अपर कृष्णा'' परियोजना

844. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में ''अपर कृष्णा'' परियोजना के अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कृष्णा भाज्य जल निगम लिमिटेड (केबीजेएन) द्वारा व्यय की गई धनराशि के केन्द्रीय अंश को जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार का इस परियोजना हेतु अपने अंश को कब तक जारी कर देने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) कर्नाटक राज्य सरकार ने बताया है कि यह राशि ऊपरी कृष्णा परियोजना (कर्नाटक) के अंतर्गत कमान

क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कृष्णा भाग्य जल निगम द्वारा व्यय की गई थी। 874.83 लाख रु. की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जाता है कि यह राशि इस कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों पर वर्ष 1996–97 से 1999–2000 तक की अवधि के लिए खर्च किये गये केन्द्र के हिस्से के रूप में राज्य के लिए देय है।

इस प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की गई थी और यह पाया गया था कि इन सभी वर्षों के लिए देय केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को पहले से ही मुहैया करा दी गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए, इन वर्षों के लिए विभिन्न कमान क्षेत्र विकास कार्यों की परियोजना–वार वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां देखते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे गये थे ताकि इस संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार को केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी गई निवल राशि का पता लगाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा यह विवरण नहीं दिया गया है। तथापि, निष्पादन के अनुसार और कुछ समायोजनों के बाद वर्ष 2000–2001 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 685.01 लाख रुपये की निवल राशि पहले ही स्वीकृत कर दी गई है।

पटना विमानपत्तन को अन्यत्र स्थापित करना

845. मोहम्मद अनवारूल हक : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना विमानपत्तन को वहां गत वर्ष हुए विमान दुर्घटना के पश्चात अन्यत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए विमानपत्तन हेतु भूमि अधिग्रहित कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गैर सरकारी क्षेत्र को खनन कार्य

846. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े खानों में खनन से संबंधित कार्य को गैर सरकारी क्षेत्र को देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन बड़ी खानों का ब्यौरा क्या है जहां खनन कार्य गैर सरकारी क्षेत्र को देने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) मूलभूत आर्थिक सुधारों के संदर्भ में, 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई तथा इसके अनुपालन में, खनिज क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने तथा खनन क्षेत्र को निवेशक अनुकूल तथा बाधामुक्त बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत किसी कम्पनी या किसी भारतीय नागरिक को खनन पट्टा दिया जा सकता है। खनन क्षेत्र (गैर ईंधन/परमाणु खनिज) को 1994 ही से खान का आकार को ध्यान में रखे बिना निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।

देश में खनन कार्य सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों की कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। खनन पट्टे देने के बारे में निजी तथा सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों से आवेदन निरंतर प्राप्त होते रहते हैं तथा राज्य रारकारों द्वारा उनकी जांच की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के तहत खनन पट्टे दिये जाते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से बड़ी या छोटी खानों के मध्य कोई अन्तर नहीं है जो निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र को हो सकते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय क्रीड़ा विद्यालय

847. श्री चिन्तामन वनगा : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्रीड़ाक्षेत्र में उपलब्ध प्रतिभा का पता लगाने तथा इन्हें प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय क्रीडा विद्यालय अथवा राष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में चल रहे मान्यता प्राप्त क्रीड़ा विद्यालयों के नाम क्या क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य में राज्यवार तथा क्षेत्रवार किन किन खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(घ) क्या इन विद्यालयों से देश के विख्यात खिलाड़ी निकले हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्यालयवार और क्रीड़ावार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने तथा इनके प्रोत्साहन हेतु कतिपय कदम उठाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, नहीं। किसी राष्ट्रीय खेल विद्यालय/राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार पहले से ही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर, चला रही है जो कि समकक्ष विश्वविद्यालय है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

(च) और (छ) भारत सरकार देश में परंपरागत खेलों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है

(1) **राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता** : योजना के अंतर्गत खो खो, कबड्डी और आत्या पात्या जैसे परम्परागत खेलों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(2) **ग्रामीण खेल कार्यक्रम** : इस योजना में निम्नलिखित दो उप संघटक शामिल हैं जिनके अंतर्गत चयनित खेल विधाओं के अलावा परंपरागत खेल विधाएं आयोजित की जाती हैं;

(क) **ग्रामीण खेल टूर्नामेंट** : इस घटक के अंतर्गत, एथलेटिक्स, रस्साकशी, तीरंदाजी, हाकी, खो–खो, कबड्डी, भारोत्तोलन, वालीबाल, कुश्ती और फुटबाल जैसी चयनित खेल विधाओं के टूर्नामेंटों के आयोजन के अलावा, राज्य सरकारें क्षेत्र में लोकप्रिय बहुत से अन्य देशीय खेलों को ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तरों पर आयोजित करती हैं।

(ख) **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु खेल महोत्सव** : उत्तर–पूर्वी खेल महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता हैं जिसमें उत्तर–पूर्वी राज्यों के खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं। चयनित खेल विधाओं अर्थात एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबाल, हाकी, जुडो, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन के अलावा, इन राज्यों में लोकप्रिय खेल विधाएं भी इस महोत्सव में शामिल की जाती हैं।

विमानों के उतरने की सुविधा

848. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश के बड़े शहरों में बड़े विमानों के उड़ान भरने और उतरने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों के राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार नाम क्या हैं; और

(ग) इस मामले में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। राज्य की राजधानियों में स्थित अधिकांश हवाई अड्डों पर बी–737, ए–320 जेट विमानों को उड़ाने/उतारने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और इन हवाई अड्डों में सभी आधुनिक अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राज्यों में राष्ट्रीय क्रीड़ा अकादमी

849. मोहम्मद अनवारूल हक : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय क्रीड़ा अकादमी स्थापित करने संबंधी नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य विशेषकर बिहार में ऐसी कितनी अकादमी स्थापित की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं तथा बिहार में राष्ट्रीय क्रीड़ा अकादमी कार्यक्रम को कब तक शुरू करने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) अभी तक ऐसी कोई राष्ट्रीय अकादमी नहीं है जो राज्यों में स्थापित की गयी हो। तथापि, सरकार विभिन्न राज्यों में, अनेक खेलविधाओं में अकादमियां स्थापित करने के मामले पर विचार कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, राज्य मंत्रियों के साथ भी शीघ्र ही परामर्श किया जाएगा।

पवन हंस के हेलीकाप्टरों की संख्या

850. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन हंस के पास हेलीकॉप्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य देशों से हेलीकॉप्टरों की खरीद करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर बेड़े में इस समय निम्न प्रकार के हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं :

(1)	डॉफिन	–	20
(2)	एमआई–172	–	03
(3)	बेल–407	–	02
(4)	बेल 206 एल 4	–	03
(5)	रोबिन्सन–44	–	02

(ख) और (ग) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की अर्जन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेड़ा विस्तार/प्रतिस्थापन करना होता है और कम्पनी के चार्टर में किसी भी उद्देश्य के लिए इसके उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के वर्तमान बेड़े के हेलीकॉप्टरों को लक्षद्वीप द्वीपसमूह और पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटकों को लाने–ले–जाने के लिए पहले ही लगाया जा रहा है।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्ति

851. श्री रामजी लाल सुमन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सरकारी क्षेत्र के संगठनों, सांविधिक निकायों के प्रमुखों/मुख्य एक्जक्यूटिवों/सीएमडी और निदेशकों, प्रबंधन बोर्ड के सरकारी/गैर–सरकारी सदस्यों के पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में तैनात करने/नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों में उक्त पदों पर कितने व्यक्तियों को वर्षवार नियुक्त/तैनात किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान तैनात/नियुक्त किए गए कुल व्यक्तियों की तुलना में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किन व्यक्तियों को तैनात/नियुक्त किया गया तथा इसकी प्रतिशतता क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइंस के कार्मिकों की संख्या

852. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस में आवश्यकता से अधिक कार्मिकों को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संवर्गवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्मचारियों की संख्या में किस प्रकार और कितने चरणों में कमी किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) अपनी जनशक्ति को सीमित रखने के लिए इंडियन एयरलाइंस पहले ही अनेकों उपाय यथा–सीधी भर्त्ती पर रोक, सिर्फ मुख्य प्रचालनात्मक कार्य को छोड़कर कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 करना, मौजूदा जनशक्ति को और अधिक लाभप्रद कार्यों में लगाना इत्यादि कर चुका है। इसके फलस्वरूप, वर्तमान समय में, इंडियन एयरलाइंस में 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार 25390 संस्वीकृत/कर्मचारियों/अधिकारियों की जगह 20701 अधिकारी/कर्मचारी हैं।

जनशक्ति में और अधिक कमी करने के उद्देश्य से इंडियन एयरलाइंस ने एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनाई है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा

(3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1024(अ), जो 16 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या का.आ. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3263/2001]

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं

(1) का.आ. 1116 (अ), जो भारत के राजपत्र में 13 दिसम्बर, 2000 को प्रकाशित हुए थे, और जिसमें 31 दिसम्बर, 2001 तक का अतिरिक्त समय विनिर्दिष्ट करने वाला आदेश अंतर्विष्ट है जिसमें खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विकास अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से पहले प्रदत्त सभी खनन संबंधी पट्टों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाया जाएगा।

(2) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2001, जो 22 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 31 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3264/2001]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दूर–संचार विभाग के वर्ष 1998–99 के लाभ और हानि लेखा तथा तुलन पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3265/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

लोक लेखा समिति

की-गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय, मैं लोक लेखा (आठवीं लोक सभा) का "वाहनों के दोषपूर्ण संघटकों का निर्माण और विदेशों से दोषपूर्ण उपकरणों की खरीद" से संबंधित 29वें प्रतिवेदन के अध्याय–एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

रेल बजट, 2001-2002*

भाग-1

रेल मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेल के वर्ष 2001–2002 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रही हूं। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मंत्री के रूप में मुझे अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया है। भारतीय रेलों के संबंध में मैं जब भी उनके पास कोई प्रश्न लेकर गई, उन्होंने अपनी नेक सलाह देकर मेरा हौसला बढ़ाया। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस सहस्राब्दि का दूसरा रेल बजट प्रस्तुत करने जा रही हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपका और आपके माध्यम से विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूं।

महोदय, पिछले 16 महीनों के दौरान, मुझे भारतीय रेलों को बहुत नजदीक से जानने तथा समझने का मौका मिला है और यह मेरे लिए गहन अनुभव का समय रहा है। मैंने देखा है कि रेल परिवार के लाखों सदस्य किस प्रकार लगभग सभी राज्यों में फैले 7,000 रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 13,500 से भी अधिक गाड़ियों का चौबीसों घंटे चालन सुनिश्चित करते हैं। मैंने देखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदाओं के समय रेलें किस प्रकार उड़ीसा, बंगाल और गुजरात के अंदरूनी इलाकों तक तुरंत सहायता और राहत सामग्री लेकर पहुंची हैं। मैंने यह भी देखा है कि रेलों ने किस तरह से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अमूल्य जानों को बचाने के लिए वहां तक पानी और चारा पहुंचाया है। आने वाला समय यह याद रखेगा कि महाकुंभ के पावन अवसर पर किस प्रकार से दिन–ब–दिन सैकड़ों रेलगाड़ियों ने लाखों देशवासियों को इलाहाबाद तक पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं देखती हूं कि किस प्रकार से हमारी रेलगाड़ियों द्वारा हमारे जवान और टैंक सीमावर्ती क्षेत्रों तक ले जाए जाते हैं और देश

*ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.–3266/2001

के दूरदराज इलाकों तक पंजाब और हरियाणा से अनाज पहुंचाया जाता है, तब मुझे यह सोचकर बड़ा गर्व होता है कि मैं भारतीय रेलों के साथ परिवार के एक सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारे देश में रेल का एक सवारी डिब्बा कदाचित् धर्मनिरपेक्ष और एकीकृत भारत का एक ऐसा सर्वोत्तम और अनूठा उदाहरण है जहां हमें अपनी बहुरंगी विविधताओं वाले समाज को भावनात्मक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े होने के अहसास से भरपूर दृश्य देखने को मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इन अनुभवों से मेरा यह विश्वास और दृढ़ हुआ है कि जिस तरह मनुष्य के जीवन के लिए हवा और पानी का महत्व है, उसी प्रकार, देश के जीवन के लिए रेलों का भी उतना ही महत्व है। विश्व में एक अकेले प्रबंधन के अधीन सबसे बड़ी रेल प्रणाली होने के नाते इस संगठन की अपनी व्यापक क्षमताएं और असीम संभावनाएं हैं।

महोदय, दुनिया भर में मौजूद परिवहन प्रणालियों में से रेल प्रणाली एक बार फिर से अपने पांव ज़मा रही है। यह पुनरुत्थान इसलिए संभव हुआ है कि रेलें छह गुना अधिक ऊर्जा कुशल हैं और भूमि के उपयोग की दृष्टि से परिवहन का चार गुना अधिक कुशल साधन हैं। विश्व में कदाचित रेलें ही परिवहन प्रणाली का ऐसा साधन हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक अनुकूल हैं। 63,000 मार्ग किलोमीटर तक फैले अपने विशाल नेटवर्क के कारण भारतीय रेलें वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था के विकास का ध्वजवाहक हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे में तदनुरूपी प्रगति हुए बिना भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति की संभावना की कल्पना करना कठिन है।

परन्तु, महोदय, यह खेद की बात है कि रेलों की अंतर्निहित शक्तियों और संभावनाओं के बावजूद राष्ट्र द्वारा उन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है जिसकी वे हकदार हैं। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से इस प्रणाली से देशवासियों की उम्मीदों और इन्हें सौंपी गई सामाजिक जिम्मेदारियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत, गत वर्षों के दौरान इस प्रणाली में किए जाने वाले निवेश में निरंतर गिरावट आई है। सामान्य राजकोष से मिलने वाली पूंजी सहायता जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 75 प्रतिशत के स्तर तक थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में घट कर 42 प्रतिशत तक रह गई और जो आठवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में यह और भी घट कर 18 प्रतिशत के निम्न स्तर तक आ गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए रेलों को बड़ी मात्रा में बाजार से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है जिस पर भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। इससे अन्यथा स्वस्थ रेल वित्त को दूरगामी दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, माल यातायात की ढुलाई में रेलों की भागीदारी 1950–51 में 89 प्रतिशत से घट कर इस समय केवल 40 प्रतिशत ही रह गई है।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलें इस समय एक अजीब सी दुविधा का सामना कर रही हैं। हम अपनी वास्तविक पहचान, अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को मूर्त रूप देने में असमंजस की स्थिति का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो हम पर यह सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम देश को जन और माल के संचलन के लिए परिवहन का सस्ता साधन मुहैया कराएं। वहीं, दूसरी ओर हमसे अक्सर यह अपेक्षा की जाती है कि हम एक लाभदायक वाणिज्यिक उद्यम की भूमिका भी निभाएं और अपनी स्थिति मजबूत करें। ऐसे कई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने मुझे बताया है कि इसका उत्तर हमें अपने–आपको "लागत केन्द्रों" और "लाभ केन्द्रों" के रूप में मानने से ही मिलेगा। महोदय, देशवासी जानते हैं कि रेलें एक "जनोन्मुखी", "समाजोन्मुखी" सार्वजनिक सेवा बन चुकी हैं। महोदय, हम एक पल रुककर कुछ आत्मचिंतन करें कि क्या हम केवल एक वाणिज्यिक उद्यम हैं? या हम सार्वजनिक सेवा का साधन हैं? या फिर हमें व्यापक जनहित में एक मिलीजुली भूमिका निभाते रहना चाहिए? महोदय, भारतीय रेलें केवल परिवहन का साधन ही नहीं हैं बल्कि वे भारतीय जनता की एक भरोसेमंद दोस्त भी हैं और जैसा कि कहा भी गया है कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, रेलें भी अपने देशवासियों के सुख–दुख में उनकी साथी रही हैं।

महोदय, रेल विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री प्रतिफल की कम अथवा ऋणात्मक दर वाली बड़ी मात्रा में रेल परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रेलों की आलोचना करते रहे हैं। महोदय, न तो मैं विशेषज्ञ हूं और न ही अर्थशास्त्री, परन्तु इस देश के एक आम आदमी की भांति मैं भी महसूस करती हूं कि विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रेलवे का अस्तित्व आवश्यक है। प्रतिफल की केवल उच्च दर के हमारे आग्रह से दूरदराज क्षेत्रों के विकास की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। महोदय, क्या हम ऐसा होने देना बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं अपने सम्माननीय साथियों से उम्मीद करूंगी कि वे मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करें?

महोदय, आज रेलों के सामने बड़ी संख्या में चुनौतियां मौजूद हैं। रेलों की सामाजिक सेवा और वाणिज्यिक उपक्रम होने की दोहरी भूमिका कभी–कभी परस्पर विरोधी हो जाती है। इन दोनों परस्पर विरोधी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण का स्रोत एक ही है। रेलों को सामाजिक सेवा दायित्वों के निर्वाह के लिए क्षतिपूर्ति भी नहीं किया जाता है। रेलों की प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण किया जाना नितांत आवश्यक है, परन्तु पिछले दो दशकों में कम निवेश ने इस प्रक्रिया को लगभग रोक सा दिया है। दुर्भाग्यवश, पांचवीं योजना से अब तक सामान्य राजकोष से समर्थन का रुझान अधोमुखी रहा है जो उस समय के 75 प्रतिशत से घटकर अब 18 प्रतिशत ही रह गया है। इससे रेलों को मजबूर होकर ऊंची

ब्याज दर पर उधार लेना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप इसके वित्त को स्थाई नुकसान हो रहा है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के तत्काल बाद से भी रेलों के आंतरिक संसाधनों पर भारी तथा स्थाई दबाव पड़ा है। रेलों में 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या का 40 प्रतिशत हैं। आगामी वर्षों में रेलों की पेंशन लागत ही 5800 करोड़ रुपये से ज्यादा रहने की संभावना है जो उन्हें स्वयं वहन करनी होगी जबकि सभी अन्य सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दायिता सामान्य राजकोष से वहन की जाती है।

महोदय, मैंने अपने कार्यकाल में इन चुनौतियों का, सीमित साधनों के भीतर, सामना करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। पहली बार रेलों ने गैर–परम्परागत स्रोतों से राजस्व जुटाने के बारे में गंभीर प्रयास शुरू किए हैं। बहरहाल, ऐसे नए स्रोत विकसित करने, जो गैर–परंपरागत हों और उनका दोहन करने में समय लगता है। मैंने गंभीरता से मितव्ययिता तथा सादगी अभियान भी चलाए थे। महोदय, सदन को ज्ञात है कि इस अभियान से पिछले वर्ष के दौरान 850 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। चालू वर्ष में भी इस संबंध में लक्ष्य 865 करोड़ रुपये का है, परन्तु महोदय ये उपाय गंभीरतम चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कुछ और उपाय करने जरूरी हैं, जिनके बारे में मैं उल्लेख कर रही हूं :

(i) सामाजिक जरूरतों से संबंधित परियोजनाओं तथा सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए गाड़ियां चलाने के लिए राज्य द्वारा बिना लाभांश दायिता के पूरी राशि को अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, लाभप्रद और परिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने के वास्ते प्रारंभिक पूंजी के अंशदान, उधार तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए एक विशेष निधि का सृजन किया जाना चाहिए।

(ii) परिवहन क्षेत्र के भीतर तेजी से बढ़ती प्रतियोगिता के कारण रेलों को बाजारोन्मुखी और ग्राहकों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना होगा।

(iii) महोदय, सदन को मालूम है कि न्यायाधीश खन्ना की अध्यक्षता वाली रेल संरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों को बहुत विचार–विमर्श के बाद माननीय सदस्यों का व्यापक समर्थन मिला है। परन्तु संरक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए संस्तुत एक बारगी अनुदान की रेलों को अभी भी प्रतीक्षा है।

(iv) रेल परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए इनकी प्राथमिकता निर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता है। प्राथमिकता प्राप्त ऐसी परियोजनाओं में, जिन्हें हाल हीं में शुरू किया गया है, राज्य सरकारों की सहभागिता को आगे और गहन जाना चाहिए। महोदय, मैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो इस दिशा में आगे आई हैं। मुझे आशा है कि अन्य राज्य सरकारें भी इस दिशा में प्रयास करेंगी।

(v) रेलों के पास भूमि, आकाश क्षेत्र आदि के रूप में अथाह छिपी हुई संपत्ति है, जिनका इसके संसाधनगत आधार बढ़ाने के लिए लाभप्रद तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में संसाधन जुटाने के लिए कई गैर–परंपरागत उपाय शुरू किए गए हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाने की जरूरत है।

महोदय, इन उपायों से, मैं समझती हूं कि रेलवे के वित्त में काफी सुधार होगा। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस पहलू की व्यावसायिक दृष्टि से एक सलाहकार समिति द्वारा जांच की जा रही है, इस समिति के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं।

1999-2000 के दौरान वित्तीय निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

महोदय, माननीय सदस्य जानते ही हैं कि 1999–2000 का साल बहुत ही कठिन था क्योंकि रेलों की आमदनी को मंदी का सामना तो करना ही पड़ा था साथ ही साथ पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संचालन व्यय में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी। परन्तु महोदय हमने इस प्रतिकूल परिस्थिति का पूरे साहस से सामना किया।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि रेल परिवार के संगठित कठोर परिश्रम के कारण हमने 35 मिलियन टन के रिकार्ड वर्धमान माल यातायात की ढुलाई की जो वर्ष 1999–2000 के 450 मिलियन टन के लक्ष्य से 6.42 मिलियन टन अधिक थी। निःसंदेह यह इससे पिछले वर्ष की घोर निराशा की पृष्ठभूमि में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। यहां तक कि यात्री यातायात से होने वाली आमदनी में भी 12 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई जो बजट लक्ष्य से 132 करोड़ रुपये अधिक थी।

बजट उपरांत गतिविधि के रूप में डीजल की कीमतों में वृद्धि होने तथा अतिरिक्त उपकर लगाए जाने तथा कुछ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा टैरिफ में संशोधन करने से रेलों पर बोझ पड़ा था। साथ ही, उड़ीसा चक्रवात के कारण भी रेल संपत्ति

की क्षति हुई जिससे रेल प्रणाली पर लगभग 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा। महोदय, हमने सोच–समझ कर इस बोझ को रेल उपयोगकर्ताओं पर न डालने का निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि हम इस समूचे बोझ को उठाने में समर्थ रहे।

इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सकल आमदनी संशोधित अनुमानों के 33,021 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,125 करोड़ रुपये हो गई। 30,909 करोड़ रुपये का कुल संचालन व्यय भी 30,844 करोड़ रुपये तक ही सीमित रहा। संशोधित अनुमानों में 4,094 करोड़ रुपये की बजटीय पेंशन दायिताएं भी अंत में कम होकर 4,022 करोड़ रुपये हो गईं। योजना खर्च भी 8,965 करोड़ रुपये के संशाधित अनुमानों को पार करके 9,057 करोड़ रुपये हो गया परन्तु जबकि संशोधित अनुमानों में निर्धारित 3000 करोड़ रुपये के ऋण की तुलना में बाजार से 2,919 करोड़ रुपये का अपेक्षाकृत कम ऋण लिया गया।

चालू वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

महोदय, सदन को याद होगा कि वर्ष 2000–01 के लिए 475 मिलियन टन के राजस्व उपार्जक माल यातायात के लदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारतीय रेलों ने अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान पहले ही लगभग 390 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात की ढुलाई कर ली है जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में की गई ढुलाई से 18.48 मिलियन टन अधिक है। इस रुख को ध्यान में रखते हुए 475 मिलियन टन माल ढुलाई के लक्ष्य को निश्चित ही हासिल कर लिया जाएगा। चालू वर्ष में, कोयला, निर्यात के लिए लौह अयस्क, पेट्रोलियम तेल स्नेहक, लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा 'अन्य वस्तुओं' के लदान में सकारात्मक वृद्धि देखने में आई है।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि यात्री यातायात से होने वाली आमदनी में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है जो जनवरी, 2001 के अंत तक लगभग 8,552 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 740 करोड़ रुपये की वृद्धि का द्योतक है। अन्य कोचिंग तथा फुटकर आमदनी भी पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलना में उत्साहवर्धक रही है।

आमदनी के गैर-परंपरागत स्रोत

महोदय, सदन को याद होगा कि रेलों ने पहली बार, ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाकर अपने 'मार्गाधिकार' को पट्टे पर देने, रेलवे भूमि और आकाश क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग करने तथा चल स्टॉक और स्टेशन इमारतों पर वाणिज्यिक प्रचार करने जैसे परंपरागत स्रोतों से स्वयं साधन जुटाने का संकल्प किया है। इसके लिए 2000–01 के लिए 750 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय रेल टेल निगम ने रेलों के 'मार्गाधिकार' का उपयोग करके रेलपथ के 62,800 मार्ग किमी. के साथ–साथ ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाकर राष्ट्र–व्यापी ब्रॉड–बैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क का निर्माण करने के लिए पहले ही कार्य शुरू कर दिया है। पेशेवर परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई इस निगम की व्यवसाय योजना को सरकार का अंतिम अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा है। सरकार द्वारा व्यवसाय योजना को अंतिम अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात् यह निगम शीघ्र ही अपने प्रमुख कार्यकलाप आरंभ करेगा। इन परिस्थितियों में यद्यपि हमने चालू वर्ष के दौरान इस निगम से 500 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान लगाया है तथापि अब यह आशा की जाती है कि उल्लेखनीय राजस्व की प्राप्ति केवल 2001–2002 के दौरान ही आरंभ होगी। देश के भीतर और बाहर दोनों क्षेत्रों से रेल टेल निगम को पहले ही प्राप्त हुई सकारात्मक प्रतिक्रिया और उत्साहवर्धक प्रस्तावों को देखते हुए रेलें ऐसे अन्य उद्यम आरंभ करने का प्रस्ताव करती हैं। उदाहरणार्थ, ई–कॉमर्स द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक पृथक आईटी कंपनी पर विचार किया जा रहा है।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए रेलवे भूमि/आकाश क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग करने की पहचान, महत्वपूर्ण गैर–टैरिफ विकल्पों में से एक के रूप में की गई है। अपने पिछले बजट भाषण में मैंने रेलवे भूमि के जरिए 150 करोड रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस प्रयोजन के लिए पहचाने गए 53 स्थानों का विकास राइट्स और इरकॉन के जरिए किया जा रहा है जो इन योजनाओं के निष्पादन के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इस खाते में दिसम्बर, 2000 के अंत तक 81 करोड रुपये की राशि पहले ही वसूल कर ली गई है। हमें आशा है कि हम वित्त वर्ष के अंत तक अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।

स्टेशनों और गाड़ी के डिब्बों पर वाणिज्यिक प्रचार और विज्ञापनों के जरिए 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई गई है। गैर–परंपरागत स्रोतों से संसाधन जुटाने का यह नया उपाय पहली बार शुरू किया गया था। यद्यपि वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है तथापि पहले वर्ष की इसकी उपलब्धि ने हमें व्यावसायिक विशेषज्ञों की सहायता से इस संसाधन का अधिक से अधिक दोहन करने के लिए प्रेरित

किया है। आगामी वर्ष में व्यावसायिक विशेषज्ञों की सहायता लेकर अधिकार संपन्न समूह राष्ट्रीय तथा जोनल स्तरों पर इन गतिविधियों को बढ़ाएंगे इस संबंध में तीन महीनों के भीतर एक व्यापक पारदर्शी योजना पैकेज तैयार कर लिया जाएगा।

संरक्षा

महोदय, मैं संरक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सदन और जनता की चिंता से पूर्णतया सहमत हूं।

सदन को इस बात की जानकारी है कि न्यायमूर्ति खन्ना समिति का मत था कि संरक्षा के लिए रेल परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन के लिए रेलों को 5–7 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन का आंतरिक रूप से सृजन करने की आशा नहीं की जा सकती, मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस समिति की सिफारिशों को अपनाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। महोदय, इस बारे में मैं चुप रहना ही पसंद करूंगी।

महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि अपने सीमित संसाधनों के भीतर रेलें संरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हैं। रेलों के आड़े आ रही वित्तीय तंगी के बावजूद हम संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए परिव्यय के स्तर को कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। रेलपथ नवीकरण कार्य को अनिवार्यतः प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अतः मैं इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए परिव्यय 2,050 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं जो चालू वर्ष के लिए संशोधित परिव्यय की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है। हमारी सिगनल प्रणाली और दूरसंचार प्रणाली में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समाहन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इससे मानव पर निर्भरता उत्तरोत्तर कम होगी जिसके परिणामस्वरूप, एक बेहतर संरक्षा वातावरण प्राप्त होगा। महोदय, इसलिए मैंने अगले वित्त वर्ष के दौरान सिगनल और दूरसंचार संबंधी परिव्यय चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित परिव्यय की तुलना में 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। महोदय, इन वर्धमान परिव्ययों के साथ मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम वास्तव में सरकार से किसी अतिरिक्त सहायता के बिना खन्ना समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए संरक्षा शीर्षों के लिए 3000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का प्रावधान कर रहे हैं। बहरहाल, इस आबंटन से केवल वर्तमान उत्पन्न होने वाले कार्य ही किए जा सकेंगे और बकाया कार्य नहीं हो पाएंगे जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी।

महोदय, सभी स्तरों पर संरक्षा अपेक्षाओं का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैंने पहले ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भारतीय रेल पर संरक्षा का प्रभारी बना दिया है। इससे उच्चतम आधिकारिक स्तर पर संरक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के संबंध में बेहतर समन्वय सुसाध्य हो सकेगा।

सुरक्षा

महोदय, इस सामान्य धारणा के विपरीत कि रेलें यात्रियों और उनके सामानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं, रेलों पर पुलिस व्यवस्था राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। दुर्भाग्यवश, कुछ राज्यों में कानून एवं व्यवस्था संबंधी स्थिति रेल परिचालनों के सुचारु कार्यनिष्पादन के अनुकूल नहीं रही है।

रेलवे ने रेल सुरक्षा बल को और अधिक कारगर बनाने के लिए इसकी कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने की प्रक्रिया आरंभ की है। दूरसंचार के आधुनिकीकरण, सुरक्षा उपकरण और शस्त्रागार, पर्याप्त परिवहन की व्यवस्था, कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन आदि के उपाय किए गए हैं।

महोदय, सदन को इस बात की जानकारी है कि मैंने भारतीय रेलों पर सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है। महोदय, इसके समाधान के लिए राज्य सरकारों को स्वतः आगे बढ़कर रेल प्रणाली पर पुलिस व्यवस्था के कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। विकल्पतः, महोदय, इस विषय पर मैं इस सदन का मार्गदर्शन चाहूंगी कि किस प्रकार संविधान के ढांचे के भीतर रेलवे सुरक्षा बल को अधिक शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं ताकि रेल उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके।

माल परिवहन : नई पहल

महोदय, हमारे कुल राजस्व का दो–तिहाई भाग माल यातायात से आता है। माल यातायात बाजार में अपनी हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने, जो पिछले दशकों में बहुत गिर गई थी, तथा इसे वर्तमान दशक में 50 प्रतिशत तक के स्तर तक ले जाने के लिए मैं अगले वर्ष विभिन्न उपाय शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रस्तावित उपाय इस प्रकार हैं :

(i) ग्राहकों के साथ हमारे संबंधों में निकटता लाने के लिए क्षेत्रीय तथा मंडल रेलों को शक्तियों का व्यापक प्रत्यायोजन किया गया है। महाप्रबंधकों को अतिरिक्त माल यातायात हासिल करने के लिए स्थानीय स्तर पर समुचित विपणन नीति तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ii) भारतीय रेलों के उन मार्गों के लिए जो बहुत अधिक संतृप्त हो गए हैं। 'संकुलन मार्ग विकास प्रभार' शुरू

किया गया है ताकि भारतीय रेल रुकावटों को दूर करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों की योजना बना सके।

(iii) माल की यात्रा पर आधारित रियायती भाड़ा योजना (वाल्यूम डिस्काउंट स्कीम) लगातार तीसरे वर्ष जारी रखी जा रही है।

(iv) पिट हेड बिजली घरों/खानों में कोयले तथा खनिजों के संचलन को आकर्षित करने के लिए छोटे–छोटे खंडों में मेरी–गो–राउंड (एमजीआर) सर्किटों में ढुलाई के लिए विशेष एकमुश्त दर विकसित की गई है। इस पैकेज में रेल संचलन के लिए कम गमन दूरी के थोक यातायात को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाएगा।

(v) रोल–ऑन–रोल–ऑफ (आरओआरओ), जिसका हाल ही में कोंकण रेलवे पर परीक्षण किया गया था, को अब अहमदाबाद–नाभा तथा चेन्नै–संकरेल (कोलकाता) सर्किटों पर चलाया जा रहा है।

(vi) स्टेशनों पर रेलवे की फालतू भूमि तथा छोटे स्टेशनों पर 1500 से अधिक अप्रयुक्त गुड्स शेडों का विकास गोदाम संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है जिससे एक ओर रेलों पर अतिरिक्त यातायात प्राप्त होगा और दूसरी ओर राजस्व की भी अनुपूर्ति होगी।

(vii) रियल टाइम मानीटरिंग के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपने माल यातायात परिचालन का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। मालभाड़ा परिचालन की कम्प्यूटरीकृत मानीटरिंग (एफओआईएस) परियोजना के जून, 2001 तक भारतीय रेलों के समूचे नेटवर्क को कवर करने की संभावना है।

यात्री सुविधाएं

स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार पर अत्यधिक बल देने की मेरी योजना है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई नए क्षेत्रों में सुधार करने के लिए यात्री सुविधाओं के लिए परिव्यय में संशोधित अनुमानों की तुलना में 39 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) सभी क्षेत्रीय रेलों पर टिकटों की धन–वापसी को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

(ii) विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्वचल टेलर मशीनें (एटीएम) संस्थापित की जा रही हैं और बाद में ये टिकट जारी करने के लिए भी उपयोग में लाई जाएंगी।

(iii) जनता को अपेक्षाकृत अधिक जल्दी सूचना मुहैया कराने के लिए केबल टीवी/इंटरनेट और सेल्यूलर फोनों पर इन प्रणालियों को राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

(iv) टिकट खिड़कियों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए फुटकर टिकट जारी करने के लिए इंटरनेट किओस्क का उपयोग करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(v) आरक्षण उपलब्धता स्थिति और गाड़ी संचलन स्थिति 'ए' श्रेणी के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध होगी।

(vi) बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए जनता के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों हेतु 'उपभोक्ता सेवा संस्थान' में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

(vii) पेय जल, प्लेटफार्म, सायबानों की व्यवस्था, सबसे लंबी गाड़ी को सेवित करने के लिए प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने, प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने तथा बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(viii) स्टेशनों पर स्वच्छता में सुधार करने के लिए 'भुगतान करके उपयोग करें' शौचालयों की विशाल संख्या में व्यवस्था की जाएगी।

हमने अधिकाधिक स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों में शामिल करके उपभोक्ता सेवा के आधुनिकीकरण की एक विशाल प्रक्रिया आरंभ की है। 210 स्टेशनों का पहले ही चयन किया जा चुका है। अब मैं अगले वर्ष में 74 और स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में विकास का प्रस्ताव करती हूं।

महोदय, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा तक पहुंच मुहैया कराने के लिए एक प्रमुख कदम के रूप में मैंने पूरे देश में और 71 स्थलों को कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) की परिधि में लाने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि पीआरएस सुविधा देश में 670 स्थलों पर पहले से ही उपलब्ध है।

लंबी दूरी की गाड़ियों में सेवा गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 30 गाड़ियों में राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के अनुरूप कतिपय सुविधाएं आरंभ की गई हैं।

खानपान सेवाएं

रेलवे ने प्रमुख खानपान इकाइयों के मामले में प्रतियोगी बोलियों के जरिए लाइसेंस प्रदान किए जाने की पारदर्शी प्रणाली आरंभ करने की दृष्टि से एक नई खानपान नीति तैयार की है। इस नीति में लघु खानपान इकाइयों का खानपान लाइसेंस आबंटन में विभिन्न महाप्रबंधकों के विवेक से 25 प्रतिशत आरक्षण की भी व्यवस्था है।

भारतीय रेलों ने स्टेशनों और गाड़ियों, दोनों में खान–पान सेवाओं के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं।

स्वास्थ्य

महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जरूरतमंद यात्रियों के लिए तत्पर बचाव और राहत सुसाध्य बनाने के लिए पूरे देश में रेलपथ के निकट स्थित गैर–रेलवे चिकित्सा सुविधाओं के स्थल और विवरण संबंधी एक कम्प्यूटरीकृत डॉटाबेस संकलित किया गया है। यह सूचना रेलनेट पर उपलब्ध है।

2000–01 के मेरे बजट भाषण के अनुसरण में, अपेक्षाकृत अधिक दवाओं वाले प्राथमिक सहायता बक्से आदर्श स्टेशनों और लंबी दूरी की गाड़ियों में उपलब्ध करा दिए गए हैं। जनता के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रेल कर्मचारियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली किफायती सेवा उपलब्ध कराने के लिए जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई मंडल अस्पताल, झांसी, रेलवे अस्पताल, पेरम्बूर तथा डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल मुंबई के रेलवे अस्पतालों की सुविधाओं में विस्तार करने और इनका आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है।

कलकत्ता में मेट्रो रेल कर्मचारियों को बेहतर अंतरंग चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टालीगंज स्थित उनके अंतरंग क्लीनिक में 30 बिस्तर वाला अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

पर्यटन

महोदय, मैंने रेल पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है। मैंने पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच संयुक्त प्रयास के रूप में महाराष्ट्र और गोवा में एक नई 'पैलेस ऑन व्हील्स' शुरू की जाएगी जो पर्यटन की दृष्टि से रुचिपूर्ण विभिन्न स्थानों से गुजरेगी। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हाल ही में रेलों और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस गाड़ी को चलाना सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शीघ्र ही कर दी जाएंगी।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद–धर्मावरम (पुत्तपर्ती)–तिरूपति–गुंटूर–नाडिकुडे–सिकंदराबाद सर्किट पर स्थित धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए एक पर्यटक गाड़ी शुरू करने के एक अन्य प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी पैलेस ऑन व्हील्स किरम की गाड़ी चलाने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए तौर–तरीकों पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

महोदय, मुझे यह भी घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि कर्नाटक सरकार ने बंगलौर–होसपेट–हुबली–मंगलौर–हसन–मैसूर–बंगलौर सर्किट पर संयुक्त रूप से पैलेस–ऑन–व्हील्स किस्म की गाड़ी चलाने का प्रस्ताव किया है, जिसके तौर–तरीकों का पता लगाया जा रहा है।

उड़ीसा सरकार ने स्थानीय पर्यटन के लिए आकर्षक एक मार्ग पर भाप इंजन से चलने वाली एक सफारी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव भेजा है। इसके तौर–तरीकों का पता लगाया जा रहा है। रेलें किसी भी राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले ऐसे प्रस्तावों का स्वागत करेंगी।

नव स्थापित भारतीय रेल खान–पान और पर्यटन निगम ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए हैं जिनसे पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है। नवम्बर, 2000 में शुरू किया गया 'माता वैष्णों देवी पैकेज' तीर्थ यात्रियों में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है।

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्रदान की गई है। इससे भविष्य के लिए इंजीनियरी कौशल के इस अनूठे कार्य का अनुरक्षण और संरक्षण करने के प्रति रेलों की वचनबद्धता और अधिक बढ़ जाती है। रेल अवसंरचना का [illegible]ण और उसका उन्नयन करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में [illegible] रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के तत्वावधान में विशेष [illegible] तैयार किए गए पर्यटक पैकेज चलाने की हमारी योजना है।

क्षेत्रीय रेल संग्रहालय संस्थानों द्वारा रेल इतिहास का संरक्षण करना रेलों की एक महत्वपूर्ण गतिविधि रहा है। दक्षिण क्षेत्र के लिए रेल संग्रहालय शीघ्र ही पूरा होने वाला है। इसी तरह, मुझे यह भी घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि पूर्वी क्षेत्र के लिए वाराणसी और मालदा में नए क्षेत्रीय रेल संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे।

राहत उपाय

महोदय, इस वर्ष हमारे देश ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। अभी हाल ही की और सर्वाधिक विनाशकारी

आपदा अर्थात् गुजरात में भूकंप के अलावा पश्चिम बंगाल राज्य में बाढ, आंध्र प्रदेश में चक्रवातीय वर्षा और गुजरात में अकाल का प्रकोप पड़ा है। हमेशा की भांति रेलों ने पीड़ा और वेदना को कम करने के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करने के प्रयास किए हैं। रेलों ने गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए चारे के 300 से अधिक रेकों तथा पानी के बड़ी लाइन के 12000 से अधिक एवं मीटर लाइन के 700 से अधिक मालडिब्बों का निःशुल्क संचलन किया है।

हाल के भूकंप के बाद गुजरात में राहत और बचाव के कार्यों के रूप में गुजरात तक राहत सामग्री और संबंधियों को पहुंचाने और वहां से घायल व्यक्तियों को निकालने के लिए विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं। वहां के दूर-दराज के क्षेत्रों में रेलवे सबसे पहले सहायता के लिए पहुंची थी।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही के भूकंप से पीड़ित हुए व्यक्तियों के लिए रेल परिवार की ओर से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 15 करोड़ रुपये की राशि दान की गई है। इसके अलावा, रेलों के अधीन उपक्रमों ने कुल मिलाकर 3.58 करोड़ रुपये राशि का अंशदान दिया है।

कोंकण रेल निगम

महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोंकण रेलवे ने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में आमदनियों में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके पिछले वर्ष अपने परिचालनों में सुधार किया है। बहरहाल, निगम की आमदनियां केवल इसके परिचालन व्ययों की पूर्ति करने के लिए ही पर्याप्त हैं। मैं सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगी कि यह मंत्रालय न केवल ऋण अदायगी दायिताओं की पूर्ति करने बल्कि इसका राजस्व सृजन बढ़ाने और इसकी पूर्ण संभावनाओं को मूर्त रूप देने में इस निगम की सहायता करना जारी रखेगा।

महानगर परिवहन परियोजनाएं

महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बेलापुर-पणवेल लाइन दोहरीकरण के पश्चात अप्रैल, 2000 में दैनिक यात्री यातायात के लिए खोल दी गई है। सांताक्रूज और बोरीविली के बीच 5वीं लाइन परियोजना के भाग के रूप में सांताक्रूज और अंधेरी के बीच पांचवीं लाइन भी दैनिक यात्री यातायात के लिए खोल दी गई है। अंधेरी और बोरीविली के बीच शेष भाग में भी कार्य अच्छी प्रगति पर है और अगले वित्त वर्ष के भीतर खोल दिए जाने की आशा है। विरार-दहानू रोड के बीच स्वचल सिगनल प्रणाली का कार्य भी इस वित्त वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है जिससे खंड की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी। ठाणे-तुर्भे-नेरुल/वाशी की नई लाइन जो नवी मुंबई में एक और दैनिक यात्री गलियारा उपलब्ध कराएगी, भी मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है यदि राज्य सरकार द्वारा ठाणे क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाई जाती है। बोरीविली-विरार खंड के चौहरीकरण तथा कुर्ला और ठाणे के बीच 5वीं एवं 6ठी लाइन के निर्माण की परियोजनाएं भी अच्छी प्रगति कर रही हैं।

टॉलीगंज से गरिया तक कोलकाता मेट्रो रेल के विस्तार, प्रिंसेपघाट से माजरहाट तक सर्कुलर रेलवे के विस्तार और दम दम से वायुपत्तन तक सर्कुलर रेलवे के संपर्क की व्यवस्था तथा ताला से प्रिंसेपघाट तक मौजूदा सर्कुलर रेलवे के विद्युतीकरण की परियोजनाएं प्रगति कर रही है। सर्कुलर रेलवे पर दम दम ताला खंड पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है। राणाघाट गेडे खंड का विद्युतीकरण भी पूरा हो गया है और राणाघाट-बोंगांव भी इस वित्त वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा; इससे इन खंडों पर भी ईएमयू सेवाओं का चालन सुसाध्य हो जाएगा। बारासत-हसनाबाद का विद्युतीकरण भी संतोषजनक प्रगति कर रहा है।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी और प्रसन्नता हो रही है कि कोलकाता सर्कुलर रेलवे परियोजना के विस्तार के रूप में उत्तर में दम दम हवाई अड्डे को टीटागढ से और दक्षिण में दम दम हवाई अड्डे को गरिया से जोड़ने के लिए उल्टाडांगा और राजरहाट के बीच एक संपर्क (लेक टाउन तक चरण-I) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चैन्ने में तिरुमलई से वेलाचेरी तक व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली का चरण-II अच्छी गति से प्रगति कर रहा है। समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2001-2002 में अपेक्षित निधियों की व्यवस्था की जा रही है। चैन्ने बीच-तांबरम-चेंगलपट्टू उपनगरीय खंड के आमान परिवर्तन का कार्य भी गति पकड़ रहा है और अच्छी प्रगति कर रहा है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के आधार पर हैदराबाद शहर और इसके उपनगरों में मौजूदा उपनगरीय अवसंरचना एवं सेवाओं के सुदृढ़ बनाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और भारतीय रेल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं ताकि इस शहर के कतिपय खंडों को दैनिक यात्री परिचालन के उपयुक्त बनाया जा सके।

उत्पादन इकाइयां

1999-2000 के दौरान सभी उत्पादन इकाइयों-चितरंजन रेलइंजन कारखाना, डीजल रेलइंजन कारखाना, वाराणसी, सवारी

डिब्बा कारखाना, चैन्ने, रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला, डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला और पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलुरू–ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला और पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलुरू ने 'पर्यावरण प्रबंधन मानक प्रणालियों' के लिए आईएसओ–14001 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि रेल डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला ने जून, 2000 में प्रतिष्ठित ''गोल्डन पीकॉक एनवॉयरनमैंट मैनेजमेंट'' पुरस्कार भी जीता है। 2001–2002 के दौरान आधुनिकतम एलएचबी डिजाइन के 27 सवारी डिब्बों का उत्पादन भी आरंभ हो जाएगा। रेडिका ने वियतनाम नेशनल रेलवे से 72 मी.ला. बोगियों के निर्यात का क्रयादेश भी प्राप्त किया है। डीजल रेलइंजन कारखाना (डीरेका), वाराणसी ने चालू वर्ष के दौरान बांगलादेश रेलवे और श्रीलंका रेलवे से 12 ब.ला. डीजल रेलइंजनों का क्रयादेश प्राप्त किया है।

महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि चितरंजन रेलइंजन कारखाने में 'नवभारती' नामक एक नए डब्ल्यूएपी–7 रेल इंजन का निर्माण किया गया है जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 26 सवारी डिब्बों की ढुलाई कर सकता है। चिरेका से अब बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक जानकारी हासिल कर रहे हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकी के आधार पर रेलइंजनों को खरीदने की संभावना तलाश करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका के शिष्ट मंडलों ने चिरेका का दौरा किया है।

अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन

अपनी बजट वचनबद्धता के अनुसरण में अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, जो भारतीय रेल का अनुसंधान और विकास के मामले में अग्रणी स्कन्द है, की समग्र समीक्षा की गई है। इस संगठन के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर मुझे गर्व है, माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1999–2000 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है। 1999–2000 में इरकॉन इंटरनेशनल लि. ने 538 करोड़ रुपये का करोबार किया और 47 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसने 11.38 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया। 1999–2000 में रेल इंडिया टैक्नीकल एंड इकॉनामिक सर्विसेज (राइट्स) ने अब तक के सर्वाधिक 172 करोड़ रुपये का कारोबार किया और 16 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया तथा 3.20 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया। भारतीय कंटेनर निगम लि. (कनकोर) ने 832 करोड़ रुपये का कारोबार किया, 178 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया तथा 36 करोड़ रुपये का भुगतान, लाभांश के रूप में किया। भारतीय रेल वित्त निगम ने 301 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसने भारतीय रेलों के योजनागत संसाधनों की पूर्ति करने के लिए 1999–2000 में बाजार से कुल 2836 करोड़ रुपये जुटाए। इसने 65 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया।

वार्षिक योजना 2001-02

महोदय, जब मैं 2001–02 के बजट अनुमान संकलित करने के लिए बैठी तो मुझे भरोसा था कि सामान्य राजकोष से बजटीय सहायता में कुछ वृद्धि होगी। मुझे यह भी आशा थी कि संरक्षा संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए एक पृथक अनुदान भी उपलब्ध होगा। बहरहाल, इनमें से कोई भी फलीभूत नहीं हुआ। परन्तु, महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि इन सब कठिनाइयों के बावजूद हम 2001–02 के योजना परिव्यय को 11,090 करोड़ रुपये के स्तर तक रख सके हैं जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। सामान्य राजकोष से पूंजी सहायता 3,540 करोड़ रुपये रहेगी जो चालू वर्ष के बराबर है। बाजार से 4,000 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव है। शेष 3,550 करोड़ रुपये राजस्व के परंपरागत स्रोतों और गैर–परंपरागत स्रोतों को मिलाकर प्राप्त किए जाएंगे। हम बिजलीघरों पर रेलों की बकाया राशि की वसूली पर निर्भर हैं। 31 दिसंबर, 2000 को यातायात की बकाया राशि जिसमें से अधिकांश राशि बिजलीघरों पर बकाया है, 3,027 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। बिजलीघरों पर बकाया राशि 3,027 करोड़ रुपये है। यदि हमें यह राशि सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए मिल जाए तो मैं अत्यंत आभारी रहूंगी। रेलवे शीघ्र भुगतान कर देता है। किन्तु हमारी समस्या यह है कि हमारी धनराशि उनके पास पड़ी हुई है। अगले वर्ष 7.50 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा गया है इसके भाग के रूप में अगले वर्ष में हमें बदरपुर पावर स्टेशन से कम से कम 500 रुपये के बकाए की वसूली की आशा है जैसा कि पिछले वर्ष तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने वायदा किया था।

महोदय, चालू वर्ष में हमें 3540 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्राप्त हुई है जो वर्ष 1999–2000 से लगभग 1000 करोड़ रुपये अधिक है। इसके साथ ही पिछली बार सरकार ने 1500 करोड़ रुपये के लाभांश के भुगतान को अस्थगित कर दिया

था, जिससे हमारी शुद्ध लाभांश दायिता घटकर 615 करोड़ रुपये रह गई जिसका हम इस बार भुगतान कर रहे हैं। महोदय, अगले वर्ष बजटीय समर्थन में कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि रेलों को सामान्य राजस्व में 1352 करोड़ रुपये का भुगतान भी करना होगा क्योंकि लाभांश आस्थगन को घटाकर केवल 1000 करोड़ रुपये की अनुमति है।

महोदय, यद्यपि 2001–02 की वार्षिक योजना में हमारा ध्यान संरक्षा पर केंद्रित है, तथापि मैंने उन नई लाइन परियोजनाओं को भी पूरा करने पर विशेष बल देने का निर्णय लिया है जो काफी समय से लंबित हैं। संरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए रेलपथ नवीकरण के लिए आबंटन जिसे 1,633 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में बढ़ाकर 2,050 करोड़ रुपये किया गया है और 26 प्रतिशत की वृद्धि का परिचायक है।

[हिन्दी]

क्या बंगाल इसके बाहर है? सब को जाएगा। आप सुन लीजिए।

उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं में सुधार लाने के निरंतर अभियान में यात्री सुविधाओं के लिए आबंटन को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 39 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है।

[हिन्दी]

फ्रीक्वैंसी भी है, एक्सटेंशन भी है। कामन पैसेंजर्स के लिए हम कुछ कर रहे हैं।

[अनुवाद]

जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मितव्ययिता एवं सादगी एक प्रमुख क्षेत्र है जिस पर मैं अत्यधिक ध्यान दे रही हूं। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष में मितव्ययिता एवं सादगी तथा किफायत संबंधी अभियान के परिणामस्वरूप 850 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत हुई थी। मितव्ययिता तथा सादगी से इस वर्ष पुनः 865 करोड़ रुपये का बचत लक्ष्य रखा गया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि अगले वर्ष भी मितव्ययिता एवं सादगी तथा किफायत को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

नई गाड़ियां

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे शोर न मचाएं। वर्ष भर के दौरान मुझे जनता से तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों से भी नई गाड़ियां चलाने, फेरे बढ़ाने तथा उनका चालन–क्षेत्र बढ़ाने आदि के बारे में बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। महोदय, आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है, परन्तु मैं समझती हूं कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ये मांगें तथा आकांक्षाएं वास्तविक हैं। मांग, अवसंरचना की उपलब्धता, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण तथा माल यातायात पर प्रभाव आदि पर विचार करते हुए मुझे निम्नलिखित नई गाड़ियां शुरू करने में प्रसन्नता हो रही है :

(i) नई दिल्ली और रायपुर के बीच साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस।

(ii) नई दिल्ली और रांची–हटिया के बीच साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस।

(iii) गोरखपुर और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक्सप्रेस।

(iv) बंगलौर–वास्को के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक्सप्रेस।

(v) लोंडा और मडगांव के रास्ते पुणे–एर्णाकुलम साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(vi) आसनसोल–नई जलपाईगुड़ी साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(vii) सिकंदराबाद–धर्मावरम एक्सप्रेस।

(viii) सियालदाह–न्यूजलपाईगुड़ी सप्ताह में दो दिन चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(ix) जयपुर–एर्णाकुलम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस।

(x) धनबाद–हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस।

(xi) हावड़ा–यशवंतपुर (बंगलौर) सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक्सप्रेस।

(xii) इंदौर–गांधीनगर (अहमदाबाद) एक्सप्रेस।

(xiii) हावड़ा–तिरूवनंतपुरम–नागरकोइल साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(xiv) कुर्ला–भुवनेश्वर (बरास्ता संबलपुर) साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(xv) सूरत क्षेत्र को सेवित करने वाली वलसाड–पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(xvi) हल्दिया–आसनसोल एक्सप्रेस।

(xvii) जोधपुर–चैन्नै साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(xviii) सोलापुर–पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(xix) जोधपुर–हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस।

(xx) पालघाट–तिरूवनंतपुरम एक्सप्रेस।

(xxi) भुवनेश्वर–पलासा इंटरसिटी सेवा।

(xxii) आसनसोल–झाझा–अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(xxiii) हजरत निजामुद्दीन में नए टर्मिनल संबंधी कार्यों के पूरा होने पर सिकंदराबाद के लिए साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस।

(xxiv) रामपुरहाट–हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस।

मुझे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों से बड़ी संख्या में अपील प्राप्त हुई है जिसमें लंबी दूरी के मार्गों पर केवल द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि मेरा प्रस्ताव, अगले वर्ष विशेषकर व्यस्त अवधि के दौरान निम्नलिखित मार्गों पर केवल द्वितीय और शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों वाली ''मातृभूमि'' एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का है।

1. दिल्ली–जम्मू
2. हावड़ा–दिल्ली
3. हावड़ा–देहरादून
4. दिल्ली–बरौनी बरास्ता लखनऊ
5. हैदराबाद–बेंगलूरु
6. मुंबई–गोरखपुर
7. मुंबई–वाराणसी

यह मेरा भरसक प्रयास होगा कि लंबी दूरी की गाड़ियों पर आम जनता के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करने में मदद करूं। इन सेवाओं की उपयोगिता के आधार पर इन्हें जारी रखने का भी विचार किया जाएगा। हम प्रतीकात्मक रूप से शुरूआत कर रहे हैं। मैं इसे देश के सभी भागों में शुरू करना चाहती हूं ताकि आम जनता इसका लाभ उठा सके।

गाड़ियों के फेरे बढ़ाना

1. सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर सप्ताह में चार दिन चलाना।
2. गोरखपुर–देहरादून एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन चलाना।
3. राजकोट–एर्णाकुलम एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन के बजाय दो दिन चलाना और इसका ओखा तक विस्तार।
4. राजकोट–भोपाल एक्सप्रेस को दो दिन जबलपुर तक चलाकर जबलपुर–राजकोट एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर चार दिन चलाना।
5. सियालदाह–दरभंगा गंगासागर एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन के बजाय प्रतिदिन चलाना।
6. विशाखापत्तनम–बिलासपुर एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन के बजाय प्रतिदिन चलाना तथा इसका कोरबा तक विस्तार।
7. सिकंदराबाद–राजकोट एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन के बजाय दो दिन चलाना।
8. निजामुद्दीन–नागपुर एक्सप्रेस को बिलासपुर तक चलाकर निजामुद्दीन–बिलासपुर गोंडवाना एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन के बजाय पांच दिन चलाना।
9. इंदौर–जयपुर एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन के बजाय दो दिन चलाना।

चालन-क्षेत्र में विस्तार

(i) सप्ताह में दो दिन चलने वाली सूरत–पटना एक्सप्रेस को पटना से आगे भागलपुर तक चलाना।

(ii) पुणे–वाराणसी एक्सप्रेस को एक दिन दरभंगा तक चलाना।

(iii) सप्ताह में दो दिन चलने वाली नई दिल्ली–गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को डिब्रूगढ़ टाउन तक सप्ताह में एक दिन के बजाय दो दिन चलाना।

(iv) सप्ताह में दो दिन चलने वाली चेन्नै–गुवाहाटी एक्सप्रेस को एक दिन डिब्रूगढ़ टाउन तक चलाना। यह सुविधा पूर्वोत्तर को दक्षिण भारत से जोड़ेगी।

(v) जोधपुर–जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को सवाई माधोपुर तक चलाना।

(vi) गुवाहाटी–लमडिंग एक्सप्रेस को दीमापुर तक चलाना। हम नागालैंड को सुविधा देना चाहते हैं।

(vii) काचेगुड़ा–पलासा एक्सप्रेस को भुवनेश्वर तक चलाना।

(viii) जोधपुर–जम्मूतवी एक्सप्रेस को अहमदाबाद तक चलाना।

(ix) बलिया और हावड़ा के बीच सीधी सेवा उपलब्ध कराने के लिए बरौनी, बलिया और इंदारा के रास्ते हावड़ा–गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस चलाना।

आमान परिवर्तन/नई लाइनों/पुनर्स्थापन संबंधी कार्यों के पूरा होने पर चलाई गईं/चलाई जाने वाली सेवाएं

(i) हमने एक पैकेज देने का निर्णय लिया है। पेद्दपल्ली–करीमनगर नई लाइन के पूरा होने पर हाल ही में 14 फरवरी, 2001 से दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां चलाई गई हैं।

(ii) हाल ही में आमान परिवर्तित गांधीधाम–भुज खंड पर निम्नलिखित गाड़ियां चलाई जाएंगी :

(क) मुंबई–गांधीधाम कच्छ एक्सप्रेस को भुज तक बढ़ाना।

(ख) सप्ताह में दो दिन चलने वाली बरेली–गांधीधाम एक्सप्रेस को भुज तक चलाना।

(ग) पुणे–गांधीधाम साप्ताहिक एक्सप्रेस को भुज तक चलाना।

(घ) दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां।

हमें गुजरात की सहायता करनी होगी।

(iii) न्यू माल जंक्शन और चंगराबंध के बीच हाल ही में पुनर्स्थापित की गई नई मीटर लाइन पर न्यू माल जंक्शन के रास्ते सिलीगुड़ी और चंगराबंध के बीच एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी शुरू की जाएगी।

(iv) एकलाखी और गाजौल खंड पर एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी चलाई जाएगी और इसे नई लाइन के पूरा होने पर बालूघाट तक बढ़ाया जाएगा।

(v) नई लाइन के पूरा होने पर हावड़ा से दीघा तक एक एक्सप्रेस गाड़ी शुरू की जाएगी। इस बीच की अवधि में तामलुक और बजकुल के बीच निर्माण कार्य पूरा हो गए 16 किलोमीटर के खंड पर एक डीएमयू गाड़ी चलाई जाएगी।

सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह रेलगाड़ी बजकुल तक पहुंच गई है। हमने एक चालू परियोजना को पूरा किया है। पश्चिम बंगाल के मित्र भी प्रसन्न होंगे...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : राजधानी ट्रेन के बारे में क्या किया गया?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सुनिए।

कुमारी ममता बनर्जी : अरे भाई सुनिए वह है, पहले सुनिए। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : मराठवाड़ा के लिए क्या किया है?...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : पूरा दिया है। मैं काम कर रही हूं। आप देख लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

(vi) पंढरपुर–कुर्डवाडि खंड के आमान परिवर्तन होने पर बड़ी लाइन की दो जोड़ी गाड़ियां चलाई जाएंगी।

एमईएमयू/ईएमयू सेवाएं

1. काजीपेट–दोर्णाकल–विजयवाड़ा।
2. पुरुलिया–आद्रा।
3. बिलासपुर–नागपुर।
4. कानुपर–शिकोहाबाद।
5. बिलासपुर–रायगढ़।
6. बाली–बंडेल (दो जोड़ी)।

डीएमयू सेवाएं

1 खड़गपुर–जलेश्वर–भुवनेश्वर।

2 जालंधर–होशियारपुर।

3 कोटकपुरा–फाजिल्का।

4 समस्तीपुर–दरभंगा।

नई लाइनें

महोदय, सदन को मालूम ही है कि बड़ी संख्या में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की लागत वाली नई लाइन परियोजनाएं

और 9100 करोड़ रुपये के आमान परिवर्तन की परियोजनाएं तथा 3300 करोड़ रुपये की दोहरीकरण की परियोजनाएं लंबित हैं जिन्हें संसद द्वारा पिछले 5 दशकों के दौरान विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया है और जो पूरा होने की प्रतीक्षा में हैं। पिछले 1 वर्ष के दौरान के कार्यान्वयन को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि पहले से स्वीकृत चालू परियोजनाओं में नई परियोजनाएं जोड़ने से केवल समस्या में बढ़ोत्तरी ही होगी। इसलिए मैंने अगले वर्ष के बजट में कोई नई लाइन परियोजना शामिल न करने का साहसिक निर्णय लिया है। मुझे डर है कि इससे मेरे कई माननीय साथियों को निराशा होगी। परन्तु, महोदय, भारतीय रेल के दीर्घकालीन हित में मैं महसूस करती हूं कि ऐसा करना अनिवार्य है।

मेरा आगे विचार है कि चालू परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ पूरा करने के लिए उपाय अवश्य ढूंढ़े जाएं। महोदय, इसीलिए मैंने अगले वर्ष में चालू परियोजनाओं में निवेश में वृद्धि करने का निर्णय लिया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45 प्रतिशत तक अधिक हैं। 312 करोड़ रुपये की इस बढ़ोत्तरी से न केवल नई लाइन के कार्यान्वयन को सामान्य रूप से तेज करने में सुविधा होगी बल्कि इसके परिणामस्वरूप लंबे समय से लंबित निम्नलिखित परियोजनाएं भी पूरी होंगी।

मैं मराठवाड़ा मंडल के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकती हूं कि मैंने धन प्रदान कर दिया है। उन्हें पिंक–बुक देखनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : आपने मराठवाड़ा के लिए कुछ नहीं दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : उसके लिए दे दिया है।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : झाबुआ–धार–मक्सी लाइन को देख लीजिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : वे चालू नई लाइनें जिन्हें या तो हाल ही में पूरा कर लिया गया है अथवा जो मार्च, 2001 से पहले पूरा हो जाएंगी, निम्नानुसार हैं :

(i) धर्मावरम–पेनूकोंडा परियोजना का पुट्टापार्थी–पेनूकांडा खंड

(ii) लक्ष्मीकांतपुर नागखाना परियोजना का काशीनगर–काकद्वीप खंड

(iii) कपड़वंज–मोडासा परियोजना

(iv) एकलाखी–बालूरघाट परियोजना का एकलाखी–गाजौल खंड

(v) दैतारी–बांसपानी परियोजना का जारूरी–बांसपानी खंड

(vi) हावड़ा–अमटा परियोजना का बड़गछिया–मुंशीरहाट खंड

(vii) तामलुक–दीघा लाइन का तामलुक–बाजकुल खंड

2001-02 में पूरा करने के लिए नियत नई लाइनें

(i) एकलाखी–बालूरघाट परियोजना का गाजौल–बुनियादपुर खंड

(ii) धर्मावरम–पेनूकोंडा परियोजना को पूरा करने वाला धर्मावरम–पेनूकोंडा खंड

(iii) देवास–मकसी नई लाइन खंड

(iv) तामलुक–दीघा परियोजना का बजकुल से दीघा खंड

आमान परिवर्तन

जिन खंडों पर आमान परिवर्तन संबंधी कार्य मार्च, 2001 से पहले पूरा हो जाएगा, निम्नानुसार हैं :

(i) गुना–इटावा परियोजना का नौनेरा–सिवनी खंड

(ii) रक्सौल–बीरगंज खंड

(iii) गांधीधाम–भुज खंड

2001–02 के दौरान रेलों की योजना निम्नलिखित खंडों के आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने की है :

(i) सिवनी–भिंड

(ii) आमगुड़ी–तुली

(iii) माकुम–डांगरी

(iv) लक्ष्मणतीर्थ पुल

(v) गुट्टी–पेंडाकल्लू

(vi) धांगध्रा–कुडा

(vii) वांकानेर–मोरबी

दोहरीकरण

चालू वर्ष के दौरान लगभग 200 किलोमीटर का दोहरीकरण कार्य पूरा हो जाएगा जबकि अगले वित्त वर्ष में 300 किलोमीटर के लक्ष्य का प्रस्ताव है। महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कुछ ऐसे खंडों, जहां पर रेललाइन को अधिकतम क्षमता तक उपयोग में लाया जा रहा है, की लाइन क्षमता को बढ़ाने की अत्यावश्यकता को देखते हुए दोहरीकरण से संबंधित निम्नलिखित नए कार्यों को बजट में शामिल किया जा रहा है :

(i) एर्णाकुलम–कोट्टायम–कायनकुलम लाइन पर एर्णाकुलम–मुलनतुरूती खंड।

(ii) बंदेल–कटवा लाइन पर बंदेल–जिराट खंड।

(iii) बरूईपुर से मगरघाट।

(iv) मालदा–कुमेदपुर लाइन पर हरीशचंद्रपुर–कुमारगंज खंड।

(v) गूटी–रेणीगुंटा खंड–शेष इकहरी लाइन खंडों का दोहरीकरण।

महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने निम्नलिखित कार्यों का कुछ चल रही परियोजनाओं के भाग के रूप में विस्तार करने का निर्णय लिया है :

(i) बांका से बाराहाट तक एक नई रेल लाइन के साथ सुल्तानगंज–देवगढ़ नई रेल लाइन परियोजना का विस्तार।

(ii) मिदनापुर, बांकुड़ा–पुरुलिया को जोड़ने के लिए बोवई–चांडी से खाना तक एक नई लाइन द्वारा बीडीआर आमान परिवर्तन परियोजना का विस्तार।

(iii) मानसी–सहरसा आमान परिवर्तन परियोजना का दौराम–मधेपुर तक विस्तार।

(iv) कालीनारायणपुर से कृष्णनगर के दोहरीकरण के स्वीकृत कार्य के विस्तार के रूप में कृष्णानगर से शांतिपुर तक आमान परिवर्तन।

(v) फतुआ–इस्लापुर–धनियांवा–बिहारशरीफ नई रेल लाइन परियोजना का बारबीघा तक विस्तार।

(vi) कृष्णानगर–करीमपुर खंड पर कृष्णानगर से चरताला तक एक नई लाइन की व्यवस्था करके काली–नारायणपुर से कृष्णानगर तक स्वीकृत दोहरीकरण परियोजना का विस्तार।

(vii) वांसजलिया से जेतलसर तक आमान परिवर्तन कार्य शुरू करके राजकोट–वेरावल आमान परिवर्तन।

(viii) गाजौल–रायगंज के चरण–I के रूप में गाजौल से इटाहार तक एक नई रेल लाइन द्वारा एकलाखी–बालूरघाट परियोजना का विस्तार।

(ix) रेवाड़ी–सादूलपुर आमान परिवर्तन परियोजना का हिसार तक विस्तार।

(x) कानपुर–मथुरा–कासगंज–बरेली आमान परिवर्तन परियोजना का लाल कुआं तक विस्तार।

(xi) बदरपुर से बराईग्राम तक लमडिंग–बदरपुर–सिलचर आमान परिवर्तन परियोजना का विस्तार।

(xii) अजमेर–चित्तौड़गढ़–उदयपुर खंड की स्वीकृत आमान परिवर्तन परियोजना का उमरा तक विस्तार।

(xiii) सुल्तानगंज–देवगढ़ नई लाइन परियोजना के विस्तार के रूप में बंका–भितिया रोड़ तक नई लाइन।

मुर्शिदाबाद की जनता की दीर्घकालिक मांग तथा इस क्षेत्र के विकास की जरूरत पर विचार करते हुए मुझे वर्ष 2001–2002 के दौरान नसीपुर (अजीमगंज)–जियागंज रेलवे लाइन के पुनर्स्थापन कार्य को शुरू करने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इन दो स्थानों को जोड़ने के लिए भागीरथी पर पुल का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य भी अलग से किया जाएगा।

सिवोक से गिल्लीखोला तक तीस्ता घाटी छोटी लाइन को पुनर्स्थापित करने के लिए सिक्किम और उत्तरी बंगाल के लोगों की दीर्घकालिक मांग रही है। मैंने वर्ष 2001–2002 के दौरान इस महत्वपूर्ण लाइन के पुनर्स्थापन कार्य को भी शुरू करने का निर्णय लिया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण रेल संपर्क जिसे तत्काल पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, वह मोगरा–तारकेश्वर लाइन है। यह भी जनता की दीर्घकालीन मांग रही है और तदनुसार मैंने 2001–2002 के दौरान इस लाइन के पुनार्स्थापन कार्य को शुरू करने का निर्णय लिया है।

महोदय, माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि मैंने अपने पिछले बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेहतर संपर्क की व्यवस्था करने के लिए एक नई लाइन परियोजना की घोषणा की थी।

यह नई मोयनागुड़ी–जोगीघोपा लाइन पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर संचार संपर्कों की व्यवस्था करने के लिए चांगराबन से होकर गुजरेगी।

सर्वेक्षण

माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर मैंने अगले वित्त वर्ष के दौरान कई सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। ये निम्नानुसार हैं :

नई लाइन सर्वेक्षण

(i) नसीपुर और जियागंज रेल लाइन को जोड़ने के लिए भागीरथी पुल।

(ii) दोनाकोंडा से वेदारेवा।

(iii) मेडीकेरे के रास्ते मैसूर से मंगलौर।

(iv) लातूर रोड़ से मुदखेड।

(v) फिरोजपुर कैंट से तरन तारण।

(vi) हालेम से इटानगर।

(vii) खरगोदा से संतलपुर।

(viii) शोरुवण्णूर में बल्ब लाइन।

(ix) रोटेगांव से पुताम्बा।

(x) सहनेवाल से लाडोवाल

(xi) मदुरै से तूतीकोरीन।

(xii) वईकम से वईकम रोड़।

(xiii) जयाकोंडम, अरियाडूर, पेरम्बदूर और तुरईयूर के रास्ते कुंभकोणम से नमकल।

(xiv) शाहगंज से अमेठी बरास्ता सुलतानपुर।

(xv) काजीपेट से नलगोंडा।

(xvi) जीरीबाम–इम्फाल।

(xvii) सोनचकाई के रास्ते झाझा से गिरीडीह।

(xviii) एर्णाकुलम–पुनालूर–तिरुवनंतपुरम के लिए अद्यतन सर्वेक्षण।

(xix) जैपोर–मलकनगिरी।

(xx) बेलपुर–बाली के बीच हावड़ा–सियालदाह तीसरी लाइन तथा दम दम, बड़ानगर और बाली में अतिरिक्त लूप लाइन।

(xxi) रेल एवं सड़क पुल सहित बज बज से उलूबेरिया।

(xxii) तिरुवनंतपुरम में दूसरा कोचिंग टर्मिनल।

(xxiii) बंडेल और नैहाटी पर बाइपास।

(xxiv) रणजीतपुरा से यशवंतनगर।

(xxv) काकीनाडा क्षेत्र में अवसंरचना का विकास।

(xxvi) आडियालूर के रास्ते तंजावूर से चेन्नै।

आमान परिवर्तन संबंधी सर्वेक्षण

(i) विरुदुनगर से मानमदुरै।

दोहरीकरण संबंधी सर्वेक्षण

(i) उज्जैन से इंदौर

(ii) बरकाकाना के रास्ते पत्तरातू–चांडिल।

(iii) शेष इकहरी लाइन खंड की गुट्टी–रेणिगुंटा खंड।

रेल विद्युतीकरण

चालू वर्ष में 425 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण की परिकल्पना की गई है और निम्नलिखित खंडों को मार्च, 2001 से पहले पूरा करने की योजना बनाई गई है :

(क) सरहिंद–नांगलडैम–ऊना।

(ख) राणाघाट–गेडे।

(ग) राणाघाट–बोंगांव।

अगले वर्ष में पूरा होने वाले कुछ महत्वपूर्ण मार्ग इस प्रकार हैं :

– विशाखापत्तनम से खड़गपुर तक पूर्व तटीय लाइन। इससे समूचा कोलकाता–चेन्नै मार्ग विद्युतीकृत हो जाएगा।

– आसनसोल–मुगलसराय खंड पर वैकल्पिक विद्युतीकृत मार्ग उपलब्ध कराने के लिए पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन (सीतारामपुर–मुगलसराय)।

– पश्चिम और मध्य रेलवे के रास्ते दिल्ली–मुंबई के दो महत्वपूर्ण विद्युतीकृत मुख्य ट्रंक मार्गों को जोड़ने वाला उधना–जलगांव खंड विद्युतीकृत हो जाएगा।

औद्योगिक संबंध तथा स्टाफ सुविधाएं

रेलों के पास मानव संसाधन का एक विशाल आधार है। आधुनिक प्रबंधन संकल्पनाओं सहित 21वीं शताब्दी के आधुनिक तौर–तरीकों का इस्तेमाल करके उनके कौशल को और निखारे जाने की आवश्यकता है। भारतीय रेलों जैसे विशाल उद्यम में कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान भारतीय रेलों पर औद्योगिक संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण बने रहे। पीएनएम और जेसीएम योजनाओं के अधीन जन शिकायत निवारण तंत्र ने सभी स्तरों पर संतोषजनक ढंग से कार्य किया।

महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि मेरा प्रस्ताव कर्मचारी सुविधाओं को परिव्यय में चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45 प्रतिशत की वृद्धि करने का है। रेल कर्मचारी अत्यधिक प्रतिबद्ध और कठोर परिश्रमी हैं और मुझे उन पर गर्व है। मैं इस अवसर पर यह घोषणा करना चाहूंगी कि हमारे कर्मचारियों के समक्ष आवास की अत्यधिक कठिनाइयों को देखते हुए "अपने घर के मालिक बनें" नामक एक आदर्श आवास योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में तौर–तरीकों का आकलन शीघ्र ही किया जाएगा।

खेलकूद

महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2000–01 के दौरान भारतीय रेल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर सराहनीय प्रदर्शन किया है। कई रेलवे धावकों ने अगस्त, 2000 के दौरान जकार्ता में आयोजित एशियाई ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक मीट में भाग लिया और निजी प्रतियोगिताओं में तीन स्वर्ण तथा छह रजत पदकों सहित नौ पदक जीते। इसके अलावा, भारतीय रेल के चार धावक स्वर्ण तथा एक धावक रजत पदक जीतने वाली रिले टीमों के सदस्य थे।

महोदय, सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि खिलाड़ियों की भर्ती से संबंधित नीति में संशोधन किया गया है और बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से उदार बनाया गया है। मुझे यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजपत्रित स्तर पर एक पृथक खेलकूद संवर्ग बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग धीरज रखकर बैठे हुए थे लेकिन बिहार के पटना के रेल पुल की कोई चर्चा नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता है कि रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड के लिए आबंटन को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तक करने का विचार है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है। इससे रेलों में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में काफी सहायता मिलेगी।

सुधार और पुनर्गठन

महोदय, यदि मैं रेलों के संबंध में एक रूपक का इस्तेमाल करूं तो मैं कहूंगी कि रेलें आज एक जंक्शन स्टेशन पर खड़ी हैं। एक रेलपथ उसे सुधार, पुनरुद्धार और अनुप्राणित करने की ओर ले जाता है। दूसरा रेलपथ उसे संकट और मुश्किलों की ओर ले जाता है। महोदय, हमें सही मार्ग का चुनाव बाद में करने के बजाय जल्दी ही करना चाहिए। हमने सुधार संबंधी विभिन्न उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं। गैर–परंपरागत स्रोतों के जरिए संसाधन जुटाने के प्रयास पहले ही किए जा रहे हैं। हमें पता है कि यह कार्य इतना आसान नहीं है और इसे एक रात में ही नहीं किया जा सकता। ऐसी प्रणाली जिसमें पांच दशकों के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ हो उसे बदलने के लिए न केवल केन्द्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों के भी संरक्षण की जरूरत है। महोदय, हम यह भी महसूस करते हैं कि किसी और सुधार प्रक्रिया में हमारे कर्मचारी हमारी ताकत बनेंगे। मैं महसूस करती हूं कि जनता की पूरी भागीदारी के बिना कोई सुधार सफल नहीं होगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि रेलों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा, कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी–अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपको इस पर विचार विमर्श करने के लिए समय मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : आपने मराठवाड़ा के लिए कुछ नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने उसके लिए अमाउंट रख दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी–अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी–अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं इस तरह से घोषणा नहीं कर सकती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह सब क्या है? मैं इस तरह से कुछ नहीं पढ़ सकती...*(व्यवधान)*

सदन को ज्ञात है कि 1998 में एक रेलवे विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। इस दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट का अंतरिम कार्यकारी संक्षेप प्रस्तुत किया है जिसकी जांच की जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : महोदय, इन्होंने उड़ीसा को कुछ नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : उन्हें पिंक–बुक देखनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, विरोधस्वरूप, हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 1.11 बजे

(इस समय, श्री त्रिलोचन कानूनगो और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम सभी जानते हैं कि रेलों के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता हैं। बहरहाल, हमें उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करने की जरूरत है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया के लिए वित्तपोषण के नवीनतम साधन तलाशने होंगे। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भारतीय रेल के व्यापक आधुनिकीकरण शुरू करने के उपाय सुझाने के लिए श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की गई है। यह समिति रेलवे के कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन जुटाने के लिए भी सुझाव देगी।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों के जरिए भारत में पेट्रापोल और बांग्लादेश में बेनापोल के बीच रेल संपर्क को हाल ही में पुनर्स्थापित किया गया है और इसे माल यातायात के लिए खोल दिया गया है। इससे यात्री सेवाओं

के चालन का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

भाग-II

2001-02 के बजट अनुमान

महोदय, अब मैं 2001–02 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगा रेड्डी, कृपया आप अपनी सीट पर चले जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने चालू परियोजनाओं के लिए अधिकतम धनराशि दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, कृपया आप सदस्यों से बैठ जाने के लिए कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने दिया है। उसे रखा है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगा रेड्डी जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। यह सब क्या है?

कुमारी ममता बनर्जी : जैसा कि हम सब जानते हैं, 1998–99 से अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर रहा है। परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में अवसंरचनात्मक सेक्टर में भी अधोमुखी रुझान रहा। इसके बावजूद भारतीय रेलों ने माल यातायात के लदान आदि में उल्लेखनीय सामर्थ्य का परिचय दिया और पिछले दो वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2001–02 में भारतीय रेलों पर माल यातायात में वृद्धि साधारण और कुछ हद तक निम्न रही जिसका मुख्य कारण अर्थव्यवस्था की मंदी है। आपको स्मरण होगा कि रेलों ने 1999–2000 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और माल यातायात में 8.43 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की थी। चालू वर्ष में मुख्यतः बिजलीघरों के लिए कोयले की अधिक आपूर्ति के कारण जनवरी, 2001 के अंत तक 389.40 टन माल यातायात की ढुलाई हुई जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के स्तर से 4.98 प्रतिशत ज्यादा है।

बजट वर्ष 2001–02 के लिए माल यातायात के लदान का लक्ष्य 500 मिलियन टन रखा गया है जोकि चालू वर्ष के 475 मिलियन टन के लक्ष्य से 25 मिलियन टन अधिक है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य रेलों द्वारा किए जाने वाले विशेष विपणन प्रयासों तथा अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित तीव्रतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माल यातायात संचलन के लिए चल स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता सुसाध्य बनाने के लिए लगातार दूसरे वर्ष में मालडिब्बा प्रापण लक्ष्य अगले वर्ष के लिए 23,000 के स्तर पर रखा गया है। मैंने अधिकतम धनराशि प्रदान की है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, आप कृपया सदस्यों से वापस अपनी सीटों पर जाने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत गंगाराम गीते जी, यह सब क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने रखा है। आप उसे देख लीजिए। ये आन–गोईंग प्रोजैक्ट्स हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं विपक्ष के सदस्यों से यह कह रही हूं कि मैंने अधिकतम धनराशि प्रदान की है...*(व्यवधान)*

मालदा मंडल में कुछ चालू परियोजनाएं चल रही हैं। मैंने धन दे दिया है।...*(व्यवधान)* मैंने धनराशि में वृद्धि की है... *(व्यवधान)*

एमरजैन्सी कॉरपोरेशन के मामले में हम इस वित्त मंत्रालय के साथ उठा रहे हैं। इससे आमतौर पर मालडिब्बा उद्योग को और प्रोत्साहन मिलेगा। यात्री यातायात के मामले में यात्री यातायात में दीर्घकालीन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इन अनुमानों के आधार पर माल यातायात से होने वाली आमदनी 24,735 करोड़ रुपये तथा यात्री यातायात से होने वाली आमदनी 11,387 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पार्सलों की ढुलाई के क्षेत्र में की गई पहलों के आधार पर 8.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और इसी के अनुरूप, अन्य कोचिंग से होने वाली आमदनी 850 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। गैर–परम्परागत स्रोतों से राजस्व

उपार्जित करने की संभावनाओं की पहचान और उनका दोहन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष रेल बजट प्रस्तुत करते समय जो कदम उठाए गए थे, उन्हें जारी रखने का प्रस्ताव है। ऐसी आशा की जाती है कि चालू वर्ष के दौरान किए गए आधारभूत कार्यों के चलते 2001–02 में विशिष्ट रूप से बेहतर उपलब्धि हासिल होगी। तदनुसार, 2001–02 अन्य फुटकर आमदनी को 1,717 करोड़ रुपये के स्तर पर रखा गया है। जिसमें 5.4 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि के अलावा ऑप्टिक फाइबर केबल के लिए 'मार्गाधिकार' पट्टे पर देने से 700 करोड़ रुपये, रेल भूमि और आकाश क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग से 200 करोड़ रुपये तथा रेल परिसरों और चल स्टॉक पर वाणिज्यिक प्रचार से 100 करोड़ रुपये शामिल हैं।

महोदय, यातायात उचंत में सर्वाधिक बकाया राशि बिजली घरों, विशेषकर, बदरपुर ताप बिजलीघर की ओर से देय है। सदन इस बात से सहमत होगा कि कोई भी संगठन 1,662 करोड़ रुपये जितनी बड़ी राशि जो 31 मार्च, 2000 को बकाया थी, के बकाया पड़े रहने की स्थिति को बर्दाशत नहीं कर पाएगा।

[हिन्दी]

श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़) : सब कुछ बंगाल के लिए जा रहा है। पंजाब के साथ अन्याय किया गया है। लुधियाना–चंडीगढ़ लाइन शुरू नहीं की गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

अपराह्न 1.15 बजे

(इस समय डॉ. गिरिजा व्यास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

कुमारी ममता बनर्जी : हमने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर 2000–01 के दौरान बदरपुर ताप बिजली घर से 500 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा था। बहरहाल, यह बकाया राशि बढ़ती ही जा रही है और 31 दिसंबर, 2000 को 3027 करोड़ रुपये हो गई थी। महोदय, रेलें, हमेशा समय पर भुगतान करती रही हैं। लेकिन हमें विशेष रूप से बिजली घरों से हमारी बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है। इसके बावजूद, हम बिजलीघरों के लिए कोयले की ढुलाई जारी रखे हुए हैं।

इस संबंध में सकारात्मक प्रगति होने की आशा करते हुए यातायात उचंत से 750 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है जिससे इस बकाया राशि में पर्याप्त रूप से कमी आएगी। तदनुसार 39,439 करोड़ रुपये की सकल यातायात प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

साधारण संचालन व्यय को चालू वर्ष की तुलना में मामूली रूप से बढ़ाकर 30,190 करोड़ रुपये के स्तर पर रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप इसमें 2000–01 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल 8.53 प्रतिशत की कमीबेशी हुई है। पेंशन निधि में विनियोग को 5,790 करोड़ रुपये तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग 2,704 करोड़ रुपये के स्तर पर रखा गया है जो योजनागत संसाधनों की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है।

इस प्रकार कुल संचालन व्यय 38,684 करोड़ रुपये होगा जिसके कारण शुद्ध यातायात प्राप्तियां 755 करोड़ रुपये आकलित होती हैं। शुद्ध विविध प्राप्तियां 928 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें रेल संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए सामान्य राजस्व से प्राप्त होने वाली 300 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। इस प्रकार, शुद्ध राजस्व 1,683 करोड़ रुपये बनता है।

सामान्य राजकोष को लाभांश ब्याज–देय पूंजी पर 7 प्रतिशत की दर से आकलित किया गया है, जैसा कि रेलवे अभिसमय समिति ने सिफारिश की है। वर्ष 2001–2002 के लिए ज्ञापन, समिति को प्रस्तुत कर दिया गया है। 2001–02 के बजट अनुमान में 2,352 करोड़ रुपये के लाभांश का अनुमान लगाया गया है। बहरहाल, योजनागत आवश्यकताओं के लिए आंतरिक स्रोतों में कमी को देखते हुए तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से आकलित ब्यौरों के आधार पर सामान्य राजकोष को केवल 1,352 करोड़ रुपये का भुगतान करने तथा शेष 1,000 करोड़ रुपये को आस्थगित लाभांश दायिता लेखा में डालने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त अनुमानों के आधार पर 2001–02 में व्यय की तुलना में प्राप्तियों का "आधिक्य" 331 करोड़ रुपये आकलित होता है जो योजनागत व्यय की आवश्यकताओं से 500 करोड़ रुपये कम है। सीमित आंतरिक संसाधनों को देखते हुए पूंजी निधि में किया जाने वाला विनियोग 2000–01 में सामान्य राजकोष से लिए गए ऋण पर देय ब्याज की राशि तक ही सीमित रहेगा। अब तक पूंजी निधि को प्रभार्य सभी परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था अब पूंजी से की जाएगी। इससे 500 करोड़ रुपये का अंतर रह जाएगा जिसे अतिरिक्त प्रयासों से जुटाना होगा।

महोदय, पिछले वर्ष मैंने अनिवार्य वस्तुओं की भाड़ों की दरें नहीं बढ़ाई थीं। इस वर्ष भी खाने का नमक, खाद्यान्न तथा दालें, चीनी, फल एवं सब्जियां, यूरिया, खाने का तेल, मिट्टी का तेल

तथा एल.पी.जी. जैसी आवश्यक वस्तुओं की भाड़ा दरों मे वृद्धि नहीं करने का मेरा प्रस्ताव है। हर व्यक्ति को इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना होता है और गृहणियों के बजट का एक बड़ा भाग इन्हीं वस्तुओं पर खर्च होता है। मेरा घरेलू बजट को अस्त–व्यस्त करने का कोई इरादा नहीं है और इसलिए मैं इन वस्तुओं को भाड़े में वृद्धि से छूट दे रही हूं।

महोदय, मैं जानती हूं कि भाड़ा दरों में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। परन्तु यह बात समझी जानी चाहिए कि रेलों को भी इन मूल्य वृद्धि के दबावों को झेलना होता है। जैसा कि पिछले वर्ष किया गया, रेलवे साधन–सामग्री लागत में वृद्धि का कुछ भाग स्वयं वहन करना जारी रखेगी, परन्तु परिस्थितियों की मांग है कि भाड़ा दरों में मामूली समायोजन किया जाए। अतः मैं पहले बताई गई अनिवार्य वस्तुओं और उन वस्तुओं जिनके लिए निम्नानुसार प्रभाव वसूलने का प्रस्ताव है, को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की दरों में तीन प्रतिशत की नगण्य वृद्धि का प्रस्ताव करती हूं। प्रमुख उद्योगों द्वारा की गई मांग को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि कोयला, (घरेलू खपत के प्रयोजन से इतर) लोहा तथा इस्पात (डिवीजन ए, बी तथा सी) की मालभाड़ा दरों में भी केवल दो प्रतिशत (2 प्रतिशत) की ही वृद्धि की जाए। इसके अलावा, और अधिक ब्लैक आयल ट्रैफिक रेलों की ओर आकर्षित करने के लिए भट्टी के तेल के लिए यह वृद्धि केवल एक प्रतिशत (1 प्रतिशत) ही किए जाने का प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.16 बजे

(इस समय श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 1.16 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए।)

रेलवे नेटवर्क के कतिपय खंड संतृप्त हो गए हैं परन्तु इन खंडों पर मांग अभी भी बढ़ रही है। जैसा कि विभिन्न परिवहन सेक्टरों की मूल्य निर्धारण संबंधी सामान्य नीति है, मैं इन खंडों पर यातायात की ढुलाई के लिए प्रभार वसूलने का प्रस्ताव करती हूं। इस वर्ष के दौरान प्रयोग के रूप में कुछ संकुचित खडों पर माल यातायात के लिए प्रभार्य दूरी को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

पिछले बजट में पार्सल दरों में सात प्रतिशत (7 प्रतिशत) की वृद्धि को देखते हुए मैं अगले वर्ष पार्सल और सामान की दरों को वृद्धि से मुक्त रखने का प्रस्ताव करती हूं। यह छूट समाचार पत्र, पत्रिकाओं, दवाइयों आदि पर भी लागू होगी।

महोदय, मुझे [illegible] घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि निर्धनता रेखा से [illegible] जीवन [illegible] करने वाले व्यक्तियों के लिए रियायती मासिक सीजन टिकट [illegible]सटी) योजना जो पिछले वर्ष अनुमोदित की गई थी, इस वर्ष भी जारी रहेगी।

महोदय, विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न कोटियों को दी जाने वाली रियायतों में नेत्रहीन और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सभी कोटि के विकलांग व्यक्तियों को रियायत संबंधी सुविधाओं का एक समान रूप से लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नेत्रहीन और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति भी उन्हीं लाभों के पात्र होंगे जो अन्यथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं।

महोदय, हमारा स्वप्न, भारतीय रेलों को प्रतिबद्धता का उदाहरण बनाना है। हमारा स्वप्न प्रत्येक रेल यात्री की रेल यात्रा को आनंददायक बनाना है, हमारा स्वप्न प्रत्येक भारतीय को उचित लागत पर यात्रा का अवसर प्रदान करना है। हमारा स्वप्न रेलों के छुपे खजाने को उजागर करना और इसे एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर संगठन बनाना है जो राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पित है।

महोदय, मैं अपने प्रत्येक स्वप्न को साकार करने के प्रति कटिबद्ध हूं और मैं इसे भारतीय रेल परिवार के 16 लाख सदस्यों की सहायता से पूरा करूंगी।

महोदय, आपको याद होगा कि मैंने पिछले बजट में यात्री किरायों में कोई वृद्धि नहीं की थी। इस कारण बहुत आलोचना हुई थी। परन्तु मुझे गुरूदेव टैगोर की उन प्रसिद्ध पंक्तियों से प्रेरणा मिलती है जिनका भाव कुछ इस प्रकार है

"ऐसी शक्ति दो मुझे हे दैव।
निर्बल का मनन रहे सदैव।
डरूं न मैं शक्तिशाली से कदैव।"

महोदय, मैं आपके ध्यान में यह तथ्य लाना चाहती हूं कि यात्री किरायों में कोई वृद्धि न किए जाने के बावजूद यात्री यातायात से आमदनी बजटीय स्तर से अधिक होने की संभावना है। इसमें दिसंबर, 2000 तक पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। मैं इसका कारण यात्री यातायात को बढ़ाने के लिए रेलों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों तथा यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं में सामान्य सुधार मानती हूं। मुझे आशा है कि यह उछाल आने वाले वर्ष में भी जारी रहेगा। अतः मैं गाड़ियों की किसी भी श्रेणी

अथवा कोटि के यात्री किरायों को न बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।

निष्कर्ष

अंत में, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का, उनके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं उन सभी रेल कर्मचारियों का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी जिनके परिश्रम तथा ड्यूटी के प्रति समर्पण भाव ने रेलों का कार्य सफलतापूर्वक करने में सहायता की है। मैं रेल उपयोगकर्ताओं की भी आभारी हूं जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है।

महोदय, इन शब्दों के साथ ही मैं 2001–02 का रेल बजट संसद में संस्तुत करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 4 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

बैंककारी कंपनी (विधि व्यवसायियों के मुवक्किलों के खाते) निरसन विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 8 पर विचार करेंगे। श्री बालासाहेब विखे पाटील।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : श्री यशवंत सिन्हा की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी कंपनी (विधि व्यवसायियों के मुवक्किलों के खाते) अधिनियम, 1949 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंककारी कंपनी (विधि व्यवसायियों के मुवक्किलों के खाते) अधिनियम, 1949 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आज की कार्य–सूची में सम्मिलित नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाता है।

अपराह्न 4.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) झारखंड राज्य में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : रांची जो अब झारखंड की राजधानी है कई वर्ष पूर्व रांची में डी.आर.एम. कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। भवन का शिलान्यास भी रेलवे मंत्री द्वारा किया गया। भवन निर्माण का कार्य अधूरा हुआ है। कार्य में तेजी लाई जाए और पूर्ण रूप से कार्यालय का स्थानान्तरण आद्रा से रांची किया जाए। साथ–साथ रांची राजधानी को हर प्रमुख शहरों से जोड़ा जाए, यह मांग वर्षों से होती रही है। रांची से दिल्ली एक राजधानी एक्सप्रेस, रांची से कलकत्ता एक शताब्दी एक्सप्रेस भाया जमशेदपुर एवं बोकारों से मुम्बई भाया रांची सुपरफास्ट ट्रेन और रांची से टोरी भाया लोहरदगा छोटी लाइन को परिवर्तित करने और लोहरदगा से टोरी तक रेलवे लाइन को जोड़ने में जनहित में तीव्रता लाने का रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह रेलवे सुविधा उपलब्ध होने पर झारखंड क्षेत्र का विकास तेजी से हो पाएगा।

(दो) उत्तर प्रदेश में वाराणसी और शक्ति नगर के बीच रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रामशकल (राबर्टसगंज) : मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्टस गंज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत–सी परियोजनाएं चलती हैं। जहां लाखों कर्मचारी निवास करते हैं तथा 80 प्रतिशत अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के लोग लाखों की संख्या में गांवों में निवास करते हैं, किन्तु वाराणसी से शक्ति

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–2, दिनांक 26.2.2000 में प्रकाशित।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

नगर के बीच रेलवे की ट्रेन सुविधा नहीं है, जिसके कारण लाखों ग्रामीण जनता को तथा परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को यातायात की कठिनाई हो जाती है।

आपके माध्यम से मेरी भारत सरकार से मांग है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए वाराणसी से शक्ति नगर ट्रेन यातायात सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(तीन) बिहार में सिवान और हाजीपुर के बीच विशेष डी.एम.यू. रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सिवान जिले और छपरा से दैनिक यात्री हाज़ीपुर जाते हैं, जो कि राज्य की राजधानी पटना पहुंचने वाले सभी यात्रियों के लिए केन्द्रस्थ स्टेशन है। इस समय, यहां से एक मीटर लाइन की गाड़ी है, जो आवश्यकता को आंशिक रूप से ही पूरा करती है। सिवान और हाजीपुर के बीच डीजल मोटर यूनिट की एक विशेष रेलगाड़ी की अविलम्ब शुरू करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(चार) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गुजरात के बनासकांठा की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जिला लोगों ने 1992 में टेलीफोन के लिए आवेदन किया था और पैसा जमा किया था उन्हें आठ साल के बाद अभी तक टेलीफोन नहीं मिला है जबकि इस संसदीय क्षेत्र में 1300 गांव हैं और केवल 120 ग्रामों में टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था है और जो टेलीफोन लगे हैं उसमें 60 प्रतिशत के करीब टेलीफोन खराब रहते हैं।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची को समाप्त किया जाए और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधा दी जाए और टेलीफोन कम खराब हो, ऐसी व्यवस्था की जाए।

(पांच) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में कृभको द्वारा संयंत्र को शीघ्र चालू करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री आदित्य नाथ योगी (गोरखपुर) : भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के गोरखपुर इकाई की स्थापना सन् 1969 में हुई थी। यह उर्वरक कारखाना पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार के किसानों के लिए वरदान था परन्तु एक साधारण दुर्घटना के चलते उक्त कारखाना बंद कर दिया गया।

औद्योगिक दृष्टि से पहले से ही पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगे इस कारखाने के बंद हो जाने के कारण वहां के कर्मचारियों के साथ–साथ किसानों में भी भारी निराशा व्याप्त है।

सरकार ने व्यापक जनहित में उक्त बंद पड़े उर्वरक कारखाने को कृभको द्वारा चलवाने का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन करते हुए पी.आई.बी. से इसे निवेशात्मक मूल्य निर्धारित करने का निर्देश दिया था। पी.आई.बी. ने परियोजना का निवेशात्मक मूल्य निर्धारित करके शासन को अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा है।

अतः आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया गोरखपुर में कृभको द्वारा प्रस्तावित खाद कारखाने को अंतिम मंजूरी देने का कष्ट करें।

(छह) कानपुर, उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन के अधीन कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की तीन कपड़ा मिलें लगभग बंद हैं। एलग्नि मिल नं. 1 एवं 2, कानपुर टैक्सटाइल जिसमें पिछले अगस्त माह से श्रमिकों का वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण श्रमिकों का परिवार भुखमरी के कगार पर खड़ा है।

इन मिलों के मजदूर 15 दिनों से बी.आई.सी. मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। इसके उपरांत कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इन तीनों मिलों में से एक मिल चलाने का रिवाईवल प्लान श्रमिकों ने एक वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री जी को दिया था। इस पर प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस प्लान को क्रियान्वित किया जाएगा किन्तु अभी तक उस रिवाईवल प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। पिछले छः माह से मजदूरों को वेतन नहीं बांटा गया है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से कपडा मंत्रालय को निर्देशित करें कि मजदूरों के वेतन का तुरंत भुगतान करें तथा भारत सरकार के अंतर्गत विचाराधीन रिवाईवल प्लान को शीघ्र लागू करें और शीघ्र मिल को चालू करें।

(सात) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कालाकांकेर में गंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के अंतर्गत कालाकांकेर के पास गंगा नदी पर पुल के

अभाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इस नदी पर पुल के अभाव में कई जिलों का संपर्क नहीं हो रहा है और दूसरे जिलों पर जाने के लिए इलाहाबाद, जो 70 किमी. या डलमऊ जाना पड़ता है, जो 60 किमी. है। इस पुल के निर्माण से फैजाबाद से चित्रकूट जाने और सुल्तानपुर और आसपास के जिलों के बीच एक आसान संपर्क मार्ग बन जाएगा जिससे कम समय पर अधिक दूरी का मार्ग तय किया जा सकता है। साथ ही इस मार्ग से जी.टी. मार्ग केवल आठ किमी. की दूरी पर है और जी.टी. मार्ग पर जो यातायात जाम हो जाता है, उसको भी रोका जा सकता है। इस स्थल पर गंगा नदी पर पुल बनने से आसपास के जिलों को विकास का पूरा अवसर मिलेगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि कालाकांकेर के पास गंगा नदी पर पुल शीघ्र बनाने की पहल की जाए तथा इसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

(आठ) राजस्थान में जैसलमेर में ऐतिहासिक स्मारकों के उचित रख-रखाव के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : यह मामला जैसलमेर (राजस्थान) स्थित 850 वर्ष पुराने ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्मारक स्थल से संबंधित है, जो 'सोनार किला' के नाम से विख्यात है और विश्व पर्यटन–मानचित्र में आता है। इसके अतिरिक्त, जैसलमेर में पत्थरों को तराश कर बनाई गई हवेलियां और अलंकृत भवन भी हैं, जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बड़े महत्व के स्थान हैं। इस संपदा का उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी स्थिति दिन–ब–दिन खराब हो रही है।

26 फरवरी, 2001 को गुजरात में आए भीषण भूकंप के कारण जैसलमेर किले और राष्ट्रीय धरोहर मानी गई अन्य हवेलियों को क्षति पहुंची और ये भवन हिल गए थे।

मैं निम्नलिखित की मांग करता हूं :

(क) 26 फरवरी, 2001 को आए विनाशकारी भूकंप के कारण जैसलमेर में हुई क्षति का अनुमान लगाने और आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ–दल द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाए;

(ख) क्षति का अनुमान लगाने और पुनर्निर्माण–कार्य का निरीक्षण करने के लिए राजस्थान सरकार से संबद्ध एक सरकारी दल का गठन किया जाए; और

(ग) जैसलमेर (राजस्थान) स्थित सभी ऐतिहासिक भवनों/राष्ट्रीय स्मारक–स्थलों की त्वरित मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष बजट का प्रावधान किया जाए।

(नौ) केरल में मछुआरों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही बचत और सहायता योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : मछुआसें के लिए बचत और राहत योजना, केरल में 1991 से चलाई जा रही ऐसी योजना है जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र द्वारा प्रायोजित है। वर्तमान योजना के अनुसार, मछुआरों से 8 माह की अवधि के लिए 45 रु. अंशदान के रूप में लिए जाते हैं। राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से बराबर भागराशि, अर्थात् 45 रु. का अंशदान किया जाता है। कुल संगृहीत धनराशि में से मछुआरों का हिस्सा एक–तिहाई होता है और शेष दो–तिहाई हिस्से का भार राज्य ओर केन्द्र सरकार वहन करती हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में इस योजना की समीक्षा की गई है। संशोधित रूप में, मछुआरों से 75 रुपये की राशि एक वर्ष में 8 महीने की अवधि के लिए संगृहीत की जाती है। किन्तु राज्य और केन्द्र सरकार का अंशदान 37.50 रुपये प्रतिमाह है। नई योजना के अनुसार, मछुआरों को इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का आधा हिस्सा देना होगा जबकि बाकी आधा हिस्सा राज्य और केन्द्र सरकार जुटाएंगे; और इसके परिणामस्वरूप, बेचारे गरीब मछुआरों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।

मैं भारत सरकार से इस योजना में आगे 75 रुपये प्रति प्रतिभागी अंशदानस्वरूप रखने का अनुरोध करूंगा, जिससे मछुआरों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का अंशदान समान हो।

(दस) आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में वेंकटेस्वरपुरम रेलवे गेट के निकट एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला (नेल्लौर) : आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिसे में वेंकटेस्वरपुरम मुंबई हाई रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग का मिलन स्थल है। वेंकटेस्वरपुरम रेलवे गेट से वाहन यातयात गुजरता है। रेलवे कर्मी अक्सर रेलवे गेट बंद कर देते हैं, जिससे यातायात जाम हो जाता है और ए.पी.एस.आर.टी.सी. की बसों में यात्रा करने वाले लंबी दूरी के यात्रियों और नेल्लौर कस्बे में उपनगरीय क्षेत्रों से आफिस आने वाले लोगों को परेशानी होती है।

वाहन यातायात में भारी वृद्धि के मद्देनजर वेंकटेस्वरपुरम रेलवे गेट के समीप उपरिपुल का निर्माण जरूरी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से नेल्लौर जिले के वेंकटेस्वरपुरम में रेलवे गेट के समीप यथाशीघ्र उपरिपुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने और तदनुसार बजटीय प्रावधान किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भालचन्द्र यादव (खलीलाबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र खलीलाबाद में रसोई गैस की समुचित आपूर्ति नहीं होने के कारण क्षेत्र के निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में एक गैस एजेंसी स्थापित की जाए। साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि ईंधन के लिए वनों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस एजेंसियों को खोले जाने की आवश्यकता है। चूंकि गैस एजेंसियां दूरदराज के गांवों में सेवाएं नहीं दे रही हैं तथा बस में गैस ले जाना जटिल कार्य है। इसलिए जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर विस्तार पटल की भी सुविधा दिया जाना आवश्यक है। गोदामों पर तथा डिलीवरी के समय तौल की सुविधा होने से धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं की बचत हो सकती है।

(बारह) बनियापुर, बिहार में एक पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : झारखंड राज्य के अस्तित्व में आ जाने के बाद शेष बिहार में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था पर किसानों का भविष्य निर्भर है जहां औद्योगिक शून्यता की स्थिति में समुचित विद्युत आपूर्ति होने पर कम से कम कृषि कार्य प्रभावित न हों। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री जी के पत्र द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि बनियापुर में एक 33 के.वी. उपकेन्द्र की स्थापना वर्ष 1999 में पूर्वी क्षेत्र में विद्युत का बेहतर समुपयोजन करने हेतु, बिहार में भारघटक में सुधार करने हेतु योजना में शामिल किया गया परंतु बी.एस.ई.बी. ने अभी तक इन स्कीमों के संबंध में पावर ग्रिड को पारेषण प्रभारों का भुगतान किए जाने पर अपनी सहमति नहीं दी है इसलिए बनियापुर में पावर ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

बिहार में विद्युत आपूर्ति के संबंध में ऊर्जा मंत्री जी ने एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें इस विषय पर काफी चर्चा हुई तथा स्वयं मंत्री जी ने महसूस किया था कि बिहार में विद्युत आपूर्ति की स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद तकनीकी अड़चनें कठिनाई पैदा कर रही हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि इन तकनीकी अड़चनों को दूर कर अविलंब बनियापुर में पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) ओडिसी गायन की शास्त्रीय संगीत के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : ओडिसी गायन की 12वीं शताब्दी से शास्त्रीय संगीत के रूप में पहचान है उसी अवधि में प्रसिद्ध उड़िया कवि और गायक भक्त कवि जयदेव ने गीतगोविन्द की रचना की जो श्री जगन्नाथ मंदिर में विभिन्न रागों और तालों में गाया जाता है। यह परिपाटी आज भी कायम है और गीतगोविन्द मंदिर में अपनी शैली में नित्य गाया जाता है। उडीसा के मध्यकालीन मंदिरों में उकेरे गए चित्र गानों के नृत्य रूप का सबूत हैं और विभिन्न मुद्राओं में नृत्य जिनमें वाद्ययंत्र मरदल (पाखौज) की मुख्य भूमिका है।

ओडिसी नृत्य को तो शास्त्री नृत्य का दर्जा प्राप्त है लेकिन ओडिसी गायन को नहीं। जब संगीत में तीन पहलू गीत, वाद्य और नृत्य सम्मिलित हैं, तो ओडिसी नृत्य को स्वीकार करना तर्कसंगत है। ओडिसी गायन और ओडिसी लय को शास्त्रीय रूप देने हेतु आज ओडिसी गायन के विद्यार्थी 7 वर्ष के कठोर पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करते हैं।

अतः मैं संस्कृति मंत्रालय से ओडिसी गायन को शास्त्रीय संगीत घोषित करने का अनुरोध करता हूं ताकि इलेक्ट्रानिक मीडिया इसका प्रसारण कर सके।

(चौदह) बिहार में वैशाली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में समिति के गठनोपरांत भगवान महावीर की 2600वीं जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है। वैशाली भगवान महावीर की जन्म भूमि, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि एवं जनतंत्र की जन्मभूमि लिच्छवी गणतंत्र के लिए ऐतिहासिक स्थल है। सन् 1956 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भगवान महावीर की जन्मभूमि पर शिलान्यास

किया था, वहीं पर भगवान बुद्ध का अस्थिकलश भी खुदाई में मिला था, जो मौजूद है।

अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार 24वें तीर्थंकर की 2600वीं जयंती के अवसर पर वैशाली के चारों तरफ के वैशाली, लालगंज, भगवानपुर, गोरौल, वेलसर, सरैया, पारू, साहेलगंज, मोतीपुर, कांटी और मड़वन प्रखंडों के सभी गांवों सहित वहां 2600 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करे, जिसमें सड़क, विद्यालय, अस्पताल, पीने का पानी, गरीबों के घर एवं सभी गांवों का विद्युतीकरण कराकर वैशाली को रेल लाइन से जोड़कर, वहां पर जन्मभूमि के स्थल विकसित कराए और वहां पर भगवान बुद्ध के अस्थिकलश की स्थापना कर उसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सभी तरह की कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

(पंद्रह) जम्मू-कश्मीर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक प्रौद्योगिकी मिशन विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बागवानी उत्पाद और हस्तशिल्प है। गत एक दशक की हिंसा ने राज्य की अर्थव्यवस्था को क्षीण कर दिया है। आतंकवादी लूटपाट से जम्मू–कश्मीर राज्य में विकास का फोकस बदल गया है और इसका प्रभाव कश्मीर घाटी में साफ तौर पर दिखने लगा है। बागवानी उद्योग और हस्तशिल्प उत्पादन घट रहा है।

हमें लगता है कि पूर्वोत्तर राज्य आतंकवादी हिंसा के कारण ऐसी ही स्थिति से पीड़ित हैं और यह प्रशंसा की बात है कि केन्द्र सरकार इसे लेकर चिंतित है और पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाने की मंशा रखती है।

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन की परिकल्पना की है। हम बागवानी यानी घाटी में सेब और इसी तरह जम्मू के रामबन जिले में जैतून को बढ़ावा देने हेतु जम्मू और कश्मीर के लिए एक व्यापक प्रौद्योगिकी मिशन विकसित किए जाने की आवश्यकता दोहराते हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि वस्त्र मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प हेतु विपणन, डिजाइन विकास और प्रशिक्षण की एक व्यापक परियोजना शुरू की जाए।

अपराह्न 4.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

[अनुवाद]

(1) गुजरात में आए भीषण भूकंप से उत्पन्न स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 6–'माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य' लेंगे।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, दिनांक 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप, जिसने गुजरात के कई भागों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए, मैं सदन की अनुमति चाहता हूं।

दिनांक 26 जनवरी, 2001 को सुबह 8.46 बजे रिक्टर पैमाने पर 6.9 की तीव्रता का एक अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया जिसका केन्द बिंदु भुज से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में था।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने वक्तव्य देने के लिए सभा की अनुमति मांगी है। सभा को अनुमति प्रदान करनी है और तब उन्हें वक्तव्य देना है। महोदय, वे कह रहे हैं "मैं सभा की अनुमति चाहता हूं" ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले ही वितरित कर लिया गया है। यह पहले से कार्यवाही–सूची में शामिल है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : परमीशन है तभी बोल रहा हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : हिन्दी प्रदेश के होते हुए भी आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : जब आप यहां बैठते थे तो क्या दूसरा काम करते थे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जैसा आप कर रहे, वैसा हमने कभी नहीं किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे व्यवधान न डालें।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3267/2001

श्री नीतीश कुमार : महोदय, भूकंप का प्रभाव देश के विभिन्न भागों में महसूस किया गया। गुजरात पर इसका बहुत अधिक प्रभाव हुआ जिससे जान और माल की बहुत अधिक हानि हुई। इसके बाद के झटके आने का क्रम अभी जारी है। गुजरात सरकार और केन्द्रीय सरकार ने इस अभूतपूर्व आपदा के संबंध में तत्काल कार्यवाही शुरू की है और सशस्त्र तथा अर्धसैनिक बलों तथा अन्य संबंधित विभागों तथा प्राधिकरणों, राज्यों, गैर–सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों की मदद से बचाव और राहत के लिए बड़े पैमाने पर आपातिक कार्य आरंभ किए हैं। सेना के 23,500 से अधिक जवानों और अर्धसैनिक बल के 3,000 से अधिक कर्मियों को चिकित्सा तथा इंजिनियरी दलों और उपकरणों के साथ तैनात किया गया। वायु सेना ने हैलीकाप्टरों सहित 48 विमान तैनात किए और घायल लोगों को निकालने और राहत दलों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री ढोने के लिए 950 से भी अधिक उड़ानें भरीं। नौसेना ने भी 3 जहाज उपलब्ध कराए तथा 2 जहाजों को अस्पतालों में बदल दिया गया।

प्रधान मंत्री द्वारा 30 जनवरी, 2001 को घोषित 500 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता गुजरात सरकार को निर्मुक्त कर दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने भी राहत के लिए वित्तीय रियायतें और छूट दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवरड्राफ्ट के मानदंडों में छूट दी, बैंकों को ऋण की अवधि बदलने और उन्हें पुनः निर्धारित करने तथा आवश्यकता पर आधारित फसल ऋण, कार्यशील पूंजी और खपत ऋण देने की सलाह दी। सारी राहत सामग्री पर सीमा/उत्पाद शुल्क से छूट दी गई तथा धर्मार्थ संस्थानों एवं प्रधान मंत्री/मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए दिए जाने वाले दान पर आयकर से शत प्रतिशत छूट घोषित की गई। अंतर्देशीय हवाई–यात्रा कर से छूट दी गई तथा वायु सेना और इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा राहत सामग्री का परिवहन निःशुल्क किया गया। विश्व समुदाय ने भूकंप से प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति दर्शाते हुए सहायता की पेशकश की है और भारत सरकार ने नीति अनुसार सराहना करते हुए तथा आभार प्रकट करते हुए उसे स्वीकार कर लिया। सहायता नकद, राहत सामग्री, दवाइयों, चिकित्सा दलों और खोजी तथा बचाव दलों के रूप में मिली है। देश के लोगों, राज्य सरकारों तथा विदेश में रह रहे भारतीयों का सहयोग अत्यधिक रहा है। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति राहत कार्यों का पर्यवेक्षण और समन्वयन कर रही है जिसमें अनुवर्ती कार्यवाही के लिए कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष विभाग है।

माननीय प्रधान मंत्री ने आपदा के स्वरूप और प्रभाव को देखते हुए और सरकारी स्तर पर प्रयासों के लिए आगे और मंत्रालयी सहायता और निदेश देने के लिए मंत्रियों का एक शक्तिसंपन्न दल गठित किया है जिसमें गृह मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, संचार मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कपड़ा मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : श्री नीतीश कुमार, सभी को शामिल किया गया है इसलिए कोई समन्वय नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कम से कम यह मंत्रियों के दल से बेहतर है।

श्री नीतीश कुमार : मंत्रियों के शक्तिसंपन्न दल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कई बैठकें आयोजित कीं। अधिकार प्राप्त मंत्रियों के दल ने स्थिति की समीक्षा के लिए अनेक बैठकें आयोजित कीं।

प्रधान मंत्री ने 3 फरवरी, 2001 को पार्टियों/दलों के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की। उपर्युक्त कथित बैठक में भूकंप की तीव्रता और असर, जान और माल को हुई क्षति और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से शुरू किए गए आपात राहत तथा बचाव कार्यों के बारे में ब्यौरा दिया गया। 3.2.2001 को आयोजित बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति का गठन किया गया है जो गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घावधिक उपायों का सुझाव देगी, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी एक प्रभावी और दीर्घकालिक नीति हेतु आवश्यक संस्थागत तथा विधायी उपायों पर विचार विमर्श करेगी, और "राष्ट्रीय आपदा" को परिभाषित करने वाले पैरामीटरों पर ध्यान देगी।

प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री, विधि व नौवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री, युवा मामले तथा खेल मंत्री एवं अन्य मंत्रियों तथा मैंने भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इससे न केवल सरकारी मशीनरी के अपने इष्टतम स्तर पर कार्य संचालन करने परन्तु इसे कायम रखने के लिए भी क्रियाशील बनाने तथा उत्प्रेरित करने में मदद मिली है। गुजरात सरकार ने भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को विभिन्न जोनों में विभाजित किया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण किया जा रहा है।

राज्य सरकार से मिली रिपोर्टों के अनुसार, 19,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 1.67 लाख घायल

हुए हैं। 21 जिलों में फैले 182 तालुकों में 7904 गांवों की लगभग 1.59 करोड़ आबादी इस भूकंप से प्रभावित हुई है। 1.65 लाख पक्के मकान, 1.63 लाख कच्चे मकान और लगभग 16,000 झोंपड़ियां पूर्णतया नष्ट हो गईं और 4.60 लाख पक्के मकान और 3.15 लाख कच्चे मकान और लगभग 32,000 झोंपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। क्षति का सर्वेक्षण किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि सम्पत्ति और बुनियादी ढांचे की क्षति 21,262 करोड़ रुपये की होने की संभावना है। ऊर्जा, संचार, सड़क तथा रेलवे की बुनियादी सुविधाएं पुनः चालू कर दी गई हैं। प्रभावित कस्बों/गांवों में पानी की आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, गुजरात में प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी के संबंध में नियमित बुलेटिन जारी कर रहा है। स्थिति संबंधी रिपोर्ट को विभाग के वेबसाइट यानि डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. एन.डी.एम.इंडिया. एन.आई.सी.आई.एन. पर भी प्रस्तुत किया गया है। कृषि नियंत्रण कक्ष चौबीस घंटे कार्य कर रहा है और केन्द्रीय सरकार के सभी प्रयासों के मुख्य केन्द्र के रूप में समन्वय कर रहा है और गुजरात सरकार से निकट समन्वयन बनाए हुए है। कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।

अधिकतर राज्य गुजरात सरकार को नकद तथा सामग्री दोनों तरह से सहायता कर रहे हैं। कई राज्यों ने खाद्य, दवाइयों, पानी कंबल आदि के रूप में राहत सामग्री का प्रबंध किया है। विभिन्न राज्यों से डाक्टरों के दल चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए भूकंप से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें राहत कार्यों में भी गुजरात की सहायता कर रही हैं।

पुनर्निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए विश्व बैंक ने 300 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता और एशियाई विकास बैंक ने 350 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की है।

राज्य सरकार ने युद्धस्तर पर कार्य आरंभ कर दिया है। सबसे अधिक प्रभावित कच्छ जिले में राहत कार्यों की देखरेख करने के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं। कच्छ और अन्य जिलों में बचाव कार्यों और मलबा हटाने के लिए बड़ी संख्या में क्रेनें/जे.सी.बी., बुलडोजर/खुदाई यंत्र, लोडर/डम्पर/ट्रक, जीपें/एंबूलेंस गाड़ियां, गैस कटर/डी.सी. सैट/सब–पंप तथा अन्य उपकरण लगाए गए हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं वह सत्य नहीं है।

*(व्यवधान)**

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अत्यन्त ही गंभीर मामला है। माननीय मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं। जब आपको मौका मिलेगा तब आप इसका खंडन कर सकते हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। श्री शंकर सिंह वाघेला मैंने पहले आपके शब्दों को कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया है। कृपया इसे नहीं दुहराएं। मैंने इसे पहले ही कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया है। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री नीतीश कुमार : प्रभावित क्षेत्रों में अनिवार्य जिन्सें निःशुल्क सप्लाई की जा रही हैं। सभी 45 सब–स्टेशन चालू कर दिए गए हैं और सभी 255 क्षतिग्रस्त फीडर बहाल कर दिए गए हैं। कच्छ जिले में 34 अस्पताल और 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य जिलों में 361 अस्पताल और 949 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अंजार और भचाऊ में 9-9, भुज में 25, गांधीधाम में 3 और रोपड़ में 4 गश्ती अस्पताल ऐंबूलेंस, चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कच्छ जिले में 872 तथा अन्य जिलों में 1947 चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18,000 से अधिक रोगियों को दाखिल किया गया है और लगभग 1.67 लाख घायल व्यक्तियों का इलाज किया गया है। समुचित संचार के लिए उपग्रह टेलीफोन, हाटलाइन, हैम रेडियो और गश्ती टेलीफोन सेवा में लगाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा लगभग 3.89 लाख कंबल/चादरें, 64,000 तंबू, 5,000 मीटरी टन जी.आई. शीटों और 1.05 लाख प्लास्टिक शीटों के रूप में आश्रय सामग्री प्राप्त की गई है। राज्य सरकार को अभी और तंबुओं और कंबलों की जरूरत है।

गुजरात में भूकंप आने पर राष्ट्रीय पैमाने पर राहत कार्य किए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण उपाय करने के कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं तथा इन्हें बड़े पैमाने पर किया जाएगा। भारत सरकार, राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है और स्थिति को प्रभावी रूप से हल करने के लिए राज्य सरकार को सभी संभव सहायता देने और आवश्यक उपाय करने तथा पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी।

अपराह्न 4.15 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

गुजरात में आए भीषण भूकंप से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री किरीट सोमैया जिनके नाम से यह मद सूचीबद्ध किया गया है, ने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है कि उनकी ओर से श्री हरिन पाठक को चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दी जाए।

इसलिए, मैं उन्हें बुलाने से पहले सभा के सभी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे बिल्कुल गंभीर हो जाएं। हमारे देश के इतिहास में इस प्रकार की तबाही कभी नहीं सुनी गई। इसलिए इस पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जब एक माननीय सदस्य बोल रहा है तो दूसरा माननीय सदस्य उनसे सहमत नहीं भी हो सकता है क्योंकि उनके अनुसार तथ्य सच नहीं हो सकते हैं। परन्तु इसके साथ ही कृपया अपने को नियंत्रित रखें। जब आपको अवसर मिले तो आप इसका खंडन कर सकते हैं। परन्तु बिल्कुल ईमानदारी से ऐसी संजीदगी को देखा जाना चाहिए और प्रत्येक को यह महसूस होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि चर्चा की गंभीरता को उचित सिद्ध करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री को सभा में उपस्थित होना चाहिए था। मामले पर तीन दिन पूर्व भी चर्चा हुई थी। माननीय प्रधान मंत्री सभी नियुक्तियां और कार्यक्रम रद्द कर सकते थे और सभा के सभी दलों के विचार सुनने के लिए सभा में उपस्थित रह सकते थे।...*(व्यवधान)*

महोदय, क्या आप नहीं समझते कि सदन के नेता की उपस्थिति और अधिक महत्वपूर्ण हुई होती तथा अपेक्षित है?... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : हमने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी दी है, वह करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने सत्ता पक्ष की ओर से लंबा और सरकारी वक्तव्य दिया है इसलिए यह स्वाभाविक है कि चर्चा विपक्ष की ओर से आरम्भ करने की अनुमति दी जानी चाहिए।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे नियमों के अनुसार जब नोटिस दिए जाते हैं तो ढेर सारे नोटिस दिए जाते हैं और तद्नुसार श्री किरीट सोमैया को अवसर मिला है। वे चाहते थे कि उनके दूसरे साथी चर्चा प्रारम्भ करें ओर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए। सभा का नियम यह है कि नियम 193 अथवा नियम 184 के अंतर्गत प्रस्तावक को प्रस्ताव लाना चाहिए। हम सहमत हैं उन्होंने अपने सहयोगी को चर्चा प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकृत किया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नियम पहले से ही स्पष्ट है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, नियम 193 के अंतर्गत वाद विवाद के बाद सामान्यतः माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं। यहां इस मामले में नियम 193 के अंतर्गत वाद विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व ही माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया था। इसलिए लगता है कि श्री जयपाल रेड्डी ठीक कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : पेपर के अनुसार श्री लाल कृष्ण आडवाणी को वक्तव्य देना था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। आप मेरी भी तो सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है...*(व्यवधान)* इस वक्तव्य को आडवाणी जी द्वारा दिया जाना था। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, जो पत्र हमें प्रसारित किया गया है, उसमें इस वक्तव्य को आडवाणी जी को देना था लेकिन यहां आडवाणी जी हैं ही नहीं।...*(व्यवधान)* वे गुजरात से चुनकर आए हैं और उनकी संवेदनहीनता देखिए कि आज वह वक्तव्य देने के लिए यहां उपस्थित ही नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनने दीजिए। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिए जाने के पश्चात सत्ता पक्ष के सदस्य को चर्चा प्रारंभ करने के लिए बुलाना सही है? यदि यह विशेषाधिकार विपक्ष को दिया जाता तो सही होता।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी दूसरी सभा में व्यस्त थे। वे अभी आए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : आप तो बोलेंगे ही। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम एक टिप्पणी कर रहे हैं और उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। जब यह वक्तव्य परिचालित किया गया था तो यह बताया गया था कि माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी एक वक्तव्य देंगे। अब उनकी ओर से श्री नीतीश कुमार हैं। इससे संजीदगी का पूरी तरह पता चल जाता है। ...*(व्यवधान)* महोदय, आपने कहा कि इस चर्चा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उसी भाव के साथ मैं कह रहा हूं कि श्री आडवाणी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया जिन्होंने इसे श्री नीतीश कुमार को सौंप दिया।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) :

[हिन्दी]

आप अंग्रेजी पढ़िए। यह श्री

[अनुवाद]

नीतीश कुमार का वक्तव्य है। आप पढ़ते भी नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : यह नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है जो आडवाणी जी पेश करने वाले थे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री गीते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। हम संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहते हैं कि जितने भी सदस्यों ने कहा, आपने एक अच्छा निर्देश दिया कि इस बहस को गंभीरता से लेना चाहिए। यह सच्चाई है कि इतनी गंभीर चर्चा इस सत्र में कोई और नहीं होने वाली है जहां हजारों लोगों की जानें गईं और बहुत लोग अभी तक बेसहारा हैं। अगर वघेला जी बोल रहे थे तो यह उनकी संवेदनशीलता है। मंत्री जी और दल के दूसरे लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब आप गंभीरता से बहस कराना चाहते हैं, भले ही प्रधान मंत्री जी या गृह मंत्री जी दूसरे सदन में व्यस्त हों, यह ठीक है कि एक मंत्री बैठा रहे तब भी सदन चलेगा, यह सही है कि यदि मंत्री लिख कर दे देगा तो उस बयान को कोई भी दे सकता है, यह कलैक्टिव रिसपौंसबिलीटी है। लेकिन क्या यह अमानवीय, अमानुषिक और संवेदनहीनता नहीं है कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी हाउस में न हों। आप कहते हैं कि गंभीरता से बहस हो। अगर गंभीरता से बहस करानी है तो प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को यहां होना चाहिए। यह ठीक है कि नियम के अनुसार आप अकेले काफी हैं। गुजरात की जनता के साथ सारी दुनिया ने संवेदनशीलता दिखाई, चाहे यह दल हो या वह दल, पूरा हिन्दुस्तान मानवता के नाते गुजरात के दुख में एक साथ खड़ा है। जब उस दुख पर बहस हो और प्रधान मंत्री और गृह मंत्री न हों तो इससे ज्यादा संवेदनहीन सरकार कोई नहीं हो सकती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, दो मामले उठाए गए हैं। जब हमने पिछली बार कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा की थी तो कृषि मंत्री को संसद की दोनों सभाओं में वक्तव्य देना था। सरकार को चिंता थी कि यदि दोनों सभाओं में एक ही समय वक्तव्य लिया जाना है तो एक व्यक्ति दोनों सभाओं में वक्तव्य नहीं दे सकता। सामान्यतः कषि राज्य मंत्री सभा में कृषि मंत्री की ओर से वक्तव्य देते परन्तु गंभीरता को देखते हुए हमने सोचा कि यदि कृषि मंत्री दूसरी सभा में व्यस्त हैं तो वक्तव्य जूनियर राज्य मंत्री के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय हमने सोचा था कि गृह मंत्री जी स्वयं वक्तव्य देंगे...*(व्यवधान)* इसलिए, हमने इसे गंभीरता से लिया कि श्री नीतीश कुमार की बजाय गृह मंत्री स्वयं आएं और वक्तव्य दें। परतु, अब राज्य सभा ने

श्री नीतीश कुमार को कुछ घंटे यहां बिताने तथा वक्तव्य देने की अनुमति देने की कृपा की है। इसलिए, गृह मंत्री जी द्वारा कृषि मंत्री का वक्तव्य दिए जाने का कोई औचित्य नहीं था। अतः कृषि मंत्री स्वयं उस सभा से वक्तव्य देने के लिए आए हैं। मैं नहीं जानता कि उस पर क्या आपत्ति है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आपने इस वक्तव्य को हमें परिचालित किया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह विषय तो कृषि मंत्री का है और गृह मंत्री का बयान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : यह वक्तव्य, श्री नीतीश कुमार की ओर से गृह मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा दिया जाना था। और अब उनकी ओर से गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बजाय वे स्वयं यहां आ गए हैं। आपको इस पर प्रसन्न होना चाहिए। परन्तु आप इस पर आपत्ति कर रहे हैं कि वे स्वयं यहां क्यों आए हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : जी नहीं, हम उस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसको परिचालित किए जाने के तरीके पर आपत्ति कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, जहां तक नियम 193 के अंतर्गत नोटिस का संबंध है, मंत्री जी के वक्तव्य पर सबने नोटिस दिया है। यदि आप कार्यसूची संबंधी दस्तावेजों को देखें तो इसमें मंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा है। अब, यदि सत्ता पक्ष से किसी का नाम आया है, तो ऐसा लाटरी सिस्टम के कारण है।...*(व्यवधान)*

इस पर आपत्ति की जाने वाली क्या बात है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, अब श्री हरिन पाठक बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं। हमने माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया द्वारा उनकी तरफ से माननीय सदस्य श्री हरिन पाठक को बोलने के लिए प्राधिकृत करने पर आपत्ति नहीं की थी। हम प्रसन्न हैं। हमने नियम 193 के अंतर्गत प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं की थी। हमने कभी नहीं पूछा कि कौन वक्तव्य देगा। हम जानते थे कि माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी वक्तव्य देंगे। आपने इसे परिचालित भी किया। हमने आपत्ति तो इस पर की थी कि इतने गंभीर मामले, जिसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री ने दोहराया है कि माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देते लेकिन चर्चा के दौरान माननीय गृह मंत्री जी अनुपस्थित हैं और माननीय वित्त मंत्री जी भी अनुपस्थित हैं। इतने गंभीर मामले पर चर्चा के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी सभा में अनुपस्थित हैं। हम इसका जबर्दस्त विरोध करते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : दासमुंशी जी, वैसे तो माननीय मंत्री श्री प्रमोद महाजन जी ने पहले ही इसका वर्णन कर दिया है अब श्री हरिन पाठक बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने अभी कहा कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर कुछ कहा ही नहीं। यह सारे देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस समय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को यहां उपस्थित रहना चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : ये इस गंभीर विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री हरिन पाठक जी को बोलने के लिए कह चुका हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम अच्छे मित्र श्री हरिन पाठक के भाषण का स्वागत करते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे गंभीरता से लें। अब श्री हरिन पाठक बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को यहां बुलाइए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास आठवले जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं पहले ही श्री हरिन पाठक को बोलने के लिए बुला चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को यहां बुलाइए, प्रमोद महाजन जी।

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास आठवले जी, मैं बोल रहा हूं। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी, 2001 को हमारे देश की मई सहस्त्राब्दी की सुबह की पहली किरण देश के पूर्वांचल से शुरू होकर धीरे–धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रही थी। सुबह 8.47 बजे कालचक्र का ऐसा पहिया घूमा, जिसने समग्र देश को और विशेषकर गुजरात के जनजीवन को तहस–नहस कर दिया। उस दिन सुबह के समय सारा देश हमारे गणतंत्र की 52वीं वर्षगांठ की खुशियां मना रहा था। अंजार की नगरपालिका के स्कूल के 12–15 साल के बच्चे उस पुराने गांव की गलियों से अपने हाथों में तिरंगे झंडों को लेकर हमारा गीत गुनगुनाते जाते थे, "विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए।" उनके ये शब्द, यह लफ्ज पूरे नहीं हुए और विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदी हो गई। मानव इतिहास कभी इस त्रासदी को नहीं भूलेगा। वे बच्चे इस त्रासदी के खप्पर में समा गए।

अपराह्न 4.29 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

हम सब दुखी हैं। कुदरती विपदाओं पर बहुत बार हमने चर्चा की है, चाहे वह हरिकेन हो या साइक्लोन हो, बाढ़ हो, मगर यह जो आपदा है, यह जो त्रासदी है, मैं इसको आपदा नहीं कहूंगा। आज जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो रौंगटे खड़े हो जाते हैं।

कच्छ से लेकर बीलिमोरा तक 600 किलोमीटर की दूरी में इस त्रासदी ने हजारों–लाखों परिवारों के जीवन के समीकरण बदल दिए। लाखों परिवारों के जीवन की प्राथमिकता बदल गई। चार लाख मकान नहीं टूटे, चार लाख परिवार टूट गए। जहां एक दस दिन के बच्चे ने दम तोड़ा, वहीं 90 साल के बाप ने अपने बेटे के सामने मलबे में दबते हुए दम तोड़ा। 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें गईं। 20,000 से भी ज्यादा पशुधन मारा गया। 50,000 झोंपड़–पट्टी में रहने वाले हमारे गरीब लोग दब गए, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सब कुछ बदल गया। एक ऐसी तबाही जिसने गुजरात के 182 तहसीलों को तहस–नहस कर दिया और 280 गांव पूर्णतः नष्ट हो गए। मैं जिस शहर से आता हूं, वहां से 1989 से लेकर अब तक यहां हूं। 40 सेकंड में दो हजार परिवार, 172 इमारतें तहस–नहस हो गईं। मुझे दुख इस बात का होता है, मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता था। अभी–अभी कुछ चर्चा हुई, मेरे नाम को लेकर हुई। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं यह जो त्रासदी है, आपदा है, इसकी संवेदना को हम सबको समझना होगा। यह समय त्रुटियां निकालने का नहीं है। यह समय है उन दिलों में पड़ी हुई दरारों को भरने का। मेरे नाम का उल्लेख दूसरे सदन में किया गया इसलिए मुझे दुख हुआ। मैं दिल्ली में था, क्यों था। मेरी चार साल पहले मेरे हार्ट की एन्जीओप्लास्टी हुई थी। 23 तारीख की रात को मुझे हृदय रोग की बीमारी हुई। डाक्टर ने कहा तुरंत दिल्ली एस्कॉर्ट अस्पताल में जाना पड़ेगा और थेलियम टैस्ट कराना पड़ेगा। 25 तारीख को मैं दिल्ली आया। 27 तारीख को नौ बजे मेरा एस्कॉर्ट अस्पताल में थेलियम टेस्ट था। मैं भी एक फ्लैट में रहता हूं। जिसमें दरारें पड़ीं। मेरे घर के आसपास 200 लोग मरे हैं। मेरी सोसाइटी में दो मकान गिर गए हैं। मेरे घर में भी 86 साल का बूढ़ा बाप है, चार साल की एक नाती है। मेरी बेटी उनको लेकर बाहर भागी तो उसके हाथ में मोबाइल रह गया था। उसने मुझे नौ बजकर दस मिनट पर फोन किया। दूसरे दिन मेरा टैस्ट था। मैंने आदरणीय गृह मंत्री जो को इस त्रासदी के बारे में बताया। वे परेड के लिए जाने वाले थे। साढ़े तीन बजे हम अहमदाबाद पहुंच गए। मुझे दुख है सोमनाथ दादा, यह कहना कि मैं अपने घर के आसपास नहीं गया। उसी दिन से आज तक कच्छ नहीं गया, भुज नहीं गया, उसी समय से घर के पास ही टेंट में पड़ा रहा और अपने लोगों की मैंने सेवा की और यहां कहा जा रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में नहीं गया। मैं यह कहना नहीं चाहता था। यह त्रासदी ऐसी है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैं आभारी हूं कि गुजरात में आई इस त्रासदी पर प्रतिपक्ष की आदरणीय नेता सोनिया जी वहां गईं। वे सब तर्क–वितर्क, सारी बातें भूल गईं और वहां टेंट में रहीं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी तथा आप सब लोग वहां गए।

बाढ़ का अनुमान हो सकता है। अगर साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है तो उसका अनुमान हो सकता है, लेकिन भूकंप का अनुमान नहीं हो सकता।

सागर अन्वेषण विभाग के डा. हर्ष के. गुप्ता ने 19 फरवरी को 'दैनिक जागरण' में इंटरव्यू दिया है। साक्षात्कार हुआ है। उनसे पूछा गया कि क्या भूकंप का अनुमान लगाया जा सकता है?

उनका जवाब है नहीं। विश्व के किसी भी देश में भूकंप के बारे में अनुमान करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी न कर पाने के कारण देश के भूगर्भ वैज्ञानिकों की आलोचना की जा रही है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सेंटर फॉर अर्थ–साइंसेज एंड स्टडीज इंस्टीटयूट, तिरुअनंतपुरम में नवंबर, 2000 में उन्होंने एक घोषणा की थी कि भूकंप आ सकता है और यह स्थिति उन्होंने बराबर लगभग...*(व्यवधान)* यह कहना कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सीरियस मैटर है। आप क्या सोच रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : उन्होंने अपने साक्षात्कार में ऐसा कहा है। मैं नहीं कहता। 1980 में कहा गया था कि जापान में कोताई क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आएगा, उसकी आशंका को देखते हुए पांच सदस्यों की कमेटी बनाई गई लेकिन आज तक वहां पर भूकंप नहीं आया। उसके बदले 17 जनवरी, 1995 को कोबे में भूकंप की त्रासदी झेलनी पड़ी जिसने 6000 जानें गईं। 15 से 20 अरब डॉलर की क्षति हुई। ऐसा ही एक भूकंप चीन के पांग शांग में 26 जुलाई को आया जिसका अनुमान किसी ने नहीं किया था। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं और मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं इस भयानक त्रासदी की बात आपके सामने रख रहा हूं। स्थिति ऐसी होती है कि जब किसी भी तंत्र को, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, उनके पास यह पहले से अनुमान नहीं किया जा सकता कि भूकंप कैसे आएगा और उसके लिए क्या करना चाहिए?

अध्यक्ष जी, 26 जनवरी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक छुट्टी का दिन था। उसके बाद शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन थे। इस तरह से तीन दिन की छुट्टियां सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पड़ गई थीं। जब यह भूकंप का झटका आया, उसमें कच्छ से लेकर बलसार तक हजारों जानें चली गईं। उसमें हमारे देश के नौजवानों की भी जानें गईं। चार नगर ऐसे हैं, सोनिया जी ने भी देखे हैं, हम सबने देखे हैं कि वे चार नगर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। भचाऊ, रापर, अंजार और भुज ये चार नगर पूर्ण तरह से नष्ट हो गए। वहां न अस्पताल बचा, न प्राइमरी हैल्थ सेंटर बचा, न फायर ब्रिगेड चलाने वाला ड्राइवर बचा न उसके परिजन बचे। न कलैक्टर ऑफिस में खड़ा तहसीलदार बचा और न एक भी कर्मचारी बचा, न उनका परिवार बचा, सब मर गए। सब दब गए। ऐसी स्थिति में समग्र तंत्र को एक साथ लेकर चलना, मैं मानता हूं कि तंत्र को खड़ा करने में वह भी विपरीत परिस्थितियों में, छुट्टियों में, जब इतना बड़ा भूचाल आया, जिसमें हजारों लोग मलबे तले दब गए, दबकर मर गए, संचार व्यवस्था पूर्ण तरह से ठप्प हो गई, बिजली व्यवस्था ठप्प हो गई, रास्ते टूट गए और भुज में जाने के लिए केवल एक रास्ता सूरजबाड़ी पुल की ओर से जाने का था, मेरे बाद मेरे मित्र इस विषय पर बोलने वाले हैं, वह भुज और कच्छ के बारे में बताएंगे कि सूरजबाड़ी का पुल भी टूट गया था। अस्पताल को भी क्षति पहुंची, डॉक्टर, नर्स, परिचारिकाएं, फायर ब्रिगेड चलाने वाला ड्राइवर, क्रेन चलाने वाला ड्राइवर सब मर गए। फिर भी सरकार को संभालना पड़ा। सरकार क्या होती है? सरकार का मतलब कोई मंत्री या सांसद नहीं होता। सरकार का मतलब एक छोटा सा आदमी है, वह भी एक तंत्र का हिस्सा है। जब उसके परिजन अंदर दबे हुए हैं और उसे उनको भी बचाना है। डिजास्टर मैनेजमेंट के चार पहलू हैं। ऐसी त्रासदी में सबसे पहले रैस्क्यु आता है, फिर राहत कार्य आता है, फिर अस्थाई पुनर्वास आता है और तब कहीं जाकर स्थाई पुनर्वास आता है। रैस्क्यु के लिए भी रास्ता चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और संचार व्यवस्था चाहिए। सरकार ने अपनी सभी सीमित मर्यादाओं के साथ सारा काम किया है। माननीय मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी, ने इस विषय में सारे आंकड़े दिए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं कि सरकार ने क्या–क्या काम किया है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, इतनी बड़ी त्रासदी और कुदरत के इतने बड़े खिलवाड़ के बाद हम सब का कर्तव्य बन जाता है कि हम इसको राजनीति का मुद्दा न बनाएं। मुझे खुशी है और मैं वंदना करता हूं, इस भूकंप में हर प्रकार के बंधन टूट गए, हर प्रकार के हमारे मत–मतांतर टूट गए और हम सब कच्छ–भुज की तरफ उमड़ पड़े। स्वैच्छिक संस्थाएं सामने आईं, एनजीओज सामने आए, देश–विदेश से सहायता आई, हमारे देश से सहायता आई और सभी प्रांतों से सहायता आई। आरएसएस के स्वयंसेवी संगठन साढ़े तीन बजे बीएसएफ के अस्पताल में पहुंचे। मैंने देखा, वहां पर एक ह्युमन चेन थी। खाकी वर्दी में आरएसएस के कार्यकर्ता और माथे पर टोपी मुस्लिम कार्यकर्ता दोनों वहां पर थे। टाइम्स आफ इंडिया ने 29 तारीख को इस ह्युमन चेन की तस्वीर छापी है। इस भूकंप में ये मानव के बीच की दरारें टूट गईं। मैं भी उनके साथ खड़ा था। स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और दोनों तरफ मुसलमान भाई खड़े थे। सूरजबाडी टूट गया, तो राघनपुर की तरफ से लोग पाटन आए और अस्पताल पहुंचे। भुलवन गांव के हाजी पूरबिया चाचा अपने मुसलमान कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे। आर.एस.एस. ने पाटन के अस्पताल में खाने का केन्द्र खोला था सभी मुसलमान परिवारों में उस केन्द्र में रोटी–सब्जी खाने को दी। उन्होंने अपनी जीप जीआई–5 9418 दे दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक

[श्री हरिन पाठक]

कच्छ से दूर हाजीपुर में पहुंच गए। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। परिस्थितियां ऐसी बनीं कि राजनीतिक दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, आस्थाओं की दृष्टि से इस भूकंप ने सभी दरारों को तोड़ दिया और एक जुट होकर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : मैंने पहले ही कहा, अलोचना करना उनका धर्म है। अलोचना करना, त्रुटियां निकालना, उनका धर्म है और आपका भी धर्म है।

[अनुवाद]

महोदय, भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक थी।

[हिन्दी]

छः सौ किलोमीटर में इस भूकंप का प्रभाव रहा है। इसी प्रकार 4 अप्रैल, 1905 में कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश में) एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें 19 हजार लोग मारे गए थे।

30 सितंबर, 1993 को लातूर में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उससे हम सब लोग परिचित हैं। सबकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करने में कितनी तकलीफ होती है। 9 फरवरी, 2001 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अमेरिकन रेसक्यू टीम इंटरनेशनल के अध्यक्ष डगलस कूप का साक्षात्कार आया है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं और मेरा कोई यह प्रयास नहीं है कि जो बहुत कुछ हो गया है, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया है। मगर सच्चाई भी विदेश तक और हमारे लोगों में पहुंचे ऐसा न हो कि लोगों का प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाए। सरकारें आएंगी और जाएंगी, राजनेता आएंगे और जांएगे, मंत्री आएंगे और जाएंगे, मगर प्रजातंत्र में अगर विश्वास उठ गया तो फिर कौन आने वाले समय में हमारे साथ खड़ा रहेगा–प्रश्न यह है। प्रश्न किसी मुख्य मंत्री का नहीं है, किसी को बदलने का नहीं है, प्रश्न यह है कि हम सब एक हैं, हम अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाते हैं। हमारे पूर्वजों ने कितना सोच–समझ कर दुनियाभर के इतिहास का अध्ययन करके प्रजातंत्र को स्वीकार किया था। हम साम्यवाद की ओर जा सकते थे, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था की ओर जा सकते थे लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसी सदन में बैठ कर मंजूर किया कि यह देश चुने हुए प्रतिनिधियों से चलेगा। इसे पंचायत का, जिले का सदस्य चलाएगा। राज्य चलेगा, तो राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों से चलेगा। हिन्दुस्तान की सबसे बड़े प्रजातंत्र की पंचायत चलेगी, तो सभी दलों के लोगों से चलेगी। हमारे विवाद होंगे, मगर हम चलाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि हमारी आस्था, विश्वास और क्रेडिबिलिटी को अगर समाज में दिन–पर–दिन गिराया जाएगा तो किसी दल का, सरकार का नुकसान नहीं होगा, मगर यह प्रजातंत्र की नींव पर बहुत बड़ा वज्रघात होगा, उसके लिए अलग समय आएगा। डगलस कुप्प ने जो कुछ कहा है, मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा। वह कच्छ में आ गए। वह दुनियाभर में सौ जगहों पर गए हैं। वह अमरीका के हैं और 16 साल से यही काम करते हैं। वह बरमूड़ा पहनते हैं। उन्हें जैसे ही भूकंप का पता चलता है तो वह अपने एक कुत्ते और तीन साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वह विश्व भर में जाते हैं। उन्होंने 9 फरवरी, 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में साक्षात्कार दिया। मैं उसे अवश्य उद्धत करना चाहता हूं, इसलिए कि जो काम करने वाले हैं, वे निराश न हो जाएं। यह बहुत लंबा काम है, बहुत लम्बे समय तक चलेगा।

[अनुवाद]

डगलस कुप्प अमेरिकन रेस्क्यू टीम इंटरनेशनल की अगुवाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

वह हमारे देश के लोगों की सराहना करते हैं।

[अनुवाद]

कुप्प स्वयं भारतीय लोगों के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा

[हिन्दी]

जो दूसरे देश हैं उनमें अगर यह स्थिति होती है वहां इस प्रकार होता तो आप अंदाज लगा सकते हैं। डगलस कुप्प जो अमेरिकी टीम का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने टाइम्स आफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा कि जिस मैग्नीट्यूड का भूकंप जितने बड़े पैमाने पर आया अगर वह पश्चिम के विकसित देश में आता तो वहां की स्थिति क्या होती?

[अनुवाद]

"मैंने कई विपदाएं देखी हैं, उनमें से ज्यादातर विपदाएं कहीं कम तीव्रता वाली थीं, परन्तु यहां के लोग बहुत ही शांत, शिष्ट, कदरदां और गंभीर हैं। इसका बचाव और राहत दलों पर बड़ा फर्क पड़ता है...ऐसी स्थिति अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में होती तो वहां दंगे, लूटपाट, हत्याएं और सभी

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रकार की हिंसाएं हो जातीं। कई अन्य उन देशों, जहां मैं हो आया हूं, के लोगों की प्रतिक्रिया, जो कुछ मैंने यहां देखा है से बिल्कुल ही अलग थी।"

कुप्प ने कहा कि वे भुज में आने वाले कुछ विदेशी बचाव दलों के बारे में रिपोर्टों को पढ़कर आश्चर्यचकित थे कि उन्हें यह बताए जाने से पहले कि उन्हें कहां जाना है और क्या करना है, घंटों इंतजार करना पड़ा था। उन्होंने कहा, "मैं पांच मिनट भी नहीं रुका था। यहां आने के बाद, मैंने किसी से नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है।"

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपडवंज) : वहां यह कहने के लिए कोई नहीं था कि क्या करना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हरिन पाठक जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : 21 हजार करोड़ रुपये का नुकसान, चार लाख मकानों का नुकसान, तीन सौ गांवों का नुकसान, चार नगरों का नुकसान–एक बहुत बड़े इलाके में विध्वंस हुआ है और हमें उन सब का फिर से निर्माण करना है, एक बहुत बड़ी चुनौती का देश को सामना करना है।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : कितने लोग वहां मरे हैं बताएं?

श्री हरिन पाठक : 20 हजार से भी ज्यादा लोग वहां मरे हैं। आप ज्यादा बताइए,...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : डिफेंस मिनिस्टर एक लाख बता रहे हैं और आप 20 हजार कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : आपके अपने रक्षा मंत्री ने कहा था कि मारे गए लोगों की संख्या एक लाख से ऊपर हो सकती है।...*(व्यवधान)* वास्तविकता पर आइए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कांतिलाल भूरिया जी, क्या आप इस मामले के प्रति गंभीर नहीं हैं? कृपया बैठ जाइए। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कांतिलाल भूरिया बहुत हो गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : जैसा मैंने पहले कहा कि इतना बड़ा भूकंप है, आप गिनती पर मत जाइए। हमारे परिवारों के घर टूटे हैं। अब गिनती चाहे 20 हजार हो या 25 हजार, इससे उसे फर्क नहीं पड़ेगा जिसने अपनी मां को खोया है, बेटे को खोया है। आप अधिक आंकड़े दे रहे हैं उससे उन पर क्या फर्क पड़ेगा? तीस हजार कहने से क्या फर्क पड़ेगा?...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : आप आंकड़े सही नहीं दे रहे हैं। वहां एक लाख से अधिक मारे गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : वहां पर एक लाख से अधिक लोग मारे गए हैं और अभी तक वहां लोग दबे हुए पड़े हैं तथा आपकी सरकार उन्हें निकाल नहीं पाई है। आप वास्तविकता को छिपा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हरिन पाठक जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए, माननीय सदस्यों को नहीं। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

श्री हरिन पाठक : ठीक है, महोदय...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत गंभीर मामला है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। परन्तु तथ्यों पर आइये।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महदेय, ये लोग बढ़ा–चढ़ाकर आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़े बता कर हंस भी रहे हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत अजमेर : आंकड़े बढ़ा–चढ़ाकर बताने से क्या लाभ होने वाला है। अध्यक्ष जी, ये लोग आंकडे बढा–चढ़ाकर बता रहे हैं।...*(व्यवधान)* इतनी बड़ी त्रासदी पर ये लोग आंकडे बताकर हंस रहे हैं।...*(व्यवधान)* कुछ तो इससे शिक्षा लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : आपसे शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए।

श्री हरिन पाठक : आंकड़ों में जाने के बजाय मैं ऐसी त्रासदी के समय में क्या करना चाहिए, उस पर कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरे क्षेत्र और राज्य में जो तबाही हुई है सरकार ने हर परिस्थिति में पूरी मदद करने की कोशिश की है।

गुजरात में जो लोग आए और जिन्होंने मदद भेजी, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कुछ अपने सुझाव आपके जरिए सरकार के सामने रखना चाहता हूं। 1970 में भवन निर्माण संहिता का पालन करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय की भवन निर्माण सामग्री एवं तकनीकी संवर्धन परिषद ने देश में प्राकृतिक आपदाओं की आशंकाओं का व्यापक सर्वे किया था। उस सर्वे की कुछ रिपोर्टें भी आई हैं। उस रिपोर्ट की एक कापी प्रत्येक जिले में दी जाए। जिला, तहसील और राज्य स्तर पर एक डिजास्टर मैनेजमैंट समिति बनाई जाए। मुझे अहमदाबाद में जो तकलीफ हुई, मैं उसे बताना चाहता हूं। वहां 72 बिल्डिगें 40 सैकिंड में गिर गईं। मैं इस विषय का कोई जानकार नहीं हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं। मैं वहीं रात भर खड़ा रहा।

[अनुवाद]

हमें मशीनरी का सेट चाहिए हमें बचाव कार्यों के लिए मशीनरी सेट की जरूरत है।

[हिन्दी]

एक गैस कटर और क्रेन चाहिए। मेरे सामने एक बच्ची दब गई। अहमदाबाद कार्पोरेशन की एक क्रेन पांच टन की थी। वहां 25 टन का एक स्लैप पड़ा था। 72 जगह क्रेन भेजनी थी लेकिन इतनी क्रेन्स नहीं थीं। क्रेन की कैपेसिटी पांच टन मलबा उठाने की थी जबकि मलबा 20 टन का था। उसे गैस कटर से काटना था लेकिन वह था नहीं। जे.सी.बी. मशीन, गैस कटर और क्रेन की आवश्यकता थी। यदि ये चीजें एक साथ मिल जातीं तो मलबे को काट कर जीवित और फंसे लोगों को बचाया जा सकता था। जिला स्तर पर ऐसे सभी सैट होने चाहिए। बाढ़ आने पर बाढ़ से बचाव के लिए ऐसे सैट रखने चाहिए और जब चक्रवात आए तो इसके बचाव के लिए भी ऐसे सैट रखने चाहिए। भूकंपग्रस्त क्षेत्रों में जे.सी.बी. मशीन, क्रेन, गैस कटर होने चाहिए। ये सारे के सारे सैट ज्यादा से ज्यादा जाने चाहिए। अहगदाबाद में हमें बहुत तकलीफ हुई। मशीनें तीन थीं और 72 विल्डिग्स गिर गईं। उसे सब जगह भेज़ना था लेकिन एक जगह मशीन गई। वहां पांच टन मलबा था। वह मलबे को उठाने गई और पीछे खड़ी हो गई लेकिन वह मलबा एक बच्ची के ऊपर गिर गया और वह दबकर मर गई। वह बच्ची पांच बजे तक जिन्दा थी। आप राज्य और जिला स्तर पर एक डिजास्टर मैनेजमैंट कमेटी बनाएं।

[अनुवाद]

इन समितियों को सभी आवश्यक मशीनरी से लैस होना चाहिए।

[हिन्दी]

मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्य में जब–जब तकलीफ होगी तो बचाव कार्य में और रेस्क्यू आपरेशन में थोड़ी बहुत इससे सहायता मिलेगी। केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को मदद देने का विश्वास दिलाया है। आप सब भी इस मांग का समर्थन करें। वहां 21 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : 500 करोड़ रुपये काफी हैं।

श्री हरिन पाठक : आप क्यों राजनीति करते हो?...*(व्यवधान)* गुजरात सरकार को कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार दे। उसकी ऐसे समय में पूरी मदद की जाए। आप सब मेरी बात पर सहमति प्रकट करें। केन्द्र सरकार को कहें कि 21 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कम से कम इस वित्त वर्ष और आने वाले वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपया दिया जाए। वहां के लिए पैकेज भी बनाए गए हैं। इसका मेरे बाद के वक्ता जिक्र करेंगे लेकिन जो प्रभावित इलाके हैं उन्हें एक्साइज और इनकम टैक्स में कुछ रियायतें दी जाएं ताकि वहां की इंडस्ट्री फिर से उठ सके। प्रभावित इलाकों में जिनके मकान टूट गए हैं उन्हें पूरी सहायता दी जाए।

अब मैं शहरों की बात करना चाहता हूं। अहमदाबाद, भुज, रापर, अंजार के लागों ने जब–जब भी कहीं प्राकृतिक आपदाएं आईं, उन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाल कर दिया। वहां के लोग प्राइमरी स्कूल टीचर, बैंकर कर्मचारी हैं। उनसे 50 रुपये मांगे तो उन्होंने 50 रुपये दिए, उनसे 100 रुपये मांगे तो उन्होंने 100 रुपये दिए। उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। गुजरात के प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों ने यदि मकान या छोटे उद्योगों के लिए आई.डी.बी.आई. से लोन लिया है,

अपराह्न 5.00 बजे

उसका बकाया माफ करना चाहिए। क्योंकि काफी फ्लैट्स गिर गए हैं, लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए

आई.डी.बी.आई., एल.आई.सी. का जितना बकाया है, वह सब माफ किया जाए। एच.डी.एफ.सी. की जितनी बकाया इंस्टालमेंट्स हैं, वे माफ की जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अहमदाबाद शहर के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि जो मकान गिर गए हैं, उन्हें बनाया जा सके। साथ ही लोगों को सस्ते दर पर सीमेंट और स्टील अथारिटी आफ इंडिया से स्टील दिलाया जाए। मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैंने अपनी कुछ भावनाओं को लेकर जो कुछ कहा है, उनमें हमें बहुत कुछ करना है, निर्माण करना है। वहां चार लाख मकान नहीं, चार लाख घर बनाने हैं जो चूने और पत्थर से नहीं बनते हैं। मगर रिश्ते और संबंधों से बनते हैं। उसे बनाना है, उनमें आठ लाख छोटे मकानों की मरम्मत करनी है और 300 गांवों को फिर से खड़ा करना है। आइए, हम सब मिलकर इस विनाशक त्रासदी के बाद गुजरात को नया रूप दें। आप सब को याद होगा कि जब मोरबी में बाढ़ आई थी, सूरत में प्लेग फैला था तो वहां की जनता का सब लोगों ने समर्थन किया था और एक नया गुजरात बनाया गया था। मुझे आशा है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी के गुजरात को फिर से आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा और वह नए रूप में खड़ा हो सकेगा। आज उन लोगों के आंसू पोंछने की जरूरत है। अन्त में भूकंपग्रस्त परिवारों को इतना ही कहूंगा :

अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने ग़म दे दो,
इन आंखों के हर आंसू, मुझे मेरी कसम दे दो।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, श्री हरिन पाठक ने अभी–अभी गुजरात पर आई विपत्ति का रेखाचित्र और वास्तविक विवरण प्रस्तुत किया, आज भी हम उन्हें और गुजरात के बहादुर लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सहानुभूति और समर्थन उनके साथ है।

गुजरात में घटी भूकंप की यह प्राकृतिक आपदा स्वतंत्रता के बाद देश में घटी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, इसमें कोई संन्देह नहीं है कि जिस विध्वंस को गुजरात में लोगों ने देखा वह बहुत विशाल है, गुजरात के लोगों ने जिस अगम्य भावना का प्रदर्शन किया हमें उस पर गर्व है, जिस तरीके से उन्होंने देशभर के गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न समूहों के साथ मिलकर राहत कार्यों को संभाला वास्तव में वह उल्लेखनीय है और यह सेवा भावना के साथ किया गया, यह भावना गुजरात के लोगों में साधारण रूप से पाई जाती है।

मैंने भी इस त्रासदी से प्रभावित गुजरात के कच्छ में भुज, अंजार और भचाऊ सहित राजकोट, सुरेन्द्रनगर, जामनगर और सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के दौरे के दौरान गांवों में कुछ दिन व्यतीत किए। कच्छ में इसके अलावा सूखे की समस्या भी है, वहीं दूसरी ओर सौराष्ट्र से अधिकतर शिकायतें यह थीं कि कच्छ में ही अधिकतर ध्यान दिया गया है और सौराष्ट्र के लोग महसूस कर रहे हैं कि राहत कार्यों में उनकी उपेक्षा की गई है।

इसलिए, हमें सूखा और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, और हमें चारा वितरण के लिए भी विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, फिर भी गांव–गांव गए हम में से कुछ लोगों ने आवासों और टेंटों की भारी आवश्यकता महसूस की।

वहां प्रत्येक का मानना है और हम भी इस बात से सहमत हैं कि गर्मी और मानसून के आरंभ होने से पूर्व लोगों को आवासों की आवश्यकता होगी यह आवास टेंटों के बने हों या अन्य प्रकार के अस्थाई आवास हों।

मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि कांग्रेस शासित हमारे कई राज्य वहां वित्तीय सहायता के साथ–साथ वास्तविक सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। श्री हरिन पाठक ने स्वयं ही इसे स्वीकारा है चाहे उन्होंने हमारे नाम का उल्लेख नहीं किया है लेकिन फिर भी उन्होंने इसे माना है। यह नहीं हमने दिल्ली के साथ–साथ अहमदाबाद में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए, हमारे कांग्रेस के पुरुष और महिला कार्यकर्ता सहायता देने के लिए गुजरात गए और उन्होंने वहां जो कुछ भी राहत सामग्री थी उसका वहां वितरण किया, हम अभी भी ऐसा कर रहे हैं।

लेकिन मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि राज्य सरकार आवश्यक उपाय करने में असफल रही। यह आलोचना नहीं है बल्कि सकारात्मक आलोचना है। उन कई स्थानों, जहां का मैंने दौरा किया वहां भेदभाव की गम्भीर शिकायतें मिली, मैं जानती हूं श्री हरिन पाठक ने अखबारों में इसके विपरीत पढ़ा होगा, लेकिन मैं उन गांवों में भी रही जहां मैंने खुद प्रभावित लोगों से सुना कि राहत सामग्री के वितरण में निश्चित रूप से भेदभाव बरता गया है। इस बात को राजनीतिक रूप से जोड़ा गया और इससे भी बुरी बात यह है कि इसे जाति और धर्म से जोड़ा गया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष महोदय, नेता, विरोधी दल जो कह रही हैं, वह बिलकुल गलत है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए,...*(व्यवधान)*

[श्रीमती सोनिया गांधी]

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : मैं केवल वही कह रही हूं जो कि मैंने खुद सुना है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है, उन लोगों को जानबूझकर प्रेस के सामने लाया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदया, जिसने भी आपके भाषण का मसौदा तैयार किया है वह आपकी पार्टी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि वहां यह सब हो रहा है लेकिन मैं कह सकती हूं कि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता और न ही ऐसा कहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : मैं स्वाभाविक रूप से उदार हूं और मैंने वही कहा जो मैंने सुना है।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैडम जो कह रही हैं, गलत कह रही हैं, मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को जानबूझकर प्रेस के सामने ले जाकर कहलवाया गया है, ये बातें बिलकुल असत्य हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात पर अडिग हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी : आप क्या कह रहे हैं? दो माह पहले, आप इस तरफ थे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में हमारी पार्टी की सरकार है, इन्होंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती भावनाबेन चीखलिया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात पर अडिग हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी : मैंने गुजरात के लोगों की बहादुरी की बात की थी, आरंभ में मैंने ऐसा ही कहा था, शायद आप सुन नहीं रहे थे।

मैंने लाल फीताशाही के कुछ विशेष उदाहरण देखे...*(व्यवधान)*। यह एक सकारात्मक आलोचना है ताकि हम अपने को ठीक कर सकें, ताकि ऐसा यदि हमारे राज्यों में हो तो हम उसे ठीक कर सकें...*(व्यवधान)*। वहां ऐसे भी उदाहरण हैं जहां कि प्रभावित लोगों को उनके राशन कार्डों के द्वारा पहचान करने को कहा गया था। दुर्भाग्यवश उनके राशन कार्ड मलबे के ढेर में दबे थे। वे राशन कार्ड कैसे दे सकते थे? कुछ क्षेत्रों में मलबा हटाने के यंत्र तैयार थे लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि निजी लोगों के घरों से मलबा हटाने के लिए प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना की आवश्यकता थी। मैं सुझाव दूंगी कि यदि लोगों की पहचान के लिए स्थानीय स्तर पर लोक प्रतिनिधियों को भी साथ लिया जाता तो इस समस्या का निवारण हो सकता था।

यहां राहत के रूप में पहुंची राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता अभूतपूर्व रही, लेकिन, यहां दुबारा मैं यह जरूर कहूंगी कि समूचे देश और विदेशों से आई सहायता वहां दिखाई नहीं दी। इसे महसूस नहीं किया गया। मैं समझती हूं कि ऐसे मामले में एक नई व्यवस्था होनी चाहिए और जवाबदेही की सख्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि पहुंचाई गई राहत सामग्री समानरूप से सभी प्रभावित लोगों में बांटी जा सके।

सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन समिति के गठन का हम स्वागत करते हुए मानते हैं कि इसकी आवश्यकता है और हमारी पार्टी का यह मांग रही है क्योंकि हमारा मानना है कि इससे इस बारे में काफी सहायता मिलेगी...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : क्या आपने उड़ीसा में इस बात का अभिलेखन किया है।

श्रीमती सोनिया गांधी : हां, मैं उड़ीसा गई थी। वहां ऐसे स्थाई व्यवसायिक अभिकरण की आवश्यकता है जिसमें उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमता के कार्मिक सुसज्जित हों और प्राकृतिक दुर्घटनाओं

से निपटने और राहत कार्यों के साथ पुनर्वास कार्यों के प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट तकनीक हो, यह एक सुझाव मात्र है जिसे हमारा मानना है कि हमारे देश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने में इससे काफी सहायता मिल सकती है।

हम यह भी चाहेंगे की राज्य गोद लेने की नीति की घोषणा करे क्योंकि कई लोगों, गैर सरकारी संगठनों और कई हमारी सरकारें गांवों और तालुकाओं को अपनाने के प्रति इच्छुक हैं लेकिन, मेरा ऐसा विश्वास है कि यहां प्रशासनिक पेचीदगियां हैं जिसके तहत गुजरात राज्य को अपनी अपनाने की नीति की घोषणा करनी है।

जब मैं वहां थी, तो जो मैंने देखा और जो चीज मेरे सामने आई वह थी उन बच्चों की दुर्दशा जो न केवल अपने माता–पिता अपितु पूरे परिवारजनों को खो चुके थे। उड़ीसा में जो कुछ हुआ, अब गुजरात में जो हम देख रहे हैं उस अनुभव को देखते हुए सरकार एक राष्ट्रीय फाउंडेशन के गठन के बारे में सोच सकती है जो ऐसे बच्चों की देखभाल करे, उनके कल्याण और शिक्षा पर ध्यान दे सकें।

दूसरा पक्ष जिसने दुख झेले और जो आज भी असुरक्षित है वह हैं वृद्ध लोग। कुछ ने अपने परिवारजनों को खो दिया। उनकी देखभाल करने के लिए पड़ोसियों के अलावा और कोई नहीं बचा है।

मुझे विश्वास है कि सरकार इस पहलू की ओर भी ध्यान देगी। मैं समाज के विभिन्न तबकों के प्रतिनिधिमंडलों से मिली। व्यापारियों से लेकर हस्तशिल्पियों तक सबने विशेष पैकेज की मांग की। सभी को पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सहायता की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है और विभिन्न हित समूहों की विशिष्ट जरूरतों को देखते हुए विशेष राहत पैकेज तैयार कर रही है।

अब संक्षिप्त रूप से मैं कच्छ में हस्तशिल्पकला की धनी परम्परा पर प्रकाश डालना चाहूंगी। कच्छ के लोग सुन्दर वस्तुएं बनाते हैं जिसकी हम भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी प्रशंसा करते हैं। सामान्यतया वे गरीब हैं और उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्हें औजारों और कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि वे पुनः अपना काम शुरू कर सकें। मुझे बताया गया है कि गुजरात के उन क्षेत्रों में काम करने वाले 40 प्रतिशत अप्रवासी मजदूर छोड़कर जा चुके हैं और सभी अधिकारियों को देखना चाहिए कि उचित स्थिति बनाई जाए ताकि वे वापस लौट सकें क्योंकि मुझे भरोसा है कि जनशक्ति की बहुत जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, बाहर से सहायता आने से पहले राहत उपाय स्थानीय स्तर पर किए गए थे। अधिकतम नुकसान भी पहले हफ्ते में हुआ था। अतः जो महत्वपूर्ण बात है वह स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयास में गुणवत्ता और त्वरिता बनाए रखने की जरूरत है और मुझे पुनः यह लगता है कि गुजरात सरकार उचित उपाय नहीं कर सकी। राज्य और जिला स्तर पर सबसे पहले तंत्र को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

इस संदर्भ में मैं जिला स्तर पर अद्यतन प्राकृतिक आपदा, आपातकालीन योजना तैयार रखने की पुरानी प्रणाली के पुनरुद्धार का सुझाव देती हूं। इसे उचित अंतराल पर किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है। इन योजनाओं के लिए विस्तृत संचालन ब्यौरे की जरूरत होती है और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसी योजनाएं बहुत अधिक बेहतर हो सकती हैं। इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि आवश्यक रूप से इन योजनाओं को तैयार करने और अद्यतन बनाने हेतु राज्यों को प्रशासनिक और विधायी कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम इस विशिष्ट समस्या का हल नहीं कर पाएंगे।

अंत में मै कहना चाहती हूं कि गुजरात के लोगों की पीड़ा को कम करने और जरूरत की घड़ी में उनकी सहायता करने हेतु कांग्रेस पार्टी अपनी शक्ति के भीतर हर बात करने को तैयार है। अतः मैं केन्द्र और राज्य सरकार से अपील करती हूं कि समय की आवश्यकता को देखते हुए गुजरात के लोगों की पीड़ाओं और समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए।

मैं सैन्यबलों और अर्द्ध सैन्यबलों को विशेष आभार से अपनी बात समाप्त करती हूं। उन्होंने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है और कांग्रेस पार्टी तथा सबकी ओर से मैं समय पर काम करने हेतु उनको धन्यवाद देती हूं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब समूचा देश 52वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा था गुजरात पर यह विपदा आई। इतने बड़े पैमाने पर विनाश कभी नहीं हुआ है और यह सब गुजरात के 600 किमी. लंबे क्षेत्र में कुछ ही मिनटों में हो गया। कई लोग मारे गए। मात्र एक मिनट बाद सवेरे 8 बजकर 46 मिनट पर सब ओर विनाश था। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.9 आंकी गई। 6.9 की तीव्रता कई अवसरों पर दर्ज की गई। यह 8 से अधिक भी हो सकता है। गुजरात में कई जिले विशेषकर भुज, जामनगर, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद सबसे अधिक प्रभावित हुए। लेकिन सबसे अधिक विनाश कच्छ, भुज, अंजार और मचाऊ जिले में हुआ।

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य देते समय बहुत साफ तौर पर बताया कि 21 जिलों और करीब 18 कस्बों में 182 तालुकाओं में फैले 7904 गांव बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। राज्य की कुल 3.78 करोड़ की जनसंख्या में 1.59 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 14.2.2001 को सरकारी तौर पर 18,253 लोगों की मौत दर्ज की गई; कई रिपोर्टों और कई लोगों ने जो उस जगह गए बताया कि मरने वालों की संख्या 30,000 हो सकती है। माननीय रक्षा मंत्री ने भी वहां का दौरा किया। उन्होंने भी जिक्र किया कि मरने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरी तरह या आंशिक तौर पर झोंपड़ियों समेत क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या 10,47,896 दर्ज की गई। अतः कई घर क्षतिग्रस्त हुए। सरकारी तौर पर क्षति को 19,228 करोड़ रुपये आंका गया। 19,228 करोड़ के नुकसान में 4616 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान घरों के ढहने से ही हुआ। इतना तीव्र था यह भूकंप।

इससे किस तरह अधिकांश लोग बेघर हो गए। यहां, हमने इस विशेष भूकंप की रिक्टर पैमाने पर 6.9 तीव्रता देखी है।

जब हम इस तरह के भूकंपों पर नजर डालें जो 19वीं और 20वीं शताब्दियों में गत 200 वर्षों में आए हैं, तो 21 से भी अधिक भूकंप आ चुके हैं। इसका औसत प्रत्येक 10 वर्ष में एक भूकंप बैठता है। यहां कितने भूकंप आए हैं इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। 16 जून, 1819 को एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.0 थी। हमने 1869, 1885, 1897, 1905, 1918, 1930, 1934, 1941, 1943, 1950, 1956, 1967, 1975, 1988 में दो बार, 1991, 1993 में लातूर में, 1997, 1999 और 2001 में भूकंप देखे हैं।

अन्य सभी झटके जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 से कम थी, को छोडकर इन सभी भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 से भी अधिक रिकार्ड की गई थी। जब इस तरह के बड़े भूकंप आए हैं तो हमें इससे एक बड़ा सबक लेना चाहिए। हम अलग-अलग दिशा में चले जाते हैं। गत 200 वर्षों में, यहां 20 या 21 से भी अधिक भूकंप आए हैं। क्या हमने पूर्व आपदा क्षेत्रों की ओर अपनी प्राथमिकताओं को शिफ्ट किया है? वे सभी प्रयास जो हमने किए हैं वे अधिकांशतः विध्वंस के बाद के क्षेत्रों में किए हैं; विध्वंसोत्तर क्षेत्र में यह बचाव कार्य, राहत कार्य, पुनर्वास पुनः बसाना, पुनर्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण, और "रेट्रो-फिटिंग्स" किए है। ये सब 'आर' शृंखलाएं आपदा-उत्तर प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं।

अब, आपदा पूर्व कार्य की ओर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। आप इसे तैयारी, सुरक्षा, निवारण, व्यापक प्रचार और ऐसी आपदाओं का सामना करने के लिए लोगों को तैयार करने का नाम दे सकते हैं। जैसा कि मेरे मित्रों ने उल्लेख किया है, जहां तक भूकंप का संबंध है यहां शायद ही इसका पता लगाने वाला कोई उपकरण हो। यह सच है। मौसम विज्ञान वेधशाला भी बाढ़ों, चक्रवातों आदि का ही पूर्वानुमान लगा सकती हैं लेकिन भूकंप के मामले में पूर्वानुमान लगाने वाली शायद ही कोई युक्ति हो।

विभिन्न अन्य देशों ने भवन प्रौद्योगिकियां अपना ली हैं, यदि हम सही दिशा में सोचें तो हम जान सकते हैं कि मौत भूकंप के कारण नहीं होती हैं, बल्कि मौत गलत प्रौद्योगिकी के कारण होती हैं जो भवन निर्माण के लिए अपनाई जाती रही हैं। जो लोग भूकंप के दौरान अपने घरों से बाहर अथवा सड़क पर थे, वे नहीं मरे थे। जो लोग घरों के भीतर थे, वे मर गए। जो लोग अपने घरों में थे और जिनके भवन ढहे नहीं हैं, वे नहीं मरे हैं। इसका वास्तव में यह अर्थ है कि जो भवन पारिस्थितिकीय अनुकूल नहीं हैं, जो दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं बनाए गए केवल वहीं पर ज्यादा नुकसान अथवा मौतें हुई हैं।

जहां तक मकानों के निर्माण का संबंध है अब हमारे लिए बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने का समय आ गया है। हमारे देश में हमने इस दिशा में प्रौद्योगिकियां तैयार की हैं।

महोदय, विशेष समितियों द्वारा दी गई रिपोर्टों की कोई कमी नहीं है मगर उन पर कभी-कभार ही अमल किया जाता है। सेन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के कैलीफोर्निया राज्य जो भूकंपों के लिए कुख्यात हैं; भूकंप के झटके सहन करने के लिए भवनों की नींव के नीचे इस्पात और रबड़ की परत बिछाई गई हैं। इसलिए जब कभी इस क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 8.0 की तीव्रता से भूकंप आता है तो इन भवनों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जापान में, कोबेयो जैसे शहरों में जहां भूकंपीय स्तर बहुत उच्च है, जापानी वैज्ञानिकों ने भूकंप के झटकों को सहने के लिए 'स्मार्ट बिल्डिंग' की अवधारणा विकसित की है जो "सेंसर" सुसज्जित है, की धारणा सृजित की है। इसलिए, इस तरह की प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। इस बात का अध्ययन करने के लिए कि एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता है, क्या ये प्रौद्योगिकियां जो ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, को अपनाया जाना है अथवा नहीं। इसलिए इन सब बातों पर सोचने का यह सही समय है। जब तक हम स्थानीय निकायों द्वारा इन प्रौद्योगिकियों को अनुमोदित नहीं करा लेते और उन्हें अपना नहीं लेते तब तक ये भवन सुरक्षित नहीं होंगे।

जहां तक सहायता का संबंध है; सोनिया जी सहित हमारे सभी मित्रों ने कहा है कि सहायता देश के भिन्न-भिन्न भागों से

और विदेशों से भी प्राप्त हुई है। 51 से भी अधिक देशों ने सहायता भेजी है। भारत के अनेक राज्यों, अनेक व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, संस्थाएं गुजरात के लोगों की सहायता के लिए आगे आई हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू गुजरात के लिए सहायता भेजने वाले पहले व्यक्ति थे इसी तरह उन्होंने उड़ीसा में चक्रवात के मामले में किया था वहां भी उन्होंने सबसे पहले राहत दल भेजा था। यहां भी वे आगे हैं और आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पांच करोड़ रुपये की राहत देने की घोषणा की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन का अंशदान किया है और इस तरह यह राशि लगभग दस करोड़ रुपये हो गई है। आंध्र प्रदेश के प्रत्येक संसद सदस्य ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 10 लाख रुपये का अंशदान दिया है और उन्होंने इसके लिए अपने एक माह के वेतन का भी अंशदान किया है। आंध्र प्रदेश राज्य से अनेक ट्रक राहत सामग्री के भेजे गए हैं जिनमें खाद्य सामग्री, दवाइयां इत्यादि शामिल हैं। अकेले आंध्र प्रदेश राज्य से भेजी गई राहत 30 करोड़ रुपये से अधिक की बैठती है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने भी अपने राहत कोष से 500 करोड़ रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की है और इसे पीड़ित व्यक्तियों की राहत के लिए 30 जनवरी को ही जारी कर दिया था। फिर मानवीय संवेदना और समय से राहत तथा जरूरतमंद लोगों की मदद का प्रश्न आता है। इस दृष्टि से अधिकांश व्यक्ति और अधिकांश एजेंसियां प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। अब हमें देखना है कि हम इस राहत सामग्री को किस तरह बेहतर ढंग से उपयोग में ला सकते हैं जो देश के विभिन्न भागों से आई है। यहां बिल्कुल स्पष्ट और खरे तौर पर कहूंगा कि जहां तक राहत और पुनर्वास का संबंध है यहां किसी प्रकार के राजनीतिकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। पार्टी के व्यक्ति के रूप में जब हम प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं तो अनेक व्यक्ति हमें भी यह बता सकते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। मैं नहीं समझता कि कोई संवेदनशील सरकार और व्यक्ति राहत सामग्री वितरित करते समय भेदभाव बरतेगा। इस प्रकार, राहत और पुनर्वास कार्य मानवता के आधार पर किया जा रहा है, और इसे उदारतापूर्वक किया जा रहा है। इतिहास से पता चलता है कि सत्ता में जो सरकार होती है वह कुछ करने का प्रयास करती है और विपक्षी पार्टियां इन चीजों से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करती हैं। अतः हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा...*(व्यवधान)*

महोदय, जहां तक प्राकृतिक आपदाओं और राहत के संबंध में सरकार से मदद का सवाल है, इस पर इस सम्माननीय सदन में अनेक बार वाद विवाद किया जा चुका है। प्राकृतिक आपदा राहत कोष, जो भारत सरकार के पास उपलब्ध है इन सभी राज्यों में वितरित करने के लिए बहुत कम है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन इसे नहीं बढ़ाया गया। और चाहे यह आपदा राहत कोष हो या फिर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, ये वास्तव में छोटे हैं और इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें अधिक मात्रा में सहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने 35 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति गठित करने के लिए कदम बढ़ाया है और यह समिति निश्चित रूप से इस पर गौर करेगी। मुझे विशेष रूप से इस संबंध में सुझाव मिले हैं। प्राकृतिक आपदाएं चाहे भूकंप हों या बाढ़ या चक्रवात बार–बार पूरे देश को प्रभावित कर रही हैं। चूंकि हमारी विशाल तट रेखा है और वहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन जो विभाग इसकी देख–रेख कर रहा है वह कृषि मंत्रालय का हिस्सा है। महोदय, हमें लोगों को इसके लिए तैयार करना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा, हमें इन प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करनी होगी और हमें राहत सामग्री प्रदान करनी होगी एवं बचाव कार्य करने होंगे। अब समय आ गया है कि इन सबको देखने के लिए एक पृथक मंत्रालय गठित किया जाए जिसमें एक पूर्णकालिक सचिव हो। भले ही इसका नेतृत्व राज्य मंत्री के हाथ में हो, और यह कृषि मंत्रालय का ही एक हिस्सा रहे...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जैसे ही वे ज्वाइन करेंगे इसकी योजना बनाएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज श्री दासमुंशी और मैडम रेणूका चौधरी दोनों अधिक शोर मचा रहे हैं। मैं इसे पसंद नहीं करता।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : हम बोलने की आजादी की मांग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, यह गंभीर विषय है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, निश्चय ही, यह गंभीर विषय है, हम इससे भयभीत हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, एक सर्वाधिकार सम्पन्न मंत्रालय के गठन की जरूरत है ताकि इन सभी प्राकृतिक आपदाओं पर गौर फरमाया जा सके।

महोदय, यह सभा यह सुझाव भी दे सकती है कि यह चुनाव आयोग की तरह एक स्वायत्तशासी निकाय हो सकता है। यदि स्थाई

[श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

एवं नियमित आधार पर यह चुनाव आयोग की तरह एक स्वायत्तशासी निकाय होगा तो किसी प्रकार की आलोचना, राजनीतिकरण या अन्य किसी बात की संभावना नहीं रहेगी। एक ही संभावना है, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि सभी को सोचना होगा। यह विशेष आयोग ऐसी आपदाओं की सतत भविष्यवाणी कर सकता है। सभी मौसम विज्ञान वेधशालाएं भी इस विशेष आयोग के अंतर्गत काम करेंगी। यह आयोग ऐसे अवसरों पर दी जाने वाली राहत की मात्रा का निर्णय ले सकता है और इसे निर्धारित भी कर सकता है, और प्राकृतिक आपदा की व्यापकता का वास्तविक स्वरूप क्या हो, इसका भी यह निर्णय कर सकता है। यह आयोग बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यक्रम की निगरानी भी कर सकता है। यह विभिन्न वैयक्तिक/संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, कई अन्य राज्यों और अन्य देशों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। यह आयोग सूचना को और अधिक सुगम एवं पारदर्शी बना सकता है और यह निर्णय भी ले सकता है कि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल एजेंसियां लोगों के प्रति और अधिक जवाबदेह हों।

सी.आर.एफ. के आकार बढ़ाने पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए। हमें प्राकृतिक आपदा नियमावली ईजाद करनी है जो अभी नहीं है। यहां तक कि, उचित दिशा निर्देश भी अभी ईजाद करने बाकी हैं। उचित दिशानिर्देश अभी नहीं हैं। हमें अलग–अलग राजनीतिक दलों के होने के बावजूद ऐसे कार्यक्रमों में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सहयोग बढ़ाना है।

हमें आपदा के बाद की स्थिति से निपटने के लिए स्थाई आधार पर युवा संगठनों को प्रशिक्षित करना है। कम–से–कम हमारे पास एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट, गाईड्स आदि हैं। उन्हें ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमें पर्यावरण अनुकूल आवास मानचित्र विकसित करने हैं और उन्हीं के अनुसार आवास योजना की समीक्षा करनी है।

आपदा राहत पर स्थाई आधार पर बजट पूर्व व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हमें आकलन और आपदा के बीच के अंतर को कम करना है।

सहायता जारी करने और पुनर्वास के संबंध में सरकार ऐसी चीजों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय के निर्माण के बारे में भी सोच सकती है। यहां हमारा अनुभव है कि जिस तारीख को आपदा आई और जिस तारीख को राहत पहुंचाई गई, उसके बीच 6 और 8 महीने का फासला है। मैं सिर्फ एक या दो उदाहरण उद्धृत करूंगा। और यह भी कि केन्द्रीय दल और समितियों द्वारा लिए गए जायजे में कोई अनुरूपता नहीं है। समय पर राहत नहीं पहुंचाई जा रही है, घटना और घटना के उपरांत राहत पहुंचने में काफी अंतराल है। आंध्र प्रदेश में 27.10.1995 को भयंकर बाढ़ आई और राहत 23.8.1996 को यानि दस महीने बाद पहुंचाई गई थी। राज्य सरकार ने स्थिति का जायजा लिया और 582 करोड़ रुपये आबंटन करने का निवेदन किया। केन्द्रीय दल ने 10.9 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। एन.सी.आर.टी. द्वारा वास्तविक संवितरण 21 करोड़ रुपये का किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, विपक्ष के नेता ने 18 मिनट लिए, आपने 20 मिनट से भी ज्यादा समय ले लिया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा, मैं यहां सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत समय पर पहुंचायी गई थी या नहीं मैं पूर्व का उदाहरण दे रहा हूं।

अरुणाचल प्रदेश में 3.11.1995 को बाढ़ आई और राहत पहुंचाई गई 23.8.1996 को दस महीने के बाद। मेघालय में 24.8.1995 को बाढ़ आई और भूस्खलन हुआ और 23.8.1996 को राहत पहुंचाई गई, वह भी एक साल बाद। महोदय, पश्चिम बंगाल में 17.10.1995 को बाढ़ आई और 23.8.1996 को राहत पहुंचाई गई। वह भी ग्यारह महीने बाद। इसलिए ऐसी ही स्थिति है। अब, विशेषरूप से, आपदा राहत कोष के अंतर्गत जब एक बार केन्द्रीय दल भेजा गया तो वह अपना मूल्यांकन सौंपेगा। मंत्रालयों और मंत्रियों के दल को भी जांच करनी चाहिए। तब यह विशेषज्ञ समिति के पास जाएगी, अंततः इसे केन्द्र सरकार द्वारा ही जारी किया जाना है। यह अधिकांश मामलों में एक वर्ष से भी ज्यादा ले रही है। इसलिए, इस अवधि को कम करने की आवश्यकता है। एक समयबद्ध राहत पहुंचाई जानी चाहिए। इन मामलों में लोगों को एक वर्ष से भी ज्यादा समय तक इंतजार कराने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में हमें एक होकर कार्य करना है।

गुजरात वास्तव में दुःखद स्थिति में है। गुजरात के लोग वास्तव में ही हर जगह से मानवता के आधार पर हर प्रकार की सहायता के हकदार हैं। हम सब गुजरात के लोगों के बचाव के लिए एक होकर आगे आएं, उनको बचाएं और उनकी हर तरह से सहायता करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार मैं समझता हूं कि सभा 9.00 बजे तक कार्य करेगी और उत्तर कल दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में आए इस भूकंप से धन–जन की हानि हुई है। इस समस्या पर माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं भी उस चिंता में अपने आप को जोड़ता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप वहां बैठें और उनसे बात करें।

श्रीमती रेणूका चौधरी : धन्यवाद महोदय, आपने मुझे प्रधान मंत्री जी से बात करने की अनुमति दी।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : भूकंप के आने के बाद देशी–विदेशी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और दुनिया के तमाम देशों ने गुजरात की मदद की है और इमदाद दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि मानवीय संवेदना अभी भी जिन्दा है। हरिन पाठक जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। हरिन पाठक जी जिस प्रकार आप सोचते हैं, यदि उसी प्रकार आपके मित्र सोचना शुरू कर दें, तो कोई संकट नहीं है। सैनिक और अर्द्ध सैनिक बलों ने जो वहां पर काम किया है, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी उनका धन्यवाद करती है।

महोदय, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन टाइम्स आफ इंडिया के एक समाचार की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। द टाइम्स आफ इंडिया कहता है कि "सेंटर फार अर्थसाइंस, स्टडीज तिरूअनंतपुरम के अनुसार भूकंप की चेतावनी नवंबर में आई थी।" तीन साल तक स्टडी करने के बाद इस आशय की घोषणा की गई। मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात प्रशासन को निश्चित रूप से जितना सक्रिय होना चाहिए था, वह नहीं रहा। मैं और कारण तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि इस घटना के बाद वहां की ब्यूरोक्रेसी पर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव जरूर रहा होगा और यही कारण है कि भुज की सैंट्रल जेल से 26 जनवरी को घटना घटने के बाद 177 कैदी भाग गए। वे कैदी इसलिए नहीं भागे थे कि जेल की दीवार टूट गई थी या जेल टूट गई थी, वहां रस्सी पड़ी मिली थी। वे जेल की दीवार टूटने की वजह से नहीं भागे थे।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : वहां दीवार टूट गई थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हरिन पाठक जी, डिस्टर्ब मत करिए। आप चेयर को एड्रैस करिए।

श्री रामजी लाल सुमन : जो भी सूचना अखबारों से मिली है, मैं उसी के आधार पर बात कह रहा हूं। क्या यह भी सही नहीं है कि विदेशों से जो एक्सपर्ट कमेटी आई थी, उस कमेटी को भी कोई दिशा–निर्देश देने वाला नहीं था।...*(व्यवधान)* समाचार पत्रों के जरिए मेरे पास जो उपलब्ध जानकारी है, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। विदेशों से जो एक्सपर्ट कमेटी आई थी, उस टीम ने खुद कहा है कि उनको सहयोग नहीं मिला। माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन जब तरह–तरह के बयान दिए जाते हैं, तो भ्रम पैदा होता है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि 19 हजार से ज्यादा लोग मरे हैं। गुजरात की सरकार ने कहा था कि 16 हजार लोग मरे हैं और गुजरात के एक मंत्री ने कहा था कि मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा है।

रेडक्रास सोसायटी ने कहा कि मरने वालों की संख्या 50,000 है। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि मरने वालों की संख्या एक लाख से ज्यादा है। इससे जनता में भ्रम पैदा होता है, इसलिए ऐसे मौकों पर जितना कम से कम बोला जाए, मैं समझता हूं कि उतना ही अच्छा है। आम जनता में धारणा बनती है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन यह बात छिपाई जा रही है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

महोदय, जहां तक नुकसान का सवाल है, यह बताया गया कि लगभग 21,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं सरकार से यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व बैंक, एशियन बैंक से, दुनिया के तमाम देशों से या राज्य सरकारों से जो गुजरात के लिए मदद आई है, उसका खुलासा होना चाहिए कि कितना पैसा आया है। जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी का बार–बार यह बयान छपता है कि देश को आर्थिक बोझ के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य सरकारों ने कितना पैसा दिया, दुनिया के तमाम देशों ने कितना पैसा दिया, विश्व बैंक तथा स्वयंसेवी संगठनों ने कितना पैसा दिया, गुजरात के लिए कहां–कहां से पैसा मिला है, यह पता चलना चाहिए, क्योंकि बार–बार वह बयान देते हैं कि देश को मदद देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि आप गुजरात के चक्कर में बहुत ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं, इसलिए लोगों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। देश में यह भी संदेश जाना चाहिए कि गुजरात की तकलीफ के साथ हमने अपने रहने पर और काम करने पर हमारा जो अतिरिक्त व्यय होता है उस पर अंकुश लगाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुजरात के भूकंप पीड़ितों के लिए पांच करोड़ रुपये दिए। आप जब लखनऊ गए तो अखबारों में छपा कि दो करोड़ रुपये तो प्रधान मंत्री जी के विज्ञापन में

[श्री रामजी लाल सुमन]

खर्च हो गए, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इन सब चीजों पर अंकुश लगाना चाहिए। मुझे खुशी है पाठक जी ने कहा कि सभी धर्म के लोगों ने मदद की और यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान ने भी हमारी मदद की। विश्व हिन्दू परिषद् ने कहा कि वेटिकन की सहायता न ली जाए, सरकार को उसका खंडन करना चाहिए। जब सभी जाति और धर्मों के लोग वहां मदद कर रहे हैं तो उस समय भी आप इस आशय की मांग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है, जो पोप की आलोचना कर रहे हैं, वह भी किसी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। जब सही बात की जाती है तो आपको बुरा लगता है।

अपराह्न 5.53 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अखबारों में फोटो छपी, वहां प्रदर्शन हुए कि जो अल्पसंख्यक, माइनोरिटीज और दलित लोग हैं, उन्हें मिलने वाली सहायता में भेदभाव बरता जा रहा है, यह कितना सही हैं, कितना गलत है, यह मैं नहीं जानता, इसे चैक करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन के कथन के अलावा और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : इस प्रकार की खबरें जामनगर से छपी हैं।...*(व्यवधान)* दलितों ने भी शिकायत की है कि उनके साथ भेदभाव बरता गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन नहीं मान रहे हैं। कृपया उनकी बात में दखल न डालें। श्री रामजीलाल सुमन के कथन के अलावा और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : आप मुसलमानों के कितने हमदर्द हैं, हम जानते हैं।...*(व्यवधान)* इतना कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी मनोवृत्ति को बदलने को तैयार नहीं हैं।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बातें लोग सुनेंगे तो लोग मदद करना बंद कर देंगे। यह अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, अगर वे यील्ड करेंगे तभी आप बोल सकते हैं।

श्री हरिन पाठक : इन्होंने जो बहुत सी बातें अपने भाषण में कही हैं वे मनगढ़ंत कहानियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तर्क मत दीजिए। प्लीज बैठ जाइए।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : उपाध्यक्ष जी, सदन को और पूरे देश को ऐसी बातें कहकर ये गुमराह करना गलत है, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बारी आए तो अपनी बात कहिएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : उपाध्यक्ष जी, ये जो कहें वह ठीक है, हम जो कहें वह गलत है। अखबार भी आपके हिसाब से छपेगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर सुमन, आप उधर देखकर बोलेंगे तो अपने लिए प्राब्लम इनवाइट करेंगे। मेरी तरफ देखकर बोलिए।

श्री रामजी लाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की कोई चीजें वहां हुई हैं तो निश्चित रूप से उन्हें देखा जाना चाहिए। अंत में मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे देश में जो कुछ हो जाता है उसके बाद का तो उपचार है लेकिन उसके पहले का उपचार नहीं है। उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इस पर अगर कोई शोध संभव हो तो इस त्रासदी पर शोध का कार्य भी होना चाहिए। साथ ही वहां जो छात्रों की पढ़ाई का काम एक–डेढ़ महीने ठप्प रहा तो बोर्ड की परीक्षा का भी बंदोबस्त होना चाहिए। पशु जो मरे हैं उन पर भी तवज्जोह दी जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज गुजरात के साथ सारा देश है और हमारी पार्टी ने भी जो सहायता संभव थी वह की और भविष्य में भी करेगी।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजराती में एक भजन है मैं अपने भाषण की शुरूआत उससे करूंगा। ''नजानू जानकीनाथ काले भू थवानु छेः'' इसका अर्थ इतना ही है कि प्रभु राम को भी पता नहीं था कि कल सुबह क्या होने वाला है। न भुज, न भचाऊ, न रापड़, न रतमाल, न सुरेन्द्र नगर और न नौरवी की जनता को यह पता था कि कल सुबह आठ बजकर पचास मिनट पर क्या होने वाला है। मुंबई में जहां मैं रहता हूं उसे मिनि कच्छ कहते हैं और कच्छ से संबंधित एक लाख लोग रहते हैं। वहां पर एक प्राइवेट अस्पताल ''अदिति'' है जहां हमने कुछ पेशेंट रखे थे और उन पेशेंटों को हम अलग–अलग देखते थे। जब हम एक कमरे में गए तो वहां पर तीन बिस्तरों पर तीन महिलाएं थीं। बड़ी बहू, छोटी बहू और पास में सास थी और तीनों ही के माथे पर सुहाग का निशान नहीं था।

सायं 6.00 बजे

तीनों रो रही थीं और ईश्वर से सिर्फ यही शिकायत कर रही थीं कि हमने क्या गुनाह किया था। दो बहुओं के पति चले गए, सास का पति भी चला गया, दोनों बहुओं के दो–दो लड़के थे, वे भी चले गए। जो लड़का पुणे में था, उसकी छोटी लड़की नानी के पास आई हुई थी, वह भी भूकंप में चल बसी। दोनों महिलाएं कह रही थीं कि हमें भगवान ने जिन्दा क्यों रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुंबई में एक हजार से ज्यादा पेशेन्ट्स आए हुए थे और 50 हजार से ज्यादा लोग कच्छ से अपने रिश्तेदारों के पास आए हुए हैं। जब वे आपस में मिलते हैं तो एक–दूसरे को भूल जाते हैं। गुजरात में एक दूसरी कहावत है

'जैने राम राखे तैने कौन चाखे'

इसका मतलब यह है कि जिसकी रखवाली राम करता है, उसको कौन मार सकता है? इंडियन एअर फोर्स का एअरक्राफ्ट लीलावती अस्पताल में पेशेंट्स लेकर आया। मुझे मैसेज आया कि चार दिन के बाद 8 महीने की बच्ची मलबे में से निकली है जिसे आई.सी.यू. में एडमिट किया गया है और ट्रीटमेंट के बाद कल अपने दादा जी के साथ कच्छ वापस भेज दी गई है। वह बच्ची इसलिए बच गई क्योंकि उसके मां और बाप दोनों ने उसे अपने नीचे रखा और खुद मर गए और यह 8 महीने की बच्ची बच गई। आज कच्छ के लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग खड्डे में गिर गए हैं, आप उनके हाथ थामिये। वे बाहर निकल कर पुनः चलना चाहते हैं, क्या हमें चलना सिखाएंगे? यदि उन्हें चलना सिखा देंगे तो दो साल में ही वे नया कच्छ बनाकर दिखा देंगे। आज कच्छ का खमीर कहा रहा है। क्या हम यह काम कर सकेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मजहब और भेदभाव के नाम पर कितनी मृत्यु हुई, ये उसकी बात करते। कभी–कभी मुझे अपने आप से घृणा हो आती है कि मैं पौलिटिशियन क्यों बना। गुजरात में पूरा देश हाजिर था। कामरूप से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग वहां पहुंचे थे। विरोधी दल के लोग भी मारूति वैन में, टाटा सूमो से, ट्रैक्टर और टैंकर लेकर पहुंचे थे। कोई दवाइयां लेकर पहुंचा, कोई पानी लेकर, कोई बिस्किट्स लेकर और कोई कैडबरिज लेकर मदद देने के लिए आए थे। क्या उन्हें मालूम था कि उन पीड़ितों में कौन ऊंची जाति का था और कौन नीच जाति का था, क्या उन्हें जाति या धर्म का पता था। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं क्यों राजनेता बना। जो लोग पहुंचे, वे मानवता के नाते आए हुए थे।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय जो लोग राहत सामग्री लेकर आए उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया ...*(व्यवधान)* जो लोग वितरण, प्रशासन आदि का प्रबंध देख रहे थे उन पर आरोप लगाए गए हैं।.. *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : आप लोग राजनीति मुर्दे पर मत करिए...*(व्यवधान)* राजनीति करनी चाहिए लेकिन मुर्दों पर नहीं बल्कि जिन्दादिली पर होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुंबई से एक हजार से ज्यादा डाक्टर्स वहां गए, तीन हजार से ज्यादा ट्रकों में सामान भरकर लोगों ने वहां भेजा। गत सप्ताह मुंबई में गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री जी आए थे। डेढ़ दिन के कार्यक्रम में पांच सौ संस्थाओं के प्रतिनिधि उनसे मिले और 111 गांवों को मुंबई के लोगों ने दत्तक लिया। बोरिवली में डाक्टर पुरोहित का अस्पताल है। वह डाक्टर अपना अस्पताल बंद करके 15 डाक्टरों को साथ लेकर एयरफोर्स के प्लेन से वहां गए। मलाड में डाक्टर सूचक का अस्पताल है, वह भी वहां 27 डाक्टरों को साथ लेकर गए। परसों माननीय मुख्य मंत्री जी जब वहां पहुंचे तो डाक्टर सूचक के लोगों ने पूरा एक गांव दत्तक लिया। यह मानवता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। मुंबई और उसके आसपास लगभग 42 लाख गुजराती लोग रहते

[श्री किरीट सोमैया]

हैं। कच्छ में साढ़े 13 लाख पापुलेशन होगी। अकेले मुंबई और उसके आसपास लगभग साढ़े चार लाख कच्छ के लोग रहते हैं। हमने वहां से दो बजे लोगों को रवाना किया। जिसके पास जो था वह वहां मदद लेकर गया। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिसके द्वारा जो–जो संभव था, उसने किया। मुंबई में एयरफोर्स का कैप्टन गणेश है, मैं 27 तारीख की रात को वहां पहुंचा। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के कार्यालय से मुझे पौने सात बजे फोन आया–किरीट जी अर्जेन्ट मैसेज आया है कि वहां जो डाक्टर्स गए हैं उनके पास पानी नहीं है, क्या आप पानी का इंतजाम कर सकते हैं। मैं पानी लेकर पहुंचा। रात को पौने दस बजे भुज से फ्लाइट वापिस आई, वहां कोई कम्युनिकेशन नहीं था। मुंबई एयर कंट्रोल के कान्टेक्ट में आने के बाद पता चलता था। कैप्टन गणेश विंग कमांडर क्रिस्टोफर के केबिन में आए और कहा–क्या मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं, इस पर क्रिस्टोफर ने कहा "श्री किरीट सोमैया आए हैं। वहां चिकित्सकों और रोगियों को पानी चाहिए। क्या आप वापस जा सकते हैं?" उपाध्यक्ष महोदय, कैप्टन गणेश 36 घंटे से नॉन–स्टॉप फ्लाइट उड़ा रहा था, उसने कहा यस सर, और वह तुरंत लेकर चला गया। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हो सके इतनी मदद करो, हो सके इतनी सहायता करो, यह सदन समाप्त होने वाला नहीं है, वापस छः महीने के बाद मिलेंगे, फिर से चाहे राजनीति कर लेना।

उपाध्यक्ष महोदय, मुंबई के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने और हिन्दुस्तान की जनता ने एक उदाहरण सबके सामने रखा। मुलुंड के मेरे एक साथी डाक्टर माली वहां गए और उन्होंने वहां तीन हजार ऑपरेशन किए। वह एक ऑर्थोपेडीशियन है। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने सारे लोग गए और फिर वापस आ गए, आपको इससे क्या मिला। इस पर उसने कहा–किरीट भाई हमारे एक के कारण अगर एक व्यक्ति को भी नवजीवन मिले तो मुझे लगेगा कि बस हमारा जीवन तृप्त हो गया और उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है–दस साल का एक बच्चा समुद्र के किनारे घूम रहा था और किनारे पर जैसे पानी लहर के साथ आता जाता है और कोई मछली किनारे पर रह जाती है और बिना पानी से तड़पती है, वह उन मछलियों को उठा–उठाकर समुद्र में डालता था और मछली पानी के अंदर चली जाती थी। वह कह रहा था कि जैसे ही मछली पानी के अंदर चली जाती थी तो उसके चेहरे पर अलौकिक आनंद दिखाई देता था। एक अंग्रेज लेखक वहां मॉर्निंग वाक कर रहा था। उसने बच्चे से कहा–बेटे तू क्या कर रहा है, क्या तू पागल हो गया है। तेरे मछली डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। उस बालक ने धीरे से ऊपर देखा। लेखक ने कहा–बेटा 24 घंटे लहरें आती–जाती हैं, हजारों किलोमीटर लंबा समुद्र का किनारा है, लाखों–करोड़ों मछलियां किनारे पर तड़प–तड़पकर मर जाती हैं। तेरे द्वारा एक मछली बचाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। इस पर उस बालक ने वही जवाब दिया। डाक्टर माली ने कहा किरीट भाई मुझे उस बालक का दिया हुआ जवाब याद है। उस बालक ने कहा–सर, फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है, फर्क न दुनिया को पड़ने वाला है और न फर्क मुझे पड़ने वाला है, लेकिन जिस मछली को मैं पानी में डालता हूं, उसको जो पुनर्जीवन मिलता है, उसको जरूर फर्क पड़ता है। हम इतना ही सोचें कि हमारे कुछ करने से अगर एक व्यक्ति को, एक परिवार को नया जीवन मिलेगा तो हम करें। सरकार की प्रशंसा की बात छोड़ दो। तीन दिन में वहां पावर सप्लाई वापस चालू की गई। क्या जादू की लकड़ी चली थी? चार दिन में कम्यूनिकेशन चालू हो गया। 36 घंटे में रास्ते चालू हो गए। एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप टूटी हुई थी फिर भी एयरफोर्स के जवानों ने प्लेन लैण्ड कराए। एयरफोर्स की बिल्डिंग टूटने से दो लोग मर गए थे। वहां लाइट नहीं थी, कम्यूनिकेशन नहीं था, कन्ट्रोल नहीं थे, हाथों में मशाल लेकर जवानों ने सिगनल दिए और जिन्होंने नेशनल स्पिरिट से काम किया, अगर विपक्ष के नेता उसके बारे में दो शब्द बोलते तो जरूर हमें मानवता का अहसास होता। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पिरिट किसकी स्पिरिट थी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय इन्होंने विपक्ष के नेता का भाषण नहीं सुना है। उन्होंने गुजरात के साहसी लोगों की प्रशंसा की है। उन्होंने सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य का हार्दिक रूप से धन्यवाद दिया है। इन्होंने उनका भाषण नहीं सुना ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे चालू हो गई, रोड के ब्रिज टूट गए थे, वह चालू हो गए। इस प्रकार की जब घटना होती है तो ऐपिडैमिक फैलता है। उसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)* हम मदद की बात करते हैं। मदद करने वालों ने अगर यह बात कही...*(व्यवधान)* मैं वहीं पढ़कर आपको सुनाता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : केशूभाई पटेल ने क्या कहा है वह देखिए। वे लोगों को नारे लगाने के लिए कह रहे थे। आप क्या बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनें। जब आपको

मौका दिया जाए तब आप बोल सकते हैं। अभी मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : हमने भी कुछ कहा, कुछ सुना और कुछ पढ़ा। मुंबई के आज के मराठी अखबार 'लोकसत्ता' में क्या लिखा है, जिसमें अंजार के बारे में लिखा है। मैं मराठी में पूरा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उसमें लिखा है कि :

"तेंच्या ते माणुस की वह सामाजिक बांदिल की चीहि प्रखर दाणु पाहुन, ऐवढी सदैव संगावत टीकाकरणारीही आता स्वयंसेवकांना दुआ देता न दिसता।"

यह 'लोकसत्ता' कोई बीजेपी या आरएसएस का अखबार नहीं है। जो हर वक्त आरएसएस की टीका करते थे, वह भी आगे क्या लिखते हैं :

"दुधाई या भूकंप वी जावादिल ह्मजी अली मोहम्मद या मुस्लिम नागरिकाने सांगितले।"

भूकंप की इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी अगर कोई मदद कर रहे थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक दिखाई देते थे। क्या हमें यह दिखाई नहीं दिया कि संघ के 25000 स्वयंसेवक अपने गणवेश में आधी चड्डी पहनकर वहां घूम रहे थे। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : केशूभाई जी ने माना है, यह भी मैं अखबार से ही पढ़ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको अवसर दिया जाए तब आप उनका खंडन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई। श्री किरीट सोमैया के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अभी वे बोल रहे हैं। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री किरीट सोमैया : महोदय इन व्यवधानों ने पांच मिनट ले लिए।

अब आपदा प्रबंधन टीम को बुलाया गया है। आपदा प्रबंधन क्या है? 1947 में आपदा प्रबंधन के लिए कौन आया था?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया। वहां पर एयरपोर्ट संभालने के लिए आर.एस.एस. के लोग गए। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय आर.एस.एस. द्वारा की गई देश की सेवा को पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी सराहा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री किरीट सोमैया कह रहे हैं, के अलावा और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, 1978 में जब मोरवी में बाढ़ आई थी, तो वहां सहायता के लिए कौन पहुंचा, मैं बताना चाहता हूं कि आर.एस.एस. के लोग ही पहुंचे। गुजरात या देश के किसी भी हिस्से में जब भी कोई विपदा आई, आर.एस.एस. के लोग सेवा करने में सदैव आगे रहे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे नहीं मान रहे हैं। जो कुछ श्री किरीट सोमैया कह रहे हैं के अलावा और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आर.एस.एस. का सदस्य हूं, इस पर मुझे अभिमान है। गुजरात में संकट के

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री किरीट सोमैया]

समय आर.एस.एस. के लोगों ने सहायता कार्य किया। उस पर गुजरात के लोगों को अभिमान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कृपया मेरी बात सुनेंगे? यह एक गंभीर मामला है। हम यहां एक राष्ट्रीय त्रासदी पर विचार–विमर्श कर रहे हैं। कृपया इसे गंभीरता से लें। जब आपको मौका दिया जाएगा तो आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं। उन्होंने उस दिन नेशनल विल को समझते हुए, राष्ट्रीय आपदा को देखते हुए, देश के लोगों के सामने गुजरात की त्रासदी को राष्ट्रीय त्रासदी समझने की अपील की।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी श्री किरीट सोमैया कह रहे हैं, के अलावा और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अटल जी ने राजनीतिक भेदभाव न बरतते हुए, इस त्रासदी को स्टडी करने के लिए एक स्टडी ग्रुप की रचना की और उसका उपाध्यक्ष पद, भारतीय जनता पार्टी या एन.डी.ए. के किसी सांसद को न देते हुए उन्होंने वह पद माननीय शरद पवार जी को दिया। इस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक भेदभाव नहीं रखा। राजनीतिक भेदभाव से उठकर सरकार ने पहली बार उपाध्यक्ष पद शरद पवार जी को दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजयेन्द्र पाल सिंह यहां अपनी बात कहने का यह तरीका नहीं है। वह जब नहीं मान रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, ''प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड'' और ''चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड'' में जो पैसा दिया जाता है, उसे आयकर से 100 प्रतिशत मुक्त रखा जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने पहली बार ऐसा किया कि जो सामाजिक संस्थाएं अच्छा कार्य करती हैं, उन्हें भी जो डोनेशन मिलता है, उसे भी आयकर से 100 प्रतिशत मुक्त करने या शत–प्रतिशत छूट देने का निर्णय पहली बार सरकार ने लिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : गुजरात से पांच और वक्ता हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने फॉरेन डोनेशन पर भी छूट दी है। गुजरात सरकार ने गांवों को दत्तक लेने की घोषणा कर दी है। मैंने स्वयं दो गांव दत्तक लिए हैं।

योजना कब की घोषित हो चुकी है। यही नहीं, गुजरात सरकार ने कहा, सामाजिक संस्थाएं जितना पैसा इकट्ठा करेंगी, उतना पैसा सरकार खुद उसमें देगी और वह समाज द्वारा एक नया कच्छ बनाएंगे। वास्तविकता सिर्फ इतनी है कि वहां की आवश्यकता राष्ट्र की इच्छा है। वहां की आवश्यकता राष्ट्रीय भावना है। हमने अभी सोचा नहीं है, विचार नहीं किया है। यहां मेरे पास एक और उदाहरण है कि भरत शाह की लड़की बच गई, छः साल का लड़का बच गया। अंजार नगरपालिका का उपाध्यक्ष बच गया। पांच साल का लड़का बच गया, आठ साल की लड़की चली गई, पत्नी चली गई। लेकिन नगरपालिका का उपाध्यक्ष जिस दिन से बाहर निकला है, उस दिन से वह रैस्क्यू और रिलीफ का काम कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यह पहला सत्र समाप्त होगा, फिर उसकी परिस्थिति क्या होगी? एक ईंट का मकान हम बना कर दे सकते हैं लेकिन उसका परिवार वापिस नहीं दे सकेंगे। क्या हमने उनकी मानसिक परिस्थिति का सोचा है? आज भी लातूर में लोगों का जो साइकोलौजीकल इम्पैक्ट हुआ है, हम उसे दूर नहीं कर सके। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा, अभी तो उनको बहुत सहायता की जरूरत है, अभी तो रैस्क्यू समाप्त हुआ है, रिलीफ चल रहा है। हम उनको घर बना कर दे सकेंगे लेकिन बाद में जिस मानसिक समस्या का निर्माण होने वाला है। यदि हम सब मिल कर उससे लड़ेंगे तभी वह काम पूरा हो सकेगा।

अंत में मैं प्रधान मंत्री जी से इतनी प्रार्थना करूंगा, केन्द्र सरकार ने बहुत किया, एन.जी.ओज. की योजना को प्रतिसाध दिया। लेकिन कच्छ और उसके आस–पास के जो वर्स्ट अफैक्टेड पार्ट हैं, मैं कच्छ की बात करूंगा, अगर हम नार्थ ईस्ट में नए डैवलपमेंट

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के लिए एक्साइज होलीडे दे सकते हैं, नई इंडस्ट्री को मत दें लेकिन पुरानी इंडस्ट्रीज जो दब गई हैं, टूट गई हैं, वह कैसे खड़ी रहेंगी, हमें उसे एक्साइज होलीडे देना चाहिए। आप एक, तीन, पांच, आठ साल का दें, जो उनका गए साल का बनता है, उतना दें। लेकिन हम उनको घर देंगे। उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वे क्या करेंगे। मुंबई के कच्छ के लोगों ने वहां पैसे लगाए। हमें कोई रोजगार भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इंडस्ट्रियल पैकेज डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक बात हम ध्यान रखें, कच्छ का बालक अनाथ नहीं है। हमारी चर्चा में आता है, हम इंटरव्यू देते हैं तो हमारे में से कुछ लोग बोलते हैं, अच्छी भावना से कहते हैं कि वे इन बालकों को दत्तक लेने के लिए तैयार हैं। बच्चा अनाथ तब होता है जब उसके मां–बाप और परिवार का पता नहीं होता। जो बच्चा घर के नीचे से जिंदा निकला है, उसका परिवार है, मामा, काका, दादा कोई न कोई है। उन लोगों को कच्छ से बाहर मत निकालें, उनको वहीं पर रखें, वात्सल्य मंदिर बनाएं।

मैं इतना ही कहूंगा कि समाज ने हमें जो सिखाया है, समाज ने कहा राष्ट्र भक्ति, नेशनल स्पिरिट का दर्शन 26 से 31 जनवरी को वहां हुआ। इतना रिलीफ पहुंच गया कि लोगों ने कहा, आपने बहुत किया। इतना रिलीफ मिल गया कि कोई भूखा नहीं मरा, कोई पानी से प्यासा नहीं तड़पा। देश की जनता वहां खड़ी हो गई। देश की जनता ने हमें कहा है आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हमने नेशनल स्पिरिट दिखाई है और उस नेशनल स्पिरिट से आप नेशनल विल तैयार करें और नए कच्छ और नए गुजरात का निर्माण करें। धन्यवाद।

सायं 6.24 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अगले वक्ता को बुलाने से पूर्व हम कार्य सूची की मद संख्या 5 (क) कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन लेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 6.25 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(दो) सिलीगुड़ी में फैला बुखार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में निदान न किए गए ज्वर के हाल ही में फैलने के संबंध में संसद को संक्षेप में बताना चाहूंगा जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी मौतें हुईं और उनमें इससे एक चिंता उत्पन्न हुई।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, उच्च ज्वर से ग्रस्त, उल्टी, प्रलाप और तीन से चार दिनों के भीतर रोगियों के कोमा में चले जाने जैसे लक्षणों के साथ रोग की प्रथम सूचना 5 फरवरी, 2001 को मिली थी। इन लक्षणों से कुल 9 व्यक्ति प्रभावित हुए थे और उनमें से 6 की मृत्यु हो गई। इस सूचना के प्राप्त होने पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोलकाता के मेडिकल कालेजों और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रापिकल मेडिसन, कोलकाता के विशेषज्ञों ने घटना की छानबीन करने के लिए सिलीगुडी का दौरा किया। 16 और 21 फरवरी के बीच 62 व्यक्ति निम्न ग्रेड के ज्वर, गले के दाह, श्वसनी कष्ट और फुफ्फुसी शोफ से ग्रस्त थे।

मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 23.2.2001 को रोग के निदान और उपचार में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों की उनके प्रयासों में सहायता करने हेतु 11 विशेषज्ञ भेजे जिनमें राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली से तीन, एन.आई.वी., पुणे से छह और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से दो विशेषज्ञ शामिल थे।

इस संक्रमण के नैदानिक लक्षण मुख्यतः ज्वर में आकस्मिक वृद्धि, सरदर्द तथा शारीरिक पीड़ा है। एक या दो दिनों के भीतर रोगियों में संभ्रम उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है तथा वे कोमा में चले जाते हैं। कुछ रोगियों को मायोक्लोनिक प्रतिक्षेप (जर्क) या आक्षेप (कन्वलशन्स) भी हो गया। कुछ रोगियों ने सांस लेने में कठिनाई का भी अनुभव किया। पीलिया या मूत्र मार्गीय संक्रमण में रक्तस्रावी ज्वर का कोई संकेत नहीं था। शारीरिक परीक्षण से गर्दन की कठोरता (नेकरिजिडिटी) का पता नहीं चला। यकृत कार्यकरण परीक्षण सामान्य थे। वक्ष एक्स–रे से द्विपार्श्वीय विसारित अपारदर्शिता (वाइलेटरल डिफ्यूज्ड ओपेसिटिज) का पता चला। प्रमस्तिष्कमेरू तरल (सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड) की जांच बढे हुए दाब

को छोड़कर सामान्य थी। तंत्रिकाविज्ञानी अपसामान्यताओं के साथ यह संक्रमण अल्प उद्भव (इनक्यूबेशन) अवधि का होता हुआ पाया गया जिससे एन्सेफेलाइटिस होने के संलक्षण मिले, किन्तु विकृति विज्ञानी (पैथोलिजिकल) रिपोर्ट से इस निदान की पुष्टि नहीं हुई। इसके आगे यह देखा गया कि इस संक्रमण का फैलाव चिकित्सा कार्मिकों तथा संबंधियों में प्रकट हुआ जो रोगियों के निकट संपर्क में आए।

आज सुबह तक प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार इस रोग से ग्रस्त हुए 62 व्यक्तियों की पहचान की गई है और उनमें से 35 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। ऐसा पाया गया है कि पहचान किए गए अधिकांश रोगी सिलीगुड़ी कस्बे के हैं, यद्यपि छुटपुट रोगी भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। यह प्रकोप सिलीगुड़ी के दो निजी चिकित्सीय प्रतिष्ठानों से शुरू हुआ। इस समय संक्रमित रोगियों का नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में 27 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान किसी नए रोगी की सूचना नहीं मिली है।

नैदानिक लक्षणों के आधार पर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कारणात्मक जीव को पृथक करने/उसकी पहचान करने के लिए शारीरिक तरल (बाडी फ्लूड) का परीक्षण किया जाए। अस्पताल के स्टाफ द्वारा दस्ताने, मास्क, गाउन का प्रयोग और हाथ धोने जैसी मानक सावधानियां बरतने की जोरदार संस्तुति की गई है। साथ ही रोगियों को एक्स–रे तथा अन्य जांचों के लिए वार्ड के बाहर ले जाते समय 'पृथक्करण संबंधी सावधानियों' की भी संस्तुति की गई है। रोगियों को मास्क पहनाए जा रहे हैं। यह संस्तुति की गई है कि रोगियों को लाक्षणिक उपचार प्रदान किया जाए; सेफिट्रएक्जान; इरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटिवायोटिक्स दिए जाएं; आई. वी.फ्लूड का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए; एंटीब्रेन ओएडेमा उपाय (जैसे मेनिटॉल का प्रयोग) किए जाएं और आक्सीजन दी जाए।

पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार चिकित्सा सामग्री भंडार से 1 लाख टेट्रासाइक्लीन कैप्सूल, स्ट्रप्टो–माइसिन इंजेक्शन की 5 हजार शीशियां और जेंटामाइसिन इंजेक्शन की 5 हजार शीशियां सिलीगुड़ी भेजी गई हैं।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली और एन आई वी पुणे के विशेषज्ञों ने नमूने एकत्र किए हैं जिनको प्रयोगशाला जांच के लिए आज नई दिल्ली और पुणे लाया जा रहा है। प्रयोगशाला परिणामों से कारणात्मक जीव (कांजेटिव आर्गेनिज्म) की पहचान करने में मदद मिलेगी और रोग के निवारण के लिए उचित उपचार निर्धारित करने और उसकी रोकथाम के लिए परामर्श देने में मदद मिलेगी। कारणात्मक जीव की समांतर पहचान के लिए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अटलांटा, यूएसए से भी अनुरोध किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और स्थिति की मॉनीटरिंग कर रहा है। वर्तमान संकट पर पार पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किसी भी सहायता को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

महोदय, अंत में मैं माननीय संसद सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी और माननीय रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी द्वारा इस संबंध में की गई जांच के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी थी और मुझे अनुमति मिल गई है...*(व्यवधान)*

अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दस लोग मर चुके हैं...*(व्यवधान)* मुझे माननीय मंत्री जी को बताना है। नार्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के डाक्टर श्री मैथी भी इससे प्रभावित हुए थे। उन्हें कोलकाता ले जाया गया लेकिन उनका परसों स्वर्गवास हो गया।

मैं माननीय मंत्री से बात करने के बाद परसों अपने निर्वाचन क्षेत्र गया। उत्तर दिनाजपुर जिले में सात लोगों की मृत्यु हो गई। उन्हें कोई चिकित्सा सहायता नहीं दी गई है। मेरी उपस्थिति में नौ बच्चे प्रभावित हुए और उनके माता पिता भयभीत हैं। इसका प्रकोप सिलीगुड़ी से उत्तर दीनाजपुर तक फैल गया है और अब यह माल्दा की ओर बढ़ रहा है। स्थिति नियंत्रण से बाहर है बहुत सी अफवाहों के कारण कुछ डाक्टर हिले हुए हैं।

मेरा अनुरोध है कि सरकार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक डाक्टरों का दल वहां भेजे। यदि जरूरत समझी जाए तो आर्मी मेडिकल कोर के डाक्टरों को भी वहां लगाया जाए जो रोगियों का साथ हिम्मत से दे सकते हैं क्योंकि वहां के डाक्टरों में भय व्याप्त है। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं।

यह बहुत गंभीर स्थिति है। यह सिलीगुड़ी तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रकोप उत्तर दीनाजपुर मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायगंज और दक्षिण दीनाजपुर तक फैल गया है जहां लोगों की मृत्यु हो चुकी है।...*(व्यवधान)*

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : महोदय, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसमें केवल 35 लोग ही नहीं मरे हैं। आज सुबह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें अकेले सिलिगुड़ी में ही 45 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है।...*(व्यवधान)*

सायं 6.31 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा–जारी

गुजरात में आए भीषण भूकंप से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 26 फरवरी है। एक महीना पहले, 26 जनवरी की सुबह गुजरात में विशेषकर कच्छ में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक महीने के बाद जिसको मासिक श्रद्धांजलि कहते हैं, मैं वह श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। मैं उनका आभारी हूं जिन्होंने समय पर पहुंच कर वहां के लोगों की मदद की। एन.जी.ओज., अंतर्राष्ट्रीय एन.जी.ओज. तथा विदेशों से लोग 48 घंटे में वहां पहुंचे, लेकिन गुजरात सरकार नहीं पहुंची। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा...*(व्यवधान)* जो मैंने देखा है, फिजीकल वैरीफिकेशन में, जहां–जहां भूकंप का प्रभाव हुआ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह वाघेला : वह वहां भूकंप के कारण नहीं थे वह तो संयोगवश वहां थे...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : लेकिन आपने कहा कि वहां कोई नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकर सिंह वाघेला, कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, मैं खड़ा हूं। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां अत्यंत गंभीर विषय पर हम बहस कर रहे हैं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : वहां के मंत्री जी अभी भी भुज में बैठे हुए हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। किसी माननीय सदस्य के बोलने के समय यदि कुछ भी असंसदीय है तो मैं इसे कार्यवृत्तांत से निकाल दूंगा। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आप इसे जानते हैं। जब तक कोई माननीय सदस्य खड़े हैं और मान नहीं जाते तब तक आप कुछ बोलिए वह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया के विरुद्ध है। अतः कृपया सभा का समय नष्ट न करें।

हमें चर्चा को गंभीरतापूर्वक जारी रखना चाहिए क्योंकि यह मामला गंभीरतापूर्वक विचार करने का है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस तरह तो छोटे दलों के लोगों को बोलने का समय नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह अच्छा नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं कि यह अच्छा नहीं हो रहा है। यह कोई बाईलैटरल नैगोशिएशन नहीं है।

[अनुवाद]

प्रत्येक कार्य पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : उपाध्यक्ष महोदय, सही बातों में जुबान मेरी होगी, लेकिन बातें इनकी होंगी। जो मैं कहने वाला हूं, आप जरा छाती पर हाथ रख कर मेरी बात समझने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आप आसन की तरफ देखें।

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैंने डायरेक्शन बदल ली है और ऐनक निकाल दी है।

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह चर्चा आखिरी हो। मैं नीतीश कुमार जी के भाषण पर बाद में आता हूं लेकिन इंग्लिश सिस्टम है।

[अनुवाद]

भूकंप का मुद्दा कृषि मंत्रालय के तहत कैसे आता है? यह पूर्णरूप से तकनीकी मामला है।

[हिन्दी]

यानि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी आए और गृह मंत्री जी का निवेदन इसमें यह होना चाहिए था कि वह गवर्नमेंट में सीनियर मोस्ट हैं, उनको जिम्मेदारी को लेकर चलना चाहिए था कि वास्तविकता क्या है, इसके बारे में सबको कहना चाहिए था। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें आप अंग्रेजी में पढ़ गए। जो अंग्रेजी में विरोधी हैं। यह पढ़ने की बात नहीं है। इन्होंने जो पढ़ा और मैं जो गुस्सा कर रहा था।...*(व्यवधान)* मैं दो दिन से कल पूरी रात कच्छ में था, परसों कच्छ में था और फिजीकल वैरीफिकेशन के बाद आज मैं जब यहां आने वाला था, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं कल 25 गांव में घूमकर अहमदाबाद में आया और मैं वहां इसीलिए देखने के लिए गया था कि सरकार ने वहां क्या किया है। इन्होंने जो पेज 11 में पढ़ा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

राज्य सरकार ने राहत कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

मैं डिफेंस सर्विसेज का आभारी हूं जिन्होंने समय पर ज्यादा मदद की। डॉक्टर्स की टीम वाला हवाई जहाज, जो अभी सोमैया जी कह रहे थे, इनका हवाई जहाज भुज में लैंड नहीं हुआ। मैडम का हवाई जहाज भी 27 तारीख को भुज में लैंड नहीं हुआ। हमारा हवाई जहाज लैंड हो पाया। इस हवाई जहाज में डॉक्टर्स की टीम थी। किरीट सोमैया जी भुज नहीं पहुंचे। 24 घंटे तक इनको जाम नगर लैंड होना पड़ा। मैं एयर पोर्ट ऑथोरिटी और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वहां भुज में कुछ नहीं था और जाम नगर में कुछ नहीं था,...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : मैं इन्हें करैक्ट करना चाहूंगा। 27 तारीख को मुंबई से जो डाक्टर्स गए, वे 27 तारीख को भुज में लैंड हुए।...*(व्यवधान)* आप असत्य बोलना चाहते हैं तो भगवान ही आपको बचा सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं डॉक्टर्स की बात कह रहा हूं। डॉक्टर्स को लेकर जो हवाई जहाज आया, वह...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकर सिंह वाघेला खड़े हैं। श्री किरीट सोमैया जो भी कह रहे हैं; उसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाघेला की बात को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं कल शाम को पांच बजे भुज में था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कहा है कि जब तक श्री वाघेला नहीं बैठते, आप नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह वाघेला : उपाध्यक्ष जी, डाक्टर्स की टीम को जाम नगर लैंड होना पड़ा। 27 तारीख को वहां हवाई जहाज लैंड नहीं हुआ। मैं वहां 27 तारीख को शाम को भुज में था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह कुछ कह रहे हैं और आप आपत्ति कर रहे हैं। हम सभा की कार्यवाही किस प्रकार चला सकते हैं? भले ही आपके नाम का उल्लेख है फिर भी आप उनके भाषण के बाद खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि चूंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आप इस प्रकार नहीं कर सकते। यदि आप इस तरह खड़े होंगे तो दूसरी ओर से भी अन्य लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे पास एक कार्यविधि है और कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं उन डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करता हूं जो वहां आए।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : हवाई जहाज जमीन में उतरते हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह वाघेला : इनका तो लौजिक पुराना है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : पहले यह तय हो जाना चाहिए कि हवाई जहाज उतरा कि नहीं उतरा।...*(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला : अंग्रेजों के समय में नोडल एजेंसी एग्रीकल्चर रही। आज समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि नोडल एजेंसी की क्या कार्यवाही रही। यह काम पूरे देश का है। इसमें डिपार्टमेंट की बात नहीं आनी चाहिए।...*(व्यवधान)* सुनिए, अगर बस का ड्राइवर पी कर स्टियरिंग पर बैठे तो बस में बैठे हुए लोगों को मार देगा। लोगों को बचाया जा सकता था।...*(व्यवधान)* मैं रिकन्स्ट्रक्शन पर बाद में बोलूंगा। वहां 24 घंटे, 48 घंटे या दस–दस दिन के बाद भी लोग जिन्दा मिले हैं। गुजरात सरकार ने या भारत सरकार ने डैबरी के नीचे दबे हुए लोगों को नहीं निकाला है। मैं कल देखकर आया हूं। कहने की हिम्मत है, तो कहिए, ऐसा नहीं है। मैं कल देखकर आया हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : क्या आप कह सकते हैं कि शत–प्रतिशत मलबा हटा दिया गया है? आप यह नहीं कह सकते...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : इन्होंने कहा है कि वार–फूटिंग पर काम हुआ है, जबकि डैबरीज का रिमूवल नहीं हुआ है। आज भी डैबरीज के नीचे लोग दबे हुए हैं। गांवों में, अर्बन एरियाज में डैबरीज के नीचे लोग दबे हुए हैं।

महोदय, गुजरात एक बोर्डर स्टेट है। डिफैंस फोर्सेस हमारे पास है। एयर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपी, एसआरपी हमारे पास है। अहमदाबाद में पचास हजार पैरामिलिटरी फोर्स है। यहां पर भी एक हजार लोग मारे गए। सौराष्ट्र के इलाके में काफी लोग मरे हैं। वास्तविकता है, मैनेजमेंट यदि चाहता तो 12 घंटे में कन्ट्रोल करके रैस्क्यू वर्क जल्दी से जल्दी करके लोगों को बचा सकता था। 10–15 हजार लोग जिन्दा बच सकते थे। एक–एक आदमी को बचाने के लिए डाक्टर आए और दुनिया के लोग कुत्तों को लेकर आए। इनको शर्म आनी चाहिए कि कुत्ते भी विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। यहां के कुत्ते भी ट्रेन्ड नहीं हैं, जो पता लगा सकें कि लोग जिन्दा हैं या मरे हैं।...*(व्यवधान)* जो लोग दवायें और अन्य सामान लेकर आए, उनको एयरपोर्ट पर क्लीयरेंस नहीं मिली। अगर अहमदाबाद में लैंड नहीं करना था तो सौराष्ट्र में कई एयरपोर्ट हैं। एक–विन्डो सिस्टम होना चाहिए था कि कहां जाना है। मैंने जैसा कहा, वहां कोई नहीं था कि कहां जाना है और क्या करना है। रोड पर सारा सामान डम्प हुआ है। भुज में तो तुर्की का जहाज सामान के साथ आया था, जों वापस गया है। लैंडिग की व्यवस्था नहीं थी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन से रूल में है?

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप सुन लीजिए, मैं रूल भी बता देता हूं। वाघेला जी ने कहा कि भुज में जहाज लैंड नहीं किया। हमारी जानकारी के अनुसार चार बार लैंड किया है। हम चैलेंज करते हैं। अगर वाघेला जी की बात गलत हुई, तो क्या करेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। प्रभुनाथ सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह वाघेला : भुज से एक हवाई जहाज तुर्की का वापस गया, क्योंकि लैंडिग की व्यवस्था नहीं थी। मेटिरियल निकालने की व्यवस्था नहीं थी।...*(व्यवधान)* मुझे वहां एक व्यक्ति प्रहलाद सिंह जी मिले। हम वहां गए। वहां के एक आफिसर ने हमें कहा कि इसे निकालो तो उसकी बाद में पूरी व्यवस्था की गई। उन्होंने 85 ट्रक भुज एयरपोर्ट पर लैंड किए। इनमें से 22 ट्रक वहां पहुंचे, बाकी कहां गए, उनका आज तक पता नहीं कि उन्हें कौन ले गया।

महोदय, इतना ही नहीं गोडाउन लूटा गया या लुटाया गया– इसका जिम्मेदार कौन था।...*(व्यवधान)* विदेश से जो लोग दुनियाभर का सामान लेकर आए, उसके लिए वहां कोई इंतजाम नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का कोई आदमी नहीं था।...*(व्यवधान)* वहां एक आफिसर की कंटीन्यूटी होनी चाहिए थी, उसे पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, यह सदन है, इसकी अपनी एक परम्परा है। वाघेला साहब, बार–बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि 26 जनवरी को भुज में कोई एयरक्राफ्ट लैंड किया ही नहीं गया।...*(व्यवधान)* आप हमारी बात सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी को लैंड नहीं किया, जब कि 26 जनवरी को ही वहां लैंड किया है। यहां दिल्ली से एयरक्राफ्ट

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

गया था, उसने वहां लैंड किया। उस एयरक्राफ्ट में रिलीफ मेटिरियल था। हमारे विभाग के ज्वाइंट सैक्रेट्री गए थे, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के यहां इंचार्ज हैं। वे भी वहां गए थे और उन्होंने वहां जहाज लैंड किया।...*(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला : माफ कीजिए, वहां कम्युनिकेशन की कमी थी।...*(व्यवधान)* अगर लैंड किया है तो अच्छी बात है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं वेरीफिकेशन के लिए गया था।...*(व्यवधान)* मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां जो लोग मारे गए हैं उनमें से एक भी मृतक परिवार को एक नया पैसा भी गुजरात सरकार ने आज तक नहीं दिया।...*(व्यवधान)* मैं खुद वहां गांव के गांव घूम कर आया हूं, वहां एक भी मृतक परिवार को पैसा नहीं मिला है।...*(व्यवधान)* वहां जिला पंचायत रूलिंग पार्टी की नहीं है, यह जिम्मेदारी जिला पंचायत की है। गुजरात सरकार ने उन्हें कहा है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर वहां की जिला पंचायत को जिम्मेदारी वे देते तो आज तक वहां पैसे पहुंच जाते। वहां पटवारी नहीं है।...*(व्यवधान)*

महोदय, आज तक वहां मकानों का सर्वे चल रहा है। वहां अभी भी पटवारी नहीं है।...*(व्यवधान)* वहां मकान गिर गए हैं, टूट गए हैं, इसका कोई सर्वे गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कराया गया है। अभी जो माहौल है, जो मकान गिरे हैं...वहां अहमदाबाद में अलग किस्म के मकान थे।...*(व्यवधान)* 22 जनवरी को गुजरात की सरकार ने आर्डीनेंस निकाला है कि इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइस बिल्डिग्स को इम्पेक्ट फी लेकर रेगुलराइज किया जाये यानी कि गलत बातों को सही करने के लिए इम्पैक्ट फी लेकर इन्होंने आर्डीनेंस निकाला ताकि गलत को सही करें और उस बिल्डर को बचा सकें। जो लोग मर गए, उनके लिए बिल्डर्स जिम्मेदार होंगे, लेकिन वह आफिसर भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ओ.के. सर्टिफिकेट दिया कि यह न्यू बिल्डिग ऐसी परमिशन के लिए ठीक है।... *(व्यवधान)* गुजरात सरकार ने गलत तरीके से, गलत बिल्डरों को बचाने की कार्यवाही आर्डीनेंस निकाल कर की है, क्या इसे आप न कहेंगे?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : आपने अपने समय में जिन्हें परमिशन दी थी, वे भी गिर गई थीं, उनका क्या हुआ?

श्री शंकर सिंह वाघेला : हमारा उसमें एक भी मकान नहीं बना।...*(व्यवधान)* हमारे समय में क्या हुआ, आपको पता नहीं है।

सर, अब मैं दूसरे हिस्से पर आता हूं। मरने वाले मर गये अब रिकंस्ट्रक्शन की बात होगी। यह डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी क्या है? इसके बारे में 26 जनवरी के बाद ही सुना गया या इससे पहले भी सुना था? क्या पहले भी कोई कमेटी बनी थी? बार–बार लोग मर जाते हैं चाहे उड़ीसा के चक्रवात में मरे या लातूर के भूकम्प में मरे, कमेटी बन जाती है। लेकिन क्राइसेज मैनेजमेंट वाली कमेटी ने सरकार से कुछ कहा। अगर कमेटी ही बनानी है तो माननीय शरद पवार जी को उसका कंवीनर बनाइये। अगर अनुभव रहा है तो इनका अनुभव रहा है। अब 35 लोगों की कमेटी बन रही है। उसमें मंत्री होंगे, आई.ए.एस. ऑफिसर होंगे लेकिन भूकम्प किसको पूछेगा कि कैसे आऊं, कौनसी कमेटी को पूछेगा।

हम बार–बार विदेश जाते हैं। हमारे होम–मिनिस्टर साहब इजराइल गये थे, हमारे प्रधानमंत्री जी अमरीका गये थे, राष्ट्रपति जी भी और हम सभी दुनियाभर में घूमते हैं। क्या किसी ने जाना कि इजराइल गये तो टैरेरिस्ट समस्या के लिए क्या करना चाहिए? इनके पास हवाई–जहाज में अस्पताल है। क्या कभी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ गहराई से किया गया? अगर विदेश जाना है तो किसलिए जाना है, जाकर क्या करना है, जाने का क्या उपयोग होना चाहिए, क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की है?...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : सर, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम लिया है वह रिकार्ड से निकान देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, यह क्या है? कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें। कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतने सीनियर मैम्बर हैं। यह जब यील्ड करेंगे तभी आपकी बात रिकार्ड में जाएगी। आप बैठ जाइये।

श्री शंकर सिंह वाघेला : इसमें क्या है, हम सभी का यह किया हुआ है। सर, पानी का 10 हजारी लीटर का टैंक इन्होंने 30 मिनट में तैयार कर दिया और अगर डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जैक्ट है तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या होगा। अगर करने वाले आई.ए.एस., आई.एफ.एस या आई.आर.एस. आफिसर्स हैं तो मेरा कहना यह है कि ये सभी आउट आफ डेट हैं। इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। लोग मरें या न मरें, इन्हें कोई चिन्ता नहीं है।

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : इसे आम मुद्दा न बनाएं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है क्या इनको वहां इस बारे में सिखाया नहीं जाता है।...*(व्यवधान)* आई.सी.एस. करके आपने आई.ए.एस किया...*(व्यवधान)* मैं सबकी बात करता हूं। आप एक ऑफिसर को इधर से उधर कर देते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। इनको डिजास्टर के बारे में, साइक्लोन के बारे में भी सिखाया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आपने अणु–बम का परिक्षण किया। उससे क्या होगा? अगर किसी ने हमारे ऊपर अणु–बम डाला तो क्या होगा। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है। आपने तो अणु–बम की यात्रा निकाली है कि यहां हमने अणु–बम लगाया है।

अणु बम बनाने का क्रैडिट लेना है तो उसके क्या नतीजे होंगे इसके बारे में क्या किसी ने सोचा? यदि इसे फोड़ना है तो भी इसके बारे में सोचिए। आई.ए.एस. सर्विस को इंडियन सिटीजन सर्विस करिए। इस बारे में आप फिर से सोचें। आई.ए.एस. लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी यह भी देखा जाए।

मैं प्राइम मीनिस्टर फंड और चीफ मिनिस्टर फंड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज गुजरात गवर्नमैंट की कोई क्रैडिबिल्टी नहीं है। मैं 26 जनवरी से सी.एम. फंड के एकाउंट के बारे में आपसे जानकारी चाहता हूं। उस फंड में कई लोगों ने पैसे दिए होंगे। कई एन.जी.ओज. ने भी दिए होंगे और कुछ पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी हुआ होगा। गुजरात के कर्मचारियों ने सी.एम. फंड में पैसे देने से मना कर दिया। आपको इस बारे में चिन्ता करनी चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के मकान गिर गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह वाघेला के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि वह नहीं मानते तो कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सारी टिप्पणियां कार्यवाही–वृत्तांत से बाहर रहेंगी।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : गुजरात में दुनिया भर की नैचुरल कैलेमीटिज आईं। वहां जून 1998 में साइक्लोन आया। हैवी रेन फिर से हुई। नवम्बर 1998 में साइक्लोन आया। मई 1999 में हैवी रेन आई और सूखे का यह तीसरा साल है और ऊपर से भूकम्प आ गया। कच्छ में साइक्लोन के आने से 1261 लोग मारे गए और 1774 लोगों का कहीं कोई पता नहीं है। सरकारी रिकार्ड के मुताबिक इनकी संख्या 1200 है लेकिन 2500 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इनको दो साल में मकान देने के बारे में गुजरात सरकार ने कहा था। दो साल पूरे हो गए हैं और केवल 200 मकान बने। इनमें से डेढ़ सौ मकान भूकम्प में टूट गए। दो हजार मकान बनाने का वादा किया गया और 200 मकान भी बन नहीं पाए। आप उनकी टैक्निकली कैसे मदद करेंगे? इसके लिए पैसे की जितनी भी आवश्यकता हो उनका आप इंतजाम करें। देश के पांच जोन्स बनाएं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नीचे हों। एक सैक्शन में पांच हजार लोग हों। इनका रैगुलर रिहर्सल होना चाहिए। देखने में आया है कि आग लगने पर आग बुझ नहीं पाती। नैचुरल कैलेमिटिज का मुकाबला करने के लिए रेगुलर रिहर्सल करने वाली पैरा मिलिट्री फोर्स अन्डर दी आर्मी हो। रैगुलर प्रैक्टिस करने वाले लोग इनके नीचे होने चाहिए। कोई लैफ्टीनैंट जनरल इनका चीफ होना चाहिए। कमेटी में चाहे 70 सदस्य हों लेकिन वह अच्छी तरह से काम करे। यदि वहां इलैक्शन डिक्लेयर होते हैं तो सारी इलैक्शन कमीशन के पास जिम्मेदारी होनी चहिए और सारे कर्मचारी इलैक्शन कमीशन के नीचे हों। डिजास्टर मैनेजमैंट कमेटी आर्मी के नीचे ट्रेंड हों। पांच हजार से ज्यादा ट्रेंड सोलजर उसमें हों जो जल्दी से जल्दी एक कोने से दूसरे कोने में जाएं। सारे इक्विपमैंट्स उनके पास हों। इन्हें रैगुलर इसका रिहर्सल करना चाहिए। इनका हैड क्वार्टर गुजरात में होना चाहिए।

जिन की मां मर गई, बच्ची मर गई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन वे मैंटली ठीक–ठाक होने चाहिए। एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसका बच्चा मर गया। उसे ट्रामा हो गया। इसका कहां इलाज होगा? आज भी अहमदाबाद और कच्छ के लोग आर.सी.सी. के नीचे नहीं सोते हैं। वे बाहर टैंटों में सोते हैं। वे रात को सो नहीं पाते। वे सुबह पागल जैसे लगते हैं।

सायं 7.00 बजे

एक लड़की की शादी हुई, उसने कहा कि वह ससुराल नहीं जायेगी क्योंकि उसके मां–बाप मर गये हैं। इस प्रकार से कई लोग मरे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की है, उसके बाद क्या होगा। मकान के री–कंस्ट्रक्शन की बात नहीं, मकान में रहने वालों के री–कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, उनके दिमागों को करना है। कितने ही साइकिसीया के केसेज़ होंगे। दस हजार से ज्यादा के लोगों के हाथ और पैर कट गये हैं, उनका क्या होगा। आफ्टरशॉक आता है तो सुबह तक सो नहीं पाते हैं। उनकी

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

हालत इतनी खराब है। मेरा सुझाव है कि नया काम जो भी हो, अर्थक्वेक प्रूफ के डिजाइन के साथ हो। प्रधानमंत्री जी गुजरात के मंत्रिमंडल के साथ एक मीटिंग करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल अधोई गांव था जहां महाराष्ट्र सरकार और उसके पांच आई.ए.एस. आफिसर्स आये थे। उनका कहना था कि गुजरात सरकार की तरफ से क्लीयरेंस नहीं मिला है क्योंकि कुछ एन.जी.ओज़ कम पैसे में लोगों को अडाप्ट करने वाले हैं। वहां लोग बैठे हुए थे। कभी गुजरात सरकार कहती है कि यह जमीन होगी, वह जमीन होगी। हालांकि यह आसान काम नहीं है। इन्हीं लोगों ने कहा कि कच्छ के एन.जी. ओज़ 100 गांवों को अडाप्ट कर रहे हैं। हमारा मतलब सरकार से है, वह चाहे किसी पार्टी की हो। एन.जी.ओज़ अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। ताल्लुका पंचायत और जिला पंचायत के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में रिलायंस के श्री धीरूभाई अम्बानी और सरकार के बीच में 50 प्रतिशत की बात हो रही है, वह उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिये। अगर रिलायंस लेता है तो पूरा ले, यदि निरमा लेंता है तो पूरा ले या अजीत प्रेम जी लेते हैं तो पूरा लें। उनका जो डिजाइन होगा, सरकार उसकी मानिटरिंग करेगी। लगभग 1800 गांव का डैबरीज़ बना हुआ है। यहां कहते हैं कि क्रेक्स आये हैं लेकिन मैं कहता हूं कि दिमाग में क्रेक्स आये हैं। आर.सी.सी. के मकान नहीं जो सीमेंट से बनाये जायेंगे। ये तो पत्थर व मिट्टी के बने हुए थे। इसलिये री–हैब्लिटेशन टैक्नीकली होना चाहिये। हो सकता है कि डी–सैंट्रेलाइजेशन से मकान एक साल में दिये जा सकते हों लेकिन एक मकान बनाने में एक साल लगता है तो एक लाख मकान बनाने में भी एक साल लगेगा। री–कंस्ट्रक्शन में लेबर लगेगी जिन्हें तनख्वाह देनी होगी। री–कंस्ट्रक्शन में ही कच्छ की इकौनोमी डेवलेप हो सकती है। सैंट्रल गवर्नमेंट जो भी रियायत देगी, उसका वैलकम है। हम चाहते हैं कि कच्छ का बोर्ड हो या गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज करे क्योंकि कच्छ की जनता को भरोसा नहीं और न ही वहां के एम.पी. को...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बडोदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, शुरूआत इन्होंने की है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिसेज़ ठक्कर आप बैठिये क्योंकि आपको सवाल पूछना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये यील्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिगर्स नहीं दे रहा कि 20 हजार लोग मर गये या 30 हजार मर गये। श्री जॉर्ज साहब ने तो एक लाख बताया, मैं तो उसके 50 परसेंट बता रहा था। मैं फिगर्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि जो मर गये वे वापस आने वाले नहीं हैं।

अंत में यही चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इंटरवीन करें और कच्छ में लोगों को रियलस्टिक डीलिंग मिले, यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष जी, गुजरात में जो भूकंप आया, वह देश की सबसे बड़ी दुर्घटना है। लगभग 19000 से ज्यादा लोगों की उसमें मृत्यु हुई और 21000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की हानि हुई।

उपाध्यक्ष जी, शायद यह पहली दुर्घटना होगी कि जिसके घटने के 24 घंटे के अंदर केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी सहायता राहत के लिए वहां पर दी गई। देश के हर कोने से रेल गुजरात की ओर जा रही थी, देश के हर कोने से हवाई जहाज गुजरात की ओर जा रहा था। भुज हो या अहमदाबाद हो, यह इतनी बड़ी दुर्घटना थी कि वहां का पूरा जीवन नष्ट हो गया था। हवाई अड्डों पर काम करने के लिए मजदूर तक नहीं थे।

सायं 7.07 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

जो हवाई जहाज मुम्बई से राहत का सामान लेकर भुज की ओर रवाना होते थे, मुम्बई हवाई अड्डे पर क़ाम करने वाले जो कर्मचारी हैं, हर हवाई जहाज से 15 से 20 कर्मचारी भुज हवाई अड्डे पर दिन भर काम करने के लिए जाते थे। जो भी काम या मजदूरी उनसे करवानी है, वहां के अधिकारी उनसे करवाते थे और रात को जो यात्री वहां से वापस आना चाहते थे–जो घायल थे या डरे–सहमे हुए थे, उनको वापस मुम्बई लाया जाता था, उनके साथ वे कर्मचारी भी वापस आते थे।

सभापति जी, यह दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि इस दुर्घटना से न वहां की जनता बची, न मकान बचे, न म्युनिसिपैलिटी बची, न ब्लाक डैवलपमेंट ऑफिस बचा, न जिला पंचायत बची, न पुलिस थाना बचा। 600 किलोमीटर के इतने बड़े क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई फिर भी जो राहत भूकंपग्रस्तों को मिली, शायद इतनी सही और वक्त पर राहत इस देश की किसी भी दुर्घटना में नहीं मिली। चाहे उड़ीसा का चक्रवात हो, चाहे बिहार में आई बाढ़ हो या चाहे आंध्र प्रदेश में चक्रवात आया, कहीं भी इतनी जल्दी राहत नहीं दी गई, चाहे वह देश की जनता की ओर से आई हो या स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से आई हो, चाहे राजनीतिक

दलों की ओर से हो, चाहे अलग–अलग राज्य सरकारों की ओर से हो, चाहे विदेशी सरकारों की ओर से हो।

सभापति महोदय, इतनी राहत और बिलकुल समय पर किसी भी दुर्घटना में नहीं मिली। कुछ कमियां अवश्य रही होंगी, लेकिन दुख इस बात का है कि जो इस दुर्घटना से पीड़ित हैं, जिनका भविष्य अंधकारमय है, उनके सामने आज भी एक भय और डर है। वहां पर आज भी भूकम्प के किस्से हो रहे हैं। वहां आज भी झटके आ रहे हैं। आज भी लोग अपने बचे हुए मकानों में नहीं रहना चाहते हैं। जब भूकम्प आया, तो जो मकान बच गए, उनमें लोग नहीं रहना चाहते हैं बल्कि खुले मैदान में, तम्बू गाढ़कर, टैंट लगाकर, सर्दी से जूझते हुए रात गुजार रहे हैं। 15–20 दिन के बाद लोगों के दिलों का डर अब जब कम होने लगा है, तो भूकम्प के झटकों से गिरने से बचे हुए मकानों में अब धीरे–धीरे खाना बनाने के लिए लोग जाने लगे हैं ताकि वे कम से कम अपने मकान में बना खाना तो खा सकें। पिछले सप्ताह भी सुरेन्द्र नगर में फिर भूकम्प आया। इसलिए भूकम्प का डर लोगों के मन में समा गया है।

सभापति महोदय, गुजरात में बहुत राहत सामग्री पहुंची, बहुत ही समय पर लोगों को राहत मिली, वक्त पर पीड़ितों को सहायता मिली। इसलिए जो भी भूकम्प पीड़ित हैं वे राहत से सन्तुष्ट हैं। कितने लोगों की मौत हुई, इस पर इस सदन में विवाद हो रहा है। आज कृषि मंत्री जी ने बताया कि 19 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इतनी बड़ी संख्या में मौतें प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हैं। इसके लिए कोई राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है और न ही केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। जब दोनों सरकारें इन मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर आंकड़े छिपाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आंकड़ों को छिपाने से सरकारों को क्या मिलने वाला है, बल्कि जो वास्वविकता है, उसको समझकर दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है। जब यह वास्तविकता दुनिया के सामने जाएगी, तो हमें और राहत मिलेगी और सहायता मिलेगी।

सभापति जी, जो छोटे–छोटे बच्चे हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, जो महिलाएं हैं, जो विधवा हो गई हैं, उन्हें उपना जीवन भी एक संकट की तरह लग रहा है। जैसा किरीट सोमैया जी यहां बता रहे थे कि जो जीवित हैं, वे भगवान को कोस रहे हैं कि हमें जीवित क्यों रहने दिया। वे इसलिए भगवान को कोस रहे हैं क्योंकि उनका भविष्य अंधकारमय है। टूटे हुए मकानों को बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार यदि दिल टूट जाए, तो इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो बच्चे व विधवा महिलाएं हैं, उनकी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और यह समझाने की आवश्यकता है कि यह जो आपदा आई है, यह राष्ट्रीय आपदा है। प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि यह आपदा केवल गुजरात की नहीं बल्कि सारे देश की आपदा है और इससे सारे देश के लोग दुखी हैं। हम सब इससे पीड़ित हैं और हम सब इससे चिन्तित हैं।

सभापति जी, लातूर में महाराष्ट्र में भूकम्प आया। उस समय उस भूकम्प में 10 हजार से ज्यादा लोग मर गए।

उस समय भी सारे देश ने भूकम्प पीड़ितों की सहायता की। कई स्वयंसेवी संस्थायें, कई राजनीतिक दल ऐसे भी आगे आये जिन्होंने एक–एक गांव को गोद लिया, पूरे गांव की जिम्मेदारी ली। जब लातूर में भूकम्प आया था तब मेरी पार्टी शिवसेना ने भी वहां पर एक लिम्बा गांव को गोद लिया था। यदि आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको वहां एक अच्छा गांव, आदर्श गांव नजर आयेगा। यह मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज भी हमारे देश में कई ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं, चेरिटेबिल ट्रस्ट हैं, औद्योगिक घराने हैं जो पूरे गांव के गांव को गोद ले सकते हैं। आज वहां की सबसे बड़ी समस्या जो मकान की है, उसे हम हल कर सकते हैं। कई राजनीतिक दल ऐसे भी है जो इस काम में अपना योगदान दे सकते हैं। आज वहां सबसे बड़ी आवश्यकता ऐसे मकानों की है जिन्हें भविष्य में भूकम्प आने पर कम से कम नुकसान हो। कच्छ का जो क्षेत्र हैं, यह तो सदैव भूकम्प प्रोन क्षेत्र है। इस बार जो सबसे ज्यादा जीवित हानि हुई, उसका कारण भी वही है। चाहे सुरेन्द्रनगर हो, जामनगर हो या भुज हो, इन क्षेत्रों में बार–बार भूकम्प आता है तथा वहां कई बार भूकम्प आया भी है। लोगों को इसकी थोड़ी आदत सी हो गई थी। लेकिन इस बार जो भूकम्प आया, उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि वहां इतनी बड़ी दुर्घटना हो जायेगी। गांव के गांव उजड़ जायेंगे, मकान के मकान ध्वस्त हो जायेंगे इसलिए जो डर आज उनके दिल में है, उस डर को निकालने की आवश्यकता है। उन्हें अच्छे मकानों की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है। प्रधानमंत्री राहत कोष हो या मुख्यमंत्री राहत कोष हो, देश की जनता इसके लिए सदैव मदद करने के लिए तैयार रहती है। जितने भी सरकारी कर्मचारी या राज्य कर्मचारी हैं सबने अपने एक दिन का वेतन इस राहत के लिए दिया है। मुम्बई शहर में मैंने कई ऐसी संस्थायें देखी हैं जिन्होंने वहां पर रहने वाले लोगों, जो अभी बचे हैं उनकी सारी बस्ती को गोद लेने की जिम्मेदारी ली है। यह प्राकृतिक आपदा है और भविष्य में हमें कई ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि हमें सही तौर पर उसका सामना करना है तो हम सबको मिलकर

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

इन आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। 26 जनवरी को सुबह यह घटना घटी जब हमारा गणतंत्र दिवस का समारोह राजपथ पर चल रहा था।

सभापति महोदय : अब आप कन्कतूड कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं समाप्त कर रहा हूं। जब हम इस समारोह से वापिस अपने घर लौटे और अपने टेलीविजन का स्विच ऑन किया तो उसमें वहां की दुर्घटना के बारे में दिखाया जा रहा था। मकान गिरे हुए दिखाये जा रहे थे तथा मलबा हटाने का काम हो रहा था।

पहले दृश्य में दूरदर्शन पर जो सबसे पहली खबर आई, उस पर भी हमने यही देखा कि खाकी हाफ पैंट में वहां सेवक सेवा कर रहे हैं। क्या इस सच्चाई को कोई नकार सकता है? फिर चाहे वे स्वयंसेवक आर.एस.एस. के हों, चाहे किसी और दल के हों, चाहे वे किसी धर्म संस्था के हों, वास्तविकता को कोई नकार नहीं सकता और उस पर हम यहां विवाद करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि जब भी हमारा देश मुसीबत में आया, इस देश की जनता सारे विवाद भूल कर राष्ट्र के समर्थन में खड़ी हुई है, चाहे वह सीमा पर होने वाला युद्ध हो या कहीं भी होने वाली राष्ट्रीय आपदा हो। आज हम सदन में बहस करें कि वहां राहत कार्य में भी धर्म का भेदभाव हुआ, जाति का भेदभाव हुआ, यह कहना उचित नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर) : क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात मानेंगे। मैं आपको उन ग्रामों के नाम बताऊंगा जहां इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं। ग्रामों के नाम धनचीबाड़ क्षेत्र, मादापुर कैम्प, ओरावाड़, मलाया टाउन और जुड़िया गांव हैं। इन गांवों के शिवरों में ये शिकायतें की गई हैं यह बात कोई नहीं कह रहा है कि यह भारत सरकार कर रही है, गुजरात सरकार कर रही है अथवा सहायता करने वाले अच्छे लोग यह कर रहे हैं लेकिन शिकायतें की गई हैं। जब हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग हैं तो कुछ लोग दिशाविहीन भी हो सकते हैं। इसकी जांच की जाए। आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। अब यदि हम इस मुद्दे पर यहां चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह जरूर जानना चाहिए कि हम कहां गलत हैं। यह अच्छी बात है यदि हम गलत नहीं हैं। लेकिन यदि हम गलत हैं तो क्या सुधारात्मक कदम नहीं उठाने चाहिए। यदि कोई सदस्य खड़ा होता है और सभी व्यक्ति खड़े होते हैं और विपक्ष के नेता खड़े होकर कहते हैं कि इस प्रकार की शिकायते की गई हैं तो क्या हम समझते हैं कि ऐसा कुछ राजनीतिक अंक प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : मुझे इस संदर्भ में विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र की प्रति और गुजरात सरकार द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए सरकारी पत्र की प्रति प्राप्त हुई है। उस पत्र में गुजरात सरकार ने सरकारी रूप से स्थिति को स्पष्ट किया है। पत्र में कहा गया है :

> "बहुत से समुदायों के लोगों ने शिकायत की है कि राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव किया गया है और उन्हें उनके लोगों के कारण राहत सामग्री नहीं मिल रही है।"

[हिन्दी]

जो कम्प्लेंट उनको मिली, उसके सामने सरकार ने इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी करने के बाद ऑफिसयल जवाब दिया है।

[अनुवाद]

> "घरेलू सामान के नुकसान के लिए नकद दान मुआवजे का वितरण और गावों में सभी प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क राशन किट का वितरण किया जाता है और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने में कोई भेदभाव, जो भी हो, नहीं किया गया है। राज्य सरकार बिना भेदभाव के सभी प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देगी।"...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वी. पाटील : राज्य सरकार के विरुद्ध कौन शिकायत कर रहा है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : आपने कहा कि मैडम गांधी ने कम्पलेंट की...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटील : हम उन लोगों की शिकायतें कर रहे हैं जो इन वस्तुओं को बांटने वहां गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : यह झूठी शिकायत है। आप इसे सिद्ध करें। मैं इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित कराना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, चार बजे से, जब से यह बहस शुरू हुई है, हम यहां पर उपस्थित हैं और आप हमें कन्क्लूड करने के लिए कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड का कहां सुन रहे हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते : हम चार बजे से यहां सब का भाषण सुन रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उससे भी पहले से हम उपस्थित हैं, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, हमने शुरू में ही कहा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, इसमें कुछ कमियां रह सकती हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उसमें सुधार होना चाहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : माननीय शिवराज पाटिल साहब ने यहां पर कहा कि इसके लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार नहीं है, न कोई उस पर दोष दे रहा है, न भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी ठहरा रहा है, लेकिन इस प्रकार की शिकायतें हमें वहां पर मिलीं। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता था कि जो शिकायतें आपको मिलीं, जिनका जिक्र यहां पर विपक्ष के नेता ने किया, आपने उन कमियों का, क्षेत्र का यहां पर जिक्र किया। यदि आप आपके वक्तव्य के समय सदन को यह भी बता दें कि उन गांवों के लिए सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वी. पाटील : मैंने सब का धन्यवाद किया, सब को कांग्रेचुलेट किया, आपको यहां पर वह नहीं बोलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : वह भी आना चाहिए। सरकार ने या संस्थाओं ने वहां जो काम किया...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : वहां लोगों को कहा गया कि पहले आप राशन कार्ड दिखाइये, तब आपको मैटीरियल मिलेगा। मैं वहां था, मैंने यह सुना है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह तो स्पष्टीकरण आ गया। मुझे उनको कोई कोसना नहीं है, जिम्मेदार नहीं ठहराना है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब दुर्घटना होती है तो प्रकृति के प्रकोप के सामने न कोई जाति है, न कोई धर्म है। जब सारी चीजें तहस–नहस हो जाती हैं तो कुदरत के सामने सब एक हैं। कुदरत के लिए कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, और जो लोग राहत कार्य करने के लिए जाते हैं, वे भी जाति भेद या धर्म भेद नहीं करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आप जाति भेद को खत्म करो।

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह अच्छी बात है कि जाति को खत्म कर दें। जाति के नाम पर टिकट मत लो, जाति के नाम पर चुनाव मत लड़ो तो जाति खत्म हो जायेगी।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो राष्ट्रीय आपदा है, इस समय हमें इस सदन के अन्दर यह सोचना आवश्यक है, सुझाव देना आवश्यक है कि हम इस राष्ट्रीय आपदा से मुकाबला कैसे कर सकते हैं। जो भूकम्प पीड़ित हैं, उनके मनोबल को हम कैसे दोबारा बना सकते हैं। वहां पर जो रोजगार की समस्या भविष्य में आने वाली है, उस रोजगार की समस्या को कैसे हम खत्म कर सकते हैं। वहां जो मकानों की समस्या है, उस समस्या को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हम यदि इन बातों की ओर ध्यान दें, इसके बारे में चर्चा करें और जो भी सुझाव देने हैं, दें तो ही हम इतनी बड़ी दुर्घटना के साथ लड़ सकते हैं। इस प्रकार की राजनैतिक लड़ाई करके हम इस दुर्घटना से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मानवता की दृष्टि से हमें भूकम्प पीड़ितों की ओर देखना चाहिए और हम उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं, वह हमें जरूर करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : सभापति महोदय, मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं गुजरात के कच्छ और भुज के सीमावर्ती जिले पाटन से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनकर आया हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है।

इससे पहले कि मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न मुद्दों और उन अन्य मुद्दों पर विफलता की बात करूं जिन पर यहां चर्चा हुई, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि हम वास्तविकता से दूर क्यों भागते हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि सरकार जाति और पंथ में विश्वास नहीं करती। लेकिन आप सब जाति–प्रथा से ग्रस्त भारतीय समाज पर जिम्मेवारी क्यों डाल रहे हैं? हम यह विश्वास करें कि इस देश के लोग, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ मामलों में शहरी लोग भी जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, अमीरी–गरीबी में विश्वास करते हैं जिसके फलस्वरूप भेदभाव बना हुआ है।

हम इसकी उपेक्षा न करें। लेकिन मैं सबके बाद वाली बात को सबसे पहले करता हूं क्योंकि माननीय कृषि मंत्री यहां

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

हैं और इस कार्य में उनका मंत्रालय प्रमुख रूप से काम कर रहा है। तो हम एक और समिति या आयोग क्यों गठित करें?

मैं चाहता हूं कि वह 30 नवम्बर, 2000 को इस प्रतिष्ठित सभा में दिए गए उत्तर को पढ़ें। उत्तर निम्नवत है : प्रश्न यह था :

"क्या प्राकृतिक आपदा की समस्या की जांच करने के लिए कई आयोग और निकाय गठित किए गए हैं और यदि हां, तो क्या सरकार समस्या के समाधान के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाएगी।"

उत्तर था :

"प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आवश्यक उपाय करना मूलतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। प्राकृतिक आपदाओं को रोकना संभव नहीं है। तथापि, बेहतर प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आदर्श आपदा प्रबंधन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है।"

30 नवम्बर, 2000 को संसद में यह उत्तर दिया गया था। मैं माननीय मंत्री से उनके उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समिति का क्या हुआ और इसने क्या आपदा प्रबंधन किया।

और भी बहुत से उत्तर हैं। मैंने पुस्तकालय से प्रतियां ली हैं। जब भी कोई प्रश्न उठता है एक उत्तर दिया जाता है। आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। 34 लोगों की एक समिति गठित कर दी गई है। एक दशक को कैसे 'मनाया' जाता है। संसद में यह उत्तर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992–2000 के दशक को अन्तरराष्ट्रीय दशक और 1999 को–विशेषतः विकसित देशों में संगठित अन्तरराष्ट्रीय के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय आपदाओं में कमी लाने के उद्देश्य से अन्तरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। उत्तर में आगे कहा गया है :

"भारत सरकार ने आई.बी.एन.बी.आर. के संबंध में दशक के दौरान कार्यक्रमों और चलाई जा रही गतिविधियों पर परामर्श और पर्यवेक्षण हेतु एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन किया है।"

यह उत्तर 6 दिसम्बर, 1996 को दिया गया है। सरकार कोई भी हो, उत्तर दिया गया था। सलाहकार परिषद् ने कोई सिफारिशें नहीं की हैं। समिति गठित की गई थी परन्तु इसने कोई सिफारिशें नहीं की हैं। भारत में दशक के उद्देश्यों की प्राप्ति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना, चुने गए राज्यों में आपदा प्रबंधन संकाय, मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रलेखन शामिल हैं। यह भी निर्णय लिया गया था कि अक्टूबर के हर दूसरे बुधवार को आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह आम जनता को शिक्षित कर और सामूहिक जागरूकता से पूरा होगा।

मेरे पास इस प्रतिष्ठित सदन में जिम्मेवार मंत्री गणों द्वारा पिछले पांच–छह वर्षों के दौरान दिए गए अनेक उत्तरों की प्रतियां हैं। यह सभा जान ले और इस सबका अंत हो। इस देश में एक स्थायी आपदा प्रबंधन निकाय बने, जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी श्री शंकर सिंह वाघेला ने सुझाव दिया है।

यह बात ध्यान में रहे कि आपदा प्रबंधन का काम श्री प्रवीण राष्ट्रपाल या श्री वाघेला या श्री पाटिल जैसे किसी एक व्यक्ति पर नहीं छोड़ा जा सकता। समिति में विभिन्न पद होने चाहिए। मान लीजिए मैं सदस्य हूं और उस विशेष दिन जीवित न हूं या अस्पताल में हूं; तो कौन बैठक में उपस्थित होगा?

यह जिले की व्यवस्था हो, जिला कलक्टर इसका अध्यक्ष हो और उसके आधीन कोई इंजीनियर हो; आप एक चैम्बर अध्यक्ष बना सकते हैं, आप किसी सिविल सर्जन या किसी अन्य व्यक्ति को रख सकते हैं।

अन्य सतर्कता एजेंसियां तो हैं ही। उन्हें इसमें पद दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चार या पांच महत्त्वपूर्ण वरिष्ठ मंत्रियों की समिति बनाई जानी चाहिए। आगे अनुमति लेने का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे, पिछले दस वर्ष से चल रही इस बहस का कोई अन्त नहीं होगा।

कई वादे किए गए हैं और आश्वासन दिए गए हैं। प्रत्येक आपदा के समय एक और आपदा प्रबंधन समिति गठित कर दी जाती है। लेकिन गुजरात में क्या हुआ? सभी आपदा प्रबंधन समितियां विफल रहीं।

मैं केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार को भुज में आए भूकंप की सूचना ठीक–ठीक कितने बजे मिली और राज्य के मुख्य सचिव ठीक–ठीक कितने बजे भुज के लिए रवाना हुए। कृपया इस बात का भी सत्यापन करें कि उन्होंने भुज का दौरा किया भी था या नहीं। राज्य के मुख्य मंत्री किस तारीख को और किस समय भुज गए? हम इन तथ्यों का सत्यापन कर सकते हैं। मैं यह बात कोई आरोप लगाने के मकसद से नहीं कह रहा हूं? हमें इन तथ्यों

का सत्यापन करना चाहिए कि वहां कौन पहले पहुंचा, वहां पहले किसे पहुंचना चाहिए था और केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की?

महोदय, भुज केवल गुजरात का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि यह एशिया के सबसे बड़े जिलों में से एक है। भुज एक सीमावर्ती जिला है। वह पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा है और वहां बड़ा क्षेत्र शुष्क है। वहां से बहुत से लोग 'बम्बई' के लिए पलायन कर गए हैं...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : उसका नाम मुम्बई है 'बम्बई' नहीं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : छोटी गलतियों को क्यों बढ़ाया करते हैं? आपको नाम बदलने का बड़ा शौक है।...*(व्यवधान)* ठीक है, हम मुम्बई कहेंगे।

[अनुवाद]

मुम्बई के मेरे मित्र गर्व कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कच्छ–भुज के लोग मुम्बई में क्या गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए गए हैं? वे इसलिए गए हैं क्योकि उनके यहां उद्योग नहीं हैं। उनके यहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है।

जैसाकि वहां बैठे मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया है, कच्छ–भुज एक ऐसा जिला है जिसने पिछले 50 वर्षों के दौरान 33 बार सूखे का सामना किया है। इस बारे आपको क्या कहना है? यह इस दल की या किसी और दल की बात नहीं है। हम सभी कच्छ, भुज, सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात और गुजरात के सभी 19 जिलों में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने में असफल रहे हैं।

आज हम एक साल के अन्दर तीन लाख घरों का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। जब पीने के लिए पानी नहीं है तो मकान बनाने के लिए पानी कहां से आएगा? माननीय कृषि मंत्री से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं। भुज में मकानों का निर्माण करने के लिए पानी कहां से आएगा?

इसलिए हम लोग आपस में टीका–टिप्पणी न करें। इस विषय पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं; हम दुनिया भर के विशेषज्ञों से परामर्श लें। यह आवश्यक नहीं है कि मकान केवल सीमेंट और कंक्रीट से ही बनाए जाएं; मकान प्लास्टिक फाइबर से भी बनाए जा सकते हैं; मकान लकड़ी के ढांचे से बनाए जा सकते हैं।

अब हम राहत कार्य की बात करें। कच्छ–भुज में कितने टेन्टों की आवश्यकता है? मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री पी.एस. गढवी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कच्छ–भुज में कम से कम तीन लाख टेन्टों की आवश्यकता है। इतनी बड़ी भारत सरकार ने गुजरात राज्य को अब तक कितने टेन्ट उपलब्ध कराए हैं? आज तक 50,000 टेन्ट उपलब्ध कराए गए हैं; और इन 50,000 टेन्टों में गुजरात सरकार ने केवल 5,000 टेन्ट उपलब्ध कराए हैं। बाकी सभी टेन्ट दूसरी एजेंसियों ने दिए हैं।

यदि तबाही के एक महीने बाद भी देश कच्छ और भुज की जनता के लिए तीन लाख टेन्टों की व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो मेरा विश्वास हट रहा है। इसलिए हमें इन मुद्दों को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए।

यह 'टाइम्स ऑफ इंडिया' का संपादकीय है। इसमें कहा गया है :

> ''गुजरात में आए भूकंप ने विजेताओं और पराजितों का भेद स्पष्ट कर दिया है। जहां एक ओर सभ्य समाज की जीत हुई है वहीं दूसरी ओर राज्य व्यवस्था धराशायी हो गई है।''– इस विजय के लिए हम सभ्य समाज को धन्यवाद देते हैं, हम वहां सहायता के लिए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संगठन, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक अन्तरराष्ट्रीय संगठन को धन्यवाद देते हैं। राज्य व्यवस्था के स्वयंभू आधार–स्तंभो– राजनीतिज्ञों–को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे ताकि गुजरात के लोगों को यह विश्वास हो सके कि वे अक्षम और स्वार्थी लोगों का जमघट मात्र नहीं है।

यदि आप भेदभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो यह प्रैस क्लिपिंग 'इंडियन एक्सप्रेस' से ली गई है। कहा गया है कि मरने के बाद सभी लोग बराबर होते हैं। लेकिन इस प्रेस क्लिपिंग का शीर्षक है : ''डैथ, द ग्रेट लेवलर? दलितों से पूछिए, खाली टैन्टों को देखिए।'' एक ऐसे गांव के लिए टैन्ट दिए गए थे जहां दलित रहते हैं, गैर–दलित रहते हैं, ऊंची जाति और निम्न जाति के लोग रहते हैं–इन शब्दों का प्रयोग करने का मुझे अफसोस है। दलितों को टेन्टों में नहीं रहने दिया गया। इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। हो सकता है कि सरकार जाति को न मानती हो...*(व्यवधान)* यह चित्रों में दिखाया गया है; ऊंची जाति के लोगों ने उनके पड़ोस में रहने पर एतराज किया। लातूर में भी आंशिक तौर पर ऐसा ही हुआ था। यदि आप कोई टाउनशिप तैयार करें तो मकानों का वितरण कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि ग्रामीण भारत जातिवाद से ग्रस्त है। वहां नीची जाति के व्यक्ति को किसी ऊंची जाति के व्यक्ति के पड़ोस में रहने की अनुमति नहीं है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। विचार भिन्नता अच्छी बात है, पाखंड नहीं। पाखंड इस देश को तबाह कर देगा।

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

अब मैं अपनी ओर से एक ठोस सुझाव की बात करता हूं। चर्चा क्यों न की जाए? मुबई के एक ट्रस्ट ने वह काम कर दिखाया जिसे सरकार न कर सकी। विनियोग ट्रस्ट ने अहमदाबाद के "गुजरात समाचार" के साथ मिलकर पूरे कच्छ–भुज क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया और मृतकों के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए। यह काम 5 फरवरी को किया गया। 26,000 लोगों के आंकड़े पहले ही दिए जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि 30,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और यह जानकारी कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल है। लेकिन सरकार के आंकड़े भी सही हैं। मुझे यह बात इसलिए मालूम है क्योंकि मैं सरकार में शामिल था। सरकार हमेशा उन्हीं लोगों के आंकड़े बताती है जिनके शव मिल चुके हों। इस देश में तो किसी जीवित व्यक्ति को भी अपनी पेंशन लेने के लिए अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है।

उसे एक प्रमाण पत्र देना होता है कि वह जीवित है। इसलिए हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सरकार के आंकड़े सही हो सकते हैं। पोस्ट मार्टम प्रमाण पत्रों और शिनाख्त किए जा चुके शवों की संख्या के अनुसार मृतकों की संख्या 19,000 हो सकती है। लेकिन यह संख्या शायद 30,000 से कम न हो। माननीय सदस्य श्री हरिन पाठक इस बात पर मुझसे सहमत होंगे।

मलबे की सफाई की क्या स्थिति है? मैं अपने फ्लैट में नहीं रह रहा हूं। श्री हरिन पाठक अपने फ्लैट में नहीं रह रहे हैं। जिस समय भूकंप आया उस समय मेरी पत्नी और बेटी अहमदाबाद में थीं। मैं उस समय पाटन में एक समारोह में ध्वजारोहण की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं भूकंप से पहले वहां सुबह 8.30 बजे पहुंचा था। पृथ्वी मानो किसी असाधारण वस्तु की भांति हिचकोले खा रही थी। उत्तरी गुजरात और कच्छ क्षेत्र में भूकंप की अवधि एक मिनट और बीस सेकेण्ड थी। अहमदाबाद में यह केवल 30 सेकेण्ड तक रहा।

श्री हरिन पाठक : अहमदाबाद में भी यह अवधि एक मिनट से अधिक की थी। सारी इमारतें दायें से बायें एक–एक फुट तक हिल रही थीं...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, आज भी लोग सुरक्षित कही जा रही बहुमंजिली इमारतों में नहीं रह रहे। सरकार के पास उनके लिए क्या उपाय है? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्या वे कर नहीं चुकाते? हमने उनके लिए क्या किया? क्या यह विफलता नहीं है? यह तंत्र का विफल हो जाना नहीं है? आखिरकार, हम प्रजातांत्रिक हैं, हमारा एक कल्याणकारी राज्य है और यह एक ऐसा देश है जिसमें हम संस्कृति की बात करते हैं; हमारा एक शानदार अतीत रहा है और इस देश में एक चींटी भी अन्न–पानी के बगैर रहे, ऐसा सहनीय नहीं माना जाता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप सुझाव दीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मेरा सुझाव यह है कि केन्द्र सरकार सर्वप्रथम इन तीन बिंदुओं का प्रमाणन करे। प्रथमतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तिथि तक, पूरे का पूरा मलबा हटा लिया गया है अथवा नहीं। वहां भूकंप आए आज एक महीना हो गया। केन्द्र सरकार यह प्रमाणित करे कि गुजरात में भूकंप आने के पश्चात् वहां से मलबा साफ कर दिया गया है। एक बात तो बिलकुल स्पष्ट ही हैं। गुजरात में भूकंप आया है और उससे भरूच, सूरत, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, बनासकांठा, मोरबी और हलदीप क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।

हाल ही में, मैंने प्रभावित व्यक्तियों की परिभाषा के विषय में संसद में एक रिपोर्ट देखी। वहां तीन करोड़ पैंसठ लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, न कि 1.65 करोड़–जैसा बताया गया है। सही संख्या है–3.65 करोड़।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप अगला सुझाव दीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : द्वितीयतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मलबे से सभी शवों को हटा लिया गया है और जिनके पक्के या कच्चे मकान गिर गए हैं, क्या उन्हें अस्थाई आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है अथवा नहीं। आखिरकार, घर घर ही होता है।

तीसरी बात, मैंने इसके संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी को पहले ही एक पत्र लिखा है। कभी–कभार, हम तदर्थ समाधान करते हैं; जैसे देश भर में आयकर पर दो प्रतिशत अधिक का अधिभार लगाया गया है। हमने अनुमान किया है कि इससे लगभग 1,300 करोड़ रुपये की धनराशि मिल जाएगी। माननीय मंत्री श्री प्रमोद महाजन ने एक अपील भी जारी की है।

[हिन्दी]

सभापनि ..दय : आप ..लुड कीजिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : उसमें से 1300 करोड़ रुपये एस्टीमेट कर लिए। स्पीकर साहब ने अपील की कि एम्पीज भी पैसा दें।

[अनुवाद]

मैं गुजरात का हूं। यह अपील की गई कि प्रत्येक संसद–सदस्य दो करोड़ रु. की राशि दान करे। हमने पहले ही अनुमान किया है कि इससे लगभग 1500 करोड़ की धनराशि एकत्रित होगी। हमें गलत अनुमान नहीं लगाने चाहिए।

एक प्रस्ताव था कि लोगों से कर लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा गुजरात के 3.65 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अहमदाबाद, भुज या सूरत में या बनासकांठा अथवा किसी अन्य शहर में भी करदाता होंगे; आप इन लोगों से दो प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार चुकाने के लिए कैसे कहेंगे? आपको गुजरात के कम से कम इन 21 जिलों–जो भूकंप से प्रभावित हैं–के लोगों को सरकार द्वारा लगाए जा रहे दो प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार से मुक्त रखना होगा। मैंने इस संबंध में पहले ही माननीय वित्तमंत्री को पत्र लिखा है। हमारी राज्य सरकार ने कच्छ और भुज को पांच वर्षों तक कर से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। हम मध्यमवर्गीय लोगों की बात करते हैं। श्री हरिन पाठक मानते हैं कि 50 लाख रु. प्रत्येक की कीमत वाले सारे फ्लैट, जो बैंक–अधिकारियों, प्रबंधकों अथवा धनिक व्यक्तियों के थे, तबाह हो गए हैं।

एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, जिसने 5 लाख रु. का ऋण लेकर एक मकान बनाया था या खरीदा था, अब वह मकान पूर्णरूपेण ध्वस्त हो चुका है। उस ऋण की किश्तों के भुगतान का क्या होगा? प्रश्न यह है कि उसे माफ कर दिया जाए या नहीं। हमें पता है कि जहां तक श्रेष्ठ–वर्ग का संबंध है, हम लोग बैंक ऋणों के मामले में कितनी राशि माफ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर, व्यापारी वर्ग सहानुभूति का पात्र है भी। गुजरात सरकार की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार–वाणिज्य को 3000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है और 10000 करोड़ रुपये का संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये आंकड़े गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार कोई गंभीर प्रयास कर रही है अथवा नहीं।

राज्य सरकार को क्या दिया गया है? मैं जानना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपये की इस तदर्थ सहायता में से 100 करोड़ रुपये की कटौती की गई अथवा नहीं। मैं जानना चाहता हूं और गुजरात के संसद–सदस्य भी सरकार से पूछना चाहेंगे कि गुजरात सरकार को कुल 500 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है अथवा केवल 400 करोड़ रुपये की। केवल तदर्थ सहायता क्यों दी गई? आवश्यकता कितनी है? केन्द्र सरकार इस अति गंभीर स्थिति में–जो गुजरात ही नहीं, वरन् सारे देश में पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई–गुजरात के निवासियों की मदद वस्तुतः कैसे करने जा रही है?

मैं अधिक ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे जिले से आता हूं, जो अब पूरी तरह विनष्ट हो चुका है। मेरे निर्वाचन–क्षेत्र में 900 ग्रामों में से, लगभग 884 ग्राम भूकंप से प्रभावित हैं; 518 ग्राम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जबकि 181 ग्राम पूरी तरह विनष्ट हो गए हैं। मेरे निर्वाचन–क्षेत्र में पांच ग्राम–नगरपालिकाएं हैं–भुज, अंजार, भचाउ, रापार और गांधीग्राम। ये सब पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं और 152 ग्रामों में 70 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है।

मैं यहां विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे राहत–कार्य की चिंता है। राहत–कार्य वहां हो रहा था, प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था; प्राथमिक राहत वहां उपलब्ध कराई गई। अब, प्रश्न है कि कच्छ की अर्थव्यवस्था को पुनरूज्जीवित कैसे किया जाए; कैसे पूरे जिले का पुनर्निर्माण किया जाए? वहां पर हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है; चाहे गरीब हो, मध्यमवर्गीय हो या धनी हो। राजा से रंक तक सभी प्रभावित हुए हैं। हमारे महल भी गिरे हैं और झोपड़ियां भी। जो आदमी भरपेट खा रहा था, वह भी प्रभावित हुआ है और जो आधे पेट खा रहा था सुनार हो या लुहार हो, वह भी प्रभावित हुआ है।

[हिन्दी]

आज वहां सब लोग बेघरबार और बेरोजगार हो गए हैं। वहां पर जो लोग करोड़ों रुपये के मालिक थे, आज वे टेंटों में रह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि पूरे का पूरा कच्छ का इलाका भारत का अविभाज्य अंग है, वह पूरा तबाह हो गया है।

[अनुवाद]

यह एक बार्डर डिस्ट्रिक्ट है।

[हिन्दी]

और बार्डर डिस्ट्रिक्ट होने के कारण इसका बहुत महत्त्व है। अगर इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो पूरे देश का नुकसान होगा।

यह कई लोगों ने एलीगेशन लगाया है।

[अनुवाद]

मैं तो बस यही कह सकता हूं कि मेरे विचार से, ये आरोप आधारहीन हैं। यह आरोप लगाने का समय नहीं है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिली हैं। इसमें संदेह नहीं कि कुछ

[श्री पी. एस. गढ़वी]

क्षेत्रों में कुछ शिकायतें हो सकती हैं। ध्वंस का परिसर और परिमाण विराट था। मेरे निर्वाचन–क्षेत्र में एक से दूसरे छोर तक ध्वंस का प्रभाव ऐसा भीषण था कि उत्तर से दक्षिण तक 150 कि.मी. और पश्चिम से पूर्व तक 350 कि.मी. क्षेत्र प्रभावित हुआ। जब यह हादसा हुआ उस समय हम 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए जाने वाले थे। जैसे ही हम सर्किट हाउस में आये तो एक आवाज हुई और आगे वाला पोर्च का भाग गिरने लगा। दो–चार आदमी बाहर गये। उनके ऊपर पत्थर गिरे। हमारे मिनिस्टर, कलैक्टर, डी.एस.पी बिल्डिंग में रहे वह बिल्डिंग एक मिनट और तीस सैकिंड तक हिलती रही।

पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर गिर गया। वह जैसे–जैसे धीरे–धीरे स्लो हुआ, हम बाहर आए। हमने देखा कि पूरे भुज में अंधा–धुंध धूल निकल रही थी। मंत्री जी ने कहा कि मैं एक मिनट के लिए फ्लैग होस्टिंग की तरफ जाता हूं लेकिन आप पहले अस्पताल पहुंचें। मैं अस्पताल के लिए रवाना हुआ। मेरे साथी भी अस्पताल गए। भुज का एक मात्र डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी. के. जनरल हॉस्पिटल ध्वस्त हो गया। बहुत आदमी उसमें दब गए थे। हमारी नर्सें और डाक्टर उसमें रह गए। ऑपरेशन रूम इसकी चपेट में आ गए। इस बीच लोग आने लगे और वे चार–पांच हजार की संख्या में आ गए। पुलिस को इनफॉर्म किया। मेरे पास समय नहीं था कि मैं पहले इनफॉर्म करता। हमारे साथियों का फर्ज था कि वे घायल लोगों का ट्रीटमैंट करें लेकिन ट्रीटमैंट के लिए अस्पताल ही नहीं था। प्राइवेट डाक्टर वहां आ गए। उन्होंने पूरा इंतजाम किया लेकिन दवा नहीं थी। दवा की दुकानों का ताला तोड़ कर दवाइयां निकालीं और घायल लोगों का ट्रीटमैंट किया गया और उन्हें दवाइयां दी गईं।

[अनुवाद]

उस दिन कम से कम दस हजार लोगों का प्राथमिक चिकित्सा उपचार किया गया।

[हिन्दी]

हमने कोशिश की कि मिलिट्री हॉस्पिटल से सहायता मिले लेकिन वहां भी नुकसान पहुंचा। एअरफोर्स हॉस्पिटल गिर गया था। प्राइमरी स्कूल गिर गया। यह भुज का ऑउटर पार्ट है। वहां लोग आने लगे। भुज के पुराने किले के अन्दर एक पूरा गांव है। वहां 60 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं। पूरा का पूरा जो भुज शहर था, वह अब नहीं रहा।

[अनुवाद]

वह समय प्राथमिक चिकित्सा करने का था।

[हिन्दी]

हमारी टेलीफोन सेवा ठप हो गई थी।

[अनुवाद]

हमारे पास सैटेलाइट टेलीफोन था। मैं उस दशा में गांधी नगर से भी संपर्क करने की स्थिति में नहीं था। हम गुजरात के शेष भागों से कट–ऑफ हो गए थे। हमारे मंत्री वहां थे, कलैक्टर थे, आई.जी. थे। सब ने मिल कर कंट्रोल रूम खोला जिससे ट्रीटमैंट शुरू हो सके। जो भी साधन मिले, उनका इंतजाम किया। लाइट चली गई थी। जैनरेटर से लाइट का इंतजाम किया। वहां चार डिग्री टैम्परेचर था। रात को सोने को नहीं मिला। एक गांव से लोग आए और वे थोड़े बहुत बिस्तर लाए।

[अनुवाद]

हताहतों की संख्या हजारों में थी।

[हिन्दी]

मैं 26 जनवरी को वहां था जबकि यहां कहा गया कि 26 जनवरी को वहां कोई नहीं था। 26 जनवरी को दोपहर के बारह बजे दिल्ली से कॉन्टैक्ट हुआ। उसके नैक्स्ट डे पुणे से आर्मी के जवान आए। डिफेंस मिनिस्टर 27 तारीख को पहुंचे और चीफ मिनिस्टर भी 27 तारीख को वहां पहुंच गए। मैं वहां पर था। हम होल नाइट कंट्रोल रूम में बैठे रहे। हमारे गुजरात के मंत्री श्री सुरेश मेहता वहां थे।

[अनुवाद]

जो भी तुरन्त करने की आवश्यकता थी किया गया।

[हिन्दी]

आर्मी के लोग आ गए। आर्मी के ब्रिगेडियर श्री बुधवार जिन्हें मैं जानता हूं और जो ऑपरेशन कारगिल में थे, वह आ गए। रात को न कोई घर जा सकता था और न सो सकता था। किसी को न खाने की और न पीने की फिक्र थी। शाम को पता लगा कि भूकम्प से भचाऊ, अंजार और गांव के गांव ध्वस्त हो गए।

[अनुवाद]

यह आरोप लगाने का समय नहीं है।

[हिन्दी]

भूकंप का असर इतना भारी था कि कोई न कोई कमी रही होगी। उसी दिन मेरा पुराना घर गिर गया, मेरा आफिस गिर गया। मेरे घर के पास शहनाज बहन रहती थी। उसने हिन्दुओं को आश्रय दिया और दूसरी ओर भाई शंकर ने दीन दयाल के माध्यम से लंगर लगाया। उसमें हर कौम के लोग आए। उसमें

दलित और मुस्लिम आदि सब लोग आए। मैं भी वहां था। हमने उनको खाना और कम्बल दिए और जिस चीज की जरूरत थी, उसे दिया। मेरे इलाके में मुस्लिम भाई हैं। वहां 27 परसैंट से भी ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हमारा अपना एक कल्चर है। हमारे यहां कभी भी माइनॉरिटी, मैजॉरिटी का विवाद नहीं हुआ है। मैं सदन से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके आप हमें यह मत सिखाएं।

[अनुवाद]

मैं रूढ़िवाद का विरोध करता हूं। मैं तीन बार यहां से चुनकर आया हूं। मैं एक–एक गांव गया हूं। हम सब आर.एस.एस. में थे। वहां आर.एस.एस. भाइयों ने काम किया। वहां हाजी हसन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल ने भी काम किया है। भाई शंकर द्वारा चलाया जाने वाला दीन दयाल ट्रस्ट का लंगर आज भी चलता है। भुज के 10 हजार लोग आज भी मिल कर लंगर में साथ खा रहे हैं। इतना दुख होने के बाद भी मुझे गर्व है कि सारे देश ने हमारी मदद की है।

[अनुवाद]

यह सचमुच एक महान राष्ट्र है। मैं कश्मीर से कन्या कुमारी तक देश के अपने सभी भाइयों और बहनों को सलाम करता हूं।

रात्रि 8.00 बजे

[हिन्दी]

कोलकाता से सौराष्ट्र के लोग हमारे पास आए और हमारे इस दुख में हमें बहुत बल दिया उसके लिए

[अनुवाद]

वास्तव में मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने हमारी सहायता की है।

[हिन्दी]

उसी दिन हमारी सरकार के लोग आए। हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी वहां आए।

[अनुवाद]

यद्यपि उनकी तबियत ठीक नहीं थी। वे काम करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद वे भुज, अंजार और अन्य स्थानों पर गए। वे सैन्य अस्पतालों में गए। वे सभी जगह गए। निःसंदेह माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी यहां आए और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया।

[हिन्दी]

कई लोगों ने इस दुख में हमारी मदद की, विदेशों से मदद मिली। कई पार्टीज ने हमारी मदद की और इस मदद के बाद वहां के लोगों ने पूछा है कि अब सरकार क्या करेगी।

[अनुवाद]

निराशा अब शुरू हुई है।

[हिन्दी]

जो लोग वहां धंधा करते थे, वह रहा नहीं। उन लोगों के पास रहने के लिये घर नहीं। जो डैबरीज निकालने की बात कर रहे थे, वह निकाला नहीं गया क्योंकि जो पुराना शहर है, उसकी गलियां इतनी छोटी हैं कि 5–5 फीट चौड़ी हैं और यहां पांच मंजिल के मकान बने हुए हैं। डैबरीज निकालना

[अनुवाद]

प्रश्न है कि क्या डैबरीज हटाने का परामर्श देना उचित है या नहीं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह परामर्श ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसका शहरों और गांवों का पुनर्स्थापन अपरामर्शनीय है।

[हिन्दी]

डैबरीज हटाने का खर्च बहुत होगा और फिर दूसरी जगह में डैबरीज रखने के लिए भी बहुत जमीन की जरूरत होगी तो वह जमीन मिल जाएगी। हमारी सरकार ने एक प्लान बनाया है, री–कंस्ट्रक्शन प्रोजैक्ट बनाया है कि जिनका 100 परसेंट डैमेज है, उन्हें जमीन देंगे, सब्सिडी देंगे और बैंक से जो लोन मिलेगा, उसमें भी राहत मिलेगी। इस प्रकार पूरे एक गांव का पैकेज बनाया गया है। शहरों के लिए प्लान पैकेज बनाना बाकी है। गांव के लोगों की कौनसेन्सेज ली गई है।

[अनुवाद]

कुछ लोगों ने यह कहकर आपत्ति की है कि वे बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वे पैतृक घरों को छोड़ना नहीं चाहते। बहुत सारी समस्याएं हैं।

[हिन्दी]

और जो रिलीफ फंड मिला है, वह अनप्रेसीडेंटेड है, जो मदद मिली है, वह भी अनप्रेसीडेंटेड है। अभी हमारे मित्र श्री हरिन पाठक ने बताया : पश्चिम के कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने कहा है और जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "आपके पास पश्चिमी देशों से आ रहे विशेषज्ञ हैं और जो आपको बता रहे हैं कि काम को कैसे करना है। लेकिन सभी जगह सभी सब कुछ देखने पर मेरा विश्वास है कि

[श्री पी. एस. गढ़वी]

यदि यह भूकंप पश्चिमी देशों में कहीं भी आता तो जो काम आपकी सरकार ने किया है, उसका पांचवां हिस्सा भी वे न कर पाते।''

मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं।

[हिन्दी]

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इतनी सारी मदद मिली है, वह री–कंस्ट्रक्शन के काम आएगी। कच्छ एक बहुत बड़ा हिस्सा है और गुजरात एक बड़े मुल्क की तरह है।

[अनुवाद]

कच्छ सिर्फ एक जिला ही नहीं है। कच्छ एक क्षेत्र है। गुजरात तीन क्षेत्रों नामतः कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात से बना है। यह 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

[हिन्दी]

यह जिला हरियाणा राज्य से भी बड़ा है। इतने बड़े इलाके का ध्यान रखने के लिए मैं सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यह आपकी, मेरी, सरकार की और सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग साथ मिलकर इस गुजरात को खड़ा करें और आगे बढ़ें।

[अनुवाद]

कच्छ में संभावनाएं हैं।

[हिन्दी]

आपने कहा कि 2 परसेंट टैक्स लगाएंगे। मेरी सैंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना है।

[अनुवाद]

सरकार को पूरे देश में कर लगाने के बदले कच्छ क्षेत्र के लिए एक ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए कि कच्छ का अपने आप विकास हो सके। कच्छ में अब तक तीन विनाशकारी भूकंप आए हैं। एक भूकंप 16 जून 1819 को आया था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8 थी। तब, दूसरा भूकंप जुलाई, 1956 को आया था। रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 7 थी और इसके बाद तीसरा भूकंप 26 जनवरी, 2001 को आया था और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 थी।

[हिन्दी]

यह इलाका जोन–5 में आता है जहां इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती। मैंने पहले भी कहा कि यहां पर पीने के पानी की बहुत कमी है। मैं सैंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से बार बार विनती कर चुका हूं कि कच्छ के लिये लौंग टर्म प्लानिंग बने, वहां पानी की सुविधा दें। इसके लिये कच्छ में दो आल्टरनेटिव्ज हैं। जैसे पर्शियन गल्फ में डीसैलीनेशन प्लांट किया गया है।

[अनुवाद]

लेकिन खारेपन को खत्म करने वाले संयंत्र महंगे होते हैं दूसरा विकल्प नर्मदा अथवा माही नदियों के जरिए दक्षिण गुजरात से जल पाने का है। यह दूरी लगभग 700 किलोमीटर की है। गुजरात सरकार ने भारत सरकार को एक परियोजना प्रस्तुत की है।

[हिन्दी]

यह सात सौ करोड़ की प्रोजेक्ट है। सात सौ करोड़ रु. की प्रोजेक्ट के लिए मैंने तथा गुजरात के सांसदों ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है आप जिस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए उनकी कोओर्डीनेशन प्लान बनवा दें। कच्छ के पास इतनी पोटेंशिएलिटी है, उसके पास कांडला पोर्ट है।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन में लगभग 600 करोड़ रुपये का भंडार है।

[हिन्दी]

हमारी आर्मी को वहां वाटर की जरूरत पड़ती है, रेलवे को पड़ती है, इसलिए उसमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यदि हमारी पानी की प्रोजेक्ट्स पर वार फुटिंग पर काम हो जाए तो कच्छ अपने आप रीसैटल हो जायेगा। किरीट भाई ने बताया कि कच्छ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं। कच्छ के लगभग चार लाख लोग मुम्बई में रहते हैं। जो लोग कच्छ से बाहर गये हैं, उन्होंने वहां बहुत मदद की है। अभी वहां पानी की समस्या को लिया जाए। हमारे पास केवल एग्रो–बेस्ड इंड्स्ट्रीज हैं। वहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए पानी चाहिए। वहां नर्मदा का इश्यु चल रहा है। मैं संसद में एक बार फिर से सब पार्टियों से प्रार्थना करूंगा।

[अनुवाद]

उन्हें इस बात का एक संकल्प पारित करना चाहिए कि नर्मदा बांध की ऊंचाई तत्काल 110 मीटर बढ़ाई जाए।

[हिन्दी]

यदि नर्मदा का डैम 110 मीटर हो जायेगा तो इमीजियेटली पूरा गुजरात रीसैटल हो जायेगा। पीने के पानी की समस्या को

दूर करने के लिए पानी की पाइप लाइन वहां जाए। वहां कुछ पानी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया जाए। हमारे पास सबसे ज्यादा साल्ट पैदा होता है। देश में जितना साल्ट पैदा होता है उसका 60 प्रतिशत कच्छ में पैदा होता है। वहां साल्ट बैस्ड इंडस्ट्रीज हैं। हमारे पास मिनरल्स के भंडार हैं। इसलिए सरकार को मेरा सुझाव और प्रार्थना है कि कच्छ के लिए एक ऐसा स्पेशल पैकेज दिया जाए क्योंकि वहां का 90 प्रतिशत एरिया अफैक्ट हुआ है। हमारे पास जो पोर्ट्स हैं उनमें तीन माइनर पोर्ट्स हैं, इसके अलावा मुन्द्रा, मांडवी और जखऊ को यदि वहां फ्री पोर्ट की फैसिलिटीज दुबई आदि के पैटर्न पर मिल जाएं तो कच्छ डेवलप हो जाएगा।

सभापति महोदय, 1947 के पहले कच्छ में फ्री पोर्ट की पालिसी थी। उस समय के राज्य ने इस पालिसी को अडाप्ट किया था। पिछले पचास सालों में हमने वहां 32 अकाल देखे हैं। दो बड़े साइक्लोन देखे हैं। एक साइक्लोन में हमारी पूरी की पूरी वैजिटेशन नष्ट हो गई जो साउथ कोस्ट में मुन्द्रा और मांडवी में तहसील थी, वहां तीन लाख पेड़ नष्ट हो गये। दूसरे साइक्लोन में हमारे पशुधन की बरबादी हुई है।

[अनुवाद]

दूसरे चक्रवात में जिसने अपरासा और लखपत को प्रभावित किया, हम लोगों ने लगभग एक लाख मवेशी खो दिए। ऐसी आपदाओं के कारण वहां के लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू किया है।

[हिन्दी]

अगर इस तरह की दुर्घटनाओं से वहां आबादी कम हो जायेगी तो फिर क्या होगा। आज कश्मीर में क्या हो रहा है, वही हाल कच्छ का होगा।

रात्रि 8.09 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग और सरकार मिलकर एक पैकेज बनाए। उस पैकेज में कच्छ को रिवाइव करने के लिए टैक्स होलीडे होना चाहिए। टैक्स होलीडे में

[अनुवाद]

भारत सरकार को उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान और सीमा शुल्क के भुगतान में छूट होनी चाहिए और सरकार को हमारे पत्तनों को मुक्त पत्तन के रूप में घोषणा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

ऐसा हो जाये तो कच्छ आटोमैटिकली रिवाइव हो जायेगा। गुजरात में रिवाइवल होने की कैपिसिटी हैं।

अभी बताया गया कि कुछ काम नहीं हुए, मैं एडमिट करता हूं कि कई चीजों की एक साथ जरूरत थी। वहां टैन्ट की आज भी जरूरत है, जो पूरी नहीं हुई, सरकार ने एडमिट किया है कि टैन्ट की जितनी रिक्वायरमैंट थी, उतने टैन्ट देश में पैदा नहीं होते हैं। बाहर से मंगाने पड़े। वहां जो प्लेन्स आने थे, उसमें एयरफोर्स के पांच सौ से सात सौ पलेन्स आ चुके हैं। इंडियन एयर लाइन्स ने वहां फ्री सर्विस दी है और जो लोग इनजर्ड हुए थे, उन्हें मुंबई और पुणे भेजा गया, उन लोगों को फ्री सर्विस दी गई। अहमदाबाद और भुज के बीच में 14 दिन तक फ्री सर्विस चलाई और यह सब गवर्नमैंट के द्वारा हुआ है और लोगों को रिलीफ मिला। लेकिन अब वहां के लोगों के सामने मुख्य प्रश्न यह है कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं? मेरे धंधे का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा? इस के कारण लोगों में जो डिप्रैशन आता है, उस डिप्रैशन में से निकलने के लिए एक पैकेज गवर्नमैंट ऑफ इंडिया जल्दी बनाए ऐसी मेरी प्रार्थना है।

हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जो बजट पेश करने वाले है, उसमें वे आश्वासन दें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कच्छ रीकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग जो कुछ करना होगा वह जरूर किया जाएगा और उसमें देश की और विदेशी सहायता भी मिलेगी उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। यहां हम सब लोग जो बोलते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि

[अनुवाद]

यह आरोप और प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है चाहे वे इस दल के हों अथवा उस दल के। अन्यथा हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे और हम लोग गंदी राजनीति के शिकार हो जाएंगे।

[हिन्दी]

अगर आज सब एक रहेंगे तो हम सब मिलकर पुनर्निर्माण कर सकते हैं। प्रधान मंत्री जी अभी आए हैं, मैं फिर उपनी बात रिपीट करता हूं।

[अनुवाद]

मैं अनुरोध करता हूं कि कच्छ क्षेत्र के लिए एक वित्तीय पैकेज दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक पूर्णतः शक्ति संपन्न तंत्र बनाया जाना चाहिए। यह एक बहुमुखी प्राधिकरण बन सकता है।

[श्री पी. एस. गढ़वी]

[हिन्दी]

अर्बन डेवलेपमेन्ट के मंत्री श्री जगमोहन जी वहां आए थे एक्सपर्ट्स को साथ लाए थे और लॉन्ग टर्म की अनेक योजना बनाई हैं और अर्थक्वेक प्रूफ मकान बनाने हैं। उसके लिए इंतजाम हो रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को टैण्टों में रहना पड़ेगा। यह व्यवस्था थोड़े दिन के लिए होगी। छः महीने, 12 महीने वहां रहना पड़ेगा लेकिन उनमें प्राइवेसी की समस्या आएगी। कोई औरत प्रैगनैन्ट है, किसी के यहां गम के और किसी के यहां खुशी के प्रसंग आएंगे, उनके लिए भी थोड़ा इंतजाम हो जाए, इसके लिए स्पैशल पैकेज कच्छ को मिलना चाहिए। उसके लिए ठीक इंतजाम होना चाहिए। वहां फ्री पोर्ट्स होने चाहिए और इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुजरात सरकार ने डिसाइड की है और डिक्लेयर की है, उसमें जो धंधा करना चाहते हैं, कैबिन वालों को 3000 रुपये, शॉप वालों को 6000 रुपये दिया जाएगा, दो साल का इंटरेस्ट माफ होगा और 60 लाख रुपये तक की लोन मिलेगी, वह सब पैकेज में है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं क्योंकि वहां सभी पार्टियों के लोगों ने सहायता की है उसमें मुस्लिम लोग भी आए, हिन्दू लोग भी आए। उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए सबका अभिनन्दन करता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, यह एक राष्ट्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण जिला अथवा क्षेत्र है। यह देश इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इसकी देख–भाल करनी है और मैं विश्वस्त हूं कि सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि यह पुनर्जीवित हो सके।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भूकंप बहुत बड़ी आपदा है। जब कोई आपदा आती है तो लोग घरों में जाकर छिपते हैं मगर जब धरती हिलने से घर ही गिर जाएं और आदमी दबकर मर जाएं तो सचमुच यह भारी प्राकृतिक आपदा है। आग लगती है तो उससे भी घर जल जाते हैं, संपत्ति बरबाद हो जाती है। चक्रवात या तूफान आते उसमें भी ऐसा होता है। चक्रवाती तूफान, भूकंप, बाढ़ और आग, ये चार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे मुकाबला करना वास्तव में बड़ा कठिन है और इनकी जानकारी पाना भी कठिन होता है। वैज्ञानिक बता नहीं पाते हैं कि क्या होने वाला है। उसके आने के बाद भी कम असर पड़े या आपदा का मुकाबला कर लिया जाए, पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए, इसी को अंग्रेजी मे डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन हमारा क्या मैनेजमेंट है और क्या सरकारी तंत्र है वह सारा एक प्राकृतिक आपदा से चकनाचूर हो गया। कहीं कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी। यह सरकारी तंत्र और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एकदम चौपट है जो इस आपदा से साबित हो गया। भगवान भरोसे आदमी जी रहा है, लोग अपने से मुकाबला कर रहे हैं, आप क्या मदद करने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस राज्य ने 5 करोड़ रुपये दिए, उसका नाम भी कृषि मंत्री महोदय ने नहीं लिया, यह ठीक नहीं है। कागज देखिए सिर्फ राज्यों ने सहायता की है, यह लिखा है। किस राज्य ने कितनी सहायता की, उसका नाम तक नहीं लिखा है। हम चाहते हैं कि राज्य ने कितना रुपया दिया, यह हिसाब सदन में आना चाहिए। बिहार सरकार ने 5 करोड़ रुपये देकर मदद की, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आया। इतनी भलमनसाहत भी अपने बयान में नहीं दिखाई है। राज्य के नाम का तो कम से कम उल्लेख होना चाहिए था। वह भलमनसाहत भी खत्म हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार वर्ल्ड बैंक की गुलाम है। उसका और एशिया विकास बैंक का नाम मंत्री महोदय ने लिया, लेकिन देश की राज्य सरकारों के नाम तक का उल्लेख नहीं किया। अब कौन जाने इन बैंकों ने जो 300, 350 मिलियन डॉलर की सहायता दी है, वह लोन है या वास्तव में सहायता है। जबकि हमारी सरकारों ने किसी ने 2 करोड़ रुपए दिए, किसी ने 3 करोड़ रुपए, किसी ने 5 करोड़ रुपए और किसी ने 7 करोड़ रुपये दिए, लेकिन उनका नाम तक कृषि मंत्री महोदय ने अपने बयान में देने का कष्ट नहीं किया। विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ दिया है। जो कागज आपने बनाया है, वह हम देख रहे हैं। उससे हमें संतोष नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर प्रधान मंत्री जी ने एक कमेटी बना दी। हमें लगता है और हम विश्वास करते हैं कि वह कमेटी आगे कैसे ट्रेनिंग दी जाए, क्या उपाय किए जाएं, कैसी तकनीक अपनाई जाए, इन सब के बारे में ठीक प्रकार से व्यवस्था करने की सलाह देगी क्योंकि हमारे देश में आपदाएं बराबर आती ही रहती हैं। हमने सुना है कि 1934 में बिहार में भारी भूकम्प आया, लेकिन हमने देखा नहीं। उसके बाद हम लोगों के सामने दरभंगा, जबलपुर, लातूर और उत्तर काशी में भूकम्प आए। इन सब भूकम्पों के बारे में हमें याद है। उड़ीसा में आन्ध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान आए। उनमें बहुत लोग मरे और संपदा की क्षति हुई। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं में बहुत लोग मरते हैं। बाढ़ तो हम लोग बिहार में हर साल भोग रहे हैं। बाढ़ से भी कम विनाश नहीं होता है। हमारे देश में हर साल किसी न किसी प्रकार की आपदा आती है। आपदाओं

को आने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि यदि अचानक कोई आपदा आ जाए, तो उसका असर कम से कम हो और पीड़ितों को तुरन्त तथा अधिक से अधिक राहत पहुंचे, रीहैबिलिटेशन हो, रैस्क्यू आपरेशन चलें और बहुत अच्छा इंतजाम होना चहिए ताकि नुकसान की विभीषिका को कम से कम किया जा सके, लेकिन हम लोग इस प्रकार की सहायता तुरन्त पहुंचाने में फेल हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज संचार के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। आज सैल्यूलर फोन उपलब्ध हैं। भूकम्प के बारे में दिल्ली में सायंकाल 3 बजे मीटिंग होती है और भूकम्प सुबह 8 बजे के लगभग आता है, लेकिन मीटिंग 7 घंटे बाद होती है। एक घंटे बाद ही मीटिंग क्यों नहीं हुई? यह डिजास्टर मैनेजमेंट है या मिस–मैनेजमेंट है? फिर भिन्न–भिन्न बयान आए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी वहां के एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने का अच्छा इंतजाम किया गया। यह खुशी की बात है कि बढ़िया मैनेजमेंट कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि जिसका घर गया उसको नैचुरल कैलेमिटी रिलीफ किस प्रकार से देंगे, क्या आप उसे घर बनाकर देंगे, जमीन देंगे, पैसा देंगे, वह हिसाब हम जानना चाहते हैं क्योंकि हर राज्य का रिलीफ कोड अलग–अलग है। हम प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति की किस प्रकार से मदद करेंगे वह हमें बताया जाए। क्या आप उसे इंदिरा आवास योजना में घर बनाकर देंगे अथवा लोग अपना घर अपने आप बनाएंगे। फिर इस विनाश की लीला में आप रिलीफ कोड को किस प्रकार से बदलेंगे और जो गरीब नहीं है, क्या उसको सहायता नहीं देंगे और यह कैसे तय करेंगे कि किसको सहायता दी जाए और किसको नहीं। हर राज्य में गरीबी की परिभाषा अलग–अलग है। जैसे आपने मुफ्त अनाज देने की बात कही। गुजरात की आबादी 6 करोड़ है। उसमें से आप 1 करोड़ लोगों को अनाज की सहायता देंगे। यदि ऐसा है, तो आप 6 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों को किस प्रकार से अलग करेंगे। आप पूअरैस्ट में से पूअर कैसे चुनेंगे। फिर केन्द्र सरकार राज्य सरकार की गलती बताएगी और अनाज बिना वितरण के वैसे ही सड़ जाएगा। इसलिए हम यह सब बातें जानना चाहते हैं और आप हमें बताएं कि पीड़ित लोगों की मदद आप किस प्रकार करेंगे।

अभी वघेला जी बोल रहे थे कि वहां जितने लोग मरे, उनके परिवार वालों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। मेरा कहना है कि आप ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते तो कम से कम उन्हें राहत तो दीजिए। हम यही जानते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, भगवान उनकी मदद करे या न करे लेकिन सरकार उनकी पीठ पर खड़ी होकर उनकी सहायता करे, यही राहत की परिभाषा है। वहां गरीब ही नहीं बल्कि जो अमीर लोग हैं, जिनको आप सम्पन्न कहते हैं तथा जिनके पास अपनी जमीन, जायदाद है, वे भी इस भूकम्प या आगजनी से अस्थायी तौर पर विपन्न हो जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उनकी क्या मदद करेंगे और कैसे करेंगे? क्या उनको लोन दिया जायेगा? हम यह सारा हिसाब किताब जानना समझना चाहते हैं कि वहां अभी क्या हो रहा है? वहां जो लोग बचे हैं जिनके घर बर्बाद हो गये है, वे टैंटों में रह रहे हैं। वे कहां खा रहे हैं? अभी हरिन पाठक जी और सौमेया जी इस तरह से बता रहे थे जैसे पाठ कर रहे हों। क्या यह पाठ है? किसी का लड़का मर गया, कोई बूढ़ा या बूढ़ी मर गये, किसी का पूरा परिवार ही साफ हो गया या किसी का आधा परिवार मर गया तो उससे अलग–बगल के भी लोग दुखी होंगे। यह दुख का विषय है। वहां हजारों की संख्या में लोग मरे हैं। 19 या 20 हजार से ज्यादा लोग मारे गये हैं। इससे वहां पर कितना दुख और विपत्ति होगी, यह सभी जानते हैं। वहां इतना बड़ा विध्वंस हो गया इसलिए धैर्य, साहस, समझदारी और ईमानदारी की जरूरत है।

अभी वघेला साहब कह रहे थे कि जो ट्रक यहां से चले, वे वहां आधे ही पहुंचे। यह तो वहां के माननीय सदस्यों को देखना चाहिए कि असली स्थिति क्या है? इसी तरह रंग–बिरंगे बयान आ रहे हैं। प्रधान मंत्री जी चेन्नई में एक बयान करते हैं कि सारा को–आर्डिनेशन दुरस्त है लेकिन उसी दिन वहां के मुख्यमंत्री जी का बयान है कि को–आर्डिनेशन का बड़ा भारी अभाव है। इस तरह से दो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति बयान दें तो हम लोग अखबार में पढ़कर क्या समझ सकते हैं? इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में माननीय सदस्य बतायें। उसके बाद वित्त मंत्री जी कहते हैं कि भूकम्प का मुकाबला कर लेंगे परन्तु टैक्स नहीं बढ़ायेंगे जबकि प्रधान मंत्री बोलते हैं कि बिना टैक्स बढ़ाये कोई उपाय नहीं है। हम इन सबका क्या अर्थ लगायें या कौन सी चीज सही मानें?...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : सरकार का आर्डर ही सही मानें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप शांत रहिए। आपकी भी अभी बारी आयेगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ऐसी कठिन घड़ी में सरकार ही सहारा देती है। सरकार की तरफ से यदि ऐसे स्वर सुनाई देंगे तो 100 करोड़ की हमारे देश की आबादी और दुनिया की 600 करोड़ की आबादी क्या समझेगी? इसलिए कठिन घड़ी में

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सब कुछ ठीक–ठाक रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बोलना या करना चाहिए जिससे लोगों में भ्रम फैले। सरकार को इस समय ऐसी मदद करनी चाहिए जिससे सदन के सभी लोगों को खुशी हो कि देश में किसी भी आफ्त के आने पर हर पीड़ित को पर्याप्त मदद तथा सहायता मिलेगी। 20 हजार करोड़ रुपये की बर्बादी का आंकड़ा कोई लौटा नहीं सकता लेकिन जो लोग बचे हैं उनको जीने का, उनको साहस देने का, उनकी पीठ पर खड़ा रहने का काम होना चाहिए।

जहां तक हिसाब–किताब की बात है तो हम यह जानना चाहते हैं कि कहां से कितना पैसा आया और उस पैसे का कैसे इंतजाम किया गया, यह भी सब साफ होना चाहिए। इस कागज को देखने से हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन से देश से कितनी मदद आई। इसमें यह सब कुछ लिखा हुआ नहीं है खाली बैंक के बारे में लिखा है कि एशिया बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने दिया। क्या आप इसमें बाकी लोगों या राज्यों के नाम के बारे में नहीं लिख सकते कि उन्होंने इतनी सहायता की? मेरा कहना है कि भगवान के बाद सरकार का ही दर्जा है। उड़ीसा में भी 10 हजार करोड़ रुपये की बर्बादी हुई जबकि यहां पर 20 हजार करोड़ रुपये की बर्बादी हुई। उसको आपने 50 करोड़ रुपये की मदद की जबकि यहां 500 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया जो कि कम है। इससे ज्यादा मदद होनी चाहिए लेकिन यह सवाल जरूर उठेगा कि वहां के लिए राहत अलग और यहां के लिए राहत अलग ऐसा क्यों हैं?

क्या पेच है, क्या कारण है, इसका सवाल उठेगा, हमें लोग बता रहे थे। आंध्र, बिहार और बंगाल में बाढ़ आई। आंध्र को मदद मिली है। श्री नीतिश कुमार मंत्री हैं। ये हमारे ही सुझाव पर गए थे। बिहार को एक पैसा नहीं दिया। 274 लोग मरे थे। वहां भी लाखों एकड़ सम्पत्ति बर्बाद हुई।...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। एन.सी.सी.एफ. से 29 करोड़ रुपये बिहार को भी मिले हैं। बिहार को नैशनल कैलेमिटी कनटिनजैंसी फंड से 29 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले हैं। आपकी सरकार ऐसी है कि आपको बताती नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में है, आपने कागज में लिखा है। वहां भी नहीं पहुंचा होगा। चार हिस्सों में से जो तीन हिस्से केन्द्र देती है, एक हिस्सा राज्य सरकार देती है, जो वित्त आयोग की अनुशंसा पर है, वह भी आपने रोक कर रखा है। आप क्या हिसाब बताएंगे?...*(व्यवधान)* देखिए, पेच लगा रहे हैं। इसलिए श्री पासवान ने कहा कि यह मंत्री नहीं किराने हैं। इन्हीं के मंत्री ने इनको कहा। एक–दूसरे को कहा, हम इनको कैसे सफाई मान लें। आपदा में खाता खोल रहे हैं। आपदा हो जाए तो उसमें कानून को शिथिल करके मदद दी जाती है। बात साफ हो गई।...*(व्यवधान)* वित्त आयोग ने जो कहा, उसे भी अभी तक नहीं दिया, अब भेद खुला है और कहते हैं कि 29 करोड़ रुपये बांट रहे हैं। कनटिनजैंसी वाला कानून क्यों नहीं बनाया?

श्री नीतीश कुमार : बन गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कब बना, क्या आपने उसे हाउस में ले किया है? पिछली बार बहस हुई थी तो हमने सरकार पर करारा प्रहार किया था कि सरकार विफल है। आपद काल में हमसे पूछ कर आएंगे। आर्डिनैंस भी नहीं बना । कानून लाइए, उसे पास करिए, नहीं तो ऐडहॉक मैनेजमैंट कैसे चलेगी। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है। उसे तुरंत करना चाहिए। यह इसी ढंग से सरकार चला रहे हैं।

वैज्ञानिकों को भी नहीं पता कि भूकम्प कैसे आया। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि नाग पर पृथ्वी है, सांस लेने से धरती हिलती है। वैज्ञानिकों को कहां मालूम है कि भूकम्प क्यों होता है और कब होमा। हिन्दुस्तान के वैज्ञानिकों ने कहा कि उसकी गति 6.9 थी लेकिन अमरीका के वैज्ञानिकों ने कहा कि उसकी गति 7.9 थी। एक का फर्क है। किसकी मशीन ठीक है और किसमें कमी है। वे अलग बोल रहे हैं और ये अलग बोल रहे हैं। कौन सी बात सही है? इसका मतलब है कि अभी आपदा की भविष्यवाणी या मात्रा की जांच करने के लिए कौन सी बात सही है, हमारी मशीन दुरुस्त है या अमरीका की मशीन दुरुस्त है। अखबार में आया था, सबने पढ़ा होगा।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : आपको कौन सी मशीन ठीक लग रही है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : दोनों मशीन ठीक लग रही हैं लेकिन सरकार की मशीन में त्रुटि है, ऐसा हमको लगता है। ...*(व्यवधान)* बिहार की सीख लेंगे तो आपका काम भी ठीक चलेगा। लेकिन बिहार की हंसी उड़ाते हैं लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमैंट के मंत्री तो बिहार के हैं। बिहार के बिना देश का काम भी नहीं चलने वाला है। गुजरात की आपदा से पूरे सदन को सहानुभूति है। कोई आलोचना करता है तो उधर से खड़े हो जाते हैं। क्या विपत्ति है और क्या मदद हो सकती है, कितनी मदद होगी, उसमें कमी रह जाएगी।

उसकी बात को कोई कह दे तो उधर से खड़े होकर बोलते हैं, जैसे वहां के लोग बड़े मालामाल हो गए, बहुत आराम में हैं और उनको कोई कष्ट नहीं है, ऐसा बोलकर लोग सीरियस बात को खराब कर देते हैं। इसलिए हमने आपकी आलोचना नहीं की। आपात काल में किसी भी सरकार की मशीनरी खराब हो सकती है, त्रुटियां हो सकती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, इसलिए जब ऐसा कोई सवाल उठे तो उस पर टटोलिए...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : आलोचना हो सकती है, लेकिन गलत बात नहीं कह सकते... *(व्यवधान)*

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर) : आपको हम लोग सीरियसली सुन रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, इतने हम लोग शान्त होकर एकदम चुपचाप सुन रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम असली बात कह रहे हैं, तो सुनिएगा नहीं? इसलिए जहां–कहीं भी त्रुटि रही है, चूंकि 900 गांव प्रभावित हो गये। भुज, कच्छ, बचाऊ और अंजार, इन चार स्थानों पर मुख्य बर्बादी हुई। हमें लगता है कि शहरी क्षेत्रों पर लोगों का ध्यान ज्यादा गया है। लोग बता रहे थे कि अभी तक मलबे में से लोग निकल रहे हैं, जो घर टूट गये और लोग भीतर निकाल नहीं पाये होंगे। कहते हैं कि उनको निकालना ही उचित नहीं है या बता रहे थे कि टैक्नीकल सजेशन में एडवाइजर लोग कहते हैं कि उससे अलग ही घर बना देना ठीक है, उनको निकालना ठीक नहीं है। असलियत तो सरजमीं पर माननीय सदस्यगण देखकर बताएंगे। इसलिए हमें और सजग होकर पीड़ित लोगों को रिहैबिलिटेट करने का काई उपाय करना चाहिए। जिन लोगों का अंग भंग हो गया, जो लोग विकलांग हो गये हैं, या जो बच गये हैं, लेकिन उनका इलाज हो रहा है, उनका इन्तजाम करना है। जिनके घर के लोग खत्म हो गये, उनको कम्पेंसेशन, मदद, मुआवजा देकर रिहैबिलिटेट करने के लिए करना चाहिए।

इस समय कानून कायदा काम में बाधक है, सोनिया गांधी जी कह रही थीं कि अनाज देने के लिए कार्ड मांग रहे हैं, जबकि वहां सब समान और सर्टिफिकेट खत्म हो गये, सारे दस्तावेज खत्म हो गये, घर में दब गये।...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, वहां जो भी आया, सब को सब कुछ देने की वहां के मुख्यमंत्री ने छूट दे दी और जो भी लाइन में आया, चाहे वह लखपति हो या गरीब हो, सब को सामान मिला।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जाकर कहते हैं कि यह आदमी पीड़ित है, इसको दो तो आफिसर कहेगा कि नहीं, इसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसको हम नहीं देंगे। इसलिए व्यावहारिक कठिनाइयां सरजमीं पर होती हैं। सभी अधिकारी लोग एक तरह के नहीं होते हैं, इसलिए व्यवहार में कहीं–कहीं हुआ होगा, आप लोग इनकार क्यों करने लगते हैं। कहीं आग लगने पर हम कहेंगे कि इसका घर जल गया तो आफिसर कहेगा कि नहीं, इसको नहीं देंगे, इसका नाम नहीं है। अभी जो बी.पी.एल. का नाम लिखाता है, उसमें कहेगा कि इसका नाम नहीं है, इसको नहीं देंगे, यह सब हम लोग भोग चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : शुरू में कई लोगों ने राशन कार्ड की बात कही थी, लेकिन बाद में राशन कार्ड की बात बन्द कर दी। फिर यदि कोई भी इलैक्टिड मैम्बर कहेगा तो देंगे, इसका उपाय हमने ढूंढ़ा है, इसलिए सब को दिया है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अच्छी बात है, देना चाहिए। तंत्र में गड़बड़ है, नहीं तो कलैक्टर को क्यों बदला है? लगा कि यह ठीक काम नहीं कर रहा है, इसलिए बदल दिया। प्रशासन तंत्र में नीचे से ऊपर तक जो मशीनरी है, उसमें कहीं गड़बड़ी हो सकती है, किन्तु आप जिम्मा ले लेते हैं कि सरकार के लोग ही बैठकर सब काम करते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री ही कहते हैं कि सब खराब कर दो। ऐसा थोड़े ही है। कलैक्टर से लेकर नीचे तक जो तंत्र है, उसमें त्रुटि होगी। हाल ही में हमने अखबारों में पढ़ा कि वहां का कलैक्टर बदल दिया तो क्यों बदला। इसलिए कि वह ठीक काम नहीं कर रहा है तो बदल दिया। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमारा काम ठीक है। हमारा सुझाव है कि जितने माननीय सदस्यगण हैं और जो स्थानीय पंचायत के मुखिया, सरपंच आदि लोग होंगे, उन सब को कान्फीडेंस में लेकर, सभी समाजसेवी संस्थाओं और एन.जी.ओज. को लगा कर पीड़ित मानवता की जितनी भी सेवा की जाये, वह कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उनको सहानुभुति मिलनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी से मैं दरख्वारत करता हूं कि अखबार में वक्तव्य दिया कि खजाना खोल दिया तो खजाना खोलने में बर्बादी तो 20 हजार करोड़ रुपये की हुई और आपने 500 करोड़ रुपया दे दिया तो इसे खजाना खोलना कहते हैं? इसलिए उनको और ज्यादा सहायता दी जाये, जिससे उनको राहत मिले। दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से जहां हुआ है, उनको भी इसी हिसाब से सहायता मिलनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गुजरात में भूकंप से हुए विनाश का संबंध है, यह अभूतपूर्व है। मैं भारत के पूर्वी भाग से हूं। यदि मैं गुजरात नहीं गया होता तो मैं यहां बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ होता। महोदय, मैं गुजरात गया था मैं अहमदाबाद, भुज, बचाऊ, रापड़, अंजार, गांधीधाम, मोरबी और मलाया हो आया था। मैंने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया था। मैंने महीनों तक तूफान प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया था। मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्य किया था। परन्तु मैंने कभी भी भूकंप से हुआ विनाश नहीं देखा था। आंखों देखी और कानों सुनी बात के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए मैं वहां गया था। "आंखों" से मेरा तात्पर्य यह है कि मैं वहां इसकी सीधी जानकारी लेने के लिए गया था। मैं वहां विश्लेषणात्मक दिमाग के साथ गया था परन्तु मैं वहां से भावुक हृदय और अपने गालों पर सूखे हुए अश्रुओं के साथ लौटा। मैंने वहां विनाश देखा, लोग मलबे के नीचे चिल्ला रहे थे उन्हें बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे परन्तु कुछ न हो सका। मैंने इसे देखा है। इसी कारण मैं बोलने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

मैं पहले 29 और 30 तारीख को अहमदाबाद गया और मैंने अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों को देखा था। मैंने मानसी अपार्टमेंट को देखा था जो कि दूसरे अपार्टमेंट के ऊपर गिर पड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह भूकंप के कारण ध्वस्त हुई थी–हां अवश्य ही वहां भूकंप आया था–परन्तु बिल्डर्स द्वारा खराब निर्माण के कारण। अहमदाबाद में 60–70 प्रतिशत भवन जो कि ऊंचे थे अथवा तीन मंजिले भवन थे, भवन निर्माताओं द्वारा खराब अथवा गलत निर्माण के कारण नष्ट हुए थे। मैं आपको बता सकता हूं कि एक दस मंजिल भवन था। एक पुराना भवन वहां था और उसके सामने एक और भवन का निर्माण किया गया था। इन नए भवनों को सीढ़ियों के द्वारा जोड़ा गया था। नया भवन गिर गया परन्तु पुराना भवन सीधा खड़ा रहा। इसका अर्थ है कि एक भवन नष्ट हुआ और दूसरा भवन नष्ट नहीं हुआ। मैंने वहां सब कुछ देखा था।

मैं पवित्र नगर गया था। मैंने स्वामी नारायण हाई स्कूल में तबाही का दृश्य देखा। लगभग 45 छात्र प्रातः 8 बजे वहां अतिरिक्त कक्षाओं के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में गए थे। वास्तव में यह स्वामी नारायण स्कूल नहीं था। यह सेक्रेड फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वहां लोगों ने मुझे बताया कि स्कूल की इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पलक झपकते ही नीचे आ गई क्योंकि इसका निर्माण ढाई महीने में किया गया था।

अहमदाबाद में पहला और महत्वपूर्ण कार्य उन भवन निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाही करने का है। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं उन्हें एक सूचना देना चाहता हूं। आज सुबह तक 23 निर्माताओं को जेल भेज दिया गया है। राज्य सरकार और भवन के मालिकों ने उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की है। हमने उनके विरुद्ध धारा 304 और अन्य धाराओं के अंतर्गत शिकायतें दर्ज की हैं और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : आप किसकी ओर से ऐसा कह रहे हैं?

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मुझे इसका पता है। मैं अहमदाबाद का हूं। अहमदाबाद के संसद सदस्य के रूप में मैं कह रहा हूं कि 23 भवन निर्माताओं को जेल भेजा जा चुका है...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो : अब मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। कच्छ एक क्षेत्र है। कच्छ एक जिला है। कच्छ जिले में दस तालुका हैं और पांच तालुका प्रभावित हुए हैं। भुज कच्छ का जिला मुख्यालय है। भुज, अंजार, बचाऊ, रापड़ और गांधीधाम इन पांच जिलों में तबाही हुई है, भुज के बारे में मैं प्रतिशतता बता सकता हूं। मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग मर गए अथवा ऐसी ही कोई बात हुई। कुछ भवन सीधे खड़े हैं। परन्तु वहां भवनों में दरारें हैं जिनमें रहा नहीं जा सकता। उसके बाद वहां कोई नहीं रह सकता। कोई वहां रह भी नहीं रहा था। यह भुज के बारे में था। परन्तु बचाऊ और अंजार में लगभग सभी भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। गांधीधाम में कुछ भवन ध्वस्त हुए हैं। इसलिए, हम सब ईमानदारी बरतें। पहली बात यह है कि सरकार को पुनर्निर्माण कराना चाहिए। मैं केवल वहीं से शुरू करता हूं। वहां वास्तविक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वे भवन इस प्रकार निर्मित किए जाने चाहिएं कि वे भूकंप–रोधी हों।

जहां तक सूखा, बाढ़ और तूफान का संबंध है थोड़–सी पूर्व चेतावनी होती है। यद्यपि भूकंप प्रवण क्षेत्र का नक्शा तैयार किया गया है परन्तु विज्ञान भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए उतना विकसित नहीं हुआ है। कच्छ क्षेत्र सबसे खराब भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है। इसलिए जब पुनर्निर्माण प्रारंभ होता है तो उस समय उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत सी बातें माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही बताई जा चुकी हैं। मैं आपको राहत कार्यों के बारे में बता रहा हूं। राहत कार्यों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह राहत सामग्री

जा रही थी वह अभूतपूर्व था। मैं उड़ीसा में था। मैंने देखा था कि वह उससे भी ज्यादा थी। केवल यहीं नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद के सिद्धांतों के साथ बहुत से मतभेद हैं। मैं पुनः कहता हूं कि हमारे उनके साथ बहुत से मतभेद हैं। परन्तु जब भी मैं गया तो मैंने आर.एस.एस. और विश्व हिन्दू परिषद के लोगों तथा गुरुद्वारा के लोगों को अच्छी तरह कार्य करते हुए देखा है। जहां भी मैं गया था मैंने उन्हें कार्य करते हुए देखा था। वे बचाव कार्य कर रहे थे। हम उनके प्रति ईमानदार रहें जिन्होंने कुछ कार्य भी किया है। हमारे उनके साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। परन्तु यह सच्चाई है कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है।

जहां तक पुनर्निर्माण का प्रश्न है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यह न कहें सिर्फ चार लाख मकानों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। मैं उनकी गिनती नहीं कर रहा हूं। मैं उस तरह के वाद–विवाद में नहीं जाना चाहता, परन्तु उन घरों की पहचान की जानी चाहिए। हमें उन घरों का अच्छी तरह निर्माण करना होगा ताकि वे भूकंप–रोधी रहें। इस क्षेत्र के लिए मेरा यही सुझाव है। निःसंदेह इसके लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। सरकार ने लातूर में इसे बनाया है। वे भूकंप–रोधी मकान हैं। इसी प्रकार सरकार को यहां भी ऐसा करना पड़ेगा। भारत सरकार, हम सबको और सभी राज्यों को इसे अच्छी तरह करना चाहिए–उड़ीसा की तरह नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं। कुछ राज्य आगे आए और बताया कि उन्होंने इस जिले और उस जिले को अंगीकृत किया है। उन्होंने वहां कुछ विशेष नहीं किया। कृपया उस तरह न करें। यह बिल्कुल ढकोसला है। मेरा कहना है कि जो भी सरकार करना चाहती है उसे बहुत नियोजित रूप में करना चाहिए और यह पूरी तरह से एक संगठन के अधीन किया जाना चाहिए। मैं श्री वेंकटेस्वरलु से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग अथवा वित्त आयोग की भांति आपदा प्रबंधन के लिए भी एक स्वतंत्र सांविधिक आयोग होना चाहिए।

इसे सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए जिससे कि सरकार राजनीतिक मिथ्यापवाद से बची रह सकेगी। आयोग के माध्यम से ही समस्त धन और प्रयास किए जाने चाहिए और विध्वंस के समय आयोग को कार्य संभालना चाहिए। धन कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम सभी को कच्छ क्षेत्र और राजकोट के कोरबा और मलया तहसीलों में भी पुनर्निर्माण कार्य हेतु माननीय प्रधानमंत्री और उस सरकार का साथ देना चाहिए।

कृपया सूरत का नाम मत लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। यदि मैं गलत हूं तो कोई भी मुझे सही कर सकता है। मैं सूरत गया था। लाखों उड़ीया लोग वहां रह रहे थे। मैं वहां यह देखने गया था कि उनके साथ क्या घटित हुआ था। केवल एक बहुमंजिला भवन गिरा है, और 47 व्यक्ति मारे गए हैं। वह भी केवल बिल्डर के कारण हुआ था। मेरा मुद्दा यह है कि इसे तूल मत दीजिए बल्कि यथार्थवादी रवैया अपनाइए। ऐसा करते हुए मैं उड़ीसा में आए महाचक्रवात का उल्लेख करना चाहूंगा। कृपया इसकी उपेक्षा मत कीजिए। उन्नीस लाख मकान मटियामेट हो गए हैं और केवल दो लाख इंदिरा आवास योजना के मकान उनको दिए गए थे। कृपया गुजरात पीड़ितों के साथ–साथ उनको मत भूलिए।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपों में से एक से प्रभावित रहा है। एक विशाल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। भुज, बचाऊ, अंजार, रापड़ और कच्छ विशेष रूप से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। मानव जीवन, पशुओं और संपत्तियों की अत्यधिक हानि इन सभी अनुमानों को सही साबित करती है।

गुजरात का भूकंप उच्च महत्त्व वाले कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालता है जिससे हम सभी को सीख लेनी है। मैं इस पर जोर दूंगा कि भारत हमेशा ही प्राकृतिक आपदाओं और विध्वंसों का सामना करता रहा है। परन्तु हम सभी जानते हैं कि सरकार को सभी जगह विध्वंस के प्रभावी प्रबंधन की कमी और अभाव का सामना करते देखा गया है। मैं गुजरात पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह एक ऐसा सामान्य परिदृश्य, सर्वाधिक दर्शनीय परिदृश्य है कि सरकार विध्वंसों के प्रभावी प्रबंधन में हमेशा और सभी जगह असफल रही है। जब भी और जहां भी आपदाएं आई हैं हम हमेशा ही अभावग्रस्त पाए गए हैं और हर समय हम ऐसी सभी विपत्ति को मानव निर्मित विपत्ति का रूप देते रहे हैं। यह सच है और गुजरात के संबंध में तो यह विशेष रूप से सत्य है।

महोदय, सभी राज्यों की सरकारें आपदाओं से पीड़ित लोगों की पीड़ा को दूर करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूरी तरह उपयोग कर पाने में असफल रही हैं। यह एक गंभीर कमी है और हमें इसे दूर करना है। हम इस कमी की उपेक्षा केवल संकट के साथ कर सकते हैं। गुजरात में आए भूकंप का यही पाठ है।

महोदय, इस कमी का जो मूल्य हमने चुकाया है अथवा प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली क्षति से निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूरी तरह उपयोग करने में हमारी उपेक्षा की ओर नजर डालिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में रिक्टर पैमाने पर 6.6 की तीव्रता वाले भूकंप में मात्र पांच लोग मारे गए थे, परन्तु महाराष्ट्र के लातूर में वर्ष 1994 में समान तीव्रता वाले भूकंप में 9,000 लोग मारे गए थे। अतएव, जैसा मैंने कहा, हमने सबसे पहला सबक यह सीखा कि इन

[श्री जी. एम. बनातवाला]

आपदाओं से निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीके पर विचार करें।

गुजरात का मामला वेदनाप्रद है। यह बड़ा ही खेदपूर्ण है कि गुजरात में लगातार विपदाओं के बावजूद सरकार एक प्रभावी प्रबंधन प्रणाली तैयार नहीं कर सकी। वर्ष 1979 में मोर्वी बांध दुर्घटना हुई थी, वर्ष 1995 में कांडला और कच्छ में चक्रवात आया था, सूरत में प्लेग और दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में बाढ़ आई थी। जहां तक कच्छ का संबंध है, काफी लंबे समय से इसकी पहचान देश के सर्वाधिक भूकंप संभावी क्षेत्र के रूप में की गई है। फिर नवम्बर, 2000 में एक चेतावनी भी थी। भू–विज्ञान अध्ययन केन्द्र तिरूवनंतपुरम द्वारा कच्छ प्रदेश के बारे में तीन वर्षों की अवधि तक अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन और इसकी सिफारिशों का क्या हुआ? हम अभी भी नहीं जानते कि उन सभी सिफारिशों का क्या हुआ। हम कब मिल बैठेंगे यह देखने के लिए कि ऐसे अध्ययनों से हमें लाभ हो?

महोदय, जब गुजरात में विपत्ति आई तो राज्य सरकार किंकर्त्तव्यविमूढ़ और गतिहीन प्रतीत हो रही थी। शुरूआती दौर में यह विशेष रूप से सत्य है। परन्तु यही शुरूआती क्षण मानव जीवन की रक्षा किए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है। सुरक्षा बलों से सेवाएं लेने में अक्षम्य देरी की गई थी। कच्छ क्षेत्र में कई छावनियां हैं और हमारे सुरक्षा बल लोगों की सहायता के लिए सामने आए। परन्तु गांधीनगर का प्रशासन तो गतिहीन ही था।...*(व्यवधान)* उस सच्चाई को स्वीकार करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : महोदय, यह गलत बता रहे हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : मुझे यह बताने दीजिए कि भूकंप 26 जनवरी, 2001 की सुबह आया और देर अपराह्न तक भुज के केन्द्र में स्थित मैदान में, जो कि प्रभावित लोगों से भरा पड़ा था, केवल एक चिकित्सक उपलब्ध था।...*(व्यवधान)* वह चिकित्सक सीमा सुरक्षा बल का था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, माननीय सदस्य जो भी आंकड़े देते हैं, मंत्री जी उन्हें ध्यान में रखते हैं और नियमित रूप से उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देंगे, आप उनकी बातों में अभी हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे सत्यापित नहीं कर सकते, मंत्रीजी स्वयं ही इसे सत्यापित करेंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, फिर यह सबसे दुःखद बात है कि राज्य सरकार को गांधीनगर, जो कि राज्य की राजधानी है, में कार्रवाई नियंत्रण कक्ष स्थापित करने में दो दिन लगे।

यह राज्य की राजधानी है और भूकम्प ने उसे सौभाग्य से छोड़ दिया था। यह सच है कि राहत कार्यों का कार्यान्वयन अत्यन्त धीमी गति का ही रहा। राहत सामग्री वहां तेजी से पहुंच रही थी। वहां पूरे देश से और पूरे विश्व से राहत सामग्री का अभूतपूर्व प्रवाह होता रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें, श्री बनातवाला।

श्री जी. एम. बनातवाला : लेकिन लगता है कि सरकार विशेषकर उस महत्वपूर्ण आरम्भिक अवधि में इस बात को नहीं जान सकी कि वितरण का कार्य कैसे करना है वहां कोई समन्वय नहीं था, यहां तक कि त्रासदी के 12 दिन बाद विदाद–ए–सर्वोदय ट्रस्ट चिकित्सालय के एक न्यासी ने कहा था :

> "समन्वय का अभाव ही त्रासदी थी, वहां दवाओं, चिकित्सकों या धन की कोई कमी नहीं थी अगर कमी थी तो वितरण की, अन्त में हमने निर्णय लिया कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि चिकित्सकों को कुछ मरीजों के साथ वापस वहीं भेजा जाए जहां से वे आए थे।"

वहां विदेशी चिकित्सा दलों के उपयोग न करने की रिपोर्टें भी हैं, वहां वायुमानों से आई राहत सामग्री के दुरुपयोग इत्यादि की रिपोर्टें भी हैं।

"फ्रन्टलाइन" ने अपने 17 फरवरी से 2 मार्च के वर्तमान अंक के पृष्ठ 12 में रिपोर्ट प्रकाशित की हैं :

> "वहां राहत सामग्री (विशेष रूप से टेंटों) के वितरण में भा.ज.पा. के पार्षदों तथा नगरपालिका के पार्षदों या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इसे हथियाने और राहत सामग्री अपने समर्थकों को देने और अल्पसंख्यकों तथा दलितों के प्रति पूर्वाग्रह बरतने की शिकायतें आ रही हैं।"

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : एक कहावत है कि "सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से"...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सर, यहां गलतबयानी हो रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, मंत्रीजी यहां हैं, वह इसका खंडन करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : वहां इस साम्प्रदायिक सद्भाव तथा एकता के दीप्तिमान उदाहरण हैं, यह बिल्कुल एक खुशी का विषय है, लेकिन हमें शुतुरमुर्गी नीति नहीं अपनानी चाहिए और हमें कतिपय धार्मिक–राजनीतिक फासिस्ट समूहों द्वारा पूर्वाग्रह और पक्षपात पूर्ण शिकायतों को दर किनार करने का प्रयास करना चाहिए। यह समय उन्हें मानने और उनकी भर्त्सना करने और इस बारे में प्रण करने का है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, मंत्री जी इस सूचना की सत्यता को सत्यापित करेंगे....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया समाप्त करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमें 9 बजे सभा को स्थगित करना है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं कवल दो मिनट मैं उपनी बात समाप्त करूंगा।

जब हमने गुजरात का दौरा किया था उस समय लोगों ने हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताई जो कि चिंता का विषय थी कि क्या उन्हें उसी गांव में और उसी जगह पर फिर से बसाया जाएगा जहां से वे उजड़ गए हैं, हमें लोगों की अपनी भूमि से लगाव की भावना का सम्मान करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस विशेष मामले पर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाएगा।

राजनीतिज्ञों, भवन निर्माताओं तथा नौकरशाही के बीच की सांठगांठ भी इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है जैसा कि हमें पता है कि वहां निर्माण संबंधी नियमों की उपेक्षा की गई है, उनका दंडभाव के कारण उल्लंघन हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी यहां काफी जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अब समाप्त करें।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उदाहरण के लिए, अहमदाबाद में कई ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंची है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इनकी मरम्मत और इनके जीर्णोद्धार के लिए एक तत्काल योजना के साथ आगे आना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व हम सैन्य बलों, गैर–सरकारी संगठनों तथा बड़ी संख्या में आगे आई स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रति वहां शानदार कार्य करने के लिए आभारी हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं।

महोदय, हम गुजरात को आश्वासन देते हैं कि उनके कष्टों और दुःखों में पूरा देश उनके साथ है और इन कष्टों और संकटों की घडी में हम सभी मजबूती से उनके साथ खड़े है।

रात्रि 9.00 बजे

सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर, मध्य प्रदेश से श्री राम नरेश त्रिपाठी और श्रीमती जयश्री बेनर्जी को आज प्रातः 9.30 बजे गिरफ्तार किए जाने की सूचना देने वाला संयुक्त संदेश प्राप्त हुआ है।

सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.01 बजे

तत्पश्चात लोकसभा मंगलवार, 27 फरवरी, 2001/ 8 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।